दशम माला, खंड 4, अंक 34

बुधवार, 28 अगस्त, 1991
6, भाद्र 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पहला सत्र

(दसवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(खंड 4 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 28 अगस्त, 1991 / 6, भाद्र 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची (i)	8	"और" के पश्चात "607 से 609" जोड़िये ।
विषय सूची (ii)	नीचे से 4	"श्री गुमाद मल लोढा" के स्थान पर "श्री गुमान मल लोढा" पढ़िये ।
8	7	"श्री कमालुद्दी अहमद" के स्थान पर "श्री कमालुद्दीन अहमद" पढ़िये ।
86	नीचे से 8	"शोरे" के स्थान पर "शीरे" पढ़िये ।
105	नीचे से 9	मंत्री महोदय के नाम के पश्चात "(क)" अन्तःस्थापित कीजिए ।
107	अंतिम पंक्ति	सदस्य का नाम "डा० कार्तिकेश्वर पात्र" पढ़िये ।
123	4	"(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये ।
190	नीचे से 3	"(ग)" के स्थान पर "(ग) और (घ)" पढ़िये ।

विषय सूची

दशम माला, खण्ड-4 पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 34, बुधवार, 28 अगस्त, 1991/6 भाद्र, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—24
*तारांकित प्रश्न संख्या : 589 से 592	24—207
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 593 से 605 और	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4746 से 4822, 4824 से 4923 4925 से 4931 और 4933 से 4967	
एक रैंक एक पेंशन के बारे में	207—220
सभा पटल पर रखे गए पत्र	220—222
नियम 377 के अधीन मामले	223—227
(एक) दलित ईसाइयों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित करने की आवश्यकता	
श्री पाला के० एम० मैथ्यू	223—224
(दो) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों को छात्रवृत्ति आदि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की आवश्यकता	
श्री मोहन लाल झिकराम	224—225
(तीन) मध्य प्रदेश में सड़कों के शीघ्र निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि में से मध्य प्रदेश सरकार को धनराशि दिए जाने की आवश्यकता	
श्री सत्य नारायण जटिया	225

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(चार) गुजरात में लघु इंजीनियरी और फाउन्डरी उद्योगों को कच्चे लोहे की और अधिक मात्रा आबंटित करने की आवश्यकता	
श्री कांशी राम राणा	225
(पांच) दरौंदा-महाराजगंज रेल खण्ड को शीघ्र बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता	
श्रीमती गिरिजा देवी	225—226
(छ:) बिहार और पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोल फील्ड और सेंट्रल कोल फील्ड द्वारा छोड़ी गई कोयला खदानों के अधिग्रहण हेतु एक नई कम्पनी बनाने की आवश्यकता	
श्री सूरज मण्डल	226
(सात) सद्रमी सीमा संरक्षा बल बनाने की आवश्यकता	
श्री गोपीनाथ गजपति	226—227
(आठ) रवीन्द्रनाथ टैगोर को राष्ट्र कवि घोषित करने तथा उनकी साहित्यिक और कलात्मक कृतियों को सुरक्षित की आवश्यकता	
श्री रूपचन्द पाल	227
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92	227—288
कृषि मंत्रालय,	
खाद्य मंत्रालय और	
ग्रामीण विकास संत्रालय	
श्री ई० अहमद	227—231
श्री बीरबल	231—232
श्री ब्रह्मानन्द मंडल	232—236
श्री तारा सिंह	236—240
श्री शिबू सोरेन	240—243
श्री कमला मिश्र मधुकर	243—246
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	246—253
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	254—258
श्री गुमाद मल लोढा	258—264
श्री अरविन्द नेताम	264—267
श्री अशोक आनन्द राव देशमुख	267—271
श्री पाला के० एम० मैथ्यू	271—274

विषय	पृष्ठ
श्री राम सागर	274—276
श्री शंकर राव दे० काले	276—278
श्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे	278—280
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	280—283
श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर	283—287
श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर	287—288

लोक-सभा

बुधवार, 28 अगस्त, 1991/6 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा क्रयादेश प्राप्त करने हेतु कमीशन का कथित भुगतान

*589. **डा० असीम बाला :** क्या प्रधानमन्त्री दिनांक 5 मार्च, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1484 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा क्रयादेश प्राप्त करने हेतु उसके द्वारा कमीशन के कथित भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में कोई जांच इस बीच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) जी, हां । सरकार ने काफी विस्तार से तथ्यों का पता लगाया है। मामले की जांच करने और आगे कार्रवाई हेतु हमें सलाह देने के लिए मैंने सरकारी उद्यम विभाग (बी० पी० ई०) से पहले ही कह दिया है ।

डा० असीम बाला : महोदय, 5 मार्च 1991 के मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 1404 के उत्तर में कहा गया था कि क्या आई० डी० पी० एल० को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (एन०एम०ई०पी०) से 1988-89 के दौरान कोई आर्डर मिला था । मेरे प्रश्न का भाग (क) यह है : क्या यह सच है कि आई० डी० पी० एल० द्वारा एन० एम० ई० पी० के लिये सीधे 330 लाख क्लोरोम्बिन गोलियां भेजने पर मैसर्ज नील माधवन, सलाहकार को भी 5 लाख रुपये कमीशन के रूप में दिए गये थे ? मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि मैसर्ज नील माधवन द्वारा किए गए अनुवर्ती कार्य का विवरण क्या है, जिसे आई० डी० पी० एल० का विक्रय संगठन 5 लाख रुपये से कहीं अधिक कम कीमत पर नहीं कर सका ?

महोदय, मुझे यही उत्तर माननीय मंत्री से पहले भी मिला था ।

डा० चिन्ता मोहन : महोदय, माननीय सदस्य ने मार्च 1991 में अतारांकित प्रश्न संख्या 1404 किया था और तब उन्होंने एक जांच के लिए कहा था । उनकी मांग के मुताबिक हमने सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से जांच के लिए कहा था ।

डा० असीम बाला : महोदय, माननीय मन्त्री का कहना है कि उन्होंने जांच के लिए कहा था। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री इस सभा में इस जांच की शर्तें घोषित करें। मैं अपना दूसरा पूरक प्रश्न करना चाहता हूं। 5 मार्च, 1991 को मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 1404 के उत्तर में कहा गया था कि सरकार मामले पर गौर कर रही है। एक अन्य तारांकित प्रश्न संख्या 424, दिनांक 11 अप्रैल, 1990 के उत्तर में भी इसी प्रकार कहा गया था कि रसायन तथा उर्वरक विभाग इस पर गौर कर रहा है। उन्होंने अब भी ऐसा ही उत्तर दिया है। सरकार काफी विस्तारपूर्वक इस पर विचार कर चुकी है। मैं कहना चाहूंगा कि हमें हर बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन कुछ नहीं किया जाता। इसलिए कुछ गड़बड़ है। सरकार में उच्च अधिकारियों के कुप्रबन्ध के कारण सरकारी कोष का व्यय हो रहा है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि वह 11-4-90 को तारांकित प्रश्न संख्या 424(लोक सभा) तथा 3-9-90 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2839 (राज्य सभा) के उत्तर में दिए गए अपने वक्तव्यों से कैसे सामंजस्य बैठाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के पास पुराने सभी प्रश्न नहीं हैं।

डा० असीम बाला : महोदय, मेरे पास ये प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

डा० असीम बाला : महोदय, मैं प्रश्न कर रहा हूं। राज्य सभा में एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसकी अनुमति नहीं है।

डा० असीम बाला : महोदय, ठीक है मैं इसका उल्लेख नहीं करूंगा। लोक सभा का भी एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रश्न के सारांश का उपयोग करते हुए प्रश्न कीजिए।

डा० असीम बाला : महोदय, मैं प्रश्न कर रहा हूं। महोदय, मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या आई० डी० पी० एल० में ऐसे उदाहरण हैं जबकि आई० डी० पी० एल० के उत्पादों की सप्लाई, किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी संगठन को सीधे की गई है लेकिन इसके लिए कोई अनुवर्ती कार्य किए बगैर ही बिचौलिए को कमीशन दिया गया है।

डा० चिन्ता मोहन : महोदय, आई० डी० पी० एल० तथा हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० में कुछ अपने एजेंट हैं। इसकी संख्या लगभग तीस हैं। यह एक बड़ी फैक्ट्री है। आई० डी० पी० एल० में बहुत ही कम मैडिकल प्रतिनिधि हैं। हमने और अधिक आर्डर लेने तथा चैक और नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एजेंटों की मदद ली है और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए ठेकों की पूर्ति हेतु लगभग 9 लाख रुपये की अदायगी की है।

अध्यक्ष महोदय : श्री दाऊ दयाल जोशी।

डा० असीम बाला : महोदय, उत्तर स्पष्ट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि एजेंट थे और कमीशन दिया गया था।

डा० असीम बाला : महोदय, कमीशन दिया ही क्यों जाए ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार तर्क मत कीजिए। आप इस प्रकार तर्क नहीं कर सकते।

डा० असीम बाला : महोदय, आप मेरी बात नहीं सुन रहे।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह बात मंत्री महोदय को सुननी है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय मन्त्री महोदय बतायें कि क्या यह सही है कि आई० डी० पी० एल० की स्थापना इसलिए नहीं की गई थी कि देश में लोगों को शुद्ध, सस्ती व सुलभ मैडीसिन्स प्राप्त हो सकें, इसमें आई० डी० पी० एल० असफल रहा है ? क्या यह सही है कि आई० डी० पी० एल० में जो एनालजीन बनती है, जिसकी निर्माण लागत ढाई पैसे आती है, बाजार में जाने के बाद यह 25 पैसे में बेची जाती है, अपने चहेते लोगों को कमीशन देने के कारण ?

अध्यक्ष महोदय : यह आई० डी० पी० एल० पर जनरल प्रश्न नहीं है, उसमें जो एजेंट्स एपाइण्ट किये जाते हैं, उस पर है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : वही निवेदन करा रहा हूं कि एजेंटों को कमीशन दिए जाने के कारण और मनमाने भाव आप तय करते हैं जिससे लोगों को सस्ती और सुलभ औषधियां नहीं मिल पातीं। पैनीसिलिन जो 35 पैसे में बनती है, बाजार में वह सवा तीन रुपये में बेची जा रही है। इसलिए इन भारी मुनाफों को कम करके क्या आप आई० डी० पी० एल० का जो मूल लक्ष्य था, उस तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, कृपया बतायें ? कमीशन खत्म करके कीमतें कम करने की कृपा करेंगे क्या ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उत्तर देने की स्थिति में हैं ?

डा० चिन्ता मोहन : महोदय, हम प्रतिस्पर्धात्पक दर तथा मूल्य दे सकते हैं। महोदय, आप जानते है कि मूल्यों को घटाना बहुत कठिन है, क्योंकि उत्पादन लागत अधिक है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीकान्त जेना······

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष जी, अब आई० डी० पी० एल० में एनालजीन की लागत कीमत ढाई पैसे आती है, पैनीसिलिन 35 पैसे में बनती है और उसको आप सवा तीन रुपये में बेच रहे हैं, यह तो बहुत बड़ा अन्याय है तो इसका रीजन क्या है ? जब लागत मूल्य कम है तो उसका मूल्य आप कम क्यों नहीं करते ?

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आई० डी० पी० एल० एक सरकारी उद्यम है और जब एक सरकारी उद्यम एक सरकारी संगठन को और विभिन्न राज्य सरकार को दवाएं सप्लाई कर रहा है, तो एजेंटों की नियुक्ति और उन्हें कमीशन की अदायगी क्यों की जा रही है। राज्य सरकारों तथा भारत सरकार की नीति है कि आई० डी० पी० एल० से सीधे ही खरीद की जाए और इसके लिए मूल्य निर्धारित होता है। तब एजेंट क्यों नियुक्त किए गए और कमीशन की अदायगी क्यों की गई ? इस बारे में इस सभा में चर्चा हुई थी और नौवीं लोक सभा में

माननीय मन्त्री ने कहा था कि आई० डी० पी० एल० के अध्यक्ष ने जानबूझ कर राजनैतिक प्राधिकारियों से मिलीभगत करके कुछ एजेंटों की नियुक्ति की थी और इसे रद्द किया जाना है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह चेयरमैन को दिए गए इसी राजनैतिक प्राधिकार का आगे उपयोग करते हुए इन एजेंटों को बनाए रखेंगे।

डा० चिन्ता मोहन : महोदय, बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है और निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र की अनेक इकाईयां औषध निर्माण कर रही हैं। कुछ आर्डर प्राप्त करने के लिए एजेंटों की नियुक्ति की जाती है। अगर माननीय सदस्य ऐसे किसी विशेष मामले का उल्लेख कर रहे हैं, जिसमें कोई एजेंसी घोटाला कर रही है तो हम उसे रद्द करने के लिए तैयार हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं इस विशेष प्रश्न तक ही सीमित रहना चाहता हूं। एजेंट की नियुक्ति समझौते का उल्लंघन करके की गई थी और कमीशन की अदायगी भी की गई थी। यह स्पष्ट है। इसलिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए दवाएं सप्लाई करने के इस विशिष्ट मामले में एजेंट की नियुक्ति की क्या आवश्यकता थी और कमीशन क्यों दिया गया ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर अभी दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं, महोदय। उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। जब बिक्री प्रतिनिधि हैं तो दवाओं की सप्लाई के लिए एजेंटों की नियुक्ति कैसे की जा सकती है ? राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए दवाएं सप्लाई करने के इस विशिष्ट मामले में एजेंट की नियुक्ति की गई ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा करना समझौते का उल्लंघन था अथवा नहीं।

डा० चिन्ता मोहन : एजेंट की नियुक्ति 1989-90 में की गई थी; यह नियुक्ति इस सरकार ने नहीं की है। (व्यवधान)

बजट के बाद मूल्यों में वृद्धि

*590. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार** :

श्री सुधीर गिरि : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान प्रति माह तथा सामान्य बजट प्रस्तुत होने के बाद वाले महीने में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई;

(ख) मूल्य वृद्धि पर नियन्त्रण पाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) कमजोर वर्गों की सहायता के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) एक विवरण अनुबन्ध पर दिया गया है, जिसमें पिछले छः महीनों में प्रत्येक माह के दौरान तथा 1991-92 के आम बजट के प्रस्तुत होने के बाद 10-8-1991 तक आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकाकों में आए उतार-चढ़ाव का मासवार प्रतिशत दिखाया गया है।

(ख) मौजूदा सरकार युक्तिसंगत सीमाओं के भीतर मूल्य वृद्धि को नियन्त्रित करने के कार्य को

सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि को नियन्त्रित करने, सरकारी खर्च में मितव्ययिता बरतने, "शीघ्र प्रभावित होने वाली वस्तुओं" की बेहतर आपूर्ति तथा प्रबन्ध सुनिश्चित करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत तथा सुप्रवाही बनाने, जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध सख्त कार्य-वाही करने तथा इस बीच अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की परिवीक्षा करने तथा उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार ने केन्द्रीय वित्त मन्त्री की अध्यक्षता में मूल्यों के बारे में एक मन्त्रिमण्डल समिति गठित की है। आशा है कि मूल्यों में वृद्धि के रुख को उचित सीमाओं के भीतर रखने में इन सभी उपायों के वांछनीय प्रभाव पड़ेंगे।

(ग) न्यायपूर्ण वितरण के एक कारगर उपकरण के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने हाल के वर्षों में समाज के कमजोर वर्गों की सहायता में एक प्रभावी भूमिका निभाई है। एक तरफ इससे प्रमुख आवश्यक वस्तुओं, जैसे चावल, गेहूं, चीनी तथा मिट्टी के तेल आदि में मूल्य वृद्धि में नरमी लाने में सहायता मिली है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तंत्र के जरिए उन क्षेत्रों में जहां अधिकतर गरीब उपभोक्ता रहते हैं, उचित मूल्लों पर इन आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और सुधार किया जा रहा है, ताकि उसके लाभ हमारी आबादी के उस तबके तक प्रभावी रूप से पहुंच सकें जो अभी भी कमजोर है तथा दूर-दराज के क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तानी, सूखा प्रवण क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों, गन्दी बस्तियों, झुग्गियों में और गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा है। उन्नत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों में, उचित दर की दुकानों तक आसानी से पहुंच होना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को उचित दर की दुकानों के दरवाजे तक सुपुर्द करने के लिए प्रयास करना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के जरिए अतिरिक्त वस्तुओं की सप्लाई करना, शामिल है। राज्य सरकारों अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक वस्तुएं नियमित रूप से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक राशन कार्ड धारकों को प्राप्त हों तथा आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और उनके चोरी से अन्यत्र भेजे जाने की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निगरानी रखी जाए।

अनुबन्ध

गत छः महीनों तथा बजट के बाद की अवधि के दौरान चुनी आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में पाए उतार-चढ़ाव का माहवार प्रतिशत

	फर० 91	मार्च, 91	अप्रैल, 91	मई, 91	जून, 91	जुलाई, 91	10-8-91 20-7-91 (बजट के बाद की अवधि)
चावल	+1.8	—0.3	+0.5	+1.3	+1.9	+2.0	+3.6
गेहूं	+5.4	—3.0	—11.8	—7.2	+0.8	+0.8	+5.3
ज्वार	+5.5	+3.8	+0.1	+1.3	+3.6	+3.0	+6.5
बाजरा	+5.6	—0.4	+4.9	+3.1	—1.7	+2.9	—4.2
चना	+0.4	—5.7	—0.4	+0.8	+0.2	—1.1	+0.1
अरहर	+5.4	—4.8	—1.4	+4.3	+6.8	+3.2	+2.9
मूंग	+0.7	+0.4	+2.1	—0.4	+2.3	—0.5	+1.4
मसूर	+4.4	—12.9	—3.5	—3.2	+3.5	+5.0	+2.6
उड़द	+3.6	+1.1	—1.2	+1.2	+1.5	+4.0	+1.9

1	2	3	4	5	6	7	8
आलू	—13.2	—1.5	+11.9	+22.5	+12.9	+9.5	+5.0
प्याज	—17.8	—35.7	—8.4	—3.2	+4.1	+6.5	+12.6
दूध	+2.5	+1.7	+2.4	+1.3	+0.8	+2.3	—0.1
मछली	—1.4	—4.3	—1.5	+5.7	+17.5	+3.4	—2.3
गोश्त	+1.3	+5.1	+0.5	+1.2	+0.2	+0.1	स्थिर
लाल मिर्च (सूखी)	+19.5	+14.4	+8.9	+2.3	+10.2	+17.3	+4.8
चाय	—5.1	—15.2	—6.5	+4.0	—0.9	+10.1	+9.8
कोक	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
मिट्टी का तेल	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	—2.5	—9.9
आटा	+0.4	—2.7	+2.0	+0.2	+0.4	स्थिर	स्थिर
चीनी	+0.8	—1.0	+0.2	+1.3	+1.5	+3.2	+9.2
गुड़	—3.0	+2.6	+0.8	+4.8	+9.4	+1.0	+2.2
नमक	+1.3	—0.1	+1.1	+1.9	+1.1	+2.4	—0.4
वनस्पति	+5.6	—2.3	—1.3	+0.6	+2.4	+0.6	+0.6
सरसों का तेल	+3.1	—13.1	—3.7	—0.2	+1.9	+4.3	+7.6
नारियल का तेल	+3.8	—3.4	—0.2	—1.1	+7.0	—1.0	+1.2
मूंगफली का तेल	—4.9	—4.0	+0.1	+3.1	+0.9	+2.0	+2.9
सूती कपड़ा (मिल का)	+1.2	+1.9	+2.3	+0.9	+2.9	+2.4	+0.4
कपड़े धोने का साबुन	स्थिर	+1.2	स्थिर	+3.2	+0.2	+4.7	+1.1
दियासलाई	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
समस्त वस्तुएं	+1.1	+0.1	+0.5	+1.0	+0.9	+1.8	+3.1

श्री सुधीर गिरि : महोदय, सामान्य बजट प्रस्तुत होने के बाद से आम जनता के उपयोग की सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है हांलाकि वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में बार-बार यही कहा था कि आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए कीमतों को नियन्त्रण में रखा जाएगा। इस पृष्ठभूमि में क्या मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी से पूछ सकता हूं कि बजट प्रस्तुत होने के बाद कीमतों में वृद्धि होने के विशेष कारण क्या हैं तथा अन्य मदों की कीमतें घटाने के लिए कौन से विशिष्ट उपाय किए गए हैं?

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, यह ठीक है कि कीमतों को नियन्त्रित करने के हमारे प्रयासों के बावजूद हम अभी तक पूरी तरह से कीमतों को नियन्त्रित नहीं कर पाए हैं। निःसन्देह आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। कुछेक वस्तुओं को छोड़कर बाकी सभी कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है। इनके मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं।

श्री सुधीर गिरि : महोदय, मुझे ठीक से उत्तर नहीं मिला है। जिन आवश्यक मदों की सप्लाई आम जनता के रोकने के लिए की जाती है उनकी मूल्य-वृद्धि को लिए सरकार द्वारा कौन से विशेष कदम उठाए गए थे?

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि को नियन्त्रित करने, सरकारी खर्च में मितव्ययिता बरतने, "शीघ्र प्रभावित होने वाली वस्तुओं" की बेहतर आपूर्ति तथा प्रबन्ध सुनिश्चित करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत तथा सुप्रवाही बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(व्यवधान)

मैं आपके ही प्रश्न पर आ रहा हूं। जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने तथा अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। **(व्यवधान)** हमने ये प्रयास आरम्भ कर दिए हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, अगर यह सवाल वित्त मन्त्री जी से पूछा जाता, तो अच्छा होता और वह उसका उत्तर देते। मगर यह सवाल प्रधान मन्त्री जी से पूछा जा रहा है और इसलिए उत्तर में कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। अध्यक्ष जी, जो वक्तव्य रखा गया है आप जरा उस वक्तव्य की भाषा देखें—

[अनुवाद]

"मौजूदा सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।"

[हिन्दी]

ये प्रेजन्ट गवर्नमेंट कहने की क्या जरूरत थी, क्या हम पास्ट गवर्नमेंट से सवाल पूछने वाले हैं। अब जो मैं पूछ रहा हूं वह एक छोटा-सा सवाल है—

[अनुवाद]

वक्तव्य में कहा गया है कि "मौजूदा सरकार युक्तिसंगत सीमाओं के भीतर मूल्य वृद्धि को नियन्त्रित करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।" महोदय, मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी यह स्पष्ट करें कि जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, वे कौनसी युक्तिसंगत सीमाएं हैं। वह इस बात को परिभाषित करें।

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, उत्पादन लागत और प्रबन्धन व्यय ही युक्तिसंगत सीमा होगी।

एक माननीय सदस्य : वह क्या है? **(व्यवधान)**

श्री कमालुद्दीन अहमद : किसी भी वस्तु का उचित मूल्य उत्पादन लागत जमा प्रबन्धन व्यय ही होगा। **(व्यवधान)**

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में कीमतों को जुलाई 1990 के स्तर पर लाने का वचन दिया गया था। क्या माननीय प्रधान मन्त्री जी ने जुलाई 1990 की कीमतों पर ध्यान दिया है तथा क्या उन्होंने उनकी तुलना वस्तुओं की वर्तमान कीमतों से की है?

श्री कमालुद्दीन अहमद : जी हां, जुलाई 1990 की कीमतों की तुलना में वर्तमान कीमतें बहुत अधिक हैं। हम इन कीमतों को कम करने के लिए सभी सम्भव प्रयास कर रहे हैं ताकि अपने वचन के अनुसार हम इन्हें जुलाई 1990 की स्थिति तक ला सकें। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, श्री वाजपेयी जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उन्होंने उचित ढंग से उत्तर नहीं दिया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह श्री वाजपेयी जी को कहना चाहिए, आपको नहीं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं बता रहा हूं कि उन्होंने उत्तर क्यों नहीं दिया है। वह मेरे एक सम्माननीय सहयोगी हैं। यदि आप उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते, तो मुझे करने दीजिए।

(व्यवधान)

महोदय, प्रश्न यह था कि "युक्तिसंगत सीमाओं के अन्दर मूल्यों में वृद्धि" न कि मूल्यों को उचित ठीक करना। अतः आपके अनुसार कौनसी मूल्य-वृद्धि युक्तिसंगत है? प्रश्न यह था न कि यह कि आपने इतना मूल्य कैसे कर दिया। उनकी तरफ से जो प्रश्न मैंने दोहराया है, कृपया उसी का उत्तर देने का प्रयास कीजिए।

मेरा अपना प्रश्न है "उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वार्षिक कितनी वृद्धि हुई है।"

भाग (ख) यह है कि औद्योगिक कामगार तथा कृषि मजदूरों दोनों के संदर्भ में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है तथा जैसा कि आपने जिक्र किया है कि आप चुनाव घोषणा-पत्र के अनुसार मूल्यों को जुलाई 1990 के स्तर पर लाना चाहते थे। तब से मूल्यों को कम करने के स्थान पर उनमें कितनी वृद्धि हुई? तीसरा भाग है......

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं जानता हूं कि तीसरे प्रश्न पर आपत्ति होगी परन्तु यदि मैं इसे भाग (ग) कहूंगा तो कोई आपत्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, अब बस कीजिए।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मूल्यों में अनियन्त्रित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, मैं यह जानना

चाहूंगा कि क्या सरकार आम व्यक्ति द्वारा उपभोग की जाने वाली कुछेक वस्तुएं जैसे ज्वार इत्यादि का पूरा काम अपने हाथ में लेने का विचार रखती है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का अन्तिम भाग काफी विस्तृत है तथा यह नीति सम्बन्धी मामला है और इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, माननीय सदस्य ने पिछले एक वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति की दर के बारे में पूछा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम कौनसी मुद्रास्फीति दर को उचित समझते हैं ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, मुद्रास्फीति की उचित दर बताना अत्यन्त कठिन है। दिनांक 10-8-1991 तक थोक मूल्य सूचकांक में प्रत्येक आवश्यक वस्तु की मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 13.7 प्रतिशत थी जोकि गत वर्ष के आठ प्रतिशत के मुकाबले काफी अधिक थी। इस समय चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 30-3-91 से 10-8-91 तक की मुद्रास्फीति दर का अनुमान 6.8 प्रतिशत लगाया गया है जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान की यह दर 5.3 प्रतिशत थी।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी को यह बताना चाहता हूं कि भारतीय खाद निगम द्वारा सप्लाई किए जाने वाले अनाज की मात्रा बहुत कम है तथा किस्म बहुत घटिया है। अनाज में रेत, पत्थर तथा मिट्टी के ढेले मिले हुए हैं। 100 कि०ग्रा० के बोरे में 92 कि०ग्रा० से भी कम अनाज है जिसमें रेत, पत्थर भी हैं। क्या भारतीय खाद्य निगम में किए जा रहे इस घोटाले की जानकारी माननीय मन्त्री जी को है तथा यदि हां, तो इस गड़बड़ी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : यदि गेहूं तथा चावल की खराब किस्म का कोई विशेष उदाहरण आपके पास है तो निश्चित रूप से आप उसे हमारे ध्यान में लायें तथा हम उसकी जांच करायेंगे। भारतीय खाद्य निगम को औसतन अच्छी किस्म का गेहूं तथा चावल भेजना चाहिए तथा फिर भी यदि किसी वस्तु को इन मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो सम्बन्धित राज्य सरकारें इसे लेने से इन्कार कर सकती हैं।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र गढ़वाल में ऐसा देखा है।

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली वास्तव में समाज के सर्वाधिक निर्धन कमजोर वर्गों के लिए है। परन्तु दुर्भाग्य से स्थिति यह है कि सर्वाधिक निर्धन व्यक्तियों को केवल इसलिए इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ऐसे नियम बने हुए हैं कि इस प्रणाली का लाभ उठाने के लिए एक स्थायी पते का होना बहुत जरूरी है। फुटपाथ पर रहने वाला व्यक्ति इस प्रणाली का लाभ केवल इसलिये उठाने से वंचित कर दिया जाता है क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं है तथा केन्द्रीय सरकार हमेशा यह कहकर इस बात को टाल देती है कि इस बारे में जरूरी कार्रवाई करना राज्य सरकार का काम है। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए वह क्या कदम उठाने जा रहे हैं कि सभी राज्य सरकारें एक ऐसी नीति बनायें जिसके अन्तर्गत उन सभी व्यक्तियों को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ मिल सकें जो फुटपाथों पर रहते हैं तथा जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न मूल्य वृद्धि के बारे में है न कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, प्रश्न का अन्तिम भाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : यदि मन्त्री जी उत्तर देना चाहें तो वह दे सकते हैं।

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, माननीय सभा की सूचना के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सलाहकार परिषद की एक बैठक बुलाई गई थी। सभी मुख्यमन्त्रियों तथा राज्यों के नागरिक आपूर्ति मन्त्रियों ने उस बैठक में भाग लिया था। उस बैठक में सभी सम्बद्ध प्रश्नों पर चर्चा की गई थी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए हम एक विस्तृत कार्यक्रम बना रहे हैं।

जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न विशेष का सम्बन्ध है, निःसन्देह दिल्ली में यह समस्या है क्योंकि वितरण व्यवस्था का कार्य राज्य प्रशासन पर छोड़ा गया है तथा यहां दिल्ली में यह कार्य केन्द्र-शासित प्रदेश के प्रशासन पर छोड़ा गया है। निश्चित रूप से वहां पर यह समस्या है जिसे हमारे ध्यान में लाया गया है। हमने उस पर भी चर्चा की है।

विशेष रूप से झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों तथा मोटर-गाड़ी बनाने वाले मजदूरों तथा अन्य मजदूरों के बारे में मैं यही कहूंगा कि हमारे पास उनके पते नहीं हैं। उनके लिए भी कुछ उपाय किए जा रहे हैं ताकि कम से कम उन्हें राशन कार्ड जारी किए जा सकें जिससे कम से कम वे अस्थायी आधार पर ही राशन प्राप्त कर सकें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैंने दाम के बारे में इसके पहले भी सदन में एक बार नहीं दो बार जब प्रश्न पूछा था और कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र को दिखाकर पूछा था कि 100 दिनों में दाम घटाने का और जुलाई 1990 तक उसको वापस ले जाने का जो आपका संकल्प है, इस संकल्प को आप कब और कैसे पूरा करोगे। तो मुझे जवाब दिया कि अभी 100 दिन पूरे नहीं हुई हैं। प्रधानमन्त्री जी ने भी शायद इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया था कि 100 दिन पूरे होने की इन्तजारी हम लोगों को करनी चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसे इस स्टेटमेंट में कहा गया है।

[अनुवाद]

> "मौजूदा सरकार मूल्य-वृद्धि को नियन्त्रित करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।"

मूल्यों पर काबू पाने को नहीं बल्कि मूल्य-वृद्धि को नियन्त्रित करने के कार्य को (प्राथमिकता देती है।)

यह प्राईस-राइज जो हो रही है, अन्दाजा यह लग रहा है कि डबल डिजिट नहीं, मामला बहुत आगे बढ़ने वाला दिखायी दे रहा है। क्योंकि अगर 20 दिनों में, बजट के बाद इन्होंने प्राईस इन्डैक्स 3.1 पर पहुंचा दिया हो, आई०एम०एफ० की जो कंडीशनैल्टीज हैं, जो शर्तें हैं और बजट के अन्दर जो बिल्ट इनफलेशनरी चीजें हैं उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये कहां तक दाम बढ़ाने वाले हैं? दूसरा, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, कहने का मतलब इस घोषणा-पत्र के साथ क्या इस सरकार ने अपने रिश्ते को सम्पूर्णतः तोड़ा है?

श्री कमालुद्दीन अहमद : अध्यक्ष जी, जो रियलिटी है, मुल्क में जो हालात है, उनसे आनरेबल मैम्बर बखूबी वाकिफ हैं। हम सब से ज्यादा वाकिफ हैं, ऐसा मैं समझता हूं। हमारी जो कोशिश है

कीमतों को रोल बैंक करने की, वह कोशिश बराबर जारी है। हम पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं, कहीं सफलता हो या सफलता न हो। (व्यवधान)

मैंने पहले ही कहा कि मुल्क में जो हालात हैं, जो कीमतों की स्थिति है सब उससे वाकिफ हैं। कोशिश हमारी जारी है। ज्आदा से ज्यादा आर्टिफिशियल स्केयरसिटी पैदा करके कीमतों को बढ़ाने की कोशिश की जाती है उसको किस तरह से कर्ब करना चाहिए, उसमें हम लगे हुए हैं। यह सही है कि कोशिश हमने की। जिन 10-11 आइटम्ज के मुतल्लिक इस मैनीफैस्टो में कहा गया था उस पर हमने एक्सरसाइज की है और कर भी रहे हैं। बहुत सी जगहों पर हमें कामयाबी मिलती नजर आ रही है। सारी कीमतों को एक-साथ हम रोल बैंक नहीं कर पाये हैं। इस सम्बन्ध में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बजट के बाद कैरोसीन से एक्साइज ड्यूटी निकाली गयी है। उसकी वजह से बजट के बाद कैरोसीन की कीमत में कुछ कमी आई है।

श्री बृशिण पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको पर एडल्ट दो किलोग्राम गेहूं और चावल दिया जाता है, जबकि जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको दो छटांक, चार छटांक गेहूं और चावल दिया जाता है। क्या सरकार इस विषमता को दूर करने का विचार रखती है?

श्री कमालुद्दीन अहमद : राज्य सरकारों का यह काम है कि वे अन्दरूनी तौर पर इन चीजों को तकसीम करे कि किसको कितना दे, पर एडल्ट, पर फैमिली क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो। यह उसका काम है। माननीय सदस्य ने कहा है, वह किस स्टेट के मुतल्लिक कहा है, मुझे मालूम हो तो मैं इन्हें बताऊं।

श्री बृशिण पटेल : बिहार के बारे में बताइये।

श्री कमालुद्दीन अहमद : माननीय सदस्य बिहार के बारे में पूछ रहे हैं···(व्यवधान) बिहार स्टेट को उसका सारा एलोकेशन पूरी तौर पर दिया गया है और यह एलोकेशन देने के बाद भी मुझे यह कहना पड़ता है कि जो एलोकेशन बिहार को व्हीट और राइस का दिया गया है, उसमें बड़ी हद तक बिहार सरकार ने उसको लिफ्ट नहीं किया। लिफ्ट नहीं करने की वजह से···(व्यवधान)

श्री बृशिण पटेल : आजकल यह सिस्टम नहीं है। यह इनके जमाने से चला आ रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं कीजिए।

श्री कमालुद्दीन अहमद : अगर स्पेसिफिकली बिहार में कितना एलोकेशन किया गया है और कितना बिहार सरकार ने मांगा है···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह उसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं। परन्तु आपने अपने जवाब ठीक से दिए है।

[हिंदी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पूछना चाहती हूं और यह निवेदन करना चाहती हूं कि जब आप मुझे टोक देते हैं तो मैं घबरा जाती हूं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा समय मुझे दीजिए इस सवाल के जवाब में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं तो उसके आधार पर सवाल करना चाहती हूं। थोड़ी सी मूल्यवृद्धि होने पर निर्धन वर्ग बहुत तकलीफ भोगता है, खासकर गांवों में रहने वाले जो लोग हैं। मेरे सवाल के तीन हिस्से हैं। पहला सवाल यह है कि फेयर प्राइस शाप्स का

गांव और शहर में अनुपात क्या है। दूसरा सवाल यह है कि इस देश में कितने ऐसे गांव हैं जहां पर फेयर प्राइस शाप्स नहीं हैं। तीसरा सवाल यह है कि गांवों के सीमांत किसान, छोटे किसान और भूमिहीन मजदूरों में हरिजन-आदिवासियों की संख्या ज्यादा होती है। वहां पर फेयर प्राइस शाप्स खोलने का कोई विचार है या नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री कमालुद्दीन अहमद : देश में पांच लाख से ज्यादा गांव हैं। फेयर प्राइस शाप्स की तादाद इस वक्त तीन लाख और 62-70 हजार के बीच में है। यह सही है कि सारे गांवों में फेयर प्राइस शाप्स मौजूद नहीं हैं। अभी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन काउन्सिल की मीटिंग हुई है। उसमें इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं एक महीने का टाईम दिया गया है। जो थ्रस्ट एरियाज हैं जहां ज्यादा गरीब रहते हैं तो वे आदिवासी, रेगिस्तान और हिल्ली एरिया हैं। उन सब को सारी सहूलियतें देने के लिए और कितनी फेयर प्राइस शाप्स काउन्ट करनी होगी तो उनसे कहा गया है कि सर्वे करायें और उसकी वजह से तादाद बढ़ाएं। सारे शहरों और देहातों के बारे में पूछा है तो तीन लाख 72 हजार के बीच में शाप्स हैं और 90 हजार एक लाख से कम कुछ शाप्स अरबन एरियाज में हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह 1 : 2 के अनुपात में है।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कुछ देर पहले ही कहा है कि उनके अनुसार मूल्यों की उचित सीमा उत्पादन लागत और प्रबन्धन लागत के योग के बराबर होगी। क्या मैं यह मान लूं कि उनकी योजना के मुताबिक लाभ प्राप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्या माननीय मन्त्री निगरानी समितियों को उचित मूल्य की दुकानों के साथ जोड़ना चाहते हैं—निगरानी समिति, जिसमें मुख्य रूप से गृहणियां होती हैं—ताकि उचित मूल्य एवं सही गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके?

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, वास्तव में, इस मुद्दे पर हमने पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए रास्ता निकालने का भरसक यत्न किया है। लेकिन आज की स्थिति में वितरण की पूरी जिम्मेवारी राज्य प्रशासन पर है। हम पूरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी के लिए प्रयास कर रहे हैं और शायद हम कोई मान्य हल निकाल लेंगे।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सवाल ऐसा है जिसकी तरफ करोड़ों लोगों का ध्यान गया होगा। दूसरे सवाल के बारे में साधारण लोग उतनी रुचि नहीं लेते जितनी प्राइसेज के बारे में लेते हैं। मन्त्री महोदय ने जवाब में यह कहा है कि भारत सरकार भरपूर कोशिश के बावजूद दामों को घटाने में सफल नहीं हुई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या वे इस चीज को मानते हैं कि दामों को बढ़ाने के लिए होर्डर्स का का बड़ा रोल है? कई महीनों से जब से दम बढ़ने लगे हैं, आवश्यक चीजों के दामों को कम करने के खिलाफ जो होर्डर्स काम करते हैं उनके लिए एक एक्ट

बना है, क्या एक्ट इन्वोक करने की जरूरत है ? क्या वह किया है या नहीं किया है और क्या होर्डर्स को पकड़ने के लिए, जेल में डालने के लिए आपने सोचा है जोकि दामों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : आवश्यक वस्तु कानून के तहत जो कार्रवाई करनी है उसमें बड़ी हद तक···

श्री रवि राय : होर्डर्स का हाथ है या नहीं दाम बढ़ाने में, यह पहला सवाल है ।

अध्यक्ष महोदय : सप्लाई के बारे में भी है ।

श्री कमालुद्दीन अहमद : होर्डर्स अपनी होर्डिंग से इकोनोमी में आर्टिफिशियल स्केयरसिटी बनाते हैं और उससे कीमतें बढ़ती हैं । इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं । होर्डिंग को रोकने के लिए जो कार्रवाई करनी चाहिए कानून के तहत वह हुई । मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि 31 जुलाई, 1991 तक जो जानकारी हमारे पास आई है उसके अनुसार 84,420 रेड्स किये गये पूरे मुल्क के अन्दर···

श्री मदन लाल खुराना : बस, 84,000 ?

अध्यक्ष महोदय : मनी सूचना देने दें, आप पूरी बात सुनें ।

श्री कमालुद्दीन अहमद : और 3152 लोगों को गिरफ्तार किया गया । 3226 लोगों को प्रोसीक्यूट किया गया और उन पर केसेज लगाये गये, उनमें से 141 लोगों को सजा हुई ।

[अनुवाद]

जब्त की गई वस्तुओं का मूल्य लगभग 1,446.16 लाख रुपये था ।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिये गए उत्तर का मैं स्वागत करता हूं जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने को सर्वोच्च प्राथमिक देती है । इससे बहुत बड़ी राहत मिली है । लेकिन दूसरी ओर अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुई है । माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए मैं माननीय प्रधानमन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए वित्त मन्त्री की अध्यक्षता में गठित मन्त्रिमण्डलीय समिति ने क्या अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं । यदि समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं तो उसकी सिफारिशें क्या है और यदि समिति ने अपनी सिफारिशें नहीं सौंपी हैं तो मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कितने समय में उक्त मन्त्रिमंडलीय समिति अपनी सिफारिशें दे देगी ।

श्री कमालुद्दीन अहमद : वास्तव में मूल्यों सम्बन्धी मन्त्रिमण्डलीय समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं । यह समिति सभी वस्तुओं के मूल्यों उनकी मूल्यवृद्धि की प्रवृत्ति और वृद्धि रोकने के लिए किये जाने वाले उपायों पर विस्तार से विचार करती है । कई वस्तुओं पर इस मूल्य सम्बन्धी समिति में चर्चा की गई है संयोग से मैं भी उस समिति का सदस्य हूं । मैं आपको उन वस्तुओं की संख्या बता सकता हूं जिनकी चर्चा की गई है और जैसाकि मैंने आपको अभी-अभी बताया है कि मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति पर भी ध्यान दिया गया है । हम मूल्य वृद्धि रोकने के विभिन्न उपायों पर विचार कर रहे हैं ।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद युनुस सलीम : मि० स्पीकर, यह जो जिन्दगी की जरूरियात की चीजें हैं, उसमें सब्जी और तरकारियों की बड़ी अहमियत है । हमारे मुल्क में और हमारे शहर में आजकल सब्जियों की जो कीमतें हैं—प्याज और दूसरी चीजों की—वह जितनी कन्ज्यूमर अदा करता है, उसका 1/8 भी प्रोड्यूसर्स को नहीं मिलता है अगर प्रोड्यूसर डेढ़ रुपये किलो देता है तो वह कन्ज्यूमर तक पहुंचते-पहुंचते

दस रुपये किलो हो जाती है और उसका सबब जनाब स्पीकर साहब यह है कि बीच में 3-4 मिडिल-मैंन है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, आढ़ती से लेकर सैलर तक पहुंचते हो जाता है। मैं जनाब मिनिस्टर साहब से मालूम करना चाहता हूं कि क्या कोई योजना या कोई प्रोग्राम ऐसा है कि जो फार्मर डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक पहुंचे जैसाकि दूसरे देशों में है।

[अनुवाद]

बाजार इस तरह से संगठित हैं कि उत्पादक अपनी वस्तुओं को लाते हैं और उपभोक्ता सीधे उनसे उन वस्तुओं को खरीदते हैं।

[हिन्दी]

तो क्या ऐसी योजना है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं बनाने की कोशिश की जाती है कि बड़े-बड़े शहरों में जहां इस तरह की सब्जियों और तरकारियों की कीमत आसमान से बातें कर रही हैं, उस को कन्ट्रोल में लाया जा सके।

جناب محمد یونس سلیم : اسپیکر صاحب - یہ جو زندگی کی ضروریات کی چیزیں ہیں اسمیں سبزی اور ترکاریاں کی بڑی اہمیت ہے - ہمارے ملک میں اور ہمارے شہر میں آج کل سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں، پیاز اور دوسری چیزوں کی وہ جتنی کنزیومر ادا کرتا ہے اسکا آٹھواں حصہ بھی پروڈیوسر کو نہیں ملتا ہے - اگر پروڈیوسر ڈیڑھ روپے کلو دیتا ہے تو وہ کنزیومر تک پہنچتے پہنچتے دس روپے کلو ہو جاتی ہے اور اسکا سبب جناب اسپیکر صاحب یہ ہے کہ بیچ میں تین مڈل مین ہیں کہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا آڑھتی سے لیکر سیلر تک پہنچتے ہو جاتا ہے - میں جناب منسٹر صاحب سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی یوجنا یا کوئی پروگرام ایسا ہے کہ جو فارمر ڈائریکٹلی کنزیومرس تک پہنچے جیساکہ دوسرے دیشوں میں ہے -

تو کیا ایسی یوجنا ہے اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں جہاں اس طرح کی سبزیوں اور ترکاریوں کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اس کو کنٹرول میں لایا جا سکے -

श्री कमालुद्दीन अहमद : सर, जहां तक इस मुत्तलिक ताल्लुक कहा गया है, उसमें कोई दो राय नहीं हैं । बिलकुल सही बात है कि प्रोड्यूसर को उसके माल का दाम नहीं मिलता और कंज्यूमर तक आने आने तक उसकी कीमत बढ़ जाती है और नतीजन कंज्यूमर को बहुत नुकसान होता है । दरमियाने जो लोग आप्रेट करते हैं, वे उसका फायदा उठाते हैं, इस बात से कोई एतराज या इन्कार नहीं हो सकता है । अब रहा सब्जियों-तरकारियों की कीमत के ताल्लुक में जो कहा, यह सही है कि इस स्थिति को सुधारने की कोशिश की जाये । इसकी सबसे ज्यादा इफेक्टिव बात यह हो सकती है कि मुल्क में हमारी को-आप्रेटिव डेवलेप हो और को-आप्रेटिव आर्गनाईजेशन की तरफ से यह काम किया जा सकता है लेकिन बदकिस्मत बात यह है कि हमारे मुल्क में सहकारिता आन्दोलन है, उसकी जितनी नेक मुखातिब हैं, उसका फायदा मुल्क को हो सकता है, वह पूरी तरह से नहीं हो पाया है और एक अनफार्चुनेट सिचुएशन है । मैं अभी भी इस मजाज के एतमाद से ओप्टिमिस्ट हूं और समझता हूं कि हमारे मुल्क में सहकारिता आंदोलन मजबूत होगा और जिस दिन यह मजबूत होगा, उस दिन प्रोड्यूसर्स की सिचुएशन ठीक करने की कोशिश की जायेगी ।

جناب کمال الدین احمد: سر، جہاں تک ان چیزوں کے متعلق کہا گیا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں ۔ بالکل صحیح بات ہے کہ پروڈیوسر کو اسکے مال کا دام نہیں ملتا اور کنزیومر تک آنے تک اسکی قیمت بڑھ جاتی ہے اور نتیجتاً کنزیومر کو بہت نقصان ہوتا ہے ۔ درمیان میں جو لوگ آپریٹ کرتے ہیں وہ اسکا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس بات سے کوئی انکار یا اعتراض نہیں ہوسکتا ہے ۔ اب رہا سبزیوں ترکاریوں کی قیمت کے تعلق میں جو کہا یہ صحیح ہے کہ اس حالت کو سدھارنے کی کوشش کی جائے ۔ اس کی سب سے زیادہ ایفیکٹو بات یہ ہو سکتی ہے کہ ملک میں ہماری کوآپریٹو ڈیولپ ہو اور کوآپریٹو آرگنائزیشن کی طرف سے یہ کام کیا جا سکتا ہے لیکن بدقسمت بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سہکاریتا آندولن ہے اس کے جتنے نیک مخاطب ہیں انکا فائدہ ملک کو ہوسکتا ہے، وہ پوری طرح سے نہیں ہو ہو پایا ہے اور ایک ان فارچونیٹ سچویشن ہے ۔ میں ابھی بھی اس مزاج کے اعتماد سے آپٹیمسٹک ہوں اور سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سہکاریتا آندولن مضبوط ہوگا اور جس دن یہ مضبوط ہوگا اس دن پروڈیوسرس کی سچویشن ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی ۔

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मैं दूसरे प्रश्न को चर्चा के लिये ले रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : हमारीं आपसे शिकायत है अध्यक्ष महोदय कि जब भी हम हाथ ऊपर करते हैं, आप हमें बोलने नहीं देते हैं। यह बहुत इम्पार्टेंट सवाल है। हम नये लोग हैं···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। आप महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। आपको यह समझना चाहिये कि सभा में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मेघे, कृपया आप बैठ जाएं। आप मन्त्री रह चुके हैं और आपको यह समझना चाहिये। इस प्रश्न के लिए मैंने आधे घण्टे की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : आप हमें बोलने नहीं देते हैं। आप हमें हमेशा डांटते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप नहीं समझते। इसीलिये मुझे से बात करनी है। आप कृपया अभी बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : हम किसलिए यहां आए हैं ? हम जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जाईये आप।

[अनुवाद]

11.44 म० प०

(इस समय श्री दत्ता मेघे सभा से बाहर चले गए)

श्री राम नाईक : वह नागरिक आपूर्ति के मन्त्री थे।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए वह जा रहे हैं। मैंने इस प्रश्न के लिए आधे घण्टे का समय दिया था। अब अगला प्रश्न।

जबलपुर में आकाशवाणी केन्द्र

*591. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर में प्रस्तावित 200 किलोवाट क्षमता के आकाशवाणी केन्द्र ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा के लिए जबलुपर में स्थापित मौजूदा 20 किलोवाट क्षमता के ट्रांसमीटर को प्रयोग में लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन केन्द्रों से कार्यक्रमों का प्रसारण कब से शुरू हो जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

(घ) से (च) जी, नहीं। जहां एक और जबलपुर के 200 कि० वा० मी० वेव तथा 20 कि० वा० मी० वेव ट्रांसमीटरों को एक साथ चलाने के लिए फ्रीक्वेंसी क्लीयरेंस नहीं मिला। वहां दूसरी ओर व्यावहारिक दृष्टि से 20 कि० वा० मी० वेव ट्रांसमीटर की उपयोगिता भी समाप्त हो चुकी है।

श्री श्रवण कुमार पटेल : माननीय मन्त्री के उत्तर के (घ), (ङ) और (च) भागों के संदर्भ में मैं फ्रीक्वेंसी क्लीयरेंस के बारे में यह जानना चाहता हूं कि क्या जबलपुर में 200 कि०वा०मी० वेव और 20 कि० वा० मी० वेव एक साथ चालू किया जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्लीयरेंस प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : फ्रीक्वेन्सी क्लीयरेंस की स्वीकृति इन्टरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा दी जाती है जिसे संक्षेप में आइ० टी० यू० कहा जाता है और यह जेनेवा में स्थित है। मी० वेव बैंड का क्लीयरेंस 20 कि० वा० मी० वेव और 200 कि० वा० मी० वेव ट्रांसमीटरों को एक चालू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे व्यवधान होता है। जहां तक एफ० एम० बैंड का सम्बन्ध है, हमने उसके लिये स्वीकृति प्राप्त करली है और जबलपुर में जल्द ही चालू हो जाएगा।

श्री श्रवण कुमार पटेल : माननीय मंत्री के उत्तर के इस भाग को मैं नहीं समझ पाया कि "व्यावहरिक दृष्टि से 20 कि० वा० मी० वेव ट्रांसमीटर की उहयोगिता भी समाप्त हो चुकी है।" मुझे विश्वस्त जानकारी मिली है कि थोड़ा खर्च करके विविध भारती की व्यावसायिक सेवा आसानी से शुरू कराई जा सकती है। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि बिविध भारती की व्यावसायिक सेवा शुरू करने के लिये कितना व्यय करना पड़ेगा और क्या सरकार जबलपुर में विविध भारती व्यावसायिक सेवा शुरू करने के लिये उपयुक्त कदम उठाएगी।

श्री अजित पांजा : इन ट्रांसमीटरों की अधिकतम कार्य अवधि 20 वर्ष होती है। इसने 26 वर्षों की सेवा दे दी है लेकिन व्यापारिक क्षेत्र के महत्व को देखते हुए विशेषकर जबलपुर में व्यावसायिक गतिविधियों को देखते हुए वहां के लिए 10 कि०वा०एफ० एम० ट्रांसमीटर की व्यवस्था की गई है और वह जल्द ही आवश्यक स्टूडियो सुविधा रिसीविंग फैसिलिटी और कर्मचारी के लिए आवास की सुविधा प्राप्त होने के बाद संभव है। इसमें स्टीरियो काम्पैटिबल वायस भी होगी ताकि इसे अच्छी तरह सुना जा सके और उपयोगी हो।

श्री श्रवण कुमार पटेल : मेरा मुख्य रूप से प्रश्न यह था कि क्या विविध भारती की सेवा जबलपुर में शुरू की जाएगी।

श्री अजित पांजा : मैंने कहा है कि, हां यह सुविधा 10 कि० वा०एम०एम० ट्रांसमीटर की सहायता से दी जाएगी।

श्री शरतचन्द्र पाटनायक : मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में विविध भारती सेवा का विस्तार किया जाएगा। यदि हां, तो उसका ब्यौरा है ?

श्री अजित पांजा : जहां तक उड़ीसा में विविध भारती सेवा के प्रसार का सम्बन्ध है आठवीं योजना के दौरान ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री विश्वेश्वर भगत : अध्यक्ष महोदय, जबलपुर के साथ-साथ क्या रायपुर और बिलासपुर में भी विविध भारती सेवा प्रारम्भ की जाएगी ?

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : हम एक-एक क्षेत्र के लिए क्रम से यह कार्य उस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप कर रहे हैं।

[हिन्दी]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

*592. **श्री काशीराम राणा :** क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को लागू कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989 से इसके अन्तर्गत दर्ज राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार मामलों की वर्षवार संख्या क्या है; और

(ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को सख्ती से लागू करने और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए हैं ?

[अनुवाद]

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषदें स्थापित कर ली गई हैं। चार राज्यों, अर्थात् नागालैंड, मणिपुर, मेघालय तथा सिक्किम को छोड़कर बाकी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतितोष तन्त्रों ने भी कार्य करना आरम्भ कर दिया है। यह अधिनियम जम्मू व कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है जिसने उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में स्वयं अपना कानून अपनाया है।

(ख) 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना अनुबंध पर दी गई है।

(ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के सभी उपबन्धों को 1-7-1987 से लागू कर दिया

गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए समय समय पर उच्चतम स्तरों पर स्मरण भी कराया जाता है। जब कभी नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधिकारी इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं, उस समय भी यह मामला उनके साथ उठाया जाता है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को और कारगर तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए जाने वाले सुझावों की जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त कार्य दल का भी गठन किया है।

अनुबन्ध

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निम्नांकित वर्षों में राज्य आयोग व जिला मन्चों में दर्ज मामलों की संख्या			
		1989	1990	1991	
1.	अरूणाचल प्रदेश	1	7	11	(21-8-91 को)
2.	आंध्र प्रदेश	1616	15615	7026	(30-6-91 को)
3.	असम	—	20	55	(30-3-91 को)
4.	बिहार	396	719	1482	(23-8-91 को)
5.	गुजरात	330	1172	2268	(19-8-91 को)
6.	गोआ	32	175	171	(21-8-91 को)
7.	हरियाणा	54	607	852	(22-8-91 को)
8.	हिमाचल प्रदेश	47	342	237	(20-8-91 को)
9.	कर्नाटक	343	1266	1837	(31-3-91 को)
10.	केरल	—रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई—			
11.	मध्य प्रदेश	—रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई—			
12.	महाराष्ट्र	—	296	4272	(23-8-91 को)
13.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	(23-8-91 को)
14.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	(22-8-91 को)
15.	मिजोरम	—	12	15	(22-8-91 को)
16.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	(20-8-91 को)
17.	उड़ीसा	78	516	168	(31-3-91 को)
18.	पंजाब	शून्य	160	644	(30-6-91 को)

1	2	3	4	5	
19.	राजस्थान	3631	3794	3584	(16-8-91 को)
20.	सिक्किम	————	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई		————
21.	त्रिपुरा	————	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई		————
22.	तमिलनाडु	————	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई		————
23.	उत्तर प्रदेश	————	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई		————
24.	पश्चिम बंगाल	शून्य	1316	1272	(31-3-91 को)
25.	अण्डमान व निकोबार द्वीप	शून्य	6	24	(21-8-91 को)
26.	दादरा व नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	(20-8-91 को)
27.	दमण व दीव	शून्य	शून्य	1	(20-8-91 को)
28.	दिल्ली	2267	2549	1477	(20-8-91 को)
29.	चण्डीगढ़	142	662	530	(22-8-91 को)
30.	लक्षद्वीप	शून्य	3	4	(19-8-91 को)
31.	पाण्डिचेरी	46	101	63	(30-6-91 को)

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब मुझे दिया गया है, इससे लगता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की सभी जिम्मेदारियां प्रदेशों और डिस्ट्रिक्ट फोरम को ही सौंप दी गई हैं। मुझे जो फिगर्स दिए गए हैं और मुझे जो जानकारी है, इससे पता लगता है कि जितने मामले दर्ज किए जाते हैं, उन मामलों में से बहुत कम का ही डिस्पोजल होता है क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए काशीराम राणा जी।

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पर ही आता हूं कि कितने मामले दर्ज किए जाते हैं, उनके कम्पैरिजन में जो डिस्पोजल हैं, वह डिस्पोजल बहुत कम हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट फोरम में तीन मेम्बर्स की उपस्थिति कम्पल्सरी है।

अगर तीन सदस्यों की उपस्थिति नहीं रहती है तो उसमें कोई भी हीयरिंग हो नहीं सकती है। इसलिए अब तक दर्ज मामलों की जो फीगर्स बताई गई हैं, मैं जानना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि उन मामलों में से कितने अब तक डिस्पोज आफ कर दिए गए हैं, कितनों को सौल्व कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में, मैं स्पष्ट जानकारी मन्त्री जी से चाहता हूं।

श्री कमालुद्दीन अहमद : यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम्स में जितने मामले दर्ज हुए, उनकी पूरी पूरी इंक्वायरी जिस स्पीड से होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है लेकिन यह बात भी मैं बताना चाहता हूं कि जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि तीन सदस्यों का उसमें उपस्थित रहना जरूरी है, अब वैसा जरूरी नहीं है क्योंकि रीसैन्टली हमने पिछले महीने इस एक्ट में एक अमैंडमैंट पास की है जिसके तहत

यदि दो मैम्बर्स भी होंगे तो उसकी कार्यवाही चल सकती है। इसके साथ उसमें एक प्रैक्टिकल डिफीकल्टी यह आ रही है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम्स के चेयरमैन के सम्बन्ध में एक कण्डीशन ऐसी है कि वह डिस्ट्रिक्ट जज वर्किंग हो या एक्स-डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो, इस किस्म की कण्डीशन नियमों में है। इसकी वजह से वे ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी हम सभी पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। पिछली अमैंडमैंट के दौरान, जब माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने हमें बहुत से सुझाव दिए, हम उन सुझावों को देख रहे हैं और मैं समझता हूं कि जल्दी ही हम कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ अमैंडमैंट लेकर आयेंगे। उसका जो वर्किंग ग्रुप काम कर रहा है, बहुत से सुझाव उनके जेरे-गौर भी हैं और मैं समझता हूं कि अब वह डिफीकल्टी भी नहीं रहेगी। अब तक डिस्पोज आफ हुए केसेज की फीगर्स इस वक्त मेरे पास नहीं है, मैं माननीय सदस्य को बाद में भिजवा देता हूं कि हर स्टेट में कितने केसेज डिस्पोज आफ हुए हैं।

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधीन तीन महीने के अन्दर मामले सौल्व हो जाने चाहिए लेकिन उनमें जो कार्यवाही अब तक हुई है या हो रही है, उसमें एक केस को डिस्पोज आफ होने में लगभग 6 से 8 महीने तक लग जाते हैं, ऐसा देखा गया है। हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, उनकी स्टेटमैंट है कि हम पूरे प्रभावी ढंग से, इस कानून का अमलीकरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस अधिनियम में जो तीन महीने में मामले को डिस्पोज आफ करने की व्यवस्था है, प्रावधान है, इसके अतिरिक्त आपने जवाब में यह भी कहा है कि एक कार्यदल 1988 में गठित किया गया था और कई दूसरे सुझाव भी उनके पास आये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि यह कार्यदल कब तक अपनी रिकमैण्डेशन्स सरकार को दे देगा और सरकार उन रिकमैण्डेशन्स को कब तक इम्पलीमैंट कर पायेगी।

श्री कमालुद्दीन अहमद : अध्यक्ष जी, अगले महीने कन्ज्यूमर्स प्रोटेक्शन कौंसिल की मीटिंग है और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी यह वर्किंग ग्रुप भी अपनी रिकमैण्डेशन्स देने वाला है। इससे हटकर, हम भी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि इसकी जो मशीनरी है, उसे बहुत तेजी के साथ कम्पलेंट्स को डिस्पोज आफ करना चाहिए वरना उसमें रिड्रैसल वाली बात बेमानी होकर रह जाती है। इसलिए हम जल्दी से जल्दी उसे करने की कोशिश में लगे हैं और बहुत जल्दी हम मशीनरी बना रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो० के० वी० थामस : महोदय, वर्तमान कानून के तहत देश के सभी जिलों में उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय नहीं है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि छह सप्ताह के अन्दर सभी जिलों में ऐसे न्यायालय गठित किये जायें। क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को सभी जिलों में लागू करने जा रही है ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, यह ठीक है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सभी जिलों में ऐसे मंच अक्तूबर के अन्त तक गठित किये जाने हैं। अक्तूबर माह की कोई तारीख निश्चित की गई है।

हमने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जिला मंचों का गठन करें।

माननीय सदस्य ने जो भी कहा है वह ठीक है क्योंकि कई राज्यों में बहुत से ऐसे जिले हैं जहां जिला मंचों का गठन किया जाना है और हम इस कार्य में लगे हैं।

कुमारी दीपिका चिखलिया : महोदय, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार एक लाख रुपये तक के मुआवजा के लिए मुकदमे जिला मंच में दर्ज किए जा सकने और दस लाख रुपये का मामला राज्य आयोग में दर्ज किया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि रुपये की वर्तमान अवमूल्यन की स्थिति को देखते हुए क्या सरकार जिला और राज्य स्तरों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए राशि की सीमा को बढ़ाने पर विचार करेगी ?

यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि राज्य और राष्ट्रीय आयोग सहित इन सभी मंचों के विशेष क्षेत्राधिकार अधिनियम में ही उल्लिखित है। निश्चय ही मुद्रा-स्फीति की अधिक दर के कारण इन विशेष क्षेत्राधिकारों पर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है और मैं आशा करता हूं जब हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन लायेंगे, तब इस मुद्दे पर भी विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : यह आश्वासन है।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, कुछ सरकारी विभाग जैसे डाक एवं तार विभाग यह तर्क देते हैं कि वे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आते। यदि ऐसा है तो इस अधि-नियम का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। अब, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं।

श्री कमालुद्दीन अहमद : कोई भी सरकारी अथवा गैर-सरकारी संगठन अपवाद नहीं है। यह अधिनियम सरकारी विभागों सहित सभी पर लागू होता है और यदि विशेषकर टेलीफोन विभाग द्वारा यह तर्क दिया गया है तो इस मामले की जांच करेंगे। मैं यह आश्वासन देता हूं कि सभी सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आती हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि उत्तर प्रदेश, तमिल-नाडु और मध्य प्रदेश सरकारों ने यह भी नहीं बताया कि कितने मामले लम्बित पड़े हैं और उनके द्वारा उस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है। सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश में यह अधिनियम लागू नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पता है कि एक स्वैच्छिक संगठन उप-भोक्ता हित संरक्षण परिषद भी है। उन्होंने हाल ही में सरकार को एक ज्ञापन दी है। क्या सरकार अन्तिम निर्णय लेने के समय ज्ञापन में दिए गए सुझावों पर विचार करेगी।

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, कल भी एक शिष्टमंडल मुझसे मिला था। उन्होंने हमारे सामने कई समस्याओं को रखा है जिनका विशेषकर उत्तर प्रदेश में वे सामना कर रहे हैं। मैं उनकी जांच करूंगा। मैंने कहा है कि हम विगत छह वर्षों के दौरान इस अधिनियम के क्रियाकलाप की पूरी जांच कर रहे कि इस अधिनियम ने कहां तक उपभोक्ताओं को संरक्षण दिया है। इसलिए हम अधिनियम के इस पहलू की जांच कर रहे हैं और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हम उस ज्ञापन पर ध्यान देंगे और जिस संगठन का उल्लेख उन्होंने किया उसके द्वारा दिए गए सुझावों पर भी ध्यान देंगे।

श्री राम नाईक : महोदय, माननीय मंत्री ने सभा में आश्वासन दिया है कि उच्च शक्ति प्राप्त कार्यदल के सुझावों को प्रस्तुत किया जाएगा और अगले माह उस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। अब मैं

यह जाना चाहता हूं कि वे कौन-कौन से महत्वपूर्ण सुझाव हैं जिन पर उच्च शक्ति प्राप्त समिति विचार कर रही है।

श्री कमालुद्दीन अहमद : मैंने यह नहीं कहा है कि कार्यदल अगले माह अपनी सिफारिशें दे देगा। हमने यह कहा है कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठक अगले माह होने वाली है और उस बैठक में हम कई बातों पर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। कार्य दल ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कार्यकरण सम्बन्धी कई समस्याओं पर ध्यान दिया है जिनमें कुछ उन संशोधनों को भी शामिल किया गया है जिनका हम सुझाव देने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि कार्य दल का कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। जो सिफारिश वह करेंगे हम उन्हें यथासम्भव स्वीकार करेंगे और उस अधिनियम में कुछ संशोधनों के साथ इस सामान्य सभा में उपस्थित होंगे।

श्री राम नाईक : मैं महत्वपूर्ण सुझावों के बारे में पूछ रहा था।

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, इस अधिनियम का स्वरूप केवल पूरक जैसा है। यह कोई दण्डात्मक कानून नहीं है। इसे प्रभावी बनाने के लिए कई सुझाव प्राप्त हुए हैं और कानून का उल्लंघन करने वालों को दण्ड देने के लिए कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। ऐसे प्रावधानों के बारे में मैं नहीं जानता हूं। हमें पूरी जांच करनी होगी।

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : महोदय, 1980 में द्रमुक सरकार ने केन्द्र सरकार को जानकारी नहीं दी थी। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कोई शिकायत मिली है। कुछ बड़ी चाकलेट कम्पनियों के विरुद्ध यह शिकायत की गई है कि वे उपयोग में आने वाले कुछ पदार्थों के अलावा कुछ अन्य पदार्थों को मिलाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय को ऐसी कोई शिकायत मिली है क्योंकि इससे बच्चों के कल्याण का मुद्दा जुड़ा है और क्या सरकार ने इन बड़ी चाकलेट कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है।

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, हमें इस सम्बन्ध में जानकारी लेनी होगी और यह पता करना होगा कि क्या चाकलेट कम्पनियों के बारे में ऐसी कोई शिकायतें मिली हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केरल में परमाणु रिएक्टर

***593. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की कुल लागत कितनी है;

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) इससे कितनी परमाणु विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गठित तकनीकी समिति ने केरल में उन स्थलों की प्रारम्भिक अन्वेषणात्मक जांच की है जिनका सुझाव केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने दिया था। परमाणु विद्युत संयंत्रों को लगाने के वास्ते स्थलों के चयन की प्रक्रिया के अन्तर्गत विस्तृत जांच की जाती है और स्थल चयन समिति, परमाणु ऊर्जा आयोग, पर्यावरण और वन मंत्रालय जैसे निकायों द्वारा उनकी पुनरीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, किसी भी नई परियोजना को लगाने के लिए यह जरूरी है कि वह संसाधनों और योजना में किए गए आबंटनों के अनुकूल हो। अतः केरल में परमाणु विद्युत परियोजना के बारे में कुल लागत, समय सम्बन्धी कार्यक्रम और बिजली की मात्रा सम्बन्धी मुद्दों का इस समय कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

राज्य सिविल सेवा अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में मनोनीत किया जाना

[हिन्दी]

*594. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में मनोनीत किए जाने के लिए निर्धारित कोटे की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की पदोन्नति के सीमित अवसरों को देखते हुए सरकार का विचार कोटे की प्रतिशतता में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर राज्यवार कितने राज्य सिविल सेवा अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में मनोनीत करने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा में राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों का पदोन्नति कोटा, सम्बन्धित संवर्गों में केन्द्रीय प्रति नियुक्ति रिजर्व सहित वरिष्ठ ड्यूटी पदों तथा इससे ऊपर के पदों की प्राधिकृत पद संख्या का $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत निर्धारित किया गया है, केवल जम्मू-कश्मीर को छोड़कर जहां इस समय पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत है और जो 30-4-1992 तक के लिए वैध है।

(ख) इस समय पदोन्नति कोटा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) राज्य सिविल सेवा के ऐसे अधिकारियों की संख्या, जिनके नाम सम्बन्धित संवर्गों की मौजूदा प्रवर सूची में शामिल किए गए हैं, संलग्न विवरण में दर्शाई गई है। जब कभी भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए रिक्तियां उपलब्ध होंगी और सम्बन्धित राज्य सरकारों की सिफारिशें प्राप्त होंगी, प्रवर सूची में सम्मिलित अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा।

विवरण

भारतीय प्रशासनिक सेवा के विभिन्न संवर्गों की मौजूदा प्रवर सूचियों में शामिल संख्या

संवर्ग	राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की संख्या
ए०जी०एम०यू०	
अरुणाचल प्रदेश	6
गोवा	4
मिजोरम	5
संघ शासित क्षेत्र	9
आंध्र प्रदेश	7
असम-मेघालय	
असम	6
मेघालय	4
बिहार	20
गुजरात	4
हरियाणा	8
हिमाचल प्रदेश	3
जम्मू तथा कश्मीर	25
कर्नाटक	9
केरल	1
मध्य प्रदेश	16
मणिपुर-त्रिपुरा	
मणिपुर	4
त्रिपुरा	6
महाराष्ट्र	2
नागालैंड	2
उड़ीसा	18
पंजाब	9

राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम द्वारा अंग्रेजी फिल्मों का आयात

[अनुवाद]

*595. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांत्ये** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम (एन०एफ०डी०सी०) भारत में विक्रय और प्रदर्शन के लिए अंग्रेजी फिल्में आयात कर रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी फिल्मों का आयात किया गया तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) भारत में इन फिल्मों को दिखाकर तथा विभिन्न वितरकों को बेचकर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि अर्जित की गई; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इस मद से हुए लाभ तथा हानि का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां। फीचर फिल्मों का तथा फीचर फिल्मों के वीडियो अधिकारों का आयात करने तथा उनका वितरण और मूल्य निर्धारण करने की दिनांक 21 जनवरी, 1988 को घोषित नीति के अनुसार भारत में प्रदर्शन के लिए विदेशी फिल्मों का आयात राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई फिल्मों की संख्या तथा अदा की गई रकम का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	आयातित फिल्मों की संख्या	भुगतान की गई रायल्टी (लाख रुपए)
1988-89	54	81.60
1989-90	62	110.64
1990-91	33	42.00

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में इन फिल्मों के प्रदर्शन तथा इनकी बिक्री से अर्जित धनराशि इस प्रकार है :—

वर्ष	प्रदर्शन से अर्जित धनराशि (लाख रुपए)	बिक्री से अर्जित धनराशि (लाख रुपए)
1988-89	219.35	52.75
1989-90	153.10	50.07
1990-91	117.55	53.05

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए लाभ/हानि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	लाभ (लाख रुपए)	हानि (लाख रुपए)
1988-89	86.06	—
1989-90	—	37.03
1990-91	—	10.05

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का आधुनिकीकरण

*596. **श्री हाराधन राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में रूपनारायणपुर स्थित हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का विस्तार करने तथा इसे आधुनिक बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) शुष्क कोर केबिलों और कोएक्सियल केबिलों की विद्यमान क्षमता को परिवर्तित करके जेली भरी केबिलों के 22 लाख कन्डक्टर किलोमीटर प्रतिवर्ष निर्माण के लिए हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के रूपनारायणपुर एकक का आधुनिकीकरण निष्पादनाधीन है। इन परियोजनाओं की लागत 81.72 करोड़ रुपये है। जॉयन्टिंग किट्स के 2,90,000 नग प्रतिवर्ष निर्माण हेतु 14.18 करोड़ रुपये की लागत की एक अन्य परियोजना भी निष्पादनाधीन है।

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गोपनीय रिपोर्टों का महत्व

*597. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टें, उनके विरुद्ध चल रहे अनुशासनात्मक और विजिलेन्स सम्बन्धी मामलों में अन्तिम निर्णय लेते समय कोई महत्व रखती हैं या इनकी सार्थकता केवल पदोन्नति के मामलों तक ही सीमित होती है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसे मामलों में निर्णय लेते समय इन रिपोर्टों पर समुचित गौर करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी नहीं। गोपनीय रिपोर्टों की सार्थकता केवल पदोन्नति के मामलों तक ही सीमित होती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

चश्मों के शीशों का निर्माण

*598. **श्री एन० डेनिस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेश में उपयोग तथा विदेशों को निर्यात के लिए भारत में चश्मे के शीशों का निर्माण किया जाता है;

(ख) स्वदेश में उपयोग तथा निर्यात के लिए गत तीन वर्षों में से प्रत्येक में कितने-कितने शीशों का निर्माण किया गया; और

(ग) ऐसे शीशों का निर्माण करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) मैसर्स भारत ऑप्थालमिक ग्लास लि०, जो एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, चश्मे के शीशे बना रहा है। स्वदेशी उत्पादन का देश में इस्तेमाल होता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन की मात्रा इस प्रकार है :—

वर्ष	चश्मे के शीशे
1988-89	12.51 मी० टन
1989-90	22.27 मी० टन
1990-91	15.12 मी० टन

वक्रेश्वर में गर्म जल स्रोत से हीलितम गैस का निकलना

*599. **श्री राधिका रंजन प्रमाणिक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में वक्रेश्वर में गर्म जल स्रोत से शीत-संगलन (कोल्ड फ्यूजन) के कारण हीलियम गैस निकलती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्राकृतिक घटना का अध्ययन करने के लिए एक वैज्ञानिक दल का गठत किया है;

(ग) यदि हां, तो उस अध्ययन का निष्कर्ष क्या निकला है; और

(घ) वहां से निकलने वाली सम्पूर्ण हीलियम गैस को उपयोग में लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) पश्चिमी बंगाल में वक्रेश्वर सहित विश्व के अनेक स्थानों पर गर्म पानी के चश्मों से हीलियम गैस निकलती है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा शीत संगलन के कारण होता है।

(ख) वक्रेश्वर से हीलियम गैस निकालने का कार्य अब से कुछ समय पहले से किया जा रहा है। वक्रेश्वर में शीत संगलन के तथ्य के सम्बन्ध में अध्ययन करने का कोई कारण नहीं है।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

(घ) हीलियम गैस इकट्ठा करने के लिये एक दल वक्रेश्वर में और पश्चिम बंगाल में अन्य गर्म पानी के चश्मों के स्थलों पर पहले से ही कार्यरत है।

महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

[हिन्दी]

*600. **श्री विलासराव नागनाथराव गुण्डेवार** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने महाराष्ट्र स्थित उन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पता लगाया है जिनका कार्यकरण गत दो वर्षों के दौरान सन्तोषप्रद नहीं रहा है; और

(ख) इनका कार्यकरण संतोषप्रद न होने के क्या कारण हैं और उनकी कार्य-क्षमता में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के 28 उद्यमों में से 8 उद्यमों ने जिनके पंजीकृत कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, गत दो वर्षों अर्थात् 1989-90 तथा 1988-89 के दौरान, केवल जिस अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है, घाटा उठाया है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा घाटा उठाने के कारण हैं—काम में आने वाली सामग्री की लागतों में वृद्धि, क्षमता का कम उपयोग, पुराने संयंत्र तथा मशीनरी, बिजली की कमी, अधिक जन शक्ति का होना, बकाया ऋणों पर अधिक ब्याज भार, मांग में कमी-बेशी होना आदि। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन में सुधार लाना एक सतत् प्रक्रिया है। अलग-अलग उद्यमों के बारे में सम्बद्ध प्रशासनिक मन्त्रालय/विभाग तथा उद्यमों द्वारा कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने के लिये कार्रवाई की जाती है। किये गये कुछ उपाय हैं—आधुनिकीकरण तथा पुनर्स्थापन योजनायें, वित्तीय, प्रबन्धकीय तथा संगठनात्मक पुनर्गठन, उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकीय समुन्नयन, सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना।

बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

*601. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :**

श्री कड़िया मुंडा : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के वनों और छोटानागपुर-संथाल परगना क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली आवश्यक वस्तुयें प्राप्त हो रही हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस कारण से आदिवासियों को अधिक मूल्य देना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ इन आदिवासियों और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचाने के लिये ठोस कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि आदिवासियों तथा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अन्य लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ प्राप्त होते हैं। समेकित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को विशेष रूप से राज-सहायतायुक्त मूल्यों पर, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामान्य मूल्यों से कम होते हैं, खाद्यान्न प्राप्त होते हैं। सरकार ने चुने पहाड़ी क्षेत्रों, तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय किया है।

"रेड आयल पाम" की खेती

[अनुवाद]

*602. **श्री वीरेन्द्र सिंह :**

श्री रमेश चन्द तोमर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ राज्यों को अपने यहां "रेड आयल पाम" की खेती आरम्भ करने के लिए कहा है, ताकि खाद्य तेल के उत्पादन में वृद्धि की जा सके;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन राज्यों को क्या सहायता देने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) जिन राज्यों से लाल तेल-ताड़ (रेड आयल पाम) की खेती शुरू करने के लिए कहा गया है, वे हैं—आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, असम तथा त्रिपुरा।

(ग) राज्य सरकारों को इस योजना को तैयार करने में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी सहायता दिये जाने तथा पौध रोपण सामग्री की सप्लाई की व्यवस्था और "नाबार्ड" जैसे संगठनों के जरिए वित्तीय सहायता का प्रबन्ध करने में सहायता दिए जाने का आश्वासन दिया गया है।

राज्य बिजली बोर्डों का प्रशुल्क ढांचा

*603. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले :**

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या योजना और कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों को अपने राज्य बिजली। बोर्डों के प्रशुल्क ढांचे में सुधार करने हेतु कुछ निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या इनमें उचित दरों पर बिजली की सप्लाई करने, बिजली उत्पादन बढ़ाने तथा ऊर्जा के संरक्षण करने से सम्बन्धित निर्देश भी शामिल हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यवाही करने का है कि राज्य सरकारों द्वारा इन निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाये; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

अवकाश यात्रा रियायत सुविधा

*604. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सरकार, सरकारी उपक्रमों और बैंकों के कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या छोटे परिवार के मानदंड के रूप में इस सुविधा को केवल दम्पति तथा दो बच्चों तक ही सीमित कर देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर होने वाले व्यय के उपलब्ध नवीनतम आंकड़े 1989-90 के बारे में हैं। यह व्यय राशि 39.08 करोड़ रुपए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा बैंकों के कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले व्यय का केन्द्रीकृत रूप से संकलन नहीं किया जाता है।

(ख) तथा (ग) सरकारी कर्मचारियों को छोटे परिवार के मानदण्डों को अपनाने की ओर प्रवृत्त करने के लिए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा हतोत्साहन पैकेज प्रस्तुत किया गया है। इनमें से एक प्रस्ताव यह है कि बच्चों के मामले में छुट्टी यात्रा रियायत की प्रसुविधा केवल दो बच्चों तक ही सीमित कर दी जाए। सरकार ने इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता है।

उड़ीसा में वनस्पति एकक

*605. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को विभिन्न राज्यों में वनस्पति एककों की स्थापना हेतु प्रत्येक राज्य में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) भारत सरकार द्वारा 25-7-91 की अधिसूचना संख्या 477(अ) के जरिए नई औद्योगिक नीति, 1991 की घोषणा किए जाने के समय विभिन्न राज्यों में वनस्पति एकक स्थापित करने के लिए 94 आवेदन लम्बित पड़े थे। उड़ीसा सहित, राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) तथा (घ) नई औद्योगिक नीति, 1991 तथा 25-7-1991 को जारी की गई अधिसूचना के तहत वनस्पति उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है।

विवरण

वनस्पति लाइसेंस जारी करने के लिए लम्बित आवेदनों का
राज्यवार विवरण

क्र०सं० राज्य/संघ राज्य के क्षेत्र	वनस्पति एकक स्थापित करने के लिए लम्बित पड़े सार्वजनिक क्षेत्र के तहत	संयुक्त क्षेत्र के तहत	सहकारी क्षेत्र के तहत	आवेदनों की संख्या निजी क्षेत्र के तहत	योग
1. आंध्र प्रदेश	—	—	3	7	10
2. असम	—	1	—	—	1
3. हरियाणा	—	3	1	8	12
4. गुजरात	—	—	—	4	4
5. हिमाचल प्रदेश	—	2	—	2	4
6. जम्मू तथा कश्मीर	—	—	—	1	1
7. कर्नाटक	—	—	1	2	3
8. उड़ीसा	—	1	—	2	3
9. मध्य प्रदेश	—	1	—	6	7
10. पंजाब	—	2	2	3	6
11. महाराष्ट्र	—	1	—	—	1
12. राजस्थान	—	2	1	7	10
13. उत्तर प्रदेश	—	3	2	18	23
14. पांडिचेरी	—	1	—	—	1
15. नागालैंड	—	1	—	—	1
16. पश्चिमी बंगाल	1	—	—	1	2
17. मेघालय	—	—	—	1	1
18. तमिलनाडु	1	—	—	3	4
योग	2	18	9	65	94

पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े उद्योग

[हिन्दी]

*607. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए आशय पत्रों की मंजूरी हेतु 78 आवेदन पत्र लंबित पड़े थे ।

नयी औद्योगिक नीति के अनुसार सुरक्षा तथा सामरिक विषयों आदि के सम्बद्ध उद्योगों की एक छोटी सी सूची को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसीकरण समाप्त कर दिया गया है ।

चालू वर्ष में स्थापित किए जाने वाले उद्योग

*608. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल कितने औद्योगिक एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) नयी औद्योगिक नीति के अनुसार तथा सामरिक विषयों, सामाजिक कारणों से सम्बद्ध उद्योग की एक संक्षिप्त सूची को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसीकरण समाप्त कर दिया गया है ।

जहां तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सरकारी क्षेत्र में निवेश परियोजना के स्थापना स्थल का सम्बन्ध है, सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों द्वारा तकनीकी-आर्थिक आधार पर निर्णय किया जाता है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की खरीद में तथाकथित अनियमितताएं

[अनुवाद]

*609. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **खाद्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा बिहार के गया (मगध) मंडल में चावल की खरीद में की गई अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशों के साथ कार्यक्रमों का आदान-प्रदान

4746. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री 24 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 485 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के साथ पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष रेडियो तथा टेलीविजन कार्यक्रमों के आदान-प्रदान की संख्या क्या है जिनके साथ हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम आदान-प्रदान और रेडियो तथा टेलीविजन प्रोटोकोल समझौता किए हैं;

(ख) टेलीविजन तथा रेडियो के लिए देशवार अलग-अलग कुल कितने समय के कार्यक्रम प्राप्त किए गए; और

(ग) रेडियो और टेलीविजन के लिए देशवार अलग-अलग कुछ कितने समय के कार्यक्रम प्राप्त किए गए; और

(घ) कार्यक्रमों को प्राप्त करने वाले देशों ने इन कार्यक्रमों को कितने प्रतिशत उपयोग किया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरजा व्यास) : (क) सूचना इस प्रकार है :

	वर्ष	कार्यक्रमों की संख्या जिनका आदान-प्रदान किया गया
आकाशवाणी	1988	754
	1989	760
	1990	772
दूरदर्शन	1988-89	461
	1989-90	484
	1990-91	215

(ख) आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा सप्लाई किए गए कार्यक्रमों का कुल समय और देशों की सूची विवरण-I में दी गयी है।

(ग) दूरदर्शन से सम्बन्धित सूचना वि रण-II में और आकाशवाणी से सम्बन्धित सूचना विवरण-III में दी गयी है।

(घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन को कार्यक्रमों के उपयोग की प्रतिशतता के बारे में फीड बैक प्राप्त नहीं होता है। कार्यक्रमों का आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाता है।

विवरण-एक

सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अन्तर्गत विभिन्न देशों में भेजे गए कार्यक्रम

आकाशवाणी

क्र० सं०	देश का नाम	कार्यक्रम की कुल अवधि
1.	अदन	9 घंटे
2.	आबू धाबी	9 घंटे
3.	ए०आर०आई०	9 घंटे
4.	अफगानिस्तान	8.30 घंटे
5.	अल्जीरिया	8 घंटे
6.	आस्ट्रेलिया	8 घंटे
7.	अर्जेंटीना	9 घंटे
8.	बुलगारिया	9 घंटे
9.	ब्राजील	8 घंटे
10.	बंगलादेश	9 घंटे
11.	बहरीन	9 घंटे
12.	चैकोस्लावाकिया	8 घंटे
13.	क्यूबा	8 घंटे
14.	कोलम्बिया	9 घंटे
15.	चिली	9 घंटे
16.	चीन	9 घंटे
17.	साइप्रस	8 घंटे
18.	इथोपिया	8 घंटे
19.	फीजी	60 घंटे
20.	फिनलैंड	9 घंटे
21.	फ्रांस	9 घंटे
22.	सघीय जर्मन जनवादी गणराज्य	8 घंटे
23.	गुयाना	44 घंटे
24.	जर्मन जनतांत्रिक गणराज्य	8 घंटे

1	2	3
25.	ग्रीस	18 घंटे
26.	हंगरी	9 घंटे
27.	ईरान	9 घंटे
28.	ईराक	8 घंटे
29.	इंडोनेशिया	30 घंटे
30.	इटली	8 घंटे
31.	जॉर्डन	9 घंटे
32.	केनिया	9 घंटे
33.	दक्षिणी कोरिया	9 घंटे
34.	कम्पूचिया	8 घंटे
35.	कुवैत	8 घंटे
36.	लेसोथो	8 घंटे
37.	मंगोलिया	8 घंटे
38.	मैक्सिको	9 घंटे
39.	मालदीव	8 घंटे
40.	निकारागुआ	9 घंटे
41.	नाइजीरिया	9 घंटे
42.	नीदरलैंड	9 घंटे
43.	पोलैंड	9 घंटे
44.	पुर्तगाल	9 घंटे
45.	कतार	48 घंटे
46.	रोमानिया	9 घंटे
47.	सेनेगल	42 घंटे
48.	श्रीलंका	9 घंटे
49.	सेशेल्स	9 घंटे
50.	सूरीनाम	16 घंटे
51.	स्पेन	8 घंटे
52.	सूडान	8 घंटे

1	2	3
53.	सोमालिया	8 घंटे
54.	सीरिया	9 घंटे
55.	तंजानिया	8 घंटे
56.	ट्यूनिसिया	9 घंटे
57.	टर्की	10 घंटे
58.	अपर वोल्टा	9 घंटे
59.	युगांडा	9 घंटे
60.	सोवियत संघ	13 घंटे
61.	वियतनाम	8 घंटे
62.	बेनेजुला	9 घंटे
63.	यूगोस्लाविया	10 घंटे
64.	जिम्बाब्वे	8 घंटे
65.	मारीशस	300 घंटे
66.	पाकिस्तान	14 घंटे

दूरदर्शन

सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अन्तर्गत विभिन्न देशों को भेजे गये कार्यक्रम

क्रम सं०	देश का नाम	कुल अवधि
1.	अफगानिस्तान	170 मिनट
2.	अल्जीरिया	52 मिनट
3.	अंगोला	50 मिनट
4.	आस्ट्रेलिया	98 मिनट
5.	अर्जेंटीना	71 मिनट
6.	बहरीन	375 मिनट
7.	बंगलादेश	103 मिनट
8.	बेल्जियम	241 मिनट
9.	बुल्गारिया	931 मिनट
10.	क्यूबा	217 मिनट

1	2	3
11.	साइप्रस	208 मिनट
12.	चेकोस्लोवाकिया	330 मिनट
13.	चीन	724 मिनट
14.	मिस्र	89 मिनट
15.	इथोपिया	201 मिनट
16.	फिनलैंड	46 मिनट
17.	फ्रांस	159 मिनट
18.	जर्मनी	329 मिनट
19.	घाना	—
20.	ग्रीस	166 मिनट
21.	हंगरी	157 मिनट
22.	इण्डोनेशिया	—
23.	ईरान	99 मिनट
24.	इराक	250 मिनट
25.	इटली	174 मिनट
26.	जोर्डन	233 मिनट
27.	कीनियां	38 मिनट
28.	कोरिया (डी० पी० आर०)	266 मिनट
29.	कोरिया (गणतंत्र)	327 मिनट
30.	कुवैत	29 मिनट
31.	मोरीशस	5967 मिनट
32.	मैक्सिको	272 मिनट
33.	मंगोलिया	262 मिनट
34.	मोरोक्को	48 मिनट
35.	मालदीव	1052 मिनट
36.	नार्वे	183 मिनट
37.	नाइजीरिया	176 मिनट
38.	नीदरलैंड	159 मिनट

1	2	3
39.	पाकिस्तान	—
40.	फिलिपीन	92 मिनट
41.	पोलैंड	135 मिनट
42.	पुर्तगाल	52 मिनट
43.	कतार	261 मिनट
44.	रोमानिया	52 मिनट
45.	सीरिया	505 मिनट
46.	स्पेन	309 मिनट
47.	सोमालिया	168 मिनट
48.	सूडान	59 मिनट
49.	सेशेल्स	341 मिनट
50.	टुनीशिया	248 मिनट
51.	टर्की	279 मिनट
52.	संयुक्त अरब अमीरात	222 मिनट
53.	सोवियत संघ	1136 मिनट
54.	युगांडा	43 मिनट
55.	यमन	431 मिनट
56.	यूगोस्लाविया	205 मिनट
57.	जिम्बाब्वे	30 मिनट
58.	पेरू	—
59.	ओमान*	16 मिनट
60.	तंजानिया*	—
61.	वियतनाम	61 मिनट

*केवल रेडियो और टेलीविजन नयाचार (प्रोटोकाल)।

विवरण-दो

दूरदर्शन प्राप्त कार्यक्रमों का ब्यौरा

क्रम सं०	देश	1988-89		1989-90		1990-91	
		सं०	अवधि (मिनट)	सं०	अवधि (मिनट)	सं०	अवधि (मिनट)
1.	अफगानिस्तान	—	—	—	—	—	—
2.	अल्जीरिया	2	9	6	21	1	4
3.	अंगोला	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	आस्ट्रेलिया	30	140	23	115	20	108
5.	अर्जेन्टीना	—		—		—	
6.	बहरीन	—		—		—	
7.	बंगलादेश	1	17	3	23		
8.	बेल्जियम	8	34	5	19	8	41
9.	बुलगारिया	23	133	17	113	16	80
10.	क्यूबा	—		—		—	
11.	साइप्रस	1	24	1	30		
12.	चेकोस्कोवाकिया	2	70	14	49	8	37
13.	चीन			2	91		
14.	मिस्र	1	52	5	42	1	4
15.	इथोपिया			1	30		
16.	फिनलैंड	—		—		—	
17.	फ्रांस	36	243	47	113	43	275
18.	जर्मनी	4	21			1	7
19.	घाना			1	31	1	5
20.	ग्रीस	—		—		—	
21.	हंगरी	—		—		—	
22.	इण्डोनेशिया	4	41	1	20	5	42
23.	इरान					1	28
24.	ईराक	—		—		—	
25.	इटली	9	41	9	38	2	8
26.	जोर्डन			—		—	
27.	केन्या			—		—	
28.	कोरिया (डी० पी० आर०)	8	91	5	44	10	88
29.	कोरिया (गणतंत्र)	—		—		—	
30.	कुवैत	1	26			1	3
31.	मारीशस	—	—	1	13		
32.	मेक्सिको	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	मंगोलिया	—	—	—	—	—	—
34.	मोरक्को	—	—	—	—	—	—
35.	मालदीव	—	—	1	5	—	—
36.	नार्वे	—	—	—	—	—	—
37.	नाईजीरिया	—	—	—	—	—	—
38.	नीदरलैंड	—	—	—	—	—	—
39.	पाकिस्तान	1	21	—	—	1	24
40.	फिलीपीन	—	—	—	—	—	—
41.	पोलैंड	—	—	—	—	—	—
42.	पुर्तगाल	—	—	—	—	—	—
43.	कतार	—	—	—	—	—	—
44.	रोमानिया	3	9	2	6	3	9
45.	सीरिया	—	—	—	—	—	—
46.	स्पेन	—	—	—	—	—	—
47.	सोमालिया	—	—	—	—	—	—
48.	सूडान	—	—	—	—	—	—
49.	सेशेल्स	1	28	—	—	—	—
50.	टुनीसिया	—	—	—	—	—	—
51.	टर्की	3	44	2	30	1	5
52.	संयुक्त अरब अमीरात	1	33	2	37	1	24
53.	सोवियत संघ	25	303	11	88	8	72
54.	उगाण्डा	—	—	—	—	—	—
55.	यमन	—	—	1	28	—	—
56.	यूगोस्लाविया	1	3	6	25	9	62
57.	जिम्बाब्वे	—	—	—	—	—	—
58.	पेरू	—	—	—	—	—	—
59.	ओमान	1	30	4	40	—	—
60.	तंजानिया	10	49	6	24	8	48
61.	वियतनाम	—	—	—	—	—	—
	कुल	179	1462	176	1075	149	974

विवरण-तीन

आकाशवाणी

क्रम सं०	वर्ष	देश का नाम	प्राप्त कार्यक्रमों की संख्या	कुल अवधि
1.	1989	नीदरलैंड	75	41 घण्टे
	1990	—तथैव—	28	14 घण्टे
	1991	—तथैव—	12	6 घण्टे
2.	1989	सोवियत संघ	17	7 घण्टे
	1990	—तथैव—	शून्य	—
	1991	—तथैव—	शून्य	—
3.	1989	चैकोस्लोवाकिया	2	1 घंटा 25 मिनट
	1990	—तथैव—	शून्य	—तथैव—
	1991	—तथैव—	शून्य	—तथैव—
4.	1989	जर्मनी	87	41 घण्टे 10 मिनट
	1990	—तथैव—	92	43 घण्टे 25 मिनट
	1991	—तथैव—	89	42 घण्टे
5.	1989	हंगरी	1	26 मिनट
	1990	—तथैव—	शून्य	—
	1991	—तथैव—	शून्य	—
6.	1989	आस्ट्रेलिया	39	13 घण्टे
	1990	—तथैव—	37	1 घण्टा 30 मिनट
	1991	—तथैव—	27	9 घण्टे

औद्योगिक नीति

4747. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की कार्यरत कम्पनियों/इकाइयों/परियोजनाओं के नाम तथा ब्यौरे क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के समूह से सम्बन्धित कम्पनियों की ओर से मौजूदा इकाइयों के विस्तार और नयी इकाइयों की स्थापना करने के लिए कई प्रस्ताव मिले हैं;

(ग) क्या सरकार के पास उनके वार्षिक विक्रया कारोबार तथा वार्षिक निर्यात-कारोबार, उनकी पैतृक इकाइयों द्वारा विदेशों में दी जा वेतन-दरों के मुकाबले यहां पर दी जा रही असाधारण वेतन-दरों से सम्बन्धित अभिलेख हैं;

(घ) क्या नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ ही अनेक नयी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों भारतीय श्रम शक्ति एक और कच्चे माल का केवल अपने फायदे के लिए शोषण करने का प्रयास कर रही हैं;

(ङ) क्या नयी औद्योगिक नीति का दुरुपयोग न होने देने के लिए सरकार ने कोई संरक्षणात्मक उपाय किये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां। सरकार को समय-समय पर उद्यमियों/औद्योगिक उपक्रमों से नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने और/अथवा उनके मौजूदा उपक्रमों के पर्याप्त विस्तार के लिए औद्योगिक अनुमोदनों की मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। इनमें मौजूदा विदेशी इक्विटी वाली कम्पनियां शामिल हैं।

(ग) केन्द्र द्वारा उद्योग मंत्रालय में यह जानकारी नहीं रखी जाती।

(घ) से (च) जैसाकि 24-7-1991 को लोक सभा में औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में बताया गया है, सरकार की नीति यह है कि भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अवसरों का पूरी तरह पता लगाया जाए जोकि देश के औद्योगिक विकास के हित में हैं। जहां तक भारतीय श्रम-शक्ति का संबंध है, सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा करने, उनके कल्याण सम्बन्धी कार्यों को प्रोत्साहन देने और प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों का सामना करने के लिए उन्हें सभी प्रोत्साहन देने और प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों का सामना करने के लिए उन्हें सभी प्रकार से समर्थ बनाने के लिए बचनबद्ध है।

विवरण

(30 अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अधीन शामिल फेरा कम्पनियों की सूची

क्रम सं०	भारतीय कम्पनी का नाम	की स्थिति के अनुसार	विदेशी पूंजी (रु० लाख में)	कुल पूंजी में विदेशी पूंजी का %
1	2	3	4	5
1.	आडको इण्डिया, लि०, बम्बई	31-3-89	225.00	50
2.	ए०पी०ई० बेल्लीज इण्डिया लि०, कलकत्ता (पूर्व बेल्लीज एण्ड मारकोम) (इं०) लि०	31-3-89	66.31	49

1 2	3	4	5
3. अपोलो चैन जिप्स प्रा० लि०	30-6-88	1.45	100
4. आर० एसोसिएटिड बियरिंग कं० लि०, बम्बई	31-3-89	630.00	51
5. एटिक इण्ड्स्ट्रीज लि०, अतुल	31-3-89	300.00	50
6. आर्क इन्वेस्टमेंट लि०, मद्रास	30-6-88	51.95	99.90
7. अंगस कं० लि०, कलकत्ता	30-6-88 ई पी	71.56 35.15	97.54 93.73
8. असम कं० (इण्डिया) लि०, कलकत्ता	31-3-89	518.00	74
9. ब्रेकस इण्डिया लि०, मद्रास	30-6-88	293.02	49
10. असम फरंटियर टी कं० लि०, कलकत्ता	31-3-89	222.00	74
11. बेयर इण्डिया लि०, बम्बई	31-3-89	827.40	51.01
12. बंगाल लिन्न (इंडस्ट्रियल फरनेस) लि०, कलकत्ता	30-6-88	4.17	50
13. डा०बेक एण्ड कं० (इं०) लि०, पुणे	30-6-88	94.54	49
14. बैंको बुल्फ इंडिया लि०, पुणे	30-6-88	149.29	49.87
15. बी०ए०एस०एफ० (इंडिया) लि०, बम्बई	30-6-88 ई पी	142.00 ई 8.75 पी	50 50
16. क्रैगमोर प्लांटेशंस इण्डिया लि०	30-9-87	25.90	73.97
17. क्लोराइड इण्डिया लि०, कलकत्ता	30-9-87	1047.20	50.70
18. कोमिनको बिनानी जिंक लि०, बम्बई	31-3-89	151.28	40.02
19. कोरोमोन्डेल फर्टिलाइजर्स लि०, सिकन्दराबाद	30-9-87	1080.91	44.44
20. केमिइण्डिया कं०, लि०, बम्बई	30-9-87	250.77	55
21. ड्रैटोन ग्रेविज लि०, बम्बई	31-3-89	12.85	49
22. डूम डूमा इण्डिया लि०, कलकत्ता	31-12-88	414.40	74
23. दार्जिलिंग प्लांटेशन्स इण्डस्ट्रीज लि०, कलकत्ता	30-9-87	44.40	74

1	2	3	4	5
24.	ई० हिल एण्ड कं० प्रा० लि०, मिर्जापुर	30-9-87	8.00	74
25.	इंगलिश इलैक्ट्रिक कं० आफ इंडिया लि०, मद्रास	30-9-87	130.00	66.67
26.	एवरेस्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लि०, न्यू दिल्ली (पूर्व एजबेस्टोज सीमेंट कं० लि०)	31-3-89	122.00	49.46
27.	इन्नोर फाउण्ड्रीज लि०, मद्रास	30-9-87	267.37	59.09
28.	आइरी स्मेल्टिंग प्रा० लि०, कलकत्ता	30-6-88	26.64	74
29.	एम्पायर प्लांटेशन (इंडिया) लि०, कलकत्ता	30-6-88	44.00	73.33
30.	फर्लेंडर मैकनिल गीयर लि०, कलकत्ता	30-6-88	67.85	50
31.	फिक इंडिया लि० फरीदाबाद	30-6-87	30.60	51
32.	फ्लाक्ट इंडिया लि०, कलकत्ता (पूर्व एस० एफ० इंडिया लि०)	30-6-88	173.40	51
33.	गेड्डोर टूल्स (इण्डिया) प्रा० लि०, नई दिल्ली	30-9-87	120.00	44.46
34.	ग्रॉस बीकर्ट शबू लि०, चण्डीगढ़	31-3-89	66.00	60.00
35.	गेस्ट कोन विलियम्स लि०, हावड़ा	30-9-87	1126.32	46.82
36.	जनरल इलैक्ट्रिक कं० ऑफ इण्डिया लि०, कलकत्ता	31-3-89	480.00	66.66
37.	ग्रीवेज फोसको लि०, बम्बई	30-9-87	184.11	50
38.	गुडईयर इंडिया लि०, नई दिल्ली	30-9-87	448.42	59.93
39.	केनन नाईन मेटल एंड डायमंड डाइज लि०, बम्बई	30-6-88	1.04	41.60
40.	गुडरिक ग्रुप लि०, कलकत्ता	31-3-89	532.80	74
41.	जार्ज विलियमसन असम लि०, कलकत्ता	30-6-88	441.00	70
42.	हिन्दुस्तान फेरोडो लि०, बम्बई	31-3-89	329.99	60

1	2	3	4	5
43.	हेइन लेहमेन (इण्डिया) लि०, कलकत्ता	30-6-88	38.07	49
44.	हिन्दुस्तान लीवर लि०, बम्बई	30-6-87	2379.78	51
45.	हिन्दुस्तान गम एण्ड केमिकल्स लि०, भिवानी	30-6-87	15.00	50
46.	हिन्दुस्तान डोर ओलीवर लि०, बम्बई	31-3-89	158.40	66.67
47.	इंडियन एक्सप्लोसिब्स लि०, कलकत्ता	30-9-87	2163.86	52.94
48.	ईंगरसोल रैंड (इंडिया) लि०, बम्बई	31-3-89	584.00	73.99
49.	जानसन एण्ड जानसन लि०, बम्बई	30-6-88	180.00	75
50.	जोकाय (इण्डिया) लि०, कलकत्ता	30-6-88	185.00	74
51.	किर्लोस्कर कुम्मीन्स लि०, पुणे	30-9-88	1320.00	50
52.	केरल बेलर्स लि०, एलेप्पी	30-6-88	2.45	49
53.	लुकास टी० वी० एस० लि०, मद्रास	30-9-87	510.00	51
54.	एल० एन० वैन मोपेड डायमण्ड टूल्स इण्डिया लि०, कुनूर	30-9-87	9.92	49
55.	लक्ष्मण ओइसोला लि०, बंगलौर	30-6-88	37.50	50
56.	मोटर इण्डस्ट्रीज कं०, लि०, बंगलौर	31-12-88	1940.63	51
57.	महिन्द्रा सिनटर्ड प्रोडक्टर लि०, पुणे	30-6-88	55.29	49
58.	मदर एण्ड प्लाट (इण्डिया) लि०, बम्बई	30-6-88	384.00	60
59.	मालचा प्रोपर्टीज लि०, कलकत्ता	1-7-74	0.50	50
60.	मोरान टी कं० (इण्डिया) लि०, कलकत्ता	30-9-88	51.80	74
61.	नोरइण्डिया लि०, बम्बई	30-6-75	1.50	50

1	2	3	4	5
62.	नोरोजी वाडिया एण्ड संस प्रा० लि०, बम्बई	31-3-89	47.88	95.76
63.	एन जी ई एफ-ए एस जी इन्जीनियरिंग कं० लि०, बंगलौर	31-3-89	68.00	50
64.	ओ०ई०एन० इण्डिया लि०, कोचीन	30-9-87	32.76	45
65.	ओटिस एलिवेटर कं० (इण्डिया) लि०, बम्बई	31-3-89	282.24	56
66.	पोरिट्स एण्ड स्पेंसर (एशिया) लि०, नई दिल्ली	31-3-89	116.09	59.20
67.	पस्तानी तिजारती कं० इण्डिया, प्रा० लि०, अमृतसर	1-3-84	1.50	100
68.	प्लासेर इण्डिया प्रा० लि०, नई दिल्ली	30-6-88	7.40	74
69.	रोके प्रोडक्टस लि०, बम्बई	31-12-88	356.00	74
70.	स्टोन इण्डिया लि०, कलकत्ता (पूर्व स्टोन प्लाटट इलैक्ट्रिकल इण्डिया लि०)	30-6-88	89.28	60
71.	स्पिलाक्स मार्शल लि०, पुणे	31-3-89	9.52	51
72.	सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज लि०, रनावर	30-6-88	351.75	50.25
73.	सैडविक एशिया लि० पुणे	31-12-88	316.80	54.86
74.	सिंगलो (इण्डिया) टी० कं० लि०, कलकत्ता	30-6-88	44.00	73.33
75.	स्टिवर्ट हाल (इण्डिया) लि०, कलकत्ता	31-3-89	177.60	74.00
76.	स्कार्डर स्कोविल डंकन लि०, बम्बई	30-6-88	46.20	50
77.	सिमेंस इण्डिया लि०, बम्बई	30-9-88	1059.16	51
78.	संसार मशीन्स लि०, नई दिल्ली	30-6-88	15.35	49.50
79.	संदोज (इण्डिया) लि०, बम्बई	31-12-88	270.00	50.94

1	2	3	4	5
80.	त्रिवेनी टिशू लि०, कलकत्ता	30-9-87	405.26	51
81.	ट्रैक्टर इन्जीनियर्स लि०, बम्बई	31-3-89	42.50	50
82.	दी इस्टेट इण्डिया लि०, कुनूर	30-6-88	651.20	74
83.	टोयो इन्जीनियरिंग इण्डिया लि०, नई दिल्ली	30-6-88	25.00	50
84.	यूनियन कारबाईड इण्डिया लि०, कलकत्ता	31-3-89	1658.98	50.92
85.	उघे इण्डिया लि०, बम्बई	31-3-89	33.30	74
86.	वाडिया इण्डिया लि०, बंगलौर	31-12-88	186.81	50.89
87.	वारेन टी लि०, कलकत्ता	31-3-89	286.51	73.47
88.	वाइएथ लैबोरेट्रिज लि०, बम्बई	31-3-89	66.60	74
	सम्बन्धित साझेदारी			
1.	मेटलिक्स इण्डिया लि०, कलकत्ता	30-9-87	0.74	74

शाखाएं

1. ओक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस
*2. सामनुगर जूट फैक्ट्री कं० लि० कलकत्ता
3. ट्रैवल वर्ल्ड इंक०
*4. टीटागढ़ जूट फैक्ट्री कं० कलकत्ता
*5. विक्टोरिया जूट कं० लि०, कलकत्ता

इन शाखाओं का भारत में कोई पूंजीगत आधार नहीं है, इसलिए इन कम्पनियों के बारे में कोई सूचना नहीं दी जाती।

नोट—इस सूची में 30 अप्रैल, 1990 को स्थिति दी गई है।

इसमें निम्नलिखित श्रेणियों की कम्पनियों शामिल नहीं हैं :

(1) जहां कम्पनियों ने अपने कार्यकलाप समाप्त कर दिए हैं और कम्पनियों को बन्द किया जा रहा है।

(2) पूंजी के अप्रत्यावर्तन और आय के आधार पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29(2)(क) के अधीन अनुमति दी गई है।

(3) जहां 40 प्रतिशत से अधिक पूंजीगत अंश भारतीय मूल के अनिवासी भारतीयों के पास है।

(4) मुक्त व्यापार जोंस में स्थापित कम्पनियां।

* उन कम्पनियों को दर्शाता है जहां अनिवासी भारतीय के पूंजीगत अंश को 40% से कम करने के लिए विदेशी पूंजी विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29(2)(क) के अधीन निर्देश जारी किए गए हैं।

केरल से भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार

4748. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल से पिछले तीन वर्षों में, वर्ष-वार कुल कितने उम्मीदवार प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में बैठे; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इनमें से कितने उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए ?

कार्मिक लोक, शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) संघ लोक सेवा आयोग, सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठे उम्मीदवारों की संख्या से सम्बन्धित राज्य-वार आंकड़े नहीं रखता है। तथापि 1986 1987 और 1988 में आयोजित परीक्षाओं में केरल स्थित केन्द्रों में बैठे उम्मीदवारों की संख्या क्रमश: 2462, 1981 तथा 1885 है।

(ख) सूचना नीचे दी जानी है—

परीक्षा का वर्ष	भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त केरल के उम्मीदवारों की संख्या
1986	2
1987	2
1988	शून्य

कर्नाटक में उर्वरक संयंत्र

[हिन्दी]

4749. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने को है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति

4750. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेयजल की भीषण समस्या से ग्रस्त राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए देश की विभिन्न नदियों से जल आपूर्ति करने की कुछ योजनायें तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है और इन योजनाओं को कब तक पूरा किया जाना है अथवा ये कब तक पूरी हो जायेंगी; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) से (ग) राजस्थान राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में कृषि विकास

[अनुवाद]

4751. **श्री पी०सी० थामस** :

श्री कोडीकुलीन सुरेश : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90 और 1990-91 के दौरान केरल को कृषि-विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) केरल सरकार द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या केरल सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त धनराशि की मांग की है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) तथा (ख) राज्य की 1989-90 तथा 1990-91 की वार्षिक योजनाओं में कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया-कलापों के तहत अनुमोदित परिव्यय तथा किए गए व्यय को नीचे दिया गया है :

(लाख रुपए में)

	1989-90	1990-91
अनुमोदित परिव्यय	6910	8597
वास्तविक व्यय/संशोधित परिव्यय	7607	8914

(ग) तथा (घ) वर्ष 1991-92 के लिए राज्य योजना में कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप क्षेत्रक में लिए योजदा आयोग ने 13731 लाख रुपए के अपेक्षाकृत उच्च परिव्यय को अनुमोदित किया। राज्य सरकार से वर्तमान वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त राशि के आवंटन के लिए योजना आयोग को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

बिहार की विकास दर

[हिन्दी]

4752. **श्री राम बदन** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की विकास दर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों की समुचित विकास दर क्या रही; और

(घ) बिहार की विकास दर में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) बिहार की विकास दर अनेक अन्य राज्यों की विकास दर से अपेक्षाकृत कम है।

(ख) अनेक कारणों की वजह से राज्यों के बीच विकास दर में अन्तर होता है, इसमें से कुछ विकास है जैसे आधार संरचना उद्योग तथा उद्यमशीलता का ऐतिहासिक रूप से असमान विकास तथा साल दर साल वर्षापात में अन्तर एवं परिणामतः बाढ़ और सूखा इत्यादि।

(ग) वर्ष 1987-88 से 1989-90 के दौरान निवल राज्य घरेलू उत्पाद की राज्यवार विकास दर संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(घ) बिहार राज्य विकास दर में वृद्धि करने के लिए विकास योजनायें कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं में आधार संरचना, उद्योग, कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य इत्यादि के विकास के लिए तथा गरीब लोगों की आय बढ़ाने के लिए सीधे रोजगार सृजन कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए भी निवेश परिव्यय शामिल हैं।

विवरण

गत वर्ष निवल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर

प्रतिशतता परिवर्तन

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1987-88	1988-89 (पी)	1989-90 (क्यू)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9.19	9.9	4.11
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.25	6.71	0.33
3.	असम	5.5	2.02	11.3
4.	बिहार	—9.11	8.71	—3.78
5.	गोवा	6.45	4.72	4.74
6.	गुजरात	—8.59	37.94	1.45
7.	हरियाणा	—2.07	24.22	3.06
8.	हिमाचल प्रदेश	—0.89	7.45	11.00
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	5.14	10.58	3.59
11.	केरल	2.58	7.94	5.51
12.	मध्य प्रदेश*	14.95	8.69	0.1

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	8.16	9.22	9.99
14.	मणिपुर	6.51	5.76	—0.33
15.	मेघालय	9.05	4.97	3.09
16.	नागालैंड	10.77	11.45	—
17.	उड़ीसा	—1.44	14.95	6.03
18.	पंजाब	4.93	5.63	9.26
19.	राजस्थान	—6.88	45.77	—2.9
20.	सिक्किम	20.63	—	—
21.	तमिलनाडु	5.34	5.23	—0.01
22.	त्रिपुरा	8.35	6.41	7.3
23.	उत्तर प्रदेश	3.11	9.09	3.25
24.	पश्चिमी बंगाल	3.08	4.39	4.82
25.	दिल्ली	6.17	—	—
26.	पांडिचेरी	4.74	0.7	2.04
	अखिल भारतीय (निवल राष्ट्रीय उत्पाद)	3.99	11.24	5.17

क्यू : त्वरित अनुमान पी : अनन्तिम

— : उपलब्ध नहीं हैं (सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

* : पुरानी (1970-71) शृंखला पर आधारित।

स्रोत : सम्बन्धित राज्य सरकारों के आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय।

टिप्पणी 1 : प्रयोग की गई स्रोत सामग्री में अन्तर होने के कारण विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आंकड़े पूर्णतः तुलनीय नहीं हैं।

टिप्पणी 2 : मिजोरम राज्य ने ये अनुमान केवल चालू कीमतों के आधार पर ही तैयार किए हैं।

टिप्पणी 3 : अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा व नागर हवेली, दमन व द्वीव एवं लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र इन अनुमानों को तैयार नहीं करते।

टिप्पणी 4 : निवल राष्ट्रीय उत्पाद के अखिल भारतीय आंकड़े केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अलग से एकत्रित किए गए हैं तथा अलग-अलग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अनुमानों के जोड़ के रूप में इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता।

गैस पर आधारित उर्वरक एकक

[अनुवाद]

4753. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : देश में गैस पर आधारित उर्वरक एककों का ब्यौरा राज्य-वार क्या है ?

रसायन उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : देश में गैस पर आधारित उर्वरक एककों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के ब्यौरे

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	स्थान/राज्य	नाइट्रोजन की 000 मी० टन में वार्षिक उत्पादन क्षमता
(क) उत्पादन एकक			
1.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०	विजयपुर (मध्य प्रदेश)	334.00
2.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	ट्राम्बे-1 (महाराष्ट्र)	90.00
3.	वही	ट्राम्बे-5 (महाराष्ट्र)	152.00
4.	वही	थल (महाराष्ट्र)	183.00
5.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लि०	नामरूप-I (आसाम)	45.00
6.	वही	नामरूप-II (आसाम)	152.00
7.	वही	नामरूप-III (आसाम)	177.00
8.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि०	कलोल (गुजरात)	182.00
9.	कृषक भारतीय कोआपरेटिव लि०	हजीरा (गुजरात)	668.00

1	2	3	4
10.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कं०	वड़ौदा (गुजरात)	130.00
11.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि०	आंवला (उत्तर प्रदेश)	334.00
12.	इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स कार्पोरेशन	जगदीशपुर (उत्तर प्रदेश)	334.00
(ख)	**कार्यान्वयनाधीन परियोजनायें**		
1.	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि०	गडेपन (राजस्थान)	342.00
2.	टाटा कैमिकल्स लि०	बबराला (उत्तर प्रदेश)	342.00
3.	बिन्दल एग्रो कैम० लि०	शाहजांपुर (उत्तर प्रदेश)	334.00

केरल में विकास केन्द्र

4754. **श्री टी०जे० अंजलोज** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को केरल राज्य के अलाप्पुझा जिले में औद्योगिक विकास केन्द्र खोलने हेतु कोई अध्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) जून, 1988 में घोषित नई विकास केन्द्र योजना के अधीन, केरल को दो विकास केन्द्र आवंटित किए गए हैं। केरल सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अलप्पुझा जिले तथा कन्नानोर जिले को राज्य के लिए विकास केन्द्रों की मंजूरी हेतु चुना गया है।

एन्टीबायोटिक्स और विटामिन औषधियों का उत्पादन

4755. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए एन्टीबायोटिक्स तथा विटामिन औषधियों के उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया था और इसमें कितनी सफलता मिली;

(ख) क्या इन इकाइयों की अधिसीमित क्षमता उपरोक्त वर्षों में पूर्णतः प्रयुक्त की गई है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के लिए अधिष्ठापित क्षमता, उपयोग के ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए जाते हैं।

(ख) और (ग) प्रपुंज औषध का उत्पादन बाजार मांग कार्यसंचालन पूंजी की उपलब्धता अव्यवस्थापना सम्बन्धी समस्यायें जैसे बिजली की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखकर विनियमित किया गया था।

विवरण-एक

आई०डी०पी०एल० में पिछले तीन वर्षों में प्रपुंज एन्टिबायोटिक्स की अधिष्ठापित क्षमता व उपयोग और उत्पादन

क्र०सं०	उत्पाद का नाम	इकाई	अधिष्ठापित क्षमता	1988-89 लक्ष्य	1988-89 वास्तविक
1	2	3	4	5	6
(क) एंटिबायोटिक्स					
1.	पोटा०पेनिसिलिन (जी०आर०)	एम०एम०यू०	230.00	40,000	284.40
2.	प्रोकेन पेनि०	,,	52.00		35.89
3.	सोडियम पेनि०	,,	53.00		23.47
4.	आक्सीटेट्रासाइक्लीन	मीटन	74.50	36.00	55.79
5.	टेट्रासाइक्लीन	,,	200.00	140.00	81.87
6.	एमोक्सिलिन	,,			0.44
7.	एम्पीसिलिन ट्राइहाइड्रेट	,,	35.00	24.00	8.71
8.	6 एपीए (सोल्युबल)	,,			1.72
9.	सिपलेक्सिन	,,			0.06

1	2	3	4	5	6
10.	स्ट्रेप्टमाइसिन सालफेट	टन/बेस	85.00	50.00	46.53
11.	एरिथोमाइसिन	मीटन	36.00	0.00	
12.	डोक्सीसाइक्लीन/एम्पी० ट्राइडाइ० (हैदराबाद में)	,,	8.50	0.00	
(ख) विटामिन					
1.	फोलिक एसिड	,,	10.00	10.00	9.25
2.	विटामिन बी 2	,,	30.00	30.00	25.74
3.	विटामिन बी 1	,,	120.0	84.00	75.28
4.	विटामिन बी 6	,,	30.00	27.00	15.19
5.	नियासिनामाइड	,,	300.00	165.00	88.40

		1989-90		1990-91	
अधि क्षमता०	लक्ष्य	वास्तविक	अधिष्ठापित क्षमता	लक्ष्य	वास्तविक
7	8	9	10	11	12
230.00	500.00	353.06	23.00	500.00	290.56
52.00		23.10	52.00		1.17
53.00		19.01	53.00		9.04
74.50	71.00	85.73	74.00	100.00	56.13
200.00	140.75	129.75	200.00	110.00	108.54
		0.55			
35.00	44 10	13.90	35.00	30.00	6.75
		2.30			0.26
		0.18			0.54
85.00	33.00	5.19	85.00	24.00	20.62
26.00	0.00		36.00	0.00	
8.50	0.00		8.50	0.00	
10.00	11.00	8.92	10.00	10.00	8.94
30.00	30.00	25.48	30.00	30.00	24.37
120.00	98.00	76.48	120.00	96.00	70.78
30.00	20.00	8.49	30.00	26.00	11.95
300.00	180.00	67.00	300.00	120.00	61.85

विवरण-दो

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० में पिछले तीन वर्षों में प्रपुंज एन्टिबायोटिक्स की अधिष्ठापित क्षमताओं का उपयोग और उत्पादन

क्र० सं०	उत्पाद	इकाई	88-89			89-90			90-91		
			अधिष्ठापित क्षमता	लक्ष्य	वास्तविक	अधिष्ठापित क्षमता	लक्ष्य	वास्तविक	अधिष्ठापित क्षमता	लक्ष्य	वास्तविक
1.	पेनिसिलिन फर्स्ट क्रिस्टिल्स	एम.एम.यू.	300	300	323.68	360	360	385.39	600	540	546.45
2.	बल्क पेनिसिलिन	,,	84	79	76.25	84	79	80.60	84	84	67.42
3.	स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट	टनों में	170	115	108.36	80*	75	57.2	85*	80	65.74
4.	जेंटामाइसिन	किग्रा०	1000	500	949.33	1000	1000	1472.17	2500	3000	1635.39
5.	एपीए/ एम्पिसिलिन	टनों में	35	30	28.01	35	35	24.07	35	40	5.99

* पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन के लिए संयंत्र सुविधाओं का आंशिक उपयोग किया गया था।

आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय पूंजी निवेश

4756. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में वर्ष 1988-89 की तुलना में वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय पूंजी निवेश में कमी आ गई है;

(ख) उसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय पूंजी का कितना निवेश किया गया; और

(घ) आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय पूंजी निवेश में वृद्धि करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) राज्यवार केन्द्रीय निवेश सम्बन्धी इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों अर्थात् 1985-86 (वास्तविक आंकड़ें) 1986-87 (संशोधित अनुमान) तथा 1987-88 (बजट अनुमान) के लिए राज्यवार व्यय के अनुमानों को मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किया गया है। आंध्र प्रदेश के लिए इन अनुमानों को शामिल करने वाला एक विवरण संलग्न है। तथापि यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय योजना निवेश राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर समग्र देश के लिए होता है। अधिकांश मामलों में ये कार्यक्रम/परियोजनाएं राज्य की सीमाओं से परे होते हैं। इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लाभ सम्पूर्ण देश में व्याप्त होते हैं।

विवरण

केन्द्रीय योजना व्यय का राज्यवार ब्यौरा

सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-86 से 1987-88

(करोड़ रु०)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक व्यय 1985-86	संशोधित अनुमान 1986-87	बजट अनुमान 1987-88	तीन वर्षों के लिए कुल
आंध्र प्रदेश	2105.90	2156.22	2321.37	6583.49
	(13.07)	(11.23)	(11.44)	(11.84)
कुल आबंटनीयता	16104.90	19198.41	20298.11	55601.42
अनाबंटनीय राशि	3003.58	4467.82	4977.43	12448.83
कुल जोड़	19108.48	23666.23	25275.54	68050.25

कोष्ठक के आंकड़े कुल आबंटनीय राशि से प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

टिप्पणी :

चूंकि केन्द्रीय योजना निवेश राज्यवार आयोजित या आकलित नहीं किया जाता है, इसलिए ऐसे ब्यौरे देने में कुछ कल्पनाएं की गई हैं, जबकि इस प्रकार के कार्य के आधार के रूप में वे सर्वोत्तम संभव कल्पनाएं प्रतीत होती हैं, उनकी प्रमाणिकता निश्चित रूप से सीमित स्वरूप की है। कुछ उदाहरणों को नीचे दिया गया है :—

(1) रेलवे के मामले में जहां रोलिंग स्टाक किसी वर्ष के परिव्यय का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वहां वितरण का अनुमान किसी विशेष राज्य से गुजरने वाले ट्रैक के रूट/किमी० के आधार पर लगाया जाता है।

(2) इसी प्रकार विमानन के मामले में जहां विमानों के कारण अधिकांश परिव्यय होता है, वितरण विशेष राज्य के क्षेत्र में लैंडिंग्स की संख्या के अनुमान के आधार पर किया जाता है।

(3) डाक सेवाओं में व्यय के ब्यौरे क्षेत्रवार अनुमानित किए जाते हैं।

चूंकि परियोजनाओं में केन्द्रीय निवेश अधिकांशतः उन क्षेत्रों में है जहां आवश्यक आर्थिक कारक इष्टतम रूप में उपलब्ध हैं, ऐसे मामलों में क्षेत्रीय संतुलन के उद्देश्य का केवल सीमित औचित्य हो सकता है।

विकास केन्द्र के चयन हेतु मानदण्ड

4757. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विकास केन्द्रों का चयन करने के लिए क्या मानदण्ड बनाया गया है;

(ख) उद्यमियों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) तथा (ख) नयी योजना के अधीन विकास केन्द्रों के चयन हेतु अपनाए गये मापदण्डों में नगरों से दूर स्थापना-स्थल, जिला/उप-मंडलीय मुख्यालयों से निकटता तथा राष्ट्रीय/राज्य मुख्य मार्ग, रेलशीर्ष, बिजली, जल-आपूर्ति, दूर-संचार, स्वास्थ्य और शैक्षिक संस्थाएं हैं। इन विकास केन्द्रों को बिजली, पानी, दूर-संचार तथा बैंकिंग जैसी पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

(ग) तथा (घ) ये विकास केन्द्र अनु० जाति/अनु० जनजाति सहित सभी उद्यमियों के लिए खुले हैं।

पुपरी (बिहार) में चीनी मिल की स्थापना

[हिन्दी]

4758. **श्री नवल किशोर राय** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के सीतामढ़ी जिले के पिछड़े क्षेत्र, पुपरी में सहकारिता क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना करने का है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया गया था अथवा किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) किसी विशेष क्षेत्र/स्थान पर नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए प्रस्ताव उद्यमियों द्वारा ही भेजे जाते हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार अपनी ओर से किसी प्रस्ताव पर पहल नहीं करती है।

खाद्य मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से मै० इन्डो-यूरो इंडस्ट्रीज लि० को तहसील/ब्लाक तरियानी, जिला सीतामढ़ी, बिहार में एक नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना के लिए आशय पत्र की मंजूरी हेतु एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

लाइसेंस नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों की इस समय सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है। बिहार के उक्त आवेदन पत्र सहित सभी लम्बित आवेदन पत्रों पर उक्त समीक्षा के बाद विचार किया जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की पदोन्नति में गतिरोध

[अनुवाद]

4759. **श्री मणि शंकर अय्यर** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के श्रेणी II, III और IV के कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों में व्यापक गतिरोध आ गया है; यदि हां, तो क्या दक्षिण जोन में गतिरोध की स्थिति अत्यधिक गम्भीर है;

(ख) इस गतिरोध को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) अनेक राज्यों के उच्च न्यायालयों तथा औद्योगिक न्यायाधिकरण, बंगलौर द्वारा दिए गए निर्णयों के संदर्भ में वर्ष 1973 के वेतनमान संशोधन की विसंगतियां दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि विभिन्न जोनों में जिन कर्मचारियों ने एक ग्रेड विशेष में 10 वर्ष अथवा उससे अधिक सेवा कर ली है, उनकी प्रतिशतता निम्नानुसार है :—

जिन कर्मचारियों ने एक ग्रेड विशेष में 10 वर्ष अथवा उससे अधिक सेवा कर ली है, उनकी प्रतिशतता

जोन	श्रेणी-2	श्रेणी-3	श्रेणी-4
उत्तरी जोन		35.5%	12.9%
दक्षिणी जोन		47.2%	12.8%
पूर्वी जोन	अखिल भारत	5.8%	
पश्चिमी जोन	स्तर पर 47.6%	1.8%	13% से कम
उत्तर पूर्वी		1.9%	
सीमा जोन			1%

एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति पात्रता की शर्तों, स्वीकृत स्टाफ संख्या और रिक्तियों की संख्या, जोकि संवर्ग प्रति संवर्ग भिन्न-भिन्न होती हैं, पर निर्भर करती है।

(ख) कुछ कर्मचारियों को एक ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाती है। इसके अतिरिक्त, वेतनमान के अधिकतम वेतन पर प्रत्येक दो वर्षों की सेवा पूरी करने पर कर्मचारी रूद्धता वेतन वृद्धि के हकदार होते हैं।

(ग) यह मामला अभी न्यायाधीन है।

राजस्थान में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतें

[**हिन्दी**]

4760. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इनमें से कितनी शिकायतों को निपटा दिया गया है; और

(ग) शेष शिकायतों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की शिकायतों को क्षेत्रीय आधार पर सारणीकृत करने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की शिकायतें पदोन्नति, वेतन वृद्धि, स्थानन, अनुशासनिक कार्रवाई, कार्य करने का वातावरण तथा इसी प्रकार के विषयों से सम्बन्धित होती हैं। इन शिकायतों पर विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों, विभागों तथा संगठनों में पदनामित प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाता है।

कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार

[**अनुवाद**]

4761. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार की बड़ी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या कृषि आधारित इकाइयों (उद्योगों) के लिए बैंक-ऋण पर्याप्त मात्रा में और समय पर उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो उन व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं जिन्होंने कृषि-आधारित उद्योग स्थापित किए हैं?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) जी, हां। देश में कृषि-आधारित उद्योगों के विस्तार की गुंजाइश है। सरकार कृषि-आधारित उद्योगों सहित लघु उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत सहायता, रियायती वित्त, उत्पाद-शुल्क में राहत, मदों के आरक्षण जैसी कई सुविधाएं दे रही हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक लघु औद्योगिक एककों के लिए निर्बाध रूप से कार्यशील पूंजी देने के लिए बैंकों को समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करता है। लघु क्षेत्र के कृषि-आधारित एककों सहित सभी लघु औद्योगिक एकक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्ग-दर्शी सिद्धांतों के अनुसार सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

राजस्थान परमाणु बिजलीघर

4762. **श्री अमल दत्त :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान परमाणु बिजलीघर के आसपास के क्षेत्र में बच्चों में विकलांगता और पशुधन में कमी होने के समाचारों की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को राजस्थान परमाणु बिजलीघर के आसपास के क्षेत्र में कैंसर की बीमारी होने और उसके कारण मृत्यु होने की घटनाओं में वृद्धि के समाचारों की जानकारी भी है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई नियंत्रक उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) तथा (ख) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के आसपास के क्षेत्र में बच्चों में कथित विकलांगता और पशुधन में कमी होने तथा कैंसर की घटनाएं अधिक होने के बारे में कुछ समाचारपत्रों में छपे समाचारों की सरकार को जानकारी है।

(ग) समाचार-पत्रों में छपी चौंकन्ना करने वाली रिपोर्टों और इंग्लैंड के टेलीविजन मीडिया द्वारा राजस्थान परमाणु बिजलीघर के आसपास के कुछ गांवों में स्वास्थ्य की दशा के बारे में किए गए प्रदर्शन के संदर्भ में राजस्थान सरकार ने इस बारे में जांच करने और वास्तविक सूचना देने के लिए चिकित्सा अधिकारियों के एक विशेषज्ञ दल को नियुक्त किया है। स्थल सम्बन्धी अध्ययन करने के समय परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारी इस विशेषज्ञ दल के साथ गए थे।

(घ) सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हो गया है कि स्वास्थ्य सम्बन्धी जो कमियां देखी गई हैं उनका कारण विकिरण को नहीं माना जा सकता है और विकिरण से हो सकने वाली बीमारियों की कोई घटना निकटवर्ती गांवों में नहीं हुई है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुदानों की मंजूरी

4763. **श्री राम नाईक :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा, उद्योग वार और राज्यवार और विशेषरूप से खादी ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ख) क्या उपर्युक्त (क) के अन्तर्गत लाभ प्राप्तकर्ताओं को धनराशि मंजूर करने अथवा जारी करते समय किमी सामान्य शर्त की किसी सामान्य प्रक्रिया में कोई रियायत दी गई; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक स्तर पर कौन सी रियायत दी गई तथा किस अधिकारी ने यह रियायत प्रदान की ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) 1990-91 के दौरान देश में खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राज्यवार दी गई अनुदान राशि तथा वितरित ऋण राशि संलग्न विवरण में दी गई है। राज्यवार विवरण के आंकड़े संकलित किये जा रहे हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के क्षेत्राधिकार

में आने वाले क्षेत्रों में खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए सीधे सहायता प्राप्त संस्थानों को प्रारम्भ में वर्ष 1990-91 के लिए ग्रामोद्योगों के लिए 8.39 करोड़ रु० और खादी के लिए 5.62 करोड़ रु० की राशि मंजूर की थी। तथापि, ग्रामोद्योग के अन्तर्गत स्थापित तथा वास्तविक स्वीकृत एककों की संख्या 238 थी जिनके लिए 3.03 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी। जहां तक खादी का सम्बन्ध है केवल 0.94 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिये गये थे। खादी बिक्री में 5.64 करोड़ रुपये की छूट को पूरा करने और 0.93 करोड़ रुपये के बैंक वित्त पर ब्याज सहायता के लिए अनुदान के रूप में 6.57 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

1990-91 के दौरान राज्यवार वितरण

(वितरण रुपये लाख में)

क्र० सं०	उद्योग/योजना	अनुदान	ऋण	योग
1	2	3	4	5
I.	खादी	5952.84	2387.96	8340.80
II.	**ग्रामोद्योग :**			
	1. खनिज पर आधारित उद्योग			
	(क) कॉटेज पॉटरी	48.34	715.68	764.02
	(ख) चूना निर्माण	6.68	278.33	285.01
	2. वन आधारित उद्योग			
	(क) कुटीर माचिस	22.57	201.52	224.09
	(ख) हस्त निर्मित कागज	16.15	192.62	208.77
	(ग) लाख	—	26.66	26.66
	(घ) बांस और बेंत	21.08	283.73	304.81
	(ङ) कत्था	0.05	28.56	28.61
	(च) गोंद तथा रेजिन	—	6.79	6.79
	3. कृषि आधारित तथा खाद्य उद्योग			
	(क) मधुमक्खी पालन	28.26	79.80	108.06
	(ख) घानी तेल	21.97	492.23	514.20

1	2	3	4	5
	(ग) गन्ने से बना गुड़ तथा खांडसारी	25.00	341.52	366.52
	(घ) खजूर से बना गुड़	71.61	373.72	445.33
	(ङ) अनाज तथा दालों का प्रसंस्करण	34.67	483.57	518.24
	(च) वन्य जड़ी बूटियों का संचय	0.43	97.45	97.88
	(छ) फल प्रसंस्करण तथा संरक्षण	10.27	485.53	495.80
	(ज) फाइबर	45.48	253.84	299.32
	4. पोलीमर तथा रसायन आधारित उद्योग			
	(क) कुटीर साबुन	26.89	290.81	317.70
	(ख) कुटीर चमड़ा	23.02	839.45	862.47
	(ग) रबड़ वस्तुओं का विनिर्माण	—	55.14	55.14
	(घ) पोलीमर तथा रसायन	0.28	54.61	54.89
	5. इंजीनियरी तथा गैर-परम्परागत ऊर्जा			
	(क) गोबर गैस	1064.68	—	1064.68
	(ख) बढ़ईगीरी तथा लुहारगीरी	61.46	1381.96	1443.42
	(ग) एल्युमिनियम के घरेलू बर्तन	2.77	154.00	156.77
	(घ) इलेक्ट्रोनिक्स	9.80	151.95	161.75
	(ङ) पीतल, तांबा, घंटा धातु इत्यादि	1.00	38.89	39.89
	6. वस्त्र उद्योग (खादी के अलावा)			
	(क) पोली वस्त्र	251.24	524.06	775.30
	(ख) अन्य वस्त्र	26.10	287.79	313.89
	7. सेवा उद्योग	22.41	287.56	309.97
	योग II	1842.21	8407.77	10249.98
III.	अन्य योजनाएं (प्रशिक्षण विपणन, प्रकाशन एस० एण्ड टी० इत्यादि	236.04	362.50	598.54
	योग (I + II + III)	8031.09	11158.23	19189.32

पेप्सी फूड्स प्रा० लि० (पी० एफ० पी० एल०) द्वारा विदेशी तकनीशियनों को रखना

4764. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेप्सी फूड्स प्रा० लि० (पी० एफ० पी० एल०) की विदेशी तकनीशियनों को रखने तथा विदेशी मशीनरी सप्लायरों को प्रेषण शुल्क के भुगतान के सम्बन्ध में की गई मांग मान ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने कम्पनी का अनुरोध नहीं माना क्योंकि कम्पनी ने अपने मशीनरी सम्बन्धी आवेदन पत्र में बताया था कि मशीनरी के आयात में मशीनरी स्थापित करने के प्रभार की कोई भी अदायगी विदेशी मुद्रा में नहीं की जाएगी।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो को स्वतन्त्र सांविधिक दर्जा देना

[हिन्दी]

4765. **श्री शिव चरण वर्मा** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कानून बनाकर केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सांविधिक दर्जा प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) सरकार द्वारा कानून बनाकर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्वतन्त्र सांविधिक दर्जा दिए जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

बेनीपट्टी के लिए आकाशवाणी संवाददाता

4766. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-नेपाल सीमा पर स्थित मधुबनी जिले के बेनीपट्टी क्षेत्रीय मुख्यालय में आकाशवाणी का एक भी संवाददाता नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सीमा के महत्व की दृष्टि से आकाशवाणी संवाददाता की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों और कुछ महत्वपूर्ण समाचार केन्द्रों में आकाशवाणी के नियमित संवाददाता हैं। कई जिला मुख्यालयों में भी आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाता तैनात है। बेनीपट्टी में आकाशवाणी का कोई नियमित या अंशकालिक संवाददाता नहीं है; तथापि अब मधुबनी स्थित आकाशवाणी के अंशकालिक सवाददाता द्वारा वेन्नीपट्टी को कवर किया जा रहा है।

खादी ग्रामोद्योग के लिए समिति

[अनुवाद]

4767. **डा० सुधीर राय** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग में लगे श्रमिकों की समस्याओं और शिकायतों की जांच के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने हाल ही में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही शुरू की है; और

(घ) यदि उपर्युक्त (ख) का उत्तर नाकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं और समिति द्वारा सिफारिशें कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) चूंकि समिति के विचारार्थ विषय व्यापक हैं और इसमें खादी के उत्पादन में लगी अनेक संस्थाएं आती हैं, इसलिए समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कुछ और समय की जरूरत है । समिति से अपनी सिफारिशें जल्दी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ।

तंजावुर, तमिलनाडु में उर्वरक संयंत्र

4768. **श्री बी० राजा रवि वर्मा** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का तमिलनाडु के तंजावुर जिले में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत प्राकृतिक गैस पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल को सेला चावल की आपूर्ति

4769. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में केरल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरण हेतु कितनी मात्रा में चावल, पामोलीन, मिट्टी का तेल तथा चीनी आबंटित की गई;

(ख) क्या सरकार को केरल सरकार से वितरण के लिए सेला चावल के आबंटन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) वर्ष 1989, 1990 और 1991 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वास्ते केरल सरकार को

चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी के तेल की आवंटित मात्रा निम्नवत है :

(हजार मी० टन में)

	वस्तुओं का आबंटन		
	1989	1980	1991 (अगस्त, 91 तक)
चावल	1270.0	1575.0	1160.0
लेबी चीनी	147.1	147.1	95.6
आयातित खाद्य तेल	31.8	41.5	3.5
मिट्टी का तेल	246.6	263.4	173.0

(ख) जी, हां।

(ग) खाद्य मन्त्रालय ने भारतीय खाद्य निगम से कहा है कि वे केरल को यथासंभव मात्रा में तेल चावल सप्लाई करें।

मंजूरी के लिए लंम्बित गुजरात की परियोजनाएं

4770. **श्री एस० एन० वेकारिया** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की कौन-कौन सी परियोजनाएं योजना आयोग की स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वियन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) निवेश अनुमोदन हेतु गुजरात की निम्नलिखित परियोजनाएं योजना आयोग के पास लंबित हैं :—

क्रम सं०	स्कीम का नाम
1.	दांतीवाड़ा जलाशय का आधुनिकीकरण।
2.	भाडर सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण।
3.	शेत्रुंजी सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण।
4.	फतेहवाड़ी नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण।
5.	खारीकट नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण।

(ख) उपर्युक्त परियोजना के लिए निवेश स्वीकृति हेतु निर्णय गुजरात राज्य के लिए समग्र संसाधनों की उपलब्धता तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसे अभी तैयार किया जा रहा है तथा अंतिम रूप देना बाकी है, में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रकों से सम्बद्ध क्षेत्रकीय प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

उड़ीसा की पेयजल योजना

[हिन्दी]

4771. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने कोई पेयजल योजना केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक ऐसी योजना पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) उक्त योजनाओं को मंजूरी देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा सरकार ने फूलबनी, गंजम जिले के 5 खंडों, कोरापुट तथा मयूरभंज जिलों के मिनी-मिशन परियोजना क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के लिए 4.24 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च के संशोधन अनुमान भेजे हैं ।

(ग) इन योजनाओं की तकनीकी रूप से जांच की जा रही है ।

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय की सलाहकार समिति

4772. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में दिल्ली टेलीफोन समिति की तर्ज पर एक सलाहकार समिति का गठन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के प्रबन्ध और अन्य सम्बन्धित मामलों की समीक्षा के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी परामर्शदात्री परिषद पहले ही गठित हो चुकी है। यह एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय है, जिसमें अन्यों के साथ-साथ राज्य सरकारों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मन्त्री आदि शामिल हैं ।

घरेलू अखबारी कागज पर से नियन्त्रण हटाना

4773. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों ने घरेलू अखबारी कागज पर से नियन्त्रण हटाने तथा इस पर से बिक्रीकर को वापस लेने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) अखबारी कागज एक अत्यावश्यक वस्तु है और इसका विनियमन अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 के अधीन किया जाता है । स्वदेशी पूर्ति और मांग के बीच के अन्तर को आयात के द्वारा पूरा किया जाता है । नियन्त्रण हटाने जैसे मामलों पर, सरकार की प्रतिक्रिया हमेशा देश में प्रेस के स्वस्थ विकास के प्रति उसकी सर्वाधिक चिन्ता से प्रभावित होती है ।

संविधान के अन्तर्गत बिक्रीकर राज्यों का विषय है। किसी वस्तु से बिक्रीकर हटाने के लिए राज्यों को हिदायतें जारी करने का केन्द्र सरकार को कोई अधिकार नहीं है।

चित्तूर जिले में खाद्य प्रसंस्करण एकक

[अनुवाद]

4774. **श्री महासमुद्रम ज्ञानेन्द्र रेड्डी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंकरण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय किसी भी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सीधे स्थापित नहीं करता है। परन्तु इस मन्त्रालय ने, विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों, राज्य सरकार के उपक्रमों, उनकी सहकारी समितियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने के लिए विभिन्न योजना स्कीमें तैयार की हैं। इन स्कीमों के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग विभाग, चित्तूर से, मार्च, 1991 में चित्तूर में एक गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशाला की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इस मन्त्रालय के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अभी तक राज्य सरकार से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि० से एक एकीकृत फल एवं सब्जी प्रसंस्करण परियोजना स्थापित करने के लिए दूसरा प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, चित्तूर जिले में मदनापल्ली में एक फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव था। इस मन्त्रालय ने इस निगम से कुछ स्पष्टीकरण और दस्तावेजों के बारे में पूछा है जिसके उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

श्रेणी 'ग' के आशुलिपिकों के परिणाम की घोषणा

4775. **श्री अजित अनन्तराव पवार** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग ने 22 जुलाई, 1990 को "श्रेणी "ग" के आशुलिपिकों की लिखित परीक्षा 1989" आयोजित की थी और उसके बाद अप्रैल, 1991 में आशुलिपिक गति परीक्षा ली थी;

(ख) क्या उक्त परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस अनावश्यक विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या परिणाम की घोषणा विलम्ब के कारण हजारों अभ्यार्थियों के भविष्य पर प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) सरकार शीघ्रातिशीघ्र परिणाम घोषित करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) जी, हां। आशुलिपिकों की लिखित परीक्षा 22 जुलाई, 1990 को आयोजित की गई थी और उसके बाद आशुलिपि गति परीक्षा अप्रैल और मई, 1991 में ली थी।

(ख) अन्तिम परिणाम 26 अगस्त, 1991 को घोषित किया गया है।

(ग) से (ङ) यह प्रश्न नहीं उठता है।

उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया

4776. **श्री राम नरेश सिंह** : क्या प्रधानमन्त्री 14 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3078 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं; और

(ख) क्या आयोग ने विभिन्न वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्रों के स्तर में समानता बनाए रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी विषयों विशेष के उम्मीदवार अन्य उम्मीदवारों की तुलना में विशेष रूप में घाटे से न रहें, कोई कदम उठाए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) सूचना अनुबंध पर दिए गए विवरण में दी गई है।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं कि विभिन्न वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्रों के स्तर में समानता लाई जाए तथा साथ ही किसी विषय विशेष का चयन करने वाले उम्मीदवारों को अन्य उम्मीदवारों की तुलना में न तो कोई हानि हो और न ही उन्हें कोई अनुचित लाभ हो।

विवरण

सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा में निम्नलिखित दो प्रश्न-पत्र शामिल हैं—

प्रश्न पत्र I—150 अधिकतम अंकों वाला सामान्य अध्ययन।

प्रश्न पत्र II—निर्धारित 22 वैकल्पिक विषयों में से उम्मीदवारों द्वारा चुना जाने वाला एक वैकल्पिक विषय। इस प्रश्न पत्र में अधिनियम अंक 300 हैं।

दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं जिनमें बहु-विकल्प प्रश्न होते हैं। परीक्षा के परिणाम उम्मीदवारों द्वारा दोनों प्रश्न पत्रों में प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. प्रारम्भिक परीक्षा का उद्देश्य केवल परख परीक्षा होता है; मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए उत्तीर्ण घोषित उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को उनकी वरीयता के अन्तिम क्रम के निर्धारण के लिए ध्यान में नहीं रखा जाता है। सामान्यतः मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए उत्तीर्ण घोषित उम्मीदवारों की संख्या प्रति वर्ष भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों की अनुमानित संख्या के 12 से 13 गुणा के बराबर होती है।

मोटर उद्योग का लाइसेंस खत्म करना

4777. **श्री गुरुदास कामत** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार निर्माताओं ने मोटर उद्योग का लाइसेंस खत्म करने के प्रस्ताव का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो०पी०जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पुराने उद्योगों का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

4778. **श्रीमती रीता वर्मा** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची जैसे पुराने महत्वपूर्ण उद्योगों का आधुनिकीकरण करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) पुराने उद्योगों का आधुनिकीकरण करना एक सतत् प्रक्रिया है और यह धन आदि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जोड़े गए मूल्य वाले उत्पादों के विनिर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण संतुलन उपस्करों में वृद्धि करके भारी इंजीनियरी निगम का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। सरकार ने भारी इंजीनियरी निगम का आधुनिकीकरण के लिए सातवीं योजना में 61 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। इसके अतिरिक्त 1990-91 में 18 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी। 1991-92 के दौरान बजट में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। भारतीय उर्वरक निगम लि० के सिन्दरी एकक में 142.64 करोड़ रुपए की लागत से एक निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्र स्थापित किए जाने का एक प्रस्ताव है। हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० के बारौनी एकक को सीमित पैमाने पर नया रूप देने का भी एक प्रस्ताव है ताकि अगले कुछ वर्षों के लिए संयंत्र की कार्य अवधि बढ़ाई जा सके तथा इसकी क्षमता के उपयोग में वृद्धि की जा सके। बोकारो इस्पात संयंत्र के मामले में एक आधुनिकीकरण तथा विस्तार योजना विचाराधीन है ताकि इसे पूरी तरह निरन्तर ढ़लाई प्रक्रिया में बदला जा सके, हाट स्ट्रिप मिल का आधुनिकीकरण किया जा सके तथा क्षमता के उपयोग का और विस्तार किया जा सके।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लाइसेंसों का नवीकरण

4779. **श्री कालका दास** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनन्द पर्वत (करोल बाग, दिल्ली) की फैक्टरियों के लिए लाइसेंस जारी करना बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम द्वारा पुराने फैक्टरियों के लाइसेंस का नवीकरण नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन फैक्टरियों को बन्द करने का नोटिस जारी किया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) (क) जी, हां।

(क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार 91 एककों के लाइसेंसों का नवीकरण नहीं किया गया है क्योंकि ये एकक इस बात की पुष्टि करने में असफल रहे हैं कि उन्होंने केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रदूषण नियन्त्रण मानकों को बनाए रखने के लिए उपाय किए गए हैं।

(ग) 91 एककों की सूची विवरण में दी गई है। चूंकि ये एकक समीपवर्ती घनी और तंग बस्तियों में स्थित हैं अतः यह निदेश दिए गए हैं कि ऐसे उपाय करें जिससे प्रदूषण नियन्त्रण रखा जा सके।

विवरण

दिनांक 28-8-1991 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या
4779 के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध

क्र० सं०	एकक का पता
1.	मैसर्स शिव मैन्युफैक्चरिंग कं० प्लांट नं० 6, गली 7, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली।
2.	मैसर्स लक्ष्मी इलैक्ट्रोप्लेटिंग, एम-16, गली नं० 6, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली।
3.	मैसर्स मलिक इंजी० कं०, 17/6, न्यु रोहतक रोड, नई दिल्ली।
4.	मैसर्स जय इम्प० इंडस्ट्रीज, ए-2, आनन्द पर्बत, नई दिल्ली।
5.	मैसर्स प्रेम सिंह एण्ड सन्स, ए-18-ए, गली नं० 4, आनन्द पर्बत, नई दिल्ली।
6.	मैसर्स राधा इलैक्ट्रोप्लेटिंग, 50/12, गली नं० 1, आनन्द पर्बत, नई दिल्ली।
7.	मैसर्स बाल किशन फाउन्ड्री, 52/51/एच०ए०, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली।
8.	मैसर्स युनिवर्सल इंटरप्राइजिज, 29/1, गली नं० 4, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली।

क्रम सं०	एकक का पता
9.	मैसर्स करतार चन्द एण्ड सन्स, 4/8ए, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली ।
10.	मैसर्स सतपाल एंड सन्स, 4/8 ए, हरिजन बस्ती, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली ।
11.	मैसर्स विशर्मा वैल्डिंग वर्क्स, ए-32, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली ।
12.	मैसर्स अजय इंडस्ट्रीज, एन-34, गली नं० 10, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली ।
13.	मैसर्स जैन कलर कारपोरेशन, 29/ आर० ई०, गली नं० 4, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली ।
14.	मैसर्स संजय केमिकल इंडस्ट्रीज, 2/ए, गली नं० 9, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली ।
15.	मैसर्स नीरज कास्टिंग इंडस्ट्रीज, 8/86 बी, गली नं० 8, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली ।
16.	मैसर्स प्रिंस फाउंड्री एण्ड इंजी० वर्क्स, प्लाट नं० 53, गली नं० 3, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली ।
17.	मैसर्स श्री गणेश फाउंड्री वर्क्स, प्लाट नं० 2, गली नं० 10, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली ।
18.	मैमर्स सनराइज इलैक्ट्रोप्लेटिंग, 6-बी, गली नं० 2, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली ।
19.	मैसर्स पंजाब इलैक्ट्रोप्लेटिंग, प्लाट नं० 15, गली नं० 27, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली ।
20.	मैसर्स आर० के० इलेक्ट्रोप्लैटिंग, 52-ए, गली नं० 16, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली ।
21.	मैसर्स महाराजा केमिकल नं० 8, एल० सी० सी० आनन्द पर्वत, नई दिल्ली ।
22.	मैसर्स मोडर्न फाउंड्री इंजी० वर्क्स, 43/30, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली ।
23.	मैसर्स क्यू० के० फाउंड्री वर्क्स, 2 बी/ आर ए प्लाट नं० 30, आनन्द पर्वत ।
24.	मैसर्स जेमिनी इंडस्ट्रीज, एम-30, गली नं० 8, आनन्द पर्वत ।

क्र० सं०	एकक का पता
25.	मैसर्स ज्ञानी आटो इलेक्ट्रिक वर्क्स, 931/1, हरी सिंह नलवा रोड करोलबाग ।
26.	मैसर्स भारत टायर सर्विस, 11936-ए, गली नं०, 2 संत नगर ।
27.	मैसर्स लक्की कास्टिंग, 4/39, गली नं० 4, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली ।
28.	मैसर्स न्यू आदर्श फाउंड्री वर्क्स, प्लाट नं० 49, गली नं० 30, आनन्द पर्वत ।
29.	मैसर्स सनीता मेटल कास्ट (इंडिया) बी-11, गली नं० 7, आनन्द पर्वत ।
30.	मैसर्स चटवाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ए-23, गली नं० 4, आनन्द पर्वत ।
31.	मैसर्स बलवन्त आटो इंडस्ट्रीज, एम-3, गली नं० 3, आनन्द पर्वत ।
32.	मैसर्स मोहिन्दर इलैक्ट्रोप्लेटिंग, एम-27, गली नं० 6, आनन्द पर्वत ।
33.	मैसर्स गुडविल इलेक्ट्रोप्लैटिंग, एच-16, गली नं० 7, आनन्द पर्वत ।
34.	मैसर्स हरियाणा इलेक्ट्रोप्लैटिंग, प्लाट नं० 11, गली नं० 9, आनन्द पर्वत ।
3 .	मैसर्स गुरु नानक पोलिशिंग वर्क्स, ए/27-ई, गली नं० 4, आनन्द पर्वत ।
36.	मैसर्स मुरारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, न्यू रोहतक रोड ।
37.	मैसर्स मेटल फाउंड्री वर्क्स, एन-3 ए, गली नं० 9, आनन्द पर्वत ।
38.	मैसर्स गुप्ता इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एन-34, गली नं० 10, आनन्द पर्वत ।
39.	मैसर्स ग्रांड स्टील वर्क्स, 33, न्यू रोहतक रोड ।
40.	श्री प्रवीण सभरवाल, 9/105, आनन्द पर्वत ।

क्र० सं०	एकक का पता
41.	मैसर्स माली उद्योग, 37-42-29, गली नं० 6, आनन्द पर्वत ।
42.	मैसर्स ब्रांडवे इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, 1/14, आनन्द पर्वत ।
43.	मैसर्स गुरु नानक फाउंड्री, एन-25, गली नं० 10, आनन्द पर्वत ।
44.	मैसर्स जगदम्बा इलेक्ट्रोप्लैटिंग, 10/13, गली नं० 9, आदन्द पर्वत ।
45.	मैसर्स रमेश मेटल वर्क्स, 21/16, गली नं० 6, आनन्द पर्वत ।
46.	मैसर्स आर० बी० फाउंड्री इंजी० वर्क्स, बी-15/3 न्यू रोहतक रोड ।
47.	श्री प्रमोद कुमार, एम-29, गली नं० 9, आनन्द पर्वत ।
48.	मैसर्स गुरु नानक इंजी० वर्क्स, 18/23 गली नं० 4, आनन्द पर्वत ।
49.	मैसर्स क्वालिटी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एम-13, गली नं० 1, आनन्द पर्वत ।
50.	श्री पूर्ण चन्द, 359 गली नं० 2, थान सिंह नगर, नई दिल्ली ।
51.	मैसर्स बी० एस० इंजी० वर्क्स, 2-बी, गली नं० 4, आनन्द पर्वत ।
52.	मैसर्स विश्वकर्मा फाउण्ड्री, बी/15-बी, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली ।
53.	मैसर्स एस० के० इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्लाट नं० 1, गली नं० 1, न्यू रोहतक रोड ।
54.	मैसर्स मदन बफिंग वर्क्स, 18/24, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली ।
55.	मैसर्स अशोक एलॉय फाउण्ड्री, 313 गली नं० 7, आनन्द पर्वत ।
56.	मैसर्स अमित इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्लाट नं० 3, गली नं० 7, आनन्द पर्वत ।

क्र० सं०	एकक का पता
57.	मैसर्स के० पी० नेमप्लेट, 29/0/8, गली नं० 4, आनन्द पर्वत।
58.	मैसर्स बिटको इलेक्ट्रोप्लेटिंग, 29/आर० ओ० गली नं० 4, आनन्द पर्वत ।
59.	मैसर्स कंवर इन्टरप्राइजिज, 4/68-69, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली ।
60.	मैसर्स जेनटेक्स इण्डस्ट्रीज, एम-17, गली नं० 6, आनन्द पर्वत।
61.	मैसर्स मेता प्लास्ट इण्डिया, 26, गली नं० 4, आनन्द पर्वत ।
62.	मैसर्स बाला प्रेमनाथ फाउण्ड्री, एम-24, गली नं० 10, आनन्द पर्वत।
63.	श्री नन्द राम, एम-54, गली नं० 10, आनन्द पर्वत।
64.	मैसर्स आदर्श फाउण्ड्री वर्क्स, 49, गली नं० 6, आनन्द पर्वत।
65.	मैसर्स के० के० फाउण्ड्री, एए-7ई, गली नं० 4, आनन्द पर्वत ।
66.	मैसर्स हिन्दुस्तान इण्डस्ट्रीज, 18/24, आनन्द पर्वत।
67.	मैसर्स गुरू नानक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर-11, गली नं० 11, आनन्द पर्वत ।
68.	श्री कृष्ण लाल, सुपुत्र श्री रोवापुर, 20, आनन्द पर्वत ।
69.	मैसर्स जगदम्बा इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्क्स, 2749, रणजीत नगर।
70.	मैसर्स रायल इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर-14, गली नं० 11, आनन्द पर्वत ।
71.	श्री गोविन्द राम, 51/43, गली नं० 14, आनन्द पर्वत ।
72.	मैसर्स ए० एस० रॉलिंग मिल्स, 29/7, आनन्द पर्वत ।

क्र० सं०	एकक का पता
73.	मैसर्स अग्रवाल मेटल इण्डस्ट्रीज, ए-25/सी गली नं० 4, आनन्द पर्वत ।
74.	मैसर्स विजय स्टील इण्डस्ट्रिज, 29/आर ई, गली नं० 4, आनन्द पर्वत ।
75.	मैसर्स दिल्ली मेटल फाउण्ड्री वर्क्स, 25/9 गली नं० 7, आनन्द पर्वत ।
76.	मैसर्स रोजी इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्क्स, गली नं० 4, आनन्द पर्वत ।
77.	मैसर्स लक्ष्मण दास मून लाइट, 31/6, न्यू रोहतक रोड ।
78.	मैसर्स दीपक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एम-28, गली नं० 11, न्यू रोहतक रोड ।
79.	मैसर्स चन्द्र रोलिंग वर्क्स, आर-11/सी, गली नं० 11, न्यू रोहतक रोड ।
80.	मैसर्स मेहरा फाउण्ड्री वर्क्स, 30/48, आनन्द पर्वत ।
81.	मैसर्स जी० एस० इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्क्स, एम-24, गली नं० 8, आनन्द पर्वत ।
82.	मैसर्स महाशक्ति एनोडिजोर्म, 29/क्यू/3, गली नं० 4, आनन्द पर्वत ।
83.	मैसर्स डिलाइट इलेक्ट्रोप्लेटिंग (इण्डिया) 18/24 गली नं० 4 के सामने, आनन्द पर्वत ।
84.	मैसर्स पी० आर० फाउण्ड्री, 25/9-ए, गली नं० 6, आनन्द पर्वत ।
85.	मैसर्स सुनीता फाउण्ड्री वर्क्स, ए-7, गली नं० 4, आनन्द पर्वत ।
86.	मैसर्स एलाइड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, 18/24, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली ।
87.	मैसर्स रजा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, 4/6, गली नं० 4, आनन्द पर्वत ।

क्र० सं०	एकक का पता
88.	मैसर्स प्रेम मेटल वर्क्स, 418/सी, हरिजन बस्ती, न्यू रोहतक रोड ।
89.	मैसर्स एटलस पुल्ली मैन्यु० कं०, 29/4, गली नं० 6, न्यू रोहतक रोड ।
90.	मैसर्स अराधना इंजी० वर्क्स, एफ-4/68-69, आनन्द पर्वत ।
91.	मै० राम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, 31/17, गली नं० 2, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली ।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण

[अनुवाद]

4780. **श्री महेश कुमार कनोडिया :**

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री बलराज पासी :

श्री वीरेन्द्र सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में अब तक कितने मकान निर्मित तथा आवंटित किए गए ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : चूंकि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों का निर्माण केवल लाभार्थियों द्वारा ही स्वयं किया जाना होता है, इसलिए बनाए गए मकानों और आवंटित किए गए मकानों की संख्या को एक ही माना जाता है । राज्यों से अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, इन्दिरा आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों की संख्या संलग्न बिवरण में दी गई है ।

विवरण

1985-86 से लेकर 1990-91 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बनाए गए मकानों की संख्या

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बनाए गए मकानों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	50379
2.	अरुणाचल प्रदेश	227
3.	असम	7124
4.	बिहार	98903
5.	गोआ	552

1	2	3
6.	गुजरात	27310
7.	हरियाणा	6338
8.	हिमाचल प्रदेश	2087
9.	जम्मू व कश्मीर	3255
10.	कर्नाटक	33129
11.	केरल	70940
12.	मध्य प्रदेश	27975
13.	महाराष्ट्र	55877
14.	मणिपुर	737
15.	मेघालय	732
16.	मिजोरम	1502
17.	नागालैंड	1614
18.	उड़ीसा	31074
19.	पंजाब	3873
20.	राजस्थान	23096
21.	सिक्किम	360
22.	तमिलनाडु	183707
23.	त्रिपुरा	4293
24.	उत्तर प्रदेश	149067
25.	पश्चिम बंगाल	41789
26.	अण्डमान निकोबार दीप समूह	104
27.	चण्डीगढ़	0
28.	दादरा व नगर हवेली	371
29.	दमन व दीव	19
30.	दिल्ली	0
31.	लक्षद्वीप	0
32.	पांडिचेरी	521
	कुल	826955

दालों की कीमतों में वृद्धि

[हिन्दी]

4781. **श्री राजवीर सिंह** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न किस्म की दालों के प्रति क्विटल मूल्य में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है, उक्त वृद्धि कब-कब से हुई और मूल्यों में वृद्धि किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का दालों की कीमतों में हुई इस वृद्धि को कम करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) और (ख) देश के कुछेक चुनिंदा केन्द्रों में जुलाई, 1991 और जुलाई, 1989 के महीनों में विभिन्न दालों (साबुत) के मास के अन्त में प्रति क्विटल थोक मूल्यों का रेंज निम्नानुसार था :—

दालें	**जुलाई, 1991**	**जुलाई, 1989**
चना	593— 843	650—956
अरहर	760—1650	535—1080
उड़द	700—1200	565—885
मूंग	687—1010	677—950
मसूर	820—890	630—780

दालों के मूल्यों में वृद्धि होने का मुख्य कारण यह था कि स्वदेशी उत्पादन/स्वदेशी मांग के अनुरूप नहीं हुआ है। देश में दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। दालों की उपलब्धता में आयात कर वृद्धि की जा रही है। दालें खुले सामान्य लाइसेंस के दायरे में आती हैं। दालों के मूल्यों में कमी लाने के उद्देश्य से 1-11-1989 से दालों के सीमा शुल्क को 35 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में पेयजल योजना

[अनुवाद]

4782. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को आंध्र प्रदेश में कृष्णा, नालगोंडा और श्रीकाकुलम जिलों के "फ्लोराइड" से प्रभावित गांवों को पेयजल की पूर्ति करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु पेश किये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रस्ताव कब तक मंजूर किए जाने की सम्भावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परियोजनाओं का ब्यौरा तथा उनकी बर्तमान स्थिति नीचे दी गई है :—

क्रमांक	परियोजना	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	नालगोंडा जिले में 226 गांवों तथा 337 बसावटों के लिए 97.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर दो चरणों वाली पेयजल सप्लाई की संशोधित परियोजना।	परियोजना को सहायता के लिए नीदरलैंड सरकार को भेजा गया था। नीदरलैंड सरकार परियोजना के पहले चरण के लिए लगभग 38.63 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की सहायता देने पर विचार कर रही है।
2.	श्रीकाकुलम जिले के उड्डनम क्षेत्र में 234 गांवों के लिए 17.11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली ग्रामीण जल सप्लाई परियोजना।	परियोजना कमीशन आफ यूरोपियन कम्यूनिटीज के विचाराधीन है।
3.	कृष्णा जिले के लिए 15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली ग्रामीण जल सप्लाई परियोजना।	राज्य सरकार से संशोधित परियोजना की प्रतीक्षा की जा रही है।

पंचायतीराज सम्मेलन

[हिन्दी]

4783. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां वर्ष 1988-89 के दौरान पंचायती राज सम्मेलन आयोजित किये गये थे;

(ख) क्या पंचायती राज के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन विज्ञान भवन, दिल्ली में आयोजित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इन सम्मेलनों में क्या सिफारिशें की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) 1988-89 के दौरान पंचायती राज सम्मेलनों का आयोजन निम्न प्रकार किया गया था :—

(1) उत्तरी और पश्चिम राज्यों का सम्मेलन : दिल्ली 27-30 जनवरी, 1989

(2) पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों का सम्मेलन : कलकत्ता 3-7 अप्रैल, 1989

(3) दक्षिणी राज्यों का सम्मेलन : बंगलौर, 27-29 अप्रैल, 1989

(ख) पंचायतीराज और अनुसूचित जातियों के बारे में एक राष्ट्रीय सम्मेलन 24 फरवरी से 27 फरवरी, 1989 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। "पंचायतीराज तथा अनुसूचित जनजातियों" पर एक और सम्मेलन 4 मार्च से 6 मार्च, 1989 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

(ग) पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवीकरण के लिए मई, 1989 में संसद में पेश किये गये संविधान (चौसठवां संशोधन) विधेयक, 1989 में इन सम्मेलनों के निष्कर्षों और सिफारिशों को शामिल किया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि की विकास दर

[अनुवाद]

4784. **श्री ताराचन्द खंडेलवाल** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान कृषि की विकास दर में छठी योजना के दौरान प्राप्त विकास दर की तुलना में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि की विकास दर में वृद्धि करने के लिए इस बीच कोई प्रभावी उपाय किए गए हैं/करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि की विकास दर बहुत अधिक प्रतीत होती है क्योंकि छठी योजना का आधार वर्ष 1979-80 था जोकि वर्ष 1978-79 में कृषि मूल्य संवर्धित में 13.4 प्रतिशत की गिरावट को दर्ज करते हुए एक अत्यधिक सूखाग्रस्त वर्ष रहा। इस निम्न आधार सहित छठी योजना के दौरान कृषि की विकास दर सातवीं योजना में 3.6 प्रतिशत वार्षिक विकास दर की तुलना में 6.2 प्रतिशत वार्षिक रही। तथापि वर्ष 1978-79 को आधार वर्ष मानकर छठी योजना के पांच वर्षों को शामिल करते हुए छः वर्षों के दौरान औसत विकास दर केवल 2.9 प्रतिशत ही रही।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि में उत्पादकता तथा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। अपनाए जाने वाले उपायों के ब्यौरे, कार्यक्रमों तथा नीतियों को आठवीं योजना दस्तावेज में शामिल किया जाएगा जोकि तैयार किया जा रहा है।

खाद्य तेलों की कमी

4785. **श्री के० प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्य तेलों की बेहद कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 के लिए कृषि मंत्रालय के 192.3 लाख मी० टन के तिलहन उत्पादन अनुमान के आधार पर खाद्य तेल की निबल उपलभ्यता में लगभग 6 लाख मी० टन की कमी होने का अनुमान है ।

तिलहनों/खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए उपचारात्मक उपाय निम्नवत हैं :—

1. राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना तथा तिलहन उत्पादन अग्रगामी परियोजना नामक दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को, जो 1989-90 तक चल रही थीं, 1990-91 में मिलाकर तिलहन उत्पादन कार्यक्रम नामक एक योजना बना दी गई है । इस योजना के तहत अच्छी किस्म के बीजों के उत्पादन तथा वितरण, पौध संरक्षण उपायों, जिनमें पौध संरक्षण रसायन तथा उपकरणों की आपूर्ति शामिल हैं, और विकसित प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन आयोजित करने के लिए राज्यों को अनिवार्यतः मदद की जाती है ।

2. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजनाएं ।

3. उत्पादन, संसाधन तथा प्रबन्ध सम्बन्धी श्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों को काम में लाने के लिए मई, 1986 में तिलहनों सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना ।

4. मुख्य तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना ।

5. तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों को तीव्र करना ।

6. सोयाबीन तथा सूरजमुखी जैसे गैर-परम्परागत तिलहनों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करना तथा वृक्ष और वन मूल के तिलहनों, चावल की भूसी इत्यादि को काम में लाना ।

7. तेल ताड़ की खेती तथा संसाधन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना ।

8. तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के साथ-साथ चलने के लिए आवश्यक संसाधन तथा आधार-ढांचे सम्बन्धी सुविधाएं स्थापित करना ।

9. वनस्पति में कुछ गैर परम्परागत तेलों का प्रयोग करने पर उत्पाद-शुल्क में छूट के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन देना, ताकि तेलों के इन स्रोतों के अधिक उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके ।

शीरे का निर्यात

4786. **श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से शीरे की अतिरिक्त मात्रा का निर्यात करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाई की है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ग) अल्कोहल वर्ष 1990-91 के दौरान तमिलनाडु सरकार ने एक लाख टन शीरे के निर्यात के लिए अनुमति मांगी थी और यह अनुमति दे दी गई है ।

राज्यों की वार्षिक योजनाओं में कटौती

4787. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खर्च में कमी करने की हाल की नीति के परिणामस्वरूप वर्ष 1991-92 के लिए राज्यों की वार्षिक योजनाओं में कटौती की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चिकित्सा सम्बन्धी इलैक्ट्रानिक उपकरणों का आयात

4788. **श्री विजय नवल पाटिल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में कितने मूल्य के इलैक्ट्रानिक चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन हुआ;

(ख) उन इलैक्ट्रानिक उपकरणों के निर्माण में कितनी सफलता मिली है जिनका पहले आयात किया जाता रहा है; और

(ग) समस्त इलैक्ट्रानिक चिकित्सा उपकरणों का आयात करने के स्थान पर उनका भारत में ही निर्माण करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रो० पी० जे० कुरियन) :

(क)

वर्ष	रु० करोड़ में
1988-89	50.00
1989-90	65.00
1990-91	80.00

(ख) बहुत से नैदानिक, मानिटरिंग तथा जीवन रक्षक इलैक्ट्रानिक चिकित्सा उपकरण जो पहले आयात किए जाते थे, अब देश में बनाए जा रहे हैं । इनमें से कुछ उपकरण ये हैं : अल्ट्रा सांउड स्कैनर्स, कैट स्कैनर्स, ई०सी०जी० मशीनें, एक्स-रे उपकरण, एक्स-रे इमेज इन्टेंसिफायर्स, बैड मानीटर्स, डिफाइ-ब्रिलेटर्स तथा इलैक्ट्रो सर्जिकल यूनिट्स इत्यादि ।

(ग) सरकार प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों के जरिए चिकित्सा इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने में लगी हुई है । कई मदों के लिए विकसित की गई स्वदेशी प्रौद्योगिकी उक्त उद्योग को वाणिज्यिक उत्पादन के लिए दी जा रही है । इस प्रकार की मदों में कुछ ये हैं कैंसर थिरेपी के लिए लिनिअर एक्सीलीटर, बाहर प्रयोग के लिए पोर्टेबल होमोग्लोबिनोमीटर, प्रारम्भिक स्वास्थ्य देख-भाल के लिए पोर्टेबल इलैक्ट्रोनिक वेइंग स्केल और स्वास्थ्य देख-भाल सम्बन्धी

आंकड़े एकत्र करने के लिए एक हैंड हैल्ड डाटा एन्ट्री सिस्टम । आशा है कि निकट भविष्य में इन मदों का निर्माण देश के भीतर होने लगेगा ।

इस क्षेत्र में उद्यमियों को आकर्षित तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसीकरण से बाहर रखा गया है । सरकार ने कई प्रकार के चिकित्सा इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के लिए विदेशी सहयोगों के जरिए चयनात्मक आयात को बढ़ावा दिया है । इस उद्योग को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस उद्योग को औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य के अनुबन्ध-3 में शामिल करके, जिसमें विदेशी सहयोगों लिए स्वतः अनुमति दिए जाने की व्यवस्था है, उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची में रखा है ।

इन्दिरा आवास योजना के अधीन अनुसूजित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आवंटित मकान

[हिन्दी]

4789. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंदिरा आवास योजना के तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों को राज्य-वार मकान आवंटित किए गए; और

(ख) क्या सरकार का गरीब और दलित लोगों के झौंपड़ों की हालत को मद्देनजर रखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना में उपरोक्त लक्ष्यों में वृद्धि करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) इन्दिरा आवास योजना, जोकि जवाहर रोजगार योजना की एक उप-योजना है, के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए निःशुल्क मकानों का निर्माण किया जाता है । चूंकि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, मकानों के निर्माण में लाभार्थी शुरू से शामिल होते हैं, इसलिये बनाये गये मकानों और आवन्टित किये गये मकानों की संख्या को एक ही माना जाता है । राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बनाए गए मकानों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दर्शाया गया है ।

(ख) इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आबंटन/लक्ष्यों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

विवरण

1988-89 से लेकर 1990-91 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बनाये गये मकानों की संख्या

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बनाए गए मकानों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	14744
2.	अरुणांचल प्रदेश	192
3.	असम	5068

1	2	3
4.	बिहार	54358
5.	गोआ	146
6.	गुजरात	12479
7.	हरियाणा	3507
8.	हिमाचल प्रदेश	1307
9.	जम्मू व कश्मीर	2617
10.	कर्नाटक	18384
11.	केरल	40210
12.	मध्य प्रदेश	15978
13.	महाराष्ट्र	29844
14.	मणिपुर	565
15.	मेघालय	455
16.	मिजोरम	1438
17.	नागालैण्ड	1218
18.	उड़ीसा	19498
19.	पंजाब	1838
20.	राजस्थान	10750
21.	सिक्किम	98
22.	तमिलनाडु	115843
23.	त्रिपुरा	2082
24.	उत्तर प्रदेश	81700
25.	पश्चिम बंगाल	24531
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	97
27.	चण्डीगढ़	0
28.	दादरा व नगर हवेली	291
29.	दमन व दीव	19
30.	दिल्ली	0
31.	लक्षद्वीप	0
32.	पाण्डिचेरी	425
	कुल	459682

इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा कच्ची सामग्री का मूल्य निर्धारण और वितरण

[अनुवाद]

4790. **श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० ने अपने सामान्य प्रयोजन श्रेणी के एल०डी०पी०ई० का मूल्य मार्च, 1987 से जुलाई, 1991 के बीच 21,300 रुपए प्रति मिट्रिक टन से बढ़ाकर 44,000 रुपये प्रति मिट्रिक टन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन ने देश में कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त सामग्री आयात की है यदि हां, तो तत्सम्वन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन ने अपने पुराने ग्राहकों को प्राथमिकता देने के लिए कुछ समय पहले घोषित अपनी वितरण नीति को कार्यान्वित कर दिया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सामान्य प्रयोजन श्रेणी के एल०डी०पी०ई० के प्रसंस्करण में लगे हजारों छोटे-छोटे एककों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) जी, हां। 1987 से जुलाई, 91 तक एल०डी०पी०ई० की कीमत में क्रमिक वृद्धि अन्तर्वस्तुओं की लागत में वृद्धि, बिक्री कर में वृद्धि के कारण और हाल ही में राजकोषीय नीति में परिवर्तनों तथा खाड़ी अधिभार के कारण हुई।

(ग) से (ङ) चूंकि एल०डी०पी०ई०, ओ०जी०एल० (स्टॉक और बिक्री) के अन्तर्गत है अतः आई०पी०सी०एल० और उपभोक्ता उद्योग दोनों ही सामग्री का आयात कर रहे हैं। आई०पी०सी०एल और उद्योग द्वारा 1990-91 में एल०डी०पी०ई०/एल०एल०डी०पी०ई० का क्रमशः 38,200 टन और 208,00 टन आयात किए जाने का अनुमान है। आई०पी०सी०एल० अपने उत्पादों का वितरण विगत में उनके ग्राहकों की कुल खरीद के आधार पर कर रहा है, तथापि इन ग्राहकों को आपूर्ति कभी-कभी संशोधित कर दी जाती है ताकि दुग्ध पैकेजिंग, वानिकी और अन्य प्राथमिकता वाली जरूरतों की आपूर्ति बनाये रखी जा सके। लघु क्षेत्र को सहायता देने के लिये आई०पी०सी०एल० अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी मूल्य स्तर, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद की उपलब्धता के आधार पर वितरण नीति द्वारा अपेक्षित मात्रा में सामग्री का आयात करेगा।

हि० आ० के० लि० में दीवार गिरने से हुई मौतें

4791. **श्री मोहन विष्णु रावले** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1991 के पहले सप्ताह में गंधक के गोदाम की एक दीवार गिर जाने से हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रसायनी की सात महिला कर्मचारियों की मौत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या गंधक गोदाम में इस दुर्घटना के समय इसकी भंडारण क्षमता से अधिक गंधक होने के कारण यह दुर्घटना हुई;

(ग) यदि हां, तो गंधक गोदाम की वास्तविक भंडारण क्षमता कितनी है और दुर्घटना के समय उसमें गंधक कितनी मात्रा में थी;

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में तथ्य क्या है और क्या महिला कर्मचारियों के शवों का दाह-संस्कार उनके परिवार के सदस्यों को सूचित किये बिना ही कर दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस दुर्घटना के लिये जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) 2 जुलाई, 1991 को सल्फर भंडारण यार्ड की डाइक दीवार के गिर जाने से सिविल ठेकेदार द्वारा काम पर लगाई गई 7 महिला श्रमिकों की मृत्यु हुई थी।

(ख) जी, नहीं। तथ्यों का पता लगाने वाली समिति की रिपोर्ट के अनुसार दीवार गिरने का कारण खनित्र द्वारा कार्य के दौरान दीवार पर आकस्मिक प्रभाव का पड़ना है या खनित्र द्वारा सल्फर जो धकेलने से दीवार पर पड़ा अत्यधिक दबाव है।

(ग) दुर्घटना के दिन प्रभावित हुए गोदाम में रखी गई वास्तविक मात्रा 1650 मीट्रिक टन थी जबकि भंडारण क्षमता 2882 मीट्रिक टन है।

(घ) शव परीक्षा के बाद मृतकों के सम्बन्धित परिवार जनों द्वारा शवों का दाह संस्कार किया गया था।

(ङ) सांविधिक प्राधिकारियों ने भारतीय दण्ड संहिता, कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम और कारखाना अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है उक्त नियमों के अन्तर्गत जैसे ही जांच पूरी होगी इन प्राधिकारियों द्वारा इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

चीनी मिलों की स्थापना हेतु शर्तें

4792. **प्रो० राम कापसे** :

श्री राम सिंह : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी भी क्षेत्र में चीनी मिल स्थापित करने सम्बन्धी निर्धारित शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का और अधिक चीनी मिलों की स्थापना करते हेतु इन शर्तों को उदार बनाने का विचार; और

(ग) यदि हां, तो कब तथा उदार की जाने वाली शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना और वर्तमान इकाइयों में विस्तार के लिए दिनांक 23-7-1990 के प्रेस नोट के तहत लाइसेंस नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों की घोषणा की थी। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की प्रतिलिपि संलग्न विवरण के रूपों में संलग्न है। उक्त लाइसेंस नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों की इस समय सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है।

विवरण

प्रेस नोट संख्या-4

(1990 शृंखला)

विषय : आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने और वर्तमान चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत ।

इस मन्त्रालय के दिनांक 2 जनवरी, 1987 के प्रेस नोट सं०1(1987 शृंखला), दिनांक 9 फरवरी, 1987 के प्रेस नोट सं०-2 (1987 शृंखला), दिनांक 11 मई, 1989 के प्रेस नोट सं० 12 (1989 शृंखला) तथा दिनांक 19 अक्तूबर, 1989 के प्रेस नोट सं० 27 (1989 शृंखला) में निहित चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधिक्रमण में नई फैक्ट्रियों को लाइसेंस देने तथा वर्तमान चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए गए हैं—

1. प्रतिदिन 2500 टन गन्ना पेराई की न्यूनतम आर्थिक क्षमता की नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिए जाने जारी रहेंगे । ऐसी क्षमता पर कोई अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी । पिछड़े क्षेत्रों के लिये या गन्ने की उपलब्धता के दृष्टिकोण से अल्प विकसित क्षेत्रों में न्यूनतम आर्थिक क्षमता में कोई ढील नहीं दी जाएगी ।

2. नई चीनी फैक्ट्री के लिये लाइसेंस इस शर्त पर दिये जाएंगे कि इसके 15 कि० मी० की परिधि में कोई चीनी मिल न हो । आवेदक को गन्ना उपलब्धता या गन्ना विकास की सम्भावनाओं के बारे में कोई प्रमाण-पत्र/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करना पड़ेगा ।

3. सभी नये लाइसेंस इस अनुबन्ध पर जारी किये जाएंगे कि गन्ने की कीमत गन्ने के सुक्रोज तत्वों के आधार पर देय होगी ।

4. अन्य बातों के समान होने पर निजी क्षेत्र की तुलना में क्रमशः सहकारी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों को वरीयता दी जायेगी ।

5. नई चीनी फैक्ट्रियों के लिये लाइसेंस मंजूर करते समय शीरे के प्रयोग अर्थात् औद्योगिक अल्कोहल आदि के लिये अनुप्रवाह (डाउनस्ट्रीम) इकाइयों के लिये औद्योगिक लाइसेंस शीघ्रता से दिए जाएंगे ।

5. 2500 टी०सी०डी० से कम क्षमता की फैक्ट्रियों को अपनी क्षमता में उक्त न्यूनतम आर्थिक क्षमता तक विस्तार को वरीयता दी जायेगी ।

2. नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना तथा वर्तमान फैक्ट्रियों में विस्तार हेतु औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र निर्धारित 2500/- रुपये फीस सहित "आई०एल०" फार्म में औद्योगिक विकास विभाग में औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय को सीधे भेजे जाएं ।

3. उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं प्रक्रिया को सूचना एवं मार्गदर्शन के लिए उद्यमियों के ध्यान में लाया जाता है।

फाइल सं० 10 (133)/86-एल०पी० नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1990

पत्र सूचना कार्यालय को उपर्युक्त प्रेस नोट की विषयवस्तु विस्तृत प्रचार के लिए भेजी जाती है।

ह०/-

(जयलक्ष्मी जयरमन)

उप सचिव, भारत सरकार

प्रधान सूचना अधिकारी,
पत्र सूचना कार्यालय,
नई दिल्ली।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन

4793. **श्री सूर्यनारायण सिंह** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चल रही विभिन्न सामूहिक आवास समितियों के सदस्यों द्वारा अपनी सम्बन्धित प्रबन्ध समितियों/पदाधिकारियों के विरुद्ध, मकानों की लागत में अनुचित वृद्धि करने, अपने मकानों में घटिया और खराब किस्म की सामग्री/मदों का प्रयोग करने और उन्हें इस हिसाब का सही ब्यौरा नहीं देना कि उनके द्वारा सम्बन्धित समिति को कठिन परिश्रम से अर्जित भुगतान किये गये धन को सम्बन्धित समितियों के पदाधिकारियों ने मदवार किस प्रकार व्यय किया है, के बारे में की गई शिकायतों पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इन मामलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की सीमा में लाने और सामूहिक आवास समितियों के सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिये इस अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अधिनियम में ये संशोधन कब तक किये जाएंगे ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबन्ध सामूहिक आवास समितियों की सम्बन्धित प्रबन्ध समितियों/पदाधिकारियों पर लागू नहीं होते। 1986 के अधिनियम की धारा 2(1)(घ) के आशय के अन्तर्गत उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो किसी प्रतिफल के लिये किसी माल का क्रय करता है अथवा किसी सेवाओं को भाड़े पर लेता है। उपर्युक्त पदाधिकारी दिल्ली राज्य सहकारी समितियां अधिनियम 1972 के उपबन्धों के तहत एक निश्चित अवधि के लिये चुने अथवा नामित किये जाते हैं तथा वे किसी प्रतिफल के लिये सेवा नहीं करते हैं।

(ग) जी, नहीं। किसी तरह के विवाद के मामले में 1972 के उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत समाधान उपलब्ध है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हल्दिया, पश्चिम बंगाल में उद्योग

4794. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया, पश्चिम बंगाल में उद्योग लगाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) हल्दिया में कोई उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति हेतु कोई आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

नई औद्योगिक नीति के अनुसार सुरक्षा तथा सामरिक महत्व के विषयों आदि को सम्बद्ध उद्योगों की एक छोटी सूची को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिये औद्योगिक लाइसेंसीकरण समाप्त कर दिया गया है।

मांडला, मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए उद्योग

[हिन्दी]

4795. **श्री मोहनलाल झिकराम** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मांडला जिले में कौन-कौन से छोटे, मझौले और बड़े उद्योग कब-कब स्थापित किए गए है;

(ख) क्या सभी उद्योग भलीभांति चल रहे हैं, अथवा रूग्ण या बंद पड़े हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का क्षेत्रीय विकास के लिए इन उद्योगों को धनराशि उपलब्ध कराने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ङ) रूग्ण अथवा बन्द पड़े उद्योगों को पुनः स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) मांडला जिले में पंजीकृत गैर लघु औद्योगिक एककों की संख्या पांच है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण एक में दिया गया है। वर्ष 1989 तक राज्य उद्योग निदेशालय, मध्य प्रदेश की सूचना के अनुसार, मांडला जिले में पंजीकृत लघु उद्योग विकास संगठन एककों की संख्या 3589 थी। बैंकों से सहायता प्राप्त रूग्ण औद्योगिक एककों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार, दिसम्बर, 1988 के अन्त तक मांडला जिले कोई गैर-लघु औद्योगिक इकाई रुग्ण में नहीं बताई गई थी। केन्द्र रूग्ण लघु औद्योगिक एककों के बारे में ऐसे आंकड़े नहीं रखता है।

(ग) और (घ) सरकार ने सारे देश में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए विकास केन्द्रों की स्थापना करने के लिए 1988 में एक योजना की घोषणा की थी। राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को इन विकास केन्द्रों का आबंटन संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के क्षेत्र, जनसंख्या तथा औद्योगिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर किया गया है।

(ङ) देश में रूग्ण औद्योगिक की पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में सरकार ने कई कदम उठाये हैं। जिनमें से कुछ एक महत्वपूर्ण प्रयास संलग्न विवरण-दो में दिए गए हैं।

विवरण-1

मांडला जिले में दर्ज गैर-लघु औद्योगिक एककों के नाम

क्रम संख्या	नाम
1.	एम० पी० ग्लाइकैम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
2.	मध्य प्रदेश ग्लाइकैम इण्डस्ट्रीज लि०
3.	नर्मदा स्टैकवेल प्रायवेट लि०
4.	प्राइमो पिक एन० पैक प्रा० लि०
5.	सिम्पलेक्स ट्यूब्स प्रा० लि०

विवरण-2

रूग्ण औद्योगिक एककों की पुनर्स्थापना के लिए भारत

सरकार के प्रयास सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात् "रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985" बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है, जिसका उद्देश्य रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारम्भिक अवस्था में ही औद्योगिक रूग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्यक्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः स्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिये गए हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रूग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः स्थापना पैकेज बनाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशानिर्देश जारी किये हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्य-क्षम रूग्ण इकाइयों की पुनःस्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही, राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

लघु क्षेत्र में रूग्णता कम करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता करने के विचार से भारत सरकार ने एक 'सीमांत धन योजना" शुरू की है। इस उदारीकृत योजना के अन्तर्गत पुनःस्थापना हेतु रूग्ण लघु एककों को उपलब्ध प्रति एकक सहायता की अधिकतम राशि को 20,000/- रुपये से बढ़ाकर 50,000/- रुपये कर दिया गया है।

कमजोर एककों के लिए एक उत्पाद कर राहत योजना की भी घोषणा की गई। यह योजना किसी भी ऐसे एकक के लिए लागू होगी जिसमें किन्हीं पांच लेखा वर्षों में उनका अधिकतम निवल मूल्य संचित हानियों के कारण 50 प्रतिशत अथवा इससे भी अधिक कम हो गया हो उक्त एकक की पुनर्स्थापना आधुनिकीकरण अथवा दिशांतरण पैकेज नामजद वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। पात्र एकक

ब्याज मुक्त ऋण का पात्र होगा जिसके लिए 3 वर्ष की राहत अवधि मिलेगी और इसे 7 वर्षों के भीतर वापस करना होगा जो योजना के अनुमोदन के बाद 3 वर्षों के लिए वास्तविक उत्पाद भुगतान का 50 प्रतिशत होगा। "उत्पाद ऋण" के रूप में दी जाने वाली कुल राशि पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण/दिशांतरण की कुल लागत से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

अत्यन्त छोटे और लघु उद्योगों के लिए शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए अप्रैल, 1990 में एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है। इस बैंक की चुकता पूँजी 250 करोड़ रु० है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जीव्यक्षम रूग्ण लघु औद्योगिक एककों के लिए परस्पर स्वीकार्य पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए प्राथमिक उधारदाता संस्थानों एवं प्रवर्तकों के सहायतार्थ विभिन्न राज्यों में पुनर्स्थापना सम्बन्धी बैठकों का आयोजन कर रहा है। वर्ष 1990-91 के दौरान, 14 केन्द्रों में 23 बैठकें आयोजित की गई और 250 से अधिक एककों के मामलों पर विचार किया गया। इन बैठकों में प्राथमिक उधारदाता संस्थानों एवं उधार लेने वालों की प्रतिक्रियाएं उत्साहजनक रही हैं।

जीव्यक्षम रूग्ण एककों के पुनरुज्जीवन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा एक पृथक पुनर्स्थापना पुनर्वित्तीयन योजना चलाई जा रही है।

पेप्सी कोला की खपत से सम्बन्धित शिकायतें

4796. **श्री राम प्रकाश चौधरी :**

श्री सज्जन कुमार :

श्री फूल चन्द वर्मा : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस प्रकार की अनेक शिकायतें मिली हैं कि पेप्सी कोला का सेवन करना हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इससे होने वाली हानि की प्रकृति की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश के उरई शहर में स्थित टी० वी० टावर का प्रसारण-क्षेत्र

4797. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के उरई शहर के टी० वी० टावर का प्रसारण क्षेत्र बहुत कम है और शहर के निवासी इससे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त टी० वी० के टावर के प्रसारण-क्षेत्र में विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त टी० वी० टावर का प्रसारण क्षेत्र कब तक बढ़ाया जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं। बताया जाता है कि उरई नगर अच्छी तरह से कवर होता है।

(ख) जी, नहीं। इस समय ऐसी कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(ग) दूरदर्शन का सतत प्रयास है कि जालौन जिले सहित उत्तर प्रदेश के कवर न हुए भागों में टी० वी० सेवा का विस्तार किया जाए। किन्तु ऐसा करना इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

दिल्ली में भारी उद्योगों की स्थापना

4798. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में कोई भारी उद्योग नहीं है यद्यपि वहां पर श्रम शक्ति बहुतायत में उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो क्या गरीबों को रोजगार देने के लिये सरकार का विचार वहां पर 1991-92 के दौरान भारी उद्योग लगाने का है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में कोई भारी उद्योग नहीं है।

(ख) दिल्ली के संशोधित मास्टर प्लान (एम० पी० डी०-2001) के अधीन दिल्ली में नए भारी और बड़े औद्योगिक एकक लगाने की अनुमति नहीं है। इसे देखते हुए दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में भारी उद्योग लगाने के प्रस्ताव की परिकल्पना नहीं की जा सकती।

उड़ीसा में टाइटेनियम डाइआक्साइड संयन्त्र

4799. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में एक बड़े टाइटेनियम डाइआक्साइड संयंत्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए कोई विदेशी सहयोग लिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो किस क्षेत्र में इसकी स्थापना की जा रही है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा में बृहद टिटैनियम डाइआक्साइड संयन्त्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

"हीरो होंडा लि०" द्वारा एकत्रित अग्रिम राशि को लौटाया जाना

4800. **प्रो० उमा रेड्डि वेंकटेस्वरलू** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हीरो होंडा लि०" ने हीरो होंडा वाहनों के आबंटन के लिए वर्ष 1985 के दौरान अपने विजयवाडा के डीलर के जरिए अग्रिम धनराशि एकत्रित की थी;

(ख) क्या इस कम्पनी ने ऐसे एकत्रित की गई अग्रिम धनराशि उन लोगों को अब तक नहीं लौटाई हैं जिनको वाहनों का आबंटन नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) जी, हां। कम्पनी से प्राप्त सूचना के अनुसार, उनके विजयवाड़ा डीलर के माध्यम से 10222 ग्राहकों ने सी० डी०-100 मोटर साइकिल बुक कराई थीं। इसमें से 6148 ग्राहकों ने अपने वाहनों की बुकिंग रद्द करने हेतु अनुरोध किया। कंपनी ने बुकिंग रद्द करने के आवेदन प्राप्त करने पर, वाहन बुकिंग के समय प्रस्तावित शर्तों के अनुसार ब्याज सहित उनकी बुकिंग की राशि वापस कर दी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फिल्म रोल का मूल्य

4801. **श्री रवि राय** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म फेडरेशन आफ इण्डिया द्वारा हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स से फिल्म रोल खरीदने के लिए जारी किए गए परमिटों को हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स ने मान्यता देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फिल्म रोल की कीमतों में हुई वृद्धि के कारण उत्तर भारत में नई फिल्मों को रिलीज करना बहुत कठिन हो गया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स (एच० पी० एफ०) ने घोषित स्टाक की सीमा तक परमिटों को मान्यता दी है।

(ग) और (घ) फिल्म निर्माता उद्योग संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कच्चे स्टाक की उपलब्धता की कठिनाई व्यक्त की गई है। एच० पी० एफ० सिने कलर फिल्म के नए स्टाक की सप्लाई के लिए व्यवस्था कर रहा है।

[हिन्दी]

कोरबा वेस्टर्न एक्सटेंशन यूनिट संख्या-5 और 6 को मंजूरी

4802. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में 2×210 मेगावाट क्षमता वाले कोरबा वेस्टर्न एक्सटेंशन यूनिट संख्या 5 और 6 को तकनीकी एवं आर्थिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है तथा योजना आयोग से इसके लिए धनराशि मन्जूर करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के लिए योजना आयोग द्वारा कब तक धनराशि मंजूर की जायेगी ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग ने मध्य प्रदेश की 581.15 करोड़ रु० की अनुमानित लागत वाली 2 × 210 मेगावाट की कोरवा पश्चिमी विस्तार टी० पी० एस० इकाई संख्या 5 और 6 के लिए निवेश अनुमोदन तारीख 7 अगस्त, 1991 को प्रदान कर दिया है तथा इस परियोजना को 1991-92 की राज्य योजना में शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल के कोंटई में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र

4803. **श्री सुधीर गिरि** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले के कोंटई में एक दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं। फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) कवर न हुए क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार, साधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए केवल चरणबद्ध ढंग से ही किया जा सकता है।

पोटेशियम पेनिसिलिन क्रिस्टल का आयात

4804. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केवल उन्हीं एककों को पोटेशियम पेंसिलीन-जी फर्स्ट क्रिस्टल का आयात करने की अनुमति दे रही है जो सरकारी क्षेत्र एककों से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के तीन गुना दर पर नकद भुगतान करके समान यात्रा में स्वदेशी पोटेशियम पेंसिलीन जी फर्स्ट क्रिस्टल लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस व्यवसाय में लगे लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) वर्ष 1991-92 के लिए वर्तमान नीति के अनुसार सरकार द्वारा अधिसूचित मूल्यों पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से स्वदेशी माल उठाने के बाद 40 (आयातित) : 50 (स्वदेशी) के अनुपात में संगठित क्षेत्र और लघु क्षेत्र के एककों को पेसिलिन—जी के आयात की अनुमति दी गई है।

जीवनदायी औषधियों का उत्पादन

4805. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी औषधि कम्पनियां जीवनदायी औषधियों के उत्पादन में कमी कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय करने पर विचार किया जा रहा है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) औषध कंपनियां विभिन्न औषध मदों के उत्पादन की योजना सामान्यतया विभिन्न बातों जैसे आयातित कच्चे माल की उपलब्धता, आर्थिक व्यवहार्यता पहलुओं, औषध प्रचलन, बेहतर और अधिक पेटेंट औषधों की शुरूआत, कंपनी की कारपोरेट योजना, बाजार मांग आदि के आधार पर बनाती है। तथापि सरकार इस पर निगरानी रखती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, उपचारात्मक कार्रवाई करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महत्वपूर्ण औषधों की कमी न हो।

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि० में केप्रोलेक्टम का उत्पादन और विपणन

4806. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजम एण्ड केमिकल्स ट्रावण कोर लि० में केप्रोलेक्टम के उत्पादन की वर्तमान कुल क्षमता कितनी है और इसका वास्तव में कितना उत्पादन हो रहा है;

(ख) केप्रोलेक्टम के उपोत्पाद कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या प्रयोक्ताओं को केप्रोलेक्टम और उसके उपोत्पादों के विपणन के लिए कोई मार्ग-निर्देश तैयार किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) केप्रोलैक्टम संयंत्र जिसने पहली मार्च, 1991 को वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किया, की स्थापित क्षमता 50,000 टन प्रति वर्ष है। प्रथम वर्ष में क्षमता के 60 प्रतिशत तक उत्पादन होने की सम्भावना है।

(ख) उप-उत्पाद/सह-उत्पाद निम्नलिखित हैं—

(1) नाइट्रिक एसिड (एच०एन०ओ० 3 का 55%)

(2) सोडा ऐश (फ्यूस्ड—95.4%)

(3) अमोनियम सल्फेट

(ग) और (घ) जी, हां। ये मार्गदर्शन, जो फैक्ट द्वारा निर्धारित किए गए हैं, निम्नलिखित से सम्बन्धित है—

(1) उत्पाद का मूल्य;

(2) बिक्री के माध्यम;

(3) भुगतान की व्यवस्थाएं; और

(4) परिवहन के लिए व्यवस्था।

अमोनियम सल्फेट का मूल्य 24 जुलाई, 1991 तक उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, 1985 के अन्तर्गत विनियमित किया जाता था। इससे 25 जुलाई, 1991 से नियन्त्रण हटा दिया गया है और कैप्रोलैक्टम तथा इसके सह-उत्पादों एवं उप-उत्पादों के मूल्य फैक्ट द्वारा उत्पादन की लागत, बाजार शक्तियों तथा उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर निर्धारित किए जाते हैं।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के मुख्यालय को अन्यत्र में लाना

4807. **श्री बसुदेव आचार्य :**

श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के सभी एकक हमारे देश के पूर्वी भाग में स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार हिन्तुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के मुख्यालय को कलकत्ता ले जाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कर्नाटक के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए धनराशि

4808. **श्रीमती बासवराजेश्वरी** : क्या **योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने संघ सरकार से राज्य में पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना आयोग द्वारा कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(घ) इस धनराशि के कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) कर्नाटक राज्य सरकार ने सातवीं योजना के दौरान हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 130 करोड़ रु० तथा गुलबर्गा विकास के लिए 1985-86 में तत्काल 20 करोड़ रु० मंजूर करने का अनुरोध किया था। योजना आयोग ने सितम्बर, 1986 में अपने उत्तर में यह कहा था कि राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों के रूप में थी तथा इसके पास राज्य योजना के लिए सहायता देने का कोई अन्य तरीका नहीं है। यह भी कहा गया था कि राज्य के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

2. जनवरी, 1991 में राज्य सरकार ने हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के समन्वित तथा सुव्यवस्थित विकास हेतु योजना आयोग से 350 करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने का अनुरोध किया था। तदुपरान्त जून, 1991 में, राज्य सरकार ने अनुरोध किया कि हैदराबाद कर्नाटक के विकास के लिए 634 करोड़ रु० की योजना को 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में शुरू

किया जाना चाहिए। इस अनुरोध के उत्तर में योजना आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी विशेष पिछड़े क्षेत्र के लिए विकास योजना राज्य योजना के अभिन्न अंग के रूप में ली जाएगी। केन्द्र प्रायोजित स्कीमें किसी विशेष क्षेत्रक या उप क्षेत्रक में अन्तर्राज्यीय या राष्ट्रीय स्वरूप की समस्याओं मे निपटने के लिये आवश्यक होती हैं। आगे यह सुझाव दिया गया है कि योजना आयोग टीम की रिपोर्ट पर जिसने इस क्षेत्र का मई, 1990 में दौरा किया था, राज्य योजना के एक भाग के रूप में सभी सम्बन्धित क्षेत्रकों में उपयुक्त स्कीमें बनाने के लिए शीघ्र अनुवर्ती कार्रवाई की जाये।

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा देय ऋण राशि

4809. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम पर विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का भारी ऋण बकाया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किस दर पर और कुल कितना ब्याज अदा किया गया;

(ग) क्या दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में कुछ राशि सावधि जमा के तौर पर जमा कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को पहले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी आय हुई?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, पिछले 3 वर्षों के दौरान बकाया बैंक ऋणों के ब्यौरे इस प्रकार हैं—

31-3-89	तक	3353.58 लाख रु०
31-3-90	तक	3505.53 लाख रु०
31-3-91	तक	3521.35 लाख रु० (लेखा-परीक्षा के अधीन)

ब्याज की दर 14% से 16.5% के बीच है।

(ग) तथा (घ) डी०एस०आई०डी०सी० की अचल जमा-पूंजी कुछ बैंकों तथा एक राष्ट्रीयकृत बैंक की सहायता कम्पनी में है। 31 जुलाई, 1991 की स्थिति के अनुसार, अचल जमा पूंजी का ब्यौरा इस प्रकार है—

(i) पंजाब नेशनल बैंक की सहायता कम्पनी : पी० एन० बी० कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड में 1043.87 लाख रु०।

(ii) राष्ट्रीयकृत बैंकों में 705.50 लाख रु०।

(ङ) ब्याज की आमदनी इस प्रकार है—

(i) 1988-89	96.10 लाख रु०
(ii) 1986-90	152.03 लाख रु०
(iii) 1990-91	210.89 लाख रु०

तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान, कार्पोरेशन का निष्पादन इस प्रकार रहा--

1988-89	(—) 187.53 लाख रु०
1989-90	15.13 लाख रु०
1990-91 (अनंतिम)	53.45 लाख रु०

अर्ध-रंगीन फिल्मों का निर्माण

4810. **श्री आर० रामास्वामी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ने उदगमंडलम में अर्ध-रंगीन फिल्म बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है/की जानी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के आठवीं योजना प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव कलर फोटोग्राफिक सामग्री-सिने कलर और कलर पेपर के विनिर्माण का है आठवीं योजना प्रस्तावों को अभी योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना है।

दूरदर्शन से लाभान्वित जनसंख्या

4811. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार विशेषकर उड़ीसा में दूरदर्शन से लाभान्वित जनसंख्या की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या सरकार का उड़ीसा में वर्तमान ट्रांसमीटरों की क्षमता बढ़ाने और नए काम क्षमता वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें मौजूदा दूरदर्शन नेटवर्क द्वारा कवर की गई प्रतिशत जनसंख्या का राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां, । यद्यपि, भवानीपटना में कार्यरत अल्पशक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति (10 कि०वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने की स्कीम पूरी होने वाली है, तथापि राज्य में पुरी में एक नया अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की भी परिकल्पना है। राज्य में दूरदर्शन सेवा का और विस्तार इस प्रयोजन के लिए साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कवर की गई प्रतिशत जनसंख्या
1.	आंध्र प्रदेश	70.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	44.4
3.	असम	80.8
4.	बिहार	86.3
5.	गोवा	100.0
6.	गुजरात	76.8
7.	हरियाणा	98.5
8.	हिमाचल प्रदेश	85.7
9.	जम्मू और कश्मीर	89.8
10.	कर्नाटक	57.1
11.	केरल	86.3
12.	मध्य प्रदेश	57.4
13.	महाराष्ट्र	74.7
14.	मणिपुर	66.4
15.	मेघालय	97.2
16.	मिजोरम	53.1
17.	नागालैंड	47.2
18.	उड़ीसा	65.5
19.	पंजाब	100.0
20.	राजस्थान	52.1
21.	तमिलनाडु	89.2
22.	सिक्किम	63.1
23.	त्रिपुरा	93.3
24.	उत्तर प्रदेश	87.6
25.	पश्चिमी बंगाल	96.1

1	2	3
संघ शासित क्षेत्र		
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	99.0
2.	चण्डीगढ़	100.0
3	दादरा और नगर हवेली	43.6
4.	दिल्ली	100.0
5.	दमन और दीव	100.0
6.	पाण्डिचेरी	100.0
7.	लक्षद्वीप समूह	99.0
	राष्ट्रीय औसत	78.7

टिप्पणी : ऊपर दिए गए कवरेज आंकड़ों में किनारे के क्षेत्र भी शामिल हैं जहां अच्छी तस्वीर और आवाज प्राप्त करने के लिए ऊंचे एन्टीना तथा बूस्टर आदि लगाने पड़ते हैं।

केरल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश

4812. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) पांचवी, छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सरकारी क्षेत्र के केरल स्थित विभिन्न उपक्रमों और देश के अन्य भागों में स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किए गए केन्द्रीय पूंजी-निवेश का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में केरल स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किए गए केन्द्रीय पूंजीनिवेश में कोई गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो केरल में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में किए जाने वाले केन्द्रीय पूंजी-निवेश वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : संदर्भाधीन तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान केरल स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों के साथ-साथ देश में स्थित सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में किए गए पूंजीनिवेश का ब्यौरा नीचे दिया गया हैं।

(करोड़ रुपयों में)

पंचवर्षीय योजना	केरल राज्य	सरकारी क्षेत्र के सभी उपाय
पांचवीं	209.54	9292.33
छठी	408 38	29161.83
सातवीं	870.02	66066.52

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश की विकास योजनाए

4813. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गत एक वर्ष के दौरान योजना आयोग को स्वीकृति और केन्द्रीय सहायता के लिए भेजी गई विभिन्न विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने ऐसी प्रत्येक योजना पर क्या कार्रवाई की ?

योजना और कार्यक्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) तथा (ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी वार्षिक योजना 1991-92 के लिए 462.30 करोड़ रु० का प्रस्ताव रखा था, जिसके मुकाबले योजना आयोग ने 320.86 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता सहित 410 करोड़ रु० के परिव्यय को मंजूरी दी। क्षेत्रकीय ब्यौरों को अन्तिम रूप राज्य सरकार के परामर्श से दिया गया था। केन्द्रीय सहायता किसी विनिर्दिष्ट स्कीम के लिए नहीं अपितु ब्लाक ऋण अनुदान के रूप में दी जाती है।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की रुग्ण कम्पनियां

4814. **डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण कम्पनियों की सूची में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की कितनी कम्पनियां हैं;

(ख) सरकारी क्षेत्र के कुल एककों की तुलना में एककों की रुग्ण सूची में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों की प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की रुग्ण एककों को पुनः चालू करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कितनी राशि दी गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वाहनों को कम ईंधन की खपत के प्रमाण-पत्र देना

4815. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर वाहनों को कम ईंधन की खपत के प्रमाण-पत्र जारी करने के क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) किन-किन स्वचालित वाहनों/इंजनों को कम ईंधन की खपत के प्रमाण-पत्र दिए गए हैं;

(ग) क्या किसी वाहन/इंजन को इस प्रकार का प्रमाण पत्र देने से इन्कार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इनके नाम क्या हैं; और

(ङ) प्रमाण पत्र देने से इनकार करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन):(क) से (ङ) कम ईंधन की खपत के मानदन्ड

विभिन्न मोटर वाहनों के उनकी इन्जन की क्षमता के आधार पर निर्धारित किये गये हैं। इन मानदंडों की समीक्षा की जा रही है और समय-समय पर सुधार किया जा रहा है। कम ईंधन की खपत सम्बन्धी समिति उत्पादन संयंत्र से जांच अभिकरण द्वारा यों ही चयनित उसी माडल के दो वाहनों पर इसके द्वारा की गई जांच पर आधारित नामित जांच अभिकरण से प्राप्त रिपोर्टों पर विचार कर रही है और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर जारी किये गये प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिये बैध होते हैं। ये प्रमाण पत्र माडल विशेष हैं और इनमें वाहनों की व्यापक किस्म शामिल हैं। कम ईंधन की खपत के प्रमाण पत्र के जारी करने को कुछ वित्तीय रियायतों की मंजूरी से जोड़ दिया गया है। इस सम्बन्ध में वित्त मन्त्रालय द्वारा जारी की गयी सीमा शुल्क अधिसूचना के अनुसार, जो वाहन निर्धारित मानदन्डों को पूरा करते हैं और जिनका विनिर्माण स्वीकृत कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया है, को कम ईंधन की खपत के प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं। ऐसा वाहन, जो उपर्युक्त शर्तें पूरी करता है, को कम ईंधन की खपत का प्रमाण पत्र देने से इनकार नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र में औद्योगिक एककों में पूंजी निवेश

4816. **श्री अन्ना जोशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास महाराष्ट्र राज्य में नए औद्योगिक एककों के लिये पूंजी निवेश के लिये लम्बित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान इस राज्य में औद्योगिक उद्यमों में केन्द्रीय निवेश की कितनी प्रतिशतता रही है।

(ग) क्या महाराष्ट्र में अनुप्रवाही (डाउनस्ट्रीम) उद्योगों के लिये नये उद्यम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र मे औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये आशय पत्रों की मजूरी हेतु 573 आवेदनपत्र लंबित पड़े थे।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा निवेश का राज्यवार प्रतिशत केवल 1989-90 तक की अवधि के लिए उपलब्ध है। महाराष्ट्र के लिए यह प्रतिशत 1988-89 में 16.70 था और 1989-90 में 17.58 था।

(ग) और (घ) मैसर्स इंडियन पेट्रोकैमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आई०पी०सी०एल०) पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व वाला उपक्रम, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अनुप्रवाही उत्पादों के विनिर्माण सहित एक गैस क्रैकर काम्पलेक्स स्थापित कर रहा है। मैसर्स नेशनल आर्गेनिक कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एन०ओ०सी०आई०एल०) महाराष्ट्र के थाने जनपद में एथीलीन और कुछ अनुप्रवाही उत्पादों का विनिर्माण करने के लिये पर्याप्त विस्तार करने हेतु उन्हें स्वीकृत एक आशय पत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहा है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की परियोजना रिपोर्ट

4817. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने उड़ीसा में लागू करने के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की है तथा आवश्यक भूमि अधिगृहीत की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में अब तक की गयी प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) भेल ने छठी योजना में मिल के कल-पुर्जों के विनिर्माण हेतु उड़ीसा स्थित चण्डका में एक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, और इसके लिये एक औद्योगिक भूखण्ड निर्धारित किया गया था। तथापि, इस प्रस्ताव को कार्यरूप नहीं दिया जा सका क्योंकि भेल के पास क्रयादेश स्थित में, विशेषकर बायलरों के लिए कमी हो गई थी। इन वस्तुओं के विनिर्माण हेतु कम्पनी ने अपने विद्यमान संयंत्रों में बेशी क्षमताओं का उपयोग करने का निश्चय किया है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष द्वारा चुनाव केन्द्रों पर कब्जा

[हिन्दी]

4818. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष द्वारा चुनाव केन्द्रों पर कब्जा करने से सम्बन्धित शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) तथा (ख) मुख्य चुनाव अधिकारी, उत्तर प्रदेश और आयुक्त, मेरठ मण्डल ने सूचित किया है कि ऐसा कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है। परन्तु कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनकी जांच की जा रही है।

महिला कर्मचारी

[अनुवाद]

4819. **श्री पी० पी० कालियापेरूमल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1991 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कुल कर्मचारियों की संख्या में से महिला कर्मचारियों की ग्रुप-वार संख्या और प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का केन्द्रीय सरकार की सेवाओं तथा सरकारी उपक्रमों में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मती मार्गरेट अल्वा) : (क) दिनांक 31 जुलाई, 1991 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कुल कर्मचारियों की संख्या में महिला कर्मचारियों की ग्रुप-वार संख्या और प्रतिशतता से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

बिहार में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए विदेशी मुद्रा

[हिन्दी]

4820. **श्री राम शरण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जो विदेशी मुद्रा उपलब्ध न होने के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या यह हो सकता है कि उसके परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्रों के ये उपक्रम विदेशों से आपूर्ति प्राप्त न कर सके; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के थुंगन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

चन्दन चौकी में टी० वी० ट्रांसमीटर

4821. **डा० जी० एल० कनौजिया** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखीमपुर खीरी जिले के धरण आदिवासी बहुल क्षेत्र में टी० वी० ट्रांसमीटर की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का चन्दन चौकी के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए यहां कोई टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) चन्दन चौकी में एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की इस समय कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, साधनों के अन्तर्गत सरकार का हमेशा यह प्रयास रहता है कि साधनों की तंगी की सीमाओं के भीतर दूरदर्शन सेवा का, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में, विस्तार किया जाए।

कन्नड़ फिल्मों का प्रसारण

[अनुवाद]

4822. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में दिल्ली दूरदर्शन द्वारा कितनी कन्नड़ फिल्में प्रसारित की गईं;

(ख) क्या कन्नड़ भाषा के कार्यक्रमों को दिया गया समय एक प्रतिशत से भी कम है; और

(ग) कन्नड़ भाषा कार्यक्रमों को अधिक समय देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) चालू वर्ष के दौरान दिल्ली दूरदर्शन द्वारा तीन कन्नड़ फीचर फिल्में प्रसारित की गयी थी।

(ख) और (ग) दिल्ली दूरदर्शन द्वारा कन्नड़ और किसी अन्य भाषा के लिए कोई निश्चित समय नहीं रखा गया है। दिल्ली केन्द्र द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों के लिए निर्धारित समय में कन्नड़ कार्यक्रम बारी-बारी से प्रसारित किये जाते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय नेटवर्क पर कन्नड़ फिल्में और दूसरे चैनल से कन्नड़ कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।

केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर गए व्यक्तियों की वरिष्ठता की रक्षा

4824. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**

श्री चेतन पी० एस० चौहान : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, राष्ट्रीय लिगनाइट निगम, नेशनल एलुमिनियम कम्पनी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जैसे संगठन और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड इत्यादि जैसे राज्य सरकार के विभागों के कर्मचारियों के नाम 1983 से 1988 के दौरान उनके सम्बन्धित नियोक्ताओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित इंडियन टेक्निकल एण्ड इकोनामिक कोआपरेशन जैसे केन्द्र द्वारा संचालित अनेक कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेश में कार्य करने हेतु अपनी विशेषज्ञता सूची में पंजीकृत कर लिये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा कोई उदाहरण है जहां किसी विभाग ने विदेश में कार्य करने हेतु ऐसे अभ्यार्थियों के चयन के पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के बावजूद प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले उक्त कर्मचारियों में से किसी की वरिष्ठता और वेतन की रक्षा उनके अपने मूल विभाग ने न की हो; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और आदेशों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां। विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों के नाम 1983 से 1988 के दौरान उनके संबंधित नियोक्ताओं द्वारा विधिवत रूप से भेजे जाने के पश्चात् इण्डियन टेक्निकल एण्ड इकोनामिक कोआपरेशन जैसे केन्द्र द्वारा संचालित अनेक कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेश नियुक्तियों के लिए पंजीकृत कर लिये गये थे।

(ख) ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं चूंकि इस अवधि से सम्बन्धित अभिलेखों की छंटनी की जा चुकी है।

(ग) उपलब्ध अभिलेख के अनुसार एक मामला ऐसा है जहां इण्डियन टेक्निकल एण्ड इकोनामिक कोआपरेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये एक अधिकारी की वरिष्ठता की रक्षा उसके नियोक्ता ने नहीं की।

(घ) यह मामला भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के श्री सुधीर कुमार का है। इन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल-वाद दायर किया है, जिसका प्रतिवाद किया जा रहा है। मामला न्यायाधीन है।

फिल्मों का आयात

4825. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जुलाई, 1991 की अवधि के दौरान कितनी विदेशी फिल्मों का आयात किया गया ;

(ख) उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी फिल्मों के आयात को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जनवरी से जुलाई, 1991 के दौरान 24 विदेशी फिल्मों का आयात किया गया था ।

(ख) 48 लाख रुपये ।

(ग) भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का विदेशी फिल्मों के आयात को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) भारत में, विदेशी फिल्मों के दर्शकों की संख्या काफी अधिक है। भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय सिनेमा के बीच सृजनात्मक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वभर से कला और तकनीकी दृष्टि से उत्कृष्ट फिल्मों का आयात किया जाता है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय फिल्म निर्माताओं को शेष विश्व में फिल्म निर्माण की नवीनतम प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो ।

राउरकेला, बोलंगीर तथा बहरामपुर में आकाशवाणी केन्द्र

[हिन्दी]

4826. **श्री श्रीकांत जैना** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राऊरकेला, बोलंगीर और बरहामपुर में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है, तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां ।

(ख) राउरकेला और बोलंगीर में रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए अपेक्षित ट्रांसमीटर और स्टूडियो उपकरण प्राप्त हो गये हैं और इमारत का सिविल निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है। इन दोनों परियोजनाओं के वर्ष 1992-93 तक तकनीकी रूप से तैयार हो जाने की योजना है ।

बहरामपुर रेडियो स्टेशन के लिए तकनीकी क्षेत्र तैयार है और उपकरणों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया गया है । वर्तमान संकेतों के अनुसार, इस योजना के वर्ष 1991-92 के दौरान तकनीकी रूप से तैयार हो जाने की उम्मीद है ।

मध्य प्रदेश की राजघाट जल-विद्युत परियोजना की स्वीकृति

4827. **श्री विश्वेश्वर भगत** : क्या योजना और क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की राजघाट जल-विद्युत परियोजना योजना आयोग के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उसे कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त परियोजना को तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) योजना आयोग ने 37.47 करोड़ रु० की अनुमानित लागत की राजघाट जल-विद्युत परियोजना (3 × 15 मेगावाट) के लिए 1-8-91 को निवेश अनुमोदन दे दिया है। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बीच लागत और लाभ के 50 : 50 अनुपात की हिस्सेदारी में संयुक्त उद्यम की यह एक अन्तरराज्यीय परियोजना है।

केन्द्रीय परियोजनाओं को पूरा किया जाना

[अनुवाद]

4828. **श्री मंजय लाल** :

श्री प्रताप सिंह : क्या **योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल रूप से 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत की सरकारी क्षेत्र की किन-किन परियोजनाओं के चालू वर्ष में पूरा होने की संभावना है;

(ख) सरकारी क्षेत्र की किन-किन परियोजनाओं में विलम्ब होने की संभावना है तथा प्रत्येक मामले में कितना-कितना विलम्ब होगा;

(ग) विलम्बित परियोजनाओं में कितने प्रतिशत लागत वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं की आगे लागत वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने यदि कोई नीति तैयार की है तो वह क्या है ?

योजना तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ग) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की प्रबोधन प्रणाली के अनुसार 1 अप्रैल, 1991 को 20 करोड़ रुपये तथा प्रत्येक इससे अधिक लागत वाली 40 केन्द्रीय परियोजनायें मूल स्वीकृत समय सीमा के आधार पर वर्ष 1991-92 में पूरी होनी हैं। इसमें से विवरण एक के अनुसार 24 परियोजनायें इसी वर्ष पूरी होने की प्रत्याशा है तथा बाकी 16 परियोजनाओं के 31 मार्च, 1992 के बाद विलम्ब होने की रिपोर्ट दी गई है। प्रत्येक विलम्बित परियोजना के सम्बन्ध में, विलम्ब का ब्यौरा मूल स्वीकृत लागत पर प्रतिशत लागत वृद्धि विवरण दो में दी गई है।

(घ) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग तथा सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन का निकट से प्रबोधन कर रहे हैं। परियोजना बनाने के स्तर पर विशेष क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद वास्तविक लागत अनुमान तथा पी० ई० आर० टी०/सी० पी० एम० तकनीक के प्रयोग, पी० सी० आधारित एकीकृत परियोजना, प्रबन्ध व्यवस्था आदि के प्रयोग पर भी बल दिया जा रहा है ताकि लागत वृद्धि को कम किया जा सके।

विवरण-एक

1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार
मूल स्वीकृत समय सीमा के अनुसार 1991-92 में पूरी की जाने
वाली तथा 1991-92 के दौरान पूर्ण होने वाली प्रत्याशित
20 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक लागत वाली
प्रत्येक केन्द्रीय परियोजना

क्र० सं०	परियोजना	कार्यान्वयन अभिकरण
	क्षेत्र : नागर विमानन	
1.	12 एअरबस ए 32 की अधिप्राप्ति	इंडियन एअर लाइन्स
	क्षेत्र : कोल	
2.	कटरास यू०जी०	बी०सी०सी०एल०
3.	पूतकी बाशरी	बी०सी०सी०एल०
4.	पदमपुर ओ०सी०	डब्ल्यू०सी०एल०
5.	सोनेयर यू०जी०	डब्ल्यू०सी०एल०
	क्षेत्र : खान	
6.	रामपुरा अगूचा-चन्देरिया इंटीग्रेटिड जिंक लीड प्रोजेक्ट	एच०जैड०एल०
	क्षेत्र : इस्पात तथा लोह अयस्क	
7.	स्लेम स्टील प्लान्ट एक्सप० फेज-II	सेल
8.	दुर्गापुर स्टील प्लान्ट कोक ओवन बैटरी नं० 1 का पुनर्निर्माण	सेल
	क्षेत्र : पैट्रो तथा प्राकृतिक गैस	
9.	कोचीन में नया तेल टर्मिनल	बी०सी०पी०एल०
10.	कैप्टिव पावर प्लान्ट, कोचीन	सी०आर०एल०
	क्षेत्र : पेपर, सीमेन्ट तथा आटो	
11.	पोलीबेस एक्सरे तथा ग्राफिक आर्ट फिल्मों का निर्माण	एच०पी०एफ०

1	2	3
	क्षेत्र : रेलवे	
12.	कुमेदपुर—न्यू जलपाईगुड़ी दोहरीकरण	रेलवे
13.	कायनकुलम—क्वीलोन दोहरीकरण	रेलवे
14.	सिहो—रामदयालुनगर दोहरीकरण	रेलवे
15.	मनमाड़—पार्ली बैजनाथ गेज परिवर्तन	रेलवे
16.	जोलारपिटाई—इरोड—स्लेम—मैटूर बांध विद्युतिकरण	रेलवे
17.	जोलारपिटाई—बंगलौर विद्युतिकरण	रेलवे
18.	एच०डब्ल्यू०एच०—बी०डी०सी० मुख्य लाइन संवर्द्धन	रेलवे
19.	60 नए डीजल लोको शैड, रायपुर	रेलवे
	क्षेत्र : भूतल परिवहन	
20.	फासफोरिक एसिड के 3 कैरियर्स (30800 डी०डब्ल्यू०टी०) की अधिप्राप्ति	एस०सी०आई०
21.	एल०पी०जी०/अमोनिया के दो कैरियर्स (17000 डी०डब्ल्यू०टी०) की अधिप्राप्ति	एस०सी०आई०
	क्षेत्र : दूरसंचार	
22.	चण्डीगढ़ सेक्टर 34 में ई 10 बी एक्सचेंज की स्थापना	दूरसंचार विभाग
23.	श्रीनगर में टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण और ई 10 बी एक्सचेंज की स्थापना	दूरसंचार विभाग
24.	टैक्सट० सूरत में 10 के एक्सचेंज की स्थापना	दूरसंचार विभाग

विवरण-दो

1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार
मूल स्वीकृत समय सीमा के अनुसार 1991-92 में पूरी की जाने
वाली तथा 31 मार्च, 1992 से आगे संभावित विलम्ब
वाली प्रत्याशित 20 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक
लागत वाली प्रत्येक केन्द्रीय परियोजना

क्र० सं०	परियोजना	कार्यान्वयन अभिकरण	9293 (माह) आगे विलम्ब	मूल लागत के संदर्भ में लागत वृद्धि प्रतिशत
1	2	3	4	5
	क्षेत्र : परमाणु ऊर्जा			
1.	ककरापार आटोमिक पावर प्रोजेक्ट	एन०पी०सी०	9	176.1
	क्षेत्र : कोल			
2.	पाथरडीह वाशरी, आधुनिकीकरण	बी०सी०सी०एल०	36	0.0
3.	रामागुंडम-II ओ०सी०	एस०सी०सी०एल०	36	247.9
	क्षेत्र : पैट्रो तथा प्राकृतिक गैस			
4.	एल०पी०जी० रिकवरी प्लान्ट फेज-I	जी०ए०आई०एल०	7	57.1
	क्षेत्र : ऊर्जा			
5.	कत्थलगुड़ी जी०बी० सी०सी०पी०पी०	निपको	22	386.8
6.	कत्थलगुड़ी जी०बी०पी० संचरण लाइनें	निपको	20	113.9
7.	मोगा—भिवानी संचरण लाइनें	एन०एच०पी०सी०	3	0.0
8.	फरक्का एस०टी०पी०पी० स्टे०-II	एन०टी०पी०सी०	9	53.3
9.	कवास जी०पी०पी०	एन०टी०पी०सी०	16	134.6

1	2	3	4	5
	क्षेत्र : रेलवे			
10.	लखनऊ—कानपुर दोहरीकरण	रेलवे	12	97.3
11.	सतना—रीवा नई लाइन	रेलवे	1	0.0
12.	कटनी—बीना विद्युतिकरण	रेलवे	18	36.6
13	रेल कोच फैक्टरी कपूरथला फेज-II	रेलवे	निर्धारित नहीं	73.1
	क्षेत्र : भूतल परिवहन			
14.	अहमदाबाद—बडोदरा एक्सप्रैस मार्ग	जी०पी०डब्ल्यू० डी०	19	50.9
15.	फरक्का—बैरेज प्रोजैक्ट शेष कार्य	एम०डब्ल्यू०आर०	1	0.0
16.	3 पास/कार्गो वैसल्स की अधिप्राप्ति, पोर्टब्लेयर	एस०मी०आई०	9	60.0

परमाणु विद्युत परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

4829. **डा० एस० पी० यादव :**

श्री प्रताप सिंह : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन परमाणु विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनमें विलम्ब हुआ है और जिन्हें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा नहीं किया जा सका;

(ख) ऐसी प्रत्येक परियोजना की लागत में मूल अनुमान की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ग) परियोजनाओं के चालू होने के समय तक उनकी लागत में वृद्धि का प्रतिशत क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की आलोचनात्कक समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो संशोधित कार्यक्रम के अनुसार उन्हें पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किन उपायों पर विचार किया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) इस समय निर्माणाधीन परियोजनाओं में से नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना और ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना, जिनमें से प्रत्येक में दो यूनिट हैं, को पूरा करने में उनके मूल निर्धारित कार्यक्रम की तुलना में विलम्ब हुआ ।

(ख) और (ग) इन परियोजनाओं की पूंजीगत लागत में मूल अनुमानों की तुलना में, निर्माण के

दौरान लगे ब्याज को छोड़कर, जितने प्रतिशत वृद्धि हुई है वह नरोरा परियोजना के मामले में लगभग 207 प्रतिशत है और ककरापार परियोजना के मामले में लगभग 149 प्रतिशत है। इन परियोजनाओं के लागत अनुमानों में इस समय और कोई वृद्धि होने की प्रत्याशा नहीं है।

(घ) जी, हां।

(ङ) नरोरा परियोजना का पहला यूनिट पहले ही चालू अवस्था में है। नरोरा के दूसरे यूनिट और ककरापार के दो यूनिटों से सम्बन्धित शेष बचे कार्यों को पूरा करने पर इस उद्देश्य से बहुत ही निगरानी रखी जा रही है कि इन यूनिटों को वित्त वर्ष 1991-92 और 1992-93 में क्रमिक रूप से चालू किया जा सके।

मध्य प्रदेश में स्थापित उद्योग

[हिन्दी]

4830. **कुमारी विमला वर्मा** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में स्थापित जिला विकास केन्द्रों की जिला वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में ब्लाक स्तर पर औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब से कार्यान्वित किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में विकास केन्द्र स्थापित करने के वास्ते जून, 1988 में एक योजना की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश के मामले में राज्य को 6 विकास केंद्र आबंटित किये गये हैं और भिन्ड, धार, दुर्ग, गुना, रायपुर तथा रायसेन, जिलों में एक-एक विकास केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह विकास केन्द्र योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जायेगी।

उचित दर की दुकानों को कार्बनयुक्त चीनी की सप्लाई

[अनुवाद]

4831. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या **खाद्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1991 के दौरान दिल्ली की अधिकांश उचित दर की दुकानों को यमुना नगर में स्थित चीनी मिलों द्वारा पैक की गई कार्बनयुक्त चीनी का वितरण किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित की गई कार्बनयुक्त चीनी बहुत ही गहरे पीले रंग की थी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का जन स्वास्थ्य के हित में मामले की जांच करवाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) तथा (ख) सरस्वती चीनी मिल्स, यमुना

नगर कार्बनीकरण प्रक्रिया द्वारा चीनी बनाती है, जिसे दिल्ली की उचित दर की दुकानों के माध्यम से दिल्ली में वितरित किया गया।

(ग) से (ङ) यह सूचित किया गया है कि यमुनानगर चीनी मिल्स द्वारा सप्लाई की गई चीनी अच्छी किस्म की थी तथा वह भारतीय चीनी मानक ग्रेड के अनुरूप थी। अतः इस मामले में किसी प्रकार की जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन करने हेतु अनुरोध

4832. **श्री चित्त बसु** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने संघ सरकार से प्रतिमाह चावल, गेहूं और चीनी का अतिरिक्त आवंटन करने हेतु अनुरोध किया है ताकि राज्य की मांग को पूरा किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर संघ की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) से (ख) पश्चिमी बंगाल राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये चावल और गेहूं के मासिक आवंटन में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार से हाल ही में एक अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है। पश्चिम बंगाल को जुलाई, 1991 के लिए 69,000 मीटरी टन चावल का आवंटन किया गया था। चावल के इस आवंटन को बढ़ाकर अगस्त 1991 के लिए 81,000 मीटरी टन और सितम्बर, 1991 के लिये 85,000 मीटरी टन कर दिया गया है। तथापि, गेहूं के आवंटन में कोई वृद्धि नहीं की गई है क्योंकि गेहूं के स्टाक की कमी वाले मौसम के लिये सुरक्षित रखने की जरूरत है।

जहां तक कि चीनी का सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल सरकार से त्यौहारों के लिये लेवी चीनी के कोटे में वृद्धि करने के बारे में एक अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है। लेवी चीनी की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये, राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका था।

उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में संशोधन

4833. **श्री हाराधन राय** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तेरह वर्षों से अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने से इन्कार किया है; और

(ग) इन उद्यमों में कितने कामगार कार्य करते हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) सरकारी क्षेत्र का ऐसा कोई उद्यम नहीं है जिसने गत तेरह वर्षों से अपने कर्मचारियों के मंजूरी संशोधन करने से इन्कार किया है :

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों के निर्धारित क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

4834. **श्री भाग्ये गोवर्धन** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के निर्धारित क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की कम संभावनाएं हैं;

(ख) निर्धारित क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों को स्थानीय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाएं ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध हैं; और

(घ) ऐसे क्षेत्रों में किस प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

खाद्य प्रसंकरण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के अनुसूचित क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की सम्भावनाओं के मूल्यांकन के लिए यद्यपि कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किये गये हैं परन्तु यह समझा जाता है कि इनमें से कुछ क्षेत्रों में ऐसे उद्योग स्थापित करने की सम्भावनाएं विद्यमान हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकने वाले उद्योगों में सूअर मांस प्रसंस्करण यूनिट, छोटी चावल मिलें, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट आदि शामिल हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की सम्भावना आवश्यक बुनियादि सुविधाओं, पर्याप्त कच्चे माल और ऐसे उत्पादों आदि के लिए बाजार की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यह मन्त्रालय विभिन्न विकासात्मक योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है जिनका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर का सम्पूर्ण विकास करना है। राज्य सरकारें और उनकी एजेन्सियों को प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के बाद योजना स्कीमों के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने हैं। खाद्य पदार्थों, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना अथवा इन्हें बढ़ाने के लिये राज्य सरकार के उपक्रमों और सहकारिताओं को योजना स्कीमों के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने के लिए मन्त्रालय ने जनजातीय क्षेत्रों के मामले में वित्त पोषण के विशेष उदार मानदण्ड निर्धारित किये हैं। इस मन्त्रालय के अलावा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम आदि जैसी दूसरी सरकारी एजेन्सियां भी विभिन्न राज्यों में बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिये सहायता प्रदान कर रही हैं।

शहद का उत्पादन

4835. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहद के उत्पादन की प्रोन्नति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के रायल सीमा क्षेत्र विशेषत: अनन्तपुर जिलों की ओर, जोकि सूखा प्रवण क्षेत्र है, विशेष ध्यान दिया जाएगा; और

(ग) किस क्षेत्र में शहद का उत्पादन सबसे अधिक होता है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) (क) से (ग) शहद का उत्पादन एवं प्रोन्नति के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किये गये प्रयास इस प्रकार हैं : (1) एपिस मेल्लीफेरा मधुमक्खियों का प्रवेश (2) मधुमक्खी पेटियों पर राजसहायता (3) महिलाओं/जनजाति के लोगों सहित मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण देना ताकि उन्हें मधुमक्खी पालन के बेहतर तकनीकों के बारे में तैयार किया जा सके। चूंकि सूखा वाले क्षेत्रों में फूलों में मकरन्द संचय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसलिये अनन्तपुर जिले में, जो सूखाग्रस्त है, मधुमक्खी पालन उद्योग की अधिक गुन्जाइश नहीं है। जहां तक खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र का सम्बन्ध है, सबसे अधिक शहद उत्पादन केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में होता है।

प्राइवेट निर्माताओं को दूरदर्शन पर अधिक समय देना

4836. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन पर प्राइवेट निर्माताओं को और अधिक समय आबंटित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु कोई उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

राजस्थान में दैनिक, साप्ताहिक समाचारपत्र का प्रकाशन

[हिन्दी]

4837. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान से कितने पंजीकृत दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचारपत्र एवं पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं और इनकी कितनी-कितनी प्रतियां बिकती हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं को श्रेणीवार कितनी-कितनी मात्रा में अखबारी कागज आवंटित किया गया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन समाचार पत्रों एव पत्रिकाओं का प्रकाशन पंजीकरण के पश्चात् बन्द कर दिया गया और इनका प्रकाशन कब से बन्द किया गया;

(घ) क्या नियमों का पालन न करने वाले समाचार पत्रों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या कभी इस बात की भी जांच की गई है कि आबंटित अखबारी कागज का उपयोग किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-एक में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-दो में दिया गया है।

(ग) किसी समाचारपत्र ने इस अवधि के दौरान, अपना प्रकाशन स्थगित करने की घोषणा, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय के पास नहीं भेजी है।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यवाई नहीं की गई ।

(ङ) तथा (च) अखबारी कागज का आवंटन सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित अखबारी कागज आबंटन नीति के अनुसार किया जाता है। किसी वर्ष विशेष के लिये अखबारी कागज की पात्रता का निर्धारण इससे पिछले वर्ष के दौरान अखबारी कागज के उपयोग के ब्यौरे के आधार पर किया जाता है। दो हजार प्रतियां प्रति प्रकाशन दिवस से अधिक की प्रसार संख्या वाले समाचारपत्रों के मामले में यह ब्यौरा किसी चार्टर्ड लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित होता है।

विवरण-एक

दिनांक 31 दिसम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार राजस्थान मे प्रकाशित दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक समाचारपत्रों की संख्या तथा प्रचार संख्या

	संख्या	प्रचार संख्या
दैनिक	205	998000
साप्ताहिक	664	533000
पाक्षिक	556	325000
मासिक	289	107000

विवरण-दो

राजस्थान राज्य

वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान जारी अखबारी कागज

अखबारी कागज मीट्रिक टन में

1988-89

आवधिकता	छोटे	मझोले	बड़े
दैनिक	1738.31	2040.90	778.31
साप्ताहिक	122.38	251.54	—
पाक्षिक	11.48	36.03	—
मासिक	—	66.45	—
कुल	1872.17	2394.92	7783 31

1989-90

आवधिकता	छोटे	मझोले	बड़े
दैनिक	3685 17	741.28	11394.91
साप्ताहिक	69.05	494.06	—
पाक्षिक	55.00	166.90	—
मासिक	39.64	—	—
कुल	3848.86	1402.24	11394.91

1990-91

आवधिकता	छोटे	मझौले	बड़े
दैनिक	3408.03	747.33	9276.22
साप्ताहिक	90.32	617.62	
पाक्षिक	5.89	130.47	—
मासिक	—	53.18	—
कुल	3504.24	1548.60	9276.22

राजस्थान में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में सदस्यों के रिक्त पद

[**अनुवाद**]

4838. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के प्रत्येक खण्डपीठ में कितने-कितने सदस्य हैं;

(ख) क्या इन खण्डपीठों में सदस्यों के कुछ पद रिक्त पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) राजस्थान में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की दो खण्डपीठें हैं :

(i) जोधपुर खण्डपीठ में एक उपाध्यक्ष तथा तीन सदस्यों की स्वीकृत पद संख्या है; और

(ii) जयपुर खंडपीठ में दो सदस्यों की स्वीकृत पद संख्या है।

(ख) और (ग) जयपुर खंडपीठ में केवल एक सदस्य का पद रिक्त है। इस रिक्त पद को भरने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर ली गई है।

औद्योगिक स्थिति पर श्वेत पत्र

[**हिन्दी**]

4839. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई औद्योगिक नीति के संदर्भ में देश की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत-पत्र जारी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक जारी किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय उद्योग पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं अनिवासी भारतीयों के नियन्त्रण तथा एकाधिकार को किस प्रकार समाप्त किया जाएगा; और

(घ) नई औद्योगिक नीति और इस समय लागू की गई औद्योगिक नीति में क्या आधारभूत अन्तर है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं ।

(क) सरकार औद्योगिक विकास विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में तथा आर्थिक सर्वेक्षण में, जो संसद के दोनों सदनों में रखी जाती है, औद्योगिक कार्यनिष्पादन और नीतियों की हर वर्ष समीक्षा करती है ।

(ग) विदेशी निवेशों और अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेशों की अनुमति सरकार की नीति और प्राथमिकताओं के अनुसार दी जाती है ।

(घ) नयी औद्योगिक नीति और लागू औद्योगिक नीति के बीच मूल अन्तर का उल्लेख 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में रखे गए औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में किया गया है ।

इलेक्ट्रोनिक नीति में परिवर्तन

[अनुवाद]

4840. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विद्यमान इलेक्ट्रानिक नीति में कुछ बड़े परिवर्तन करने के विचार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई इलेक्ट्रानिक नीति कब तक लागू किए जाने की आशा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। लेकिन इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में वर्तमान नीतियों का निरन्तर मूल्यांकन किया जाता है और उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन अथवा संशोधन भी किए जाते हैं ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।

त्वरित ग्रामीण पेयजल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के लिए वित्तीय सहायता

4841. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधानमंत्री 8 अगस्त, 1991 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1957 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरी तरह से लाये गये, आंशिक रूप से लाये गये और "पेयजल स्रोतहीन" समस्याग्रस्त गांवों की संख्या अलग-अलग क्या है;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राशि का आबंटन करते समय वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में वहां के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आंशिक रूप से लाये गये और "पेयजल स्रोतहीन" समस्याग्रस्त गांवों की संख्या के अनुपात को ध्यान में रखा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आंशिक रूप से लाये गये गांवों को, पूरी तरह से इसके अन्तर्गत लाये गये गांव में बदलने और

"पेयजल स्रोतहीन" समस्याग्रस्त गांवों को पेयजल सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से क्या लक्ष्य रखे गये हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्ण रूप से लाए गए, आंशिक रूप से लाए गए और "बिना पेयजल स्रोत वाले" समस्याग्रस्त गांवों की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1-4-85 को पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांव	कवर किए गए समस्याग्रस्त गांवों की सं० पूर्णरूप से	आंशिक रूप से	उपरोक्त प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार संख्या "बिना स्रोत वाले" समस्याग्रस्त गांवों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	15834	5674	10160	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	391	391	0	0
3.	असम	9570	7927	1556	87
4.	बिहार	9199	9197	0	2
5.	गोआ	38	37	1	0
6.	गुजरात	4911	3002	1859	50
7.	हरियाणा	2314	2143	101	70
8.	हिमाचल प्रदेश	3539	2811	0	728
9.	जम्मू व कश्मीर	2959	2297	0	662
10.	कर्नाटक	5410	2511	2899	0
11.	केरल	88	30	58	0
12.	मध्य प्रदेश	14714	6408	8233	73
13.	महाराष्ट्र	5174	5122	0	52

1	2	3	4	5	6
14.	मणिपुर	862	609	253	0
15.	मेघालय	3658	540	2112	1006
16.	मिजोरम	595	278	317	0
17.	नागालैंड	623	569	35	19
18.	उड़ीसा	14443	10115	3245	1086
19.	पंजाब	2254	1500	0	754
20.	राजस्थान	7310	6364	809	137
21.	सिक्किम	121	121	0	0
22.	तमिलनाडु	4882	3187	1695	0
23.	त्रिपुरा	2893	2873	10	10
24.	उत्तर प्रदेश	43906	20372	23088	446
25.	पश्चिम बंगाल	5930	362	5568	0
26.	अण्डमान व निकोबार	40	0	40	0
27.	चण्डीगढ़	0	0	0	0
28.	दमन व दीव	0	0	0	0
29.	दादर व नगर हवेली	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	11	0	11	0
32.	पांडिचेरी	53	19	34	0
	अखिल भारत	161722	94459	62081	5182

समाचार पत्रों की भर्त्सना

4842. डा० **सुधीर राय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर भारत के कुछ समाचार पत्रों ने निराधार एवं बढ़ा-चढ़ाकर समाचारों को प्रकाशित किया था, जिसके कारण हाल में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ गया था;

(ख) क्या भारतीय प्रेस परिषद ने इन समाचार पत्रों की भर्त्सना की है;

(ग) यदि हां, तो उन समाचार पत्रों अथवा पत्रिकाओं के नाम क्या हैं जिनकी भर्त्सना की गई है अथवा जिन्हें चेतावनी दी गई है; और

(घ) सनसनीखेज पत्रकारिता में शामिल इन समाचारपत्रों अथवा पत्रिकाओं के विरुद्ध क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) भारतीय प्रेस परिषद द्वारा चार हिन्दी दैनिकों अर्थात "आज", "दैनिक जागरण", "स्वतन्त्र चेतना" और स्वतन्त्र भारत की भर्त्सना की गई है ।

(घ) सरकार को आशा है कि प्रेस परिषद द्वारा भर्त्सना किए जाने से इन समाचारपत्रों का आचरण अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण हो जाएगा । भारतीय प्रेस परिषद को प्रेस की आजादी और समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखने और उसे ऊंचा उठाने का दायित्व सौंपा गया है ।

औद्योगिक नीति

[हिन्दी]

4843. **श्री हरि केवल प्रसाद : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औद्योगिक नीति को लागू करने के पश्चात रोजगार के अवसर बढ़ेंगे;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल पाएगा;

(ग) इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास की प्रगति में कितनी वृद्धि होगी; और

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो०पी० जे० कुरियन) : (क) 24 जुलाई, 1991 को सरकार द्वारा घोषित की गई औद्योगिक नीति में अन्य बातों के साथ-साथ उद्योगों के एक समूह के विलाइसेंसीकरण तथा सभी पंजीकरण योजनाओं को समाप्त किए जाने, मौजूदा एककों को एक नई विषद वर्गीकरण की सुविधा ताकि वे अतिरिक्त निवेश के बिना किसी भी मद का निर्माण कर सकें, कुछ शर्तों के साथ स्थापना-स्थल सम्बन्धी लचीली नीति, एम० आर० टी० पी० कम्पनी तथा प्रभुत्व वाले उपक्रम की परिभाषा के लिए सम्पत्ति की किसी अवसीमा अथवा बाजार शेयर निर्धारण को अलग करने के प्रस्ताव, भारतीय कम्पनियों में विदेशी भागीदारी तथा विदेशी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की अनुमति, अनेक उद्योगों में 51% इक्विटी की अनुमति के लिए सीधे विदेशी निवेश से सम्बन्धित नियमों को उदार बनाने और विदेशी सहयोग के समझौतों को उदार शर्तों पर सुविधाजनक बनाने की व्यवस्था की गई है । औद्योगिक नीति में किए गए उपायों का उद्देश्य भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्था को अनावश्यक अफसरशाही नियंत्रण से छुटकारा दिलाना, आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन को प्रोत्साहित करना, भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना, क्षमता के सृजन की बाधा को हटाना और उद्यमीय एवं औद्योगिक क्षमता की प्राप्ति की ओर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर बल देना है । ये उपाय कुल मिलाकर औद्योगिक उत्पादन और संयुक्त रोजगार के अवसरों को और बढ़ायेंगे ।

(ख) हर वर्ष रोजगार पाने वाले बेरोजगार युवकों की संख्या का अनुमान लगाना कठिन है ।

(ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा एकत्र किए गए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार 1990-91 के दौरान कुल औद्योगिक विकास दर 8.4% थी जो कि लगभग उतनी ही है जितनी पिछले

वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई थी। जैसाकि ऊपर बताया गया है, औद्योगिक नीति में किए गए उपायों से कुल औद्योगिक उत्पादन और बढ़ेगा।

(घ) सरकार ने लघु, अति लघु तथा ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने व मजबूत करने के लिए हाल में 6 अगस्त, 1991 को नीति सम्बन्धी उपाय भी घोषित किए हैं। इन उपायों में अति लघु उद्यमों में निवेश की सीमा को 2 लाख रु० से बढ़ाकर 5 लाख रु० किया जाना, एकीकृत आधारभूत विकास की एक नयी योजना तथा बाजार व निर्यात संवर्धन के उपाय तथा हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्रों सहित ग्रामोद्योगों के संवर्धन के लिए पर्याप्त ऋण देना और कृषि से भिन्न रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए के० वी० आई० क्षेत्र के कार्यकलापों में विस्तार करना सम्मिलित है।

राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित उपकरण

[अनुवाद]

4844. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर द्वारा किसी ऐसे उपकरण का विकास किया गया है जिससे हैंडपम्पों से स्वच्छ जल मिल सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगा;

(घ) क्या सरकार का देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस उपकरण को बड़े पैमाने पर उपयोग में लाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) जी हां, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (नीरी) ने एक हैंडपम्प अटैचेबल आयरन रिमूवल प्लांट (एच०पी०-आई०आर०पी०) का विकास किया है जिसे जब किसी हैंडपम्प से जोड़ा जाता है तो उसके एक उचित सीमा तक पानी में अतिरिक्त लोह अंशों को कम करने में सहायता मिलती है। मूल्यांकन परिणाम दर्शाते हैं कि इस प्रणाली में प्रतिलीटर 5 मिग्रा० से प्रतिलीटर 0.3 मिग्रा० से कम तक लौह अंशों को कम करने की क्षमता है। यह उन क्षेत्रों में अत्याधिक उपयोगी है जहां पानी में लौह सान्द्रण सापेक्षतया उच्चतर होता है।

(घ) से (च) इस प्रणाली का राष्ट्रीय पेय जल मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आसाम राज्य में पहले ही इस प्रकार के 240 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

उचित मूल्यों पर गेहूं की अनुपलब्धता

[हिन्दी]

4845. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **खाद्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं से गेहूं उचित मूल्यों पर उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो किसानों और उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर गेहूं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार देश भर में एक समान दर (केन्द्रीय निर्गम मूल्य) पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पर्याप्त मात्रा में गेहूं का आबंटन करती है। राज्य/संघ शासित प्रदेश इसमें कुछ मार्जिन शामिल कर लेते हैं और इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूं का निश्चित खुदरा मूल्य राज्य प्रति राज्य भिन्न-भिन्न होगा। गेहूं का वर्तमान केन्द्रीय निर्गम मूल्य 234 रु० प्रति क्विंटल है और इसमें पर्याप्त राजसहायता होती है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को उचित दामों पर गेहूं मिल सके। राज्य किसानों और उपभोक्ताओं सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी लाभभोगियों को गेहूं की आबंटित मात्रा उपलब्ध करते हैं।

चेती चांद को सार्वजनिक अवकाश घोषित करना

4846. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास "चेती चांद" (सिन्धी दिवस) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों के लिए प्रत्येक वर्ष 3 वैकल्पिक अवकाश चुनने के प्रयोजन के लिए चेती चांद 12 अवसरों में से एक है। केन्द्रीय सरकार के प्रचालन कार्यालयों तथा औद्योगिक वाणिज्यिक तथा व्यापारिक संस्थापनाओं को भी यह विकल्प उपलब्ध है कि वे चेती चांद को छुट्टियों की अनुमत्य संख्या के भीतर, प्रत्येक वर्ष एक छुट्टी के रूप में शामिल कर ले।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत धनराशि का आबंटन

4847. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पहाड़ी और मरू क्षेत्रों के लिए अधिक अनुदान देने हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने यह स्वीकार किया है कि राजस्थान के ग्यारह जिले जिनमें जालौर, सीकर और गंगानगर भी शामिल हैं, थार मरूस्थल क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं;

(ग) क्या संघीय सरकार ने उक्त तीन जिलों को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत विशेष अनुदान देने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो वित्तीय सहायता कब तक दी जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तथा (ङ) भारत सरकार ने वर्ष 1990-91 में राजस्थान सरकार द्वारा दिए गए सुझावों को मान लिया है कि राज्य में जिलों को आवंटन निर्धारित मानदण्डों के आधार पर ही किया जाए अर्थात मरूभूमि और अन्य जिलों में कोई भेद न किया जाए।

राजस्थान द्वारा प्रस्तुत पेय जल योजना

4848. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य के डाकू-ग्रस्त पांच जिलों को पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) वित्त मंत्रालय द्वारा 34.95 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली योजना को द्विपक्षीय सहायता के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय को भेज दिया गया है।

डी० पी० ए० पी० और डी० डी० पी० के अन्तर्गत राजस्थान को धनराशि प्रदान करना

4849. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान को वर्ष 1991-92 के दौरान क्षेत्रीय विकास के लिए कार्य दल द्वारा अनुशंसित धनराशि प्रदान करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख) सरकार को क्षेत्रीय विकास हेतु किसी कार्यदल और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के लिए निधियों के आबंटन हेतु इसकी सिफारिशों के बारे में जानकारी नहीं है।

तथापि, 8वीं पंचवर्षीय योजना आयोग द्वारा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के बारे में गठित एक कार्य-दल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसकी रिपोर्ट में भी, राजस्थान सहित सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरू-भूमि विकास कार्यक्रम क्षेत्रों के लिए निधियों के आबंटन के मानदण्ड और स्वरूप के बारे में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की गई है।

जल आपूर्ति योजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

4850. **श्री दाऊ दयाल जोशी** :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने जल आपूर्ति परियोजनाओं के विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने ग्रामीण जल सप्लाई क्षेत्र के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है ।

(ख) तथा (ग) विश्व बैंक द्वारा 5 जून, 1991 को समेकित महाराष्ट्र ग्रामीण जल सप्लाई तथा पर्यावरण स्वच्छता सम्बन्धी परियोजना का अनुमोदन कर दिया गया है जिस पर 140.7 मिलियन अमरीकी डालर का अनुमानित खर्च अन्तर्ग्रस्त है जिसमें से अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता 109.9 मिलियन अमरीकी डालर होगी । ग्रामीण जल सप्लाई घटक द्वारा 1100 गांवों को कवर करने की सम्भावना है जिससे अनुमानतः 6,55,000 जनसंख्या को लाभ होगा । राजस्थान में फ्लोराइड से प्रभावित गांवों में 688.20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले ग्रामीण पेयजल सप्लाई परियोजना प्रस्ताव की तकनीकी जांच की जा रही है । विश्व बैंक मिशन उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में ग्रामीण जल सप्लाई परियोजनाएं तैयार करने से सम्बन्धित विचार-विमर्श करने के लिए 23 अगस्त से 4 सितम्बर, 1991 तक कर्नाटक का दौरा करने के लिए इन दिनों भारत में है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर आरोप

[अनुवाद]

4851. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारियों पर कतिपय आरोप लगाये गये हैं और कितने अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों की इस समय जांच चल रही है;

(ख) प्रत्येक अधिकारी पर लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरात में चीनी कारखाने को अन्यत्र स्थापित करना

4852. **श्री काशीराम राणा** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने भरूच जिले में रोहिद ताल हंसोत में प्रस्तावित नए चीनी कारखाने की स्थापना के लिए निर्धारित स्थान को बदलकर सूरत जिले में मंगरोल तहसील, कोसम्बा करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां ।

(ख) लाइसेंस नीति सम्बन्धी सिद्धांतों की इस समय सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है । स्थान परिवर्तन के लिये अनुरोध पर उक्त समीक्षा के बाद विचार किया जाएगा ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में खाली पड़े आरक्षित पद

[हिन्दी]

4853. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा संवर्गों में कितने आरक्षित पद राज्य-वार खाली हैं; और

(ख) उक्त खाली पदों के कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) तथा (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में कोई भी पद विशेष रूप से अनु० जातियों तथा अनु०ज०जा० के लिए आरक्षित नहीं किए जाते हैं । तथापि इन सेवाओं में सीधी भर्ती के करते समय अनु०जातियों तथा अनु०ज०जातियों के लिए क्रमश: 15% और $7\frac{1}{2}$ के अनुपात में रिक्तियां आरक्षित की जाती हैं । ऐसी सभी आरक्षित रिक्तियां प्रति वर्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर भरी जाती है ।

सिगरेट निर्माता कम्पनियों द्वारा विज्ञापनों पर व्यय

4854. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में सिगरेट बनाने वाली कम्पनियां विज्ञापन और प्रचार पर अत्यधिक धनराशि खर्च करती हैं जिसके परिणामस्वरूप सिगरेट के मूल्य बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सिगरेट कम्पनी के पैकेटों पर प्रचार और विज्ञापन पर कितनी धन-राशि खर्च की जाती है;

(ग) क्या सरकार का इन कम्पनियों द्वारा प्रचार पर किए जा रहे व्यय पर प्रतिबन्ध लगाकर सिगरेट के मूल्यों में वृद्धि को रोकने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में आज तक कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिगरेट कम्पनियां विज्ञापन पर कुछ धन खर्च करती हैं। लेकिन प्रत्येक सिगरेट कम्पनी के इस प्रकार के विशिष्ट खर्चों के बारे में कोई केन्द्रीयकृत सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) से (ङ) जी, नहीं । सिगरेट के मूल्यों पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है और न ही इस उद्योग पर इस प्रकार का मूल्य नियन्त्रण लागू करना जरूरी समझा जाता है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को योजनागत राशि

[अनुवाद]

4855. डा० **असीम बाला** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को योजनागत राशि की स्वीकृति के लिए दिशानिर्देश क्या हैं;

(ख) क्या स्वीकृत योजनागत राशि का उपयोग केवल विशिष्ट प्रयोजनों के लिए ही करना पड़ता है;

(ग) क्या स्वीकृत धनराशि और उसके उपयोग के सम्बन्ध में उपक्रमों द्वारा संघ सरकार को कोई उपयोग-प्रमाणपत्र/प्रपत्र प्रस्तुत करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने में निहित मदों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोई उपक्रम योजनागत राशि का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकता है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को योजना राशियों की स्वीकृति सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों से परियोजनाओं/प्रस्तावों को प्राप्त होने के आधार पर तथा उनको जांच करने के उपरांत उनके परामर्श से दी जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

किसान की वास्तविक आय

4856. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 की तुलना में, कृषि क्षेत्र और गैर-कृषि क्षेत्र से औसत आय का अद्यतन अनुपात कितना है;

(ख) क्या अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों की आय की तुलना में एक किसान की वास्तविक आय में कमी आती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो किसान की वास्तविक आय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) कृषि से गैर-कृषि क्षेत्रकों की आय (निवल घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर) का अनुपात वर्ष 1989-90 में 0.4327 तथा 1970-71 में 0.7860 था।

(ख) व्यवसायों के आधार पर राष्ट्रीय आय के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने तथा किसान की वास्तविक आय में वृद्धि करने के मुख्य

उद्देश्य के साथ कई कार्यक्रमों तथा स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें आधारित संरचना का विकास, बीजों की उच्च पैदावार वाली किस्मों को विकसित तथा वितरित करना, उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति तथा समर्थन कीमतें शामिल हैं।

गेहूं के मूल्य में वृद्धि

4857. **श्री गुरुदास कामत** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गेहूं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) गेहूं की नई फसल की आमद होने से गेहूं के थोक मूल्य सूचकांक में मार्च, 1991 से मई, 1991 के दौरान गिरावट आई लेकिन मई, 1991 के बाद इसमें सामान्यतया वृद्धि होनी शुरू हो गई। गेहूं का अनन्तिम थोक मूल्य सूचकांक जून के 173.1 से बढ़कर जुलाई, 1991 में 174.4 पर पहुंच गया और इस प्रकार इसमें केवल 0.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि सभी जिन्सों के अनन्तिम थोक मूल्य सूचकांक में 1.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(ग) सरकार स्थिति पर निगरानी रख रही है और जब कभी आवश्यक हुआ वह उपयुक्त उपाय करेगी।

अरावली विकास बोर्ड की स्थापना

4858. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अरावली विकास बोर्ड की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, इंडिया

4859. **श्री गुरुदास कामत** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, इण्डिया अपने उद्योगों का विस्तार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) इस मन्त्रालय को मै० ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड इण्डिया से रत्नागिरि, महाराष्ट्र में बीयर तैयार करने के लिए केवल एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी जांच की जा रही है।

बिहार में पेट्रो-रसायन उद्योग

4860. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पेट्रोरसायन उद्योग का विस्तार तथा विकास करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के लिए कोई नई नीति अपनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) नई औद्योगिक नीति में पेट्रो रसायन क्षेत्र की अधिकांश मदें लाइसेंसमुक्त कर दी गई हैं और यह आशा की जाती है कि बिहार सहित राज्यों में उद्योग के विकास के लिए इससे प्रेरणा मिलेगी ।

इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में नए सेवा नियम

4861. **डा० असीम बाला** :

श्री सुधीर गिरि : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने मार्च, 1990 में अपनी सेवा नियम पुस्तक में एक नया नियम जोड़ दिया है जिसके अन्तर्गत स्थाई कर्मचारियों की सेवाएं कोई जांच किये बिना ही समाप्त की जा सकेंगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय की जानकारी है जिसके अनुसार स्थाई कर्मचारियों की सेवाएं बिना जांच किये समाप्त नहीं की जा सकेंगी;

(ग) यदि हां, तो यह नियम पारित करने और इसे नियम पुस्तक में जोड़ने के क्या कारण हैं; और

(घ) कर्मचारियों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिये क्या उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) मार्च, 1990 में आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली, 1978 में एक नया नियम 30(क) जोड़ दिया गया था। इस नियम में निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों में बिना जांच के नोटिस देकर किसी स्थायी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने का उपबन्ध है :—

(1) यदि कर्मचारी द्वारा धारित पद समाप्त हो जाता है;

(2) यदि कोई कर्मचारी बीमारी के आधार पर कम्पनी की सेवा के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाता है; और

(3) यदि कोई कर्मचारी 30 दिनों या इससे अधिक अवधि के लिए अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है ।

इस नियम में निम्नलिखित उपबन्ध भी हैं :—

(1) ऊपर (i) और (ii) के मामले में किसी स्थायी कर्मचारी की तीन महीने का नोटिस देने के बाद और अस्थायी कर्मचारी को एक महीने के नोटिस के बाद अथवा दोनों मामले में उसके बदले वेतन देकर सेवाएं समाप्त की जाएंगी ।

(2) ऊपर (iii) के मामले में यदि कोई कर्मचारी कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने आचरण को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं करता है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। प्रबन्धक वर्ग को आगे बिना किसी पूछताछ के निर्णय लेने का अधिकार होगा।

(3) (क) ऊपर (iii) के मामले में निर्णय अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित की गयी दो निदेशकों/कार्यकारी निदेशकों की जांच समिति के पूर्व अनुमोदन से ही लिया जाएगा।

(ख) इस निर्णय के कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० के निदेशक मंडल द्वारा नियम 30(क) जम्मू एण्ड कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की नियमावली में कुछ संशोधनों को वैध ठहराते समय 1985 की सिविल अपील 3154 और 3155 में प्यारे लाल शर्मा बनाम प्रबन्ध निदेशक और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप जोड़ा गया है। इस प्रक्रिया के लिए अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित की जाने वाली 2 निदेशकों/कार्यकारी निदेशकों की जांच समिति की पूर्व स्वीकृति से ली जायेगी।

तमिलनाडु को केन्द्रीय सहायता

4862. **श्री के० तुलसीऐया वान्डायार** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में विभिन्न कल्याण और विकास योजनाओं के लिए गत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्य सरकार को कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ख) कल्याण और विकास की विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने की व्यवस्था की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) राज्यों को केन्द्रीय सहायता स्कीमवार आधार पर नहीं अपितु ब्लॉक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है। विगत तीन वार्षिक योजनाओं के दौरान तमिलनाडु को दी गई सामान्य केन्द्रीय सहायता (सकल) को नीचे दिया गया है :

	करोड़ रुपये में
1988-89	348.09
1989-90	364.49
1990-91	404.70

राज्य योजना स्कीमों की मानिटरिंग स्वयं राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है। तथापि, वार्षिक योजनाओं के तहत व्यय की समग्र रूप में तिमाही आधार पर पुनरीक्षा करने का केन्द्रीय स्तर पर प्रयास किया जा रहा है।

तमिलनाडु में लघु उद्योग

4863. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान संघ सरकार द्वारा तमिलनाडु में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए;

(ख) इसके लिए अनुदान की कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ग) इन उद्योगों का कार्यनिष्पादन क्या रहा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) किसी लघु उद्योग क्षेत्र एकक को कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए मानदण्ड

4864. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए मानदण्डों में कुछ परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं और किस तिथि से नयी प्रक्रिया प्रभावी होगी;

(ग) क्या नयी औद्योगिक नीति को देखते हुए मानदण्डों के परिवर्तनों को प्रभावी बनाया जाएगा; और

(घ) मानदण्डों की प्रक्रिया में परिवर्तन देश के औद्योगिकीकरण में किस प्रकार सहायक होंगे तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) जी, हां। 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में रखे गये औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में औद्योगिक लाइसेंसीकरण के मानकों में परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है। इन परिवर्तनों को 25 जुलाई, 1991 को अधिसूचित किया जा चुका है।

(घ) जैसाकि वक्तव्य में बताया गया है, नयी औद्योगिक नीति पैकेज के मुख्य उद्देश्य पहले से प्राप्त लाभों को सुदृढ़ करना जिन विकृतियों अथवा कमजोरियों की सम्भावना है, उनको सुधारना, उत्पादकता तथा लाभकारी रोजगार में निरन्तर वृद्धि कायम रखना और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्राप्त करना है। लाइसेंसीकरण से छूट देना विशेषरूप से ऐसे बहुत से गतिशील छोटे तथा मझौले उद्यमियों के लिए सहायक होगा, जिनके सामने लाइसेंसीकरण प्रणाली से अनावश्यक बाधाएं आई हैं।

सीमेंट का मूल्य

4865. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1991 से सीमेंट के मूल्यों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है और जनवरी, 1991 और जुलाई, 1991 की स्थिति के अनुसार सीमेंट के फुटकर तथा थोक मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) सीमेंट के मूल्य में वृद्धि होने के मूल कारण क्या हैं और इसके मूल्य में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) सीमेंट के उत्पादन लागत में कितनी वृद्धि हुई और इस लागत वृद्धि का कितना भार उपभोक्ता पर डाल दिया गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) 1-1-91 तथा 31-7-91 की स्थिति के अनुसार चार महानगरों में सीमेंट की 50 कि० ग्रा० की प्रति बोरी का खुदरा मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है। इस अवधि के दौरान, सीमेंट के खुदरा मूल्य में 10 रु० से 21 रु० प्रति बोरी वृद्धि हुई है। जहां तक थोक-मूल्यों का सम्बन्ध है, औसत मूल्य खुदरा मूल्य की अपेक्षा 3 रु० से 6 रु० प्रति बोरी कम था।

(ख) इस मूल्य वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं :—

1. मांग तथा सीमेंट की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन।

2. निविष्टियों तथा वितरण लागत की बढ़ती हुई लागत।

3. स्थानीय अवसंरचना तथा उत्पादन अवरोध।

सरकार का निरन्तर प्रयास सीमेंट उत्पादन को बढ़ाना तथा उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है, सरकार, सीमेंट उद्योग को कोयला, रेलवे वैगन तथा अन्य आधार भूत सहायता की उपलब्धता पर कड़ी निगरानी कर रही है और जहां कहीं आवश्यक होता है उपचारीय कार्यवाही की जाती है।

(ग) उत्पादन की वास्तविक लागत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तथा अलग-अलग सीमेंट एकक में अलग-अलग होती है। इस समय, सीमेंट के मूल्य एवं वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। इन परिस्थितियों में इसका मूल्यांकन करना व्यवहारिक नहीं है कि उपभोक्ता पर उत्पादन की बढ़ी हुई लागत का कितना प्रभाव पड़ा है।

विवरण

1-1-91 तथा 31-7-91 की स्थिति के अनुसार चार महानगरों में सीमेंट की 50 किग्रा० की प्रति बोरी के खुदरा मूल्य

नगर का नाम	की स्थित के अनुसार मूल्य		(रुपये में)
	1-1-91	31-7-91	अन्तर
दिल्ली	95-97	110-115	+18
कलकत्ता	95-102	113-123	+21
बंबई	95-100	105-120	+20
मद्रास	87-92	97-102	+10

नोट : दिखाया गया अन्तर बताये गये अधिकतम मूल्यों के अनुसार है।

दूरदर्शन के समाचार वाचकों की कार्य-कुशलता

4866. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के समाचार वाचकों के कार्य-कुशलता की पुनरीक्षा की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके कार्यकरण में कोई परिवर्तन अथवा उनके समाचार वाचन के निर्धारित समयों में कोई फेर बदल किया गया है या इनमें से किसी को समाचार वाचन से हटाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या समाचार वाचकों ने इस कार्यवाही के विरोध में अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) पुनरीक्षा के फलस्वरूप समाचार वाचकों के सामान्य कार्यकरण में अथवा उनके समाचार वाचन के निर्धारित समयों में कोई फेर बदल नहीं किया गया है और न ही किसी को समाचार वाचन से हटाया गया है ।

(घ) और (ङ) समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार के आधार पर कुछ समाचार वाचकों ने एक अभ्यावेदन किया है ।

दूरदर्शन का मत है कि समाचारवाचकों के कार्य निष्पादन में और सुधार लाने के लिए उन्हें और प्रशिक्षण की आवश्यकता है ।

सहकारी समितियों के कामगारों को भूमि के आबंटन सम्बन्धी नीति

[हिन्दी]

4867. **श्री रामशरण यादव** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नमक तैयार किए जाने हेतु विभिन्न राज्यों में सहकारी समितियों के कामगारों को केन्द्रीय सरकार की भूमि प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है; और

(ख) क्या यह भूमि निर्धारित दरों पर आबंटित की जाती है अथवा इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) अन्य बातों के साथ-साथ नमक निर्माता राज्यों में सहकारी समितियों को निविदाओं के आधार पर पट्टे पर विशेष अवधि के लिए नमक के निर्माण के लिए नमक विभाग की भूमि आबंटित की जाती है ।

जबलपुर में टेलीविजन ट्रांसमीटर

[अनुवाद]

4868. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने जबलपुर में 10 किलोवाट क्षमता का टेलीविजन ट्रांसमीटर चालू करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) क्या इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है; यदि नहीं, तो यह कार्य निर्धारित समय-सारणी से कितना पीछे है और इनके क्या कारण हैं; और

(ग) ट्रांसमीटर के टावर का कार्य किस तिथि को पूरा हो जाने की सम्भावना है तथा कार्यक्रमों का प्रसारण कब से शुरू होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) शुरू में, जबलपुर में उच्च शक्ति (10 कि०वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर के वर्ष 1991-92 के दौरान चालू किए जाने की योजना थी।

(ख) और (ग) टावर स्थल के निकट एक इमारत होने के कारण, स्थानीय प्राधिकारियों ने वहां खुदाई करने के लिए चट्टान को विस्फोट द्वारा तोड़ने की अनुमति नहीं दी। चट्टान को हथौड़ों से तोड़ना पड़ा, जिस पर काफी समय लग गया। इसी प्रकार काफी समय लगने तथा अपेक्षित मात्रा में सीमेंट तथा स्टील खरीदने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन सब कारणों से टावर के निर्माण में कुछ विलम्ब हुआ।

वर्तमान संकेतों के अनुसार, इस ट्रांसमीटर के वर्ष 1993 के पूर्वार्द्ध में चालू हो जाने की आशा है।

थिएटर शो पर मनोरंजन कर की छूट

[हिन्दी]

4869. **श्री काशीराम राणा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी थिएटर शो को मनोरंजन कर से छूट देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) संविधान के अन्तर्गत राज्यों और केन्द्रीय सरकार को विधायी शक्तियां प्रदान करने की स्कीम में, फिल्मों के प्रदर्शन पर मनोरंजन कर लगाने के मामले में राज्य सरकारों को पूरे अधिकार दिए गए हैं। मनोरंजन कर लगाने के लिए राज्य सरकारों को हिदायतें जारी करने का केन्द्रीय सरकार को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। राज्य सूची सम्बद्ध प्रविष्टि का पाठ इस प्रकार है—

प्रविष्टि 62—विलास वस्तुओं पर कर, जिनके अन्तर्गत मनोरंजन, आमोद, दांव और द्यूत पर कर हैं।

(ख) सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) —यथोपरि—

आई-राममोहन राव समिति की रिपोर्ट लागू करना

[अनुवाद]

4870. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन फेडरेशन ऑफ स्मॉल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर ने आई-राममोहन राव समिति की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने रिपोर्ट को लागू करने के वास्ते पहले से ही कार्रवाई शुरू कर दी है।

सिनेमाघरों का बन्द होना

4871. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष बन्द हो गए सिनेमाघरों की संख्या कितनी है और इनके क्या कारण हैं; और

(ख) सिनेमा उद्योग को संकट से उबारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया का कन्यापुर यूनिट

4872. **श्री हाराधन राय** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में स्थित साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया की कन्यापुर यूनिट का आधुनिकीकरण और विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के पुनरूद्धार और पुनर्वास के लिए सरकार की योजनाएं हैं जिनमें संयंत्र और मशीनों का आधुनिकीकरण, कार्य-बलों का युक्तिकरण, कार्यशील पूंजी आदि के लिए पूंजी पुनर्संरचना तथा वित्तीय सहायता जैसे पहलू सम्मिलित हैं। तथापि, साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के विस्तार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्रेणी "ग" और "घ" आशुलिपिकों के रिक्त पद

4873. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कार्यालयों में श्रेणी "ग" और "घ" आशुलिपिकों के कितने पद खाली पड़े हैं और ये कब से खाली पड़े हैं; और

(ख) रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) तथा (ख) श्रेणी "ग" तथा "घ" आशुलिपिकों के पद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के सहभागी सम्बद्ध कार्यालयों, भारतीय विदेश सेवा (ख), रेलवे बोर्ड आशुलिपिक सेवा, सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा तथा कुछ अन्य समकक्ष संगठनों में फैले हुए हैं। ऐसे रिक्त पदों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

कर्मचारी चयन आयोग सम्बन्धित प्राधिकारियों से सीधी भर्ती/विभागीय परीक्षा कोटे के लिए भेजी गई मांग के अनुसार इन दोनों ग्रेडों में भर्ती के उद्देश्य से वार्षिक/आवधिक परीक्षाएं आयोजित करता है। कर्मचारी चयन आयोग ने आशुलिपिक ग्रेड "घ" खुली प्रतियोगी परीक्षा 1990 के माध्यम से अप्रैल, 1991 में 585 उम्मीदवार उपरोक्त सेवाओं में नियुक्ति के लिए नामित किए गए हैं। ग्रेड "ग" आशुलिपिक परीक्षा 1989 के माध्यम से भरने के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड "ग" की 286 रिक्तियों की सूचना कर्मचारी चयन आयोग को दी गई है। ग्रेड "ग" आशुलिपिक की पदोन्नति कोटे के माध्यम से नियुक्ति के लिए निर्धारित रिक्तियों को जब भी आवश्यक होता है संबंधित प्राधिकारियों द्वारा भरा जाता है। कर्मचारी चयन आमोग आशुलिपिकों की भर्ती के लिए अगली परीक्षाएं निम्न प्रकार से आयोजित कर रहा है :

आशुलिपिक ग्रेड "घ" परीक्षा, 1991	—	सितम्बर 1991
आशुलिपिक ग्रेड "ग" परीक्षा, 1990	—	दिसम्बर 1991

अतिचालकता (सुपर कन्डक्टिविटी) पर अनुसंधान-कार्य

4874. **श्री राधिका रंजन प्रमाणिक** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भौतिक प्रयोगशालाओं के नाम क्या हैं जहां अतिचालकता (सुपर कन्डक्टिविटी) पर अनुसंधान कार्य हो रहा है; और अतिचालकता (सुपर कन्डक्टिविटी) के अनुसंधान-कार्य में अद्यतन प्रगति कहां तक हुई है; और

(ख) सरकार का अतिचालकता (सुपर कन्डक्टिविटी) के अनुसंधान कार्य के सम्बन्ध में भविष्य के लिए क्या कार्यक्रम है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) अतिचालकता पर अनुसंधान कर रही प्रमुख राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं निम्नलिखित हैं :—

1. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली।
2. टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामैंटल रिसर्च, बम्बई।
3. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे।

4. साहा इंस्टीट्यूट आफ न्यूकलीयर फिजिक्स, कलकत्ता ।

5. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम ।

6. सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी ।

7. रक्षा धातुकर्मीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद ।

इन प्रयोगशालाओं के अलावा निम्नलिखित अन्य प्रमुख संस्थानों में भी अतिचालकता सम्बन्धी अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं :—भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, पूना विश्वविद्यालय, पुणे और भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० हैदराबाद का अनुसंधान और विकास एकक ।

देश में काफी बुनियादी अनुसंधान कार्य किया जा चुका है । आक्साइड अतिचालकों के क्षेत्र में बुनियादी अध्ययन से हाल ही में प्राप्त कुछ और प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं :—

* विभिन्न क्यूप्रेट अतिचालकों में संरचना, भौतिक गुणों और प्रतिस्थापनों का अध्ययन ।
* थाइलियम पर आधारित अतिचालकों की नई किस्म का संश्लेषण ।
* आक्साइड अतिचालक में अननुनादी माइक्रोवेव अवचूषण का प्रथम अध्ययन ।

अतिचालकता अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को उनके अनुप्रयोगों को देखते हुए भी चलाया गया है । कुछेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :—

* बल्क आक्साइड अतिचालक में माइक्रोब्रिज पर आधारित उच्च तापमान वाली "स्किवड" का विकास ।
* चुम्बकीय अतिचालकता चुम्बकों का इस्तेमाल करते हुए चुम्बकीय अयस्क पृथक्कारी का विकास ।

(ख) सरकार, अतिचालकता क्षेत्र में दोनों बुनियादी और प्रायोगिक अनुसंधान कार्यकलापों को बढ़ावा देना जारी रखेगी । वास्तविक प्रयोग के लिए उपलब्धियों के आधार पर, जैसे कि ऊपर दो बताई गई हैं, विकसित सम्पूर्ण प्रणाली को बल मिलेगा ।

महाराष्ट्र में पौष्टिक आहार उद्योग

[हिन्दी]

4875. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 के दौरान, माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र के किन-किन शहरों में पौष्टिक आहार उद्योग स्थापित किए गए हैं अथवा स्थापित करने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : कम्पनी ने महाराष्ट्र राज्य में कोई पौष्टिक आहार उद्योग स्थापित नहीं किया है और वर्ष 1991-92 के लिए भी इसके पास कोई प्रस्ताव नहीं है ।

महाराष्ट्र में भारतीय सीमेंट निगम की परियोजनाएं

4876. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम ने महाराष्ट्र में कुछ परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब शुरू होने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र को इलेक्ट्रानिक एककों के लिए सहायता

4877. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा महाराष्ट्र को वहां पर स्थित इलेक्ट्रानिक एककों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु उठाये गये अथवा प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है/करने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारें राज्य में इलेक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी हैं तथा अनुकूल वातावरण तैयार करती हैं और इलेक्ट्रानिकी विभाग आवश्यक मार्गदर्शन देता है तथा अनुमोदन जारी करने के सम्बन्ध में कार्रवाई करता है। यह विभाग जनशक्ति विकास और शिक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण तथा मानकीकरण इलेक्ट्रानिकी में अनुसंधान तथा विकास आदि जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए सहायता भी उपलब्ध कराता है ।

महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रानिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम (मेलट्रान) की स्थापना की है । इलेक्ट्रानिकी विभाग ने महाराष्ट्र में इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए 'मेलट्रान' के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है :—

(एक) इलेक्ट्रो-चिकित्सकीय उपस्करों की मरम्मत तथा रख-रखाव से सम्बन्धित कार्यक्रम जिसके लिए 7.82 लाख रुपये की राशि अब तक मंजूर की गई है ।

(दो) ग्रामीण इलेक्ट्रानिकी रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित संगठनों को धनराशि मंजूर की गई है :—

(क) मैसर्स चेतक वीडियो ट्रानिक्स लिमिटेड, वाड़ा, महाराष्ट्र को 3 लाख रुपये ।

(ख) मैसर्स साफ्टएज एक्सपोर्ट्स प्रा० लिमिटेड, बम्बई को 12.5 लाख रुपये ।

(ग) मैसर्स मेलट्रान को 15 लाख रुपये ।

(तीन) इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा मेलट्रान ने पुणे में संयुक्त रूप से एक इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र की स्थापना की है, वर्ष 1991-92 के लिए अनुमानित व्यय की राशि 40 लाख रुपये है ।

(चार) इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा औरंगाबाद में संयुक्त रूप से इलेक्ट्रानिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी० ई० डी० टी०) की स्थापना की गई है। इस परियोजना का अनुमानित परिव्यय 620 लाख रुपये है।

(पांच) इलेक्ट्रानिकी विभाग के मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम, के अन्तर्गत राज्य सरकार के साथ मिलकर संयुक्त रूप से एक इलेक्ट्रानिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र (ई० टी० डी० सी०) की स्थापना की गई है। इस परियोजना का अनुमानित परिव्यय 100 लाख रुपये है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त इलेक्ट्रानिकी विभाग के नियंत्रण में पुणे में निम्नलिखित तीन केन्द्रों की स्थापना स्वायत्त संस्थाओं के रूप में की गई है :—

—इलेक्ट्रानिकी सामग्री प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-मेट);

—उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक); और

—सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क।

उड़ीसा में खाद्य तेल के कारखाने

[अनुवाद]

4878. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की उड़ीसा में कुछ खाद्य तेल की मिलों की स्थापना करने की योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संघ सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) उड़ीसा सरकार ने इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं दिया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में चमड़ा-माल उद्योग

4879. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में चमड़ा-माल उद्योग स्थापित करने की काफी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए उड़ीसा सरकार से प्राप्त विशिष्ट प्रस्ताव क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर मंजूरी देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्र सरकार को अनुमति के लिए उड़ीसा सरकार से कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय भण्डार द्वारा वस्तुओं की खरीद में कथित अनियमितताएं

4880. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार द्वारा निम्न मूल्य दर के विरूद्ध उच्च मूल्य दर की वस्तुएं खरीदने और इसके साथ ही निम्न मूल्य दर की वस्तुओं की निर्धारित मात्रा की तुलना में उच्च मूल्य दर की वस्तुओं की अधिक मात्रा में खरीद किए जाने में भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विगत समय से केन्द्रीय भण्डार द्वारा क्षतिग्रस्त सामान के रूप में अच्छे सामान की बिक्री के बड़े पैमाने पर किए गए घोटाले की जांच में कोई प्रगति हुई है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(च) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उक्त मामले पर शीघ्र अन्तिम निर्णय लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) जी, नहीं। केन्द्रीय भण्डार एक उपभोक्ता सहकारी समिति है जिसकी जिम्मेदारी ग्राहकों की मांग के अनुसार अनिवार्य वस्तुओं तथा उपभोग्य वस्तुओं की बिक्री करना/उनको उपलब्ध कराना है। केन्द्रीय भण्डार के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित खरीद नीति के अनुसार, विभिन्न बिक्री केन्द्रों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं टेंडर पद्धति द्वारा प्रतियोगी दरों पर खरीदी जाती हैं। टेंडर स्वीकार करते समय निम्नतम स्वीकार्य मूल्य के अनुसार उद्धृत दरों के अतिरिक्त ऊंची दरों के लोकप्रिय/क्वालिटी उत्पादों को भी अनुमोदित किया जाता है। किन्हीं वस्तुओं की खरीद की मात्रा को उपभोक्ता की मांग/उक्त वस्तु की बिक्री के अनुरूप खरीदा जाता है।

(घ) से (च) केन्द्रीय भंडार में क्षतिग्रस्त वस्तुओं के मामलों में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा संचालित जांच पूरी की जा चुकी है तथा रिपोर्ट इस मंत्रालय में प्राप्त हो गई है। रिपोर्ट की सिफारिशों/निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की गई है।

काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नालाजी (कैपार्ट) के विरुद्ध भ्रष्टाचार अनियमितताओं के कथित आरोप

[हिन्दी]

4881. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नालाजी (कैपार्ट)—लोक कार्य तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद के विरूद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का इस संस्था की गतिविधियों की जांच करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (घ) जी, हां। लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों में कोई वास्तविकता नहीं पाई गई है।

जहानाबाद, बिहार में मत्स्य प्रसंस्करण एकक

[अनुवाद]

4882. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रचुर मात्रा में मत्स्य तथा अन्य उत्पादों का सदुपयोग करने हेतु क्या बिहार के जहानाबाद जिले में एक मत्स्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने परियोजना को स्वीकृति दी है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राजस्थान में औद्योगिक एककों में पूंजी निवेश

4883. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में नये औद्योगिक एककों में पूंजी-निवेश के बारे में अनेक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान इस राज्य में औद्योगिक एककों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने प्रतिशत पूंजी का निवेश किया गया;

(ग) क्या सरकार को राजस्थान में नये औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान राज्य में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए आशय पत्रों की मंजूरी हेतु 172 प्रस्ताव लम्बित पड़े थे।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों द्वारा निवेश का राज्यवार प्रतिशत 1989-90 तक ही उपलब्ध है। 1988-89 में राजस्थान के लिए उक्त प्रतिशत 1.44 था तथा 1989-90 में यह 1.51 था।

(ग) तथा (घ) 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा निवेश निगम लि० से राजस्थान में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए आशय पत्र की मंजूरी

हेतु प्राप्त 6 प्रस्ताव विचाराधीन थे। विनिर्माण की प्रस्तावित मदों में टमाटर की चटनी/सार, वनस्पति, टूल-रूम उत्पाद, मेथेनॉल तथा अल्फाज ओलिफिन सल्फोनेट शामिल हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

[हिन्दी]

4884. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य-वार भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुल कितने अधिकारी हैं;

(ख) उनमें से कितने अधिकारी पृथक-पृथक रूप से ग्रामीण और शहरी पृष्ठभूमि के हैं;

(ग) क्या सरकार के पास इस प्रतिष्ठित पद पर ग्रामीण प्रतिभाओं को नियुक्त करने की कोई विशेष योजना है; और

(घ) उनमें से कितने अधिकारी राज्य-वार क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) देश में 1-8-1991 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कुल संख्या 5334 है। संवर्ग-वार पद संख्या संलग्न विवरण "क" पर दर्शाई गई है।

(ख) जहां तक भारतीय प्रशानिक सेवा के ग्रामीण तथा शहरी पृष्ठभूमि वाले अधिकारियों से सम्बन्धित सूचना का प्रश्न है, यह सूचना 1-1-1991 को भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत अधिकारियों के बारे में उपलब्ध है। सूचना संलग्न विवरण "ख" पर दर्शाई गई है।

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, पूर्णतया योग्यता के आधार पर की जाती है। चयन प्रक्रिया इस तरह से तैयार की गई है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका झुकाव किसी विशेष पृष्ठ-भूमि वाले उम्मीदवारों की तरफ न हो।

(घ) जैसा कि संलग्न विवरण "क" में दिया गया है।

विवरण—क

भा० प्र० से० के अधिकारियों की कुल संख्या (1-8-1991 की स्थिति के अनुसार) तथा उनके मुकाबले भा० प्र० से० के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या को संवर्ग-वार दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य	भा०प्र०से० के अधिकारियों की कुल संख्या	उनमें से अनु० जा० के अधिकारियों की सं०	अनु०जन० जा० के अधिकारियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	असम-मेघालय	213	6	32
2.	आंध्र प्रदेश	331	43	14
3.	बिहार	408	37	24

1	2	3	4	5
4.	गुजरात	253	25	9
5.	हिमाचल प्रदेश	140	11	12
6.	हरियाणा	233	34	2
7.	जम्मू तथा कश्मीर	118	7	4
8.	केरल	195	24	6
9.	कर्नाटक	265	37	9
10.	महाराष्ट्र	356	43	12
11.	मध्य प्रदेश	398	42	20
12.	मणिपुर-त्रिपुरा	171	5	30
13.	नागालैंड	60	—	21
14.	उड़ीसा	216	18	6
15.	पंजाब	197	28	1
16.	राजस्थान	263	25	14
17.	सिक्किम	59	3	15
18.	तमिलनाडु	339	47	10
19.	उत्तर प्रदेश	554	77	11
20.	संघ शासित क्षेत्र	245	24	18
21.	पश्चिम बंगाल	320	30	15
	कुल	5334	566	285

विवरण—ख

भारतीय प्रशा० सेवा० के अधिकारियों की कुल संख्या तथा उनके मुकाबले
शहरी तथा ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले अधिकारियों की संख्या को
संवर्ग-वार (1-1-91 की स्थिति के अनुसार)
दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य	भा० प्र० से० के अधिकारियों की कुल संख्या	इनमें से निम्नलिखित अधिकारियों की संख्या शहरी	ग्रामीण
1	2	3	4	5
1.	*असम-मेघालय	196	131	65
2.	आंध्र प्रदेश	312	217	95
3.	बिहार	383	270	113
4.	गुजरात	241	150	91

1	2	3	4	5
5.	हिमाचल प्रदेश	129	94	35
6.	हरियाणा	206	171	35
7.	जम्मू तथा कश्मीर	98	54	44
8.	केरल	161	99	62
9.	कर्नाटक	258	187	71
10.	महाराष्ट्र	339	225	114
11.	मध्य प्रदेश	378	283	95
12.	*मणिपुर-त्रिपुरा	135	106	29
13.	नागालैंड	51	28	23
14.	उड़ीसा	202	121	81
15.	पंजाब	177	141	36
16.	राजस्थान	241	173	68
17.	सिक्किम	44	23	21
18.	तमिलनाडु	305	220	85
19.	उत्तर प्रदेश	530	390	140
20.	**संघ शासित क्षेत्र	197	138	59
21.	पश्चिम बंगाल	298	235	63
	कुल	4881	3456	1425

* असम तथा मेघालय और मणिपुर तथा त्रिपुरा संयुक्त संवर्ग है।

** अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, संघ शासित क्षेत्र शामिल है।

भद्रक और बालेश्वर में कम शक्ति वाले दूरदर्शन केन्द्र

[अनुवाद]

4885. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भद्रक और बालासौर में लगाए गए कम शक्ति वाले दूरदर्शन केन्द्र इस समय काम नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उप मंत्री (श्री गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, नहीं।

भद्रक और बालासौर के अल्प शक्ति दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों के सामान्य रूप से कार्य करने की सूचना प्राप्त हुई है। उपकरणों में जब भी कोई खराबी पैदा होती है उसे शीघ्रता से दूर कर दिया जाता है। इन दोनों केन्द्रों को डीजल जैनरेटर दिये गये हैं ताकि बिजली फेल हो जाने की सूरत में रुकावट कम से कम हो।

पूर्वी अंचल को गेहूं और चावल जारी करना

4886. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून और जुलाई, 1991 के दौरान राज्यों के अनुरोध के अनुसार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय पूल से पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न राज्यों को कुल कितनी मात्रा में चावल और गेहूं जारी किया गया; और

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा कुल कितनी मांग की गई है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

पूर्वी जोन में स्थित राज्यों के बारे में जून और जुलाई, 1991 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु चावल और गेहूं की मांग और आबंटन को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

मास	राज्य	गेहूं		चावल	
		मांग	आबंटन	मांग	आबंटन
जून, 1991	बिहार	100.0	42.0	15.0	8.0
	उड़ीसा	35.0	25.0	30.0	26.0
	पश्चिम बंगाल	130.0	90.0	150.0	69.0
	सिक्किम	0.7	0.6	5.0	4.5
जुलाई, 1991	बिहार	100.0	42.0	15.0	8.0
	उड़ीसा	35.0	25.0	30.0	29.0
	पश्चिम बंगाल	130.0	90.0	150.0	69.0
	सिक्किम	0.7	0.6	5.0	4.5

उड़ीसा में दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र

4887. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में निर्माणाधीन आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों के नाम क्या हैं; और

(ख) इन केन्द्रों द्वारा कब तक कार्य करना आरम्भ कर देने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) (क) और (ख) वर्तमान में उड़ीसा में निर्माणाधीन रेडियो/दूरदर्शन परियोजनाओं तथा उन्हें पूरा किए जाने की योजना का विवरण नीचे दिया गया है :—

क्रम संख्या	परियोजना	स्थान	पूरा किए जाने की अवधि
आकाशवाणी			
1.	स्थानीय रेडियो स्टेशन	बहरामपुर	1991-92
2.	स्थानीय रेडियो स्टेशन	बोलनगीर	1992-93
3.	स्थानीय रेडियो स्टेशन	राऊरकेला	1992-93
4.	नया रेडियो स्टेशन	भवानीपटना	1991-92
5.	मौजूदा 20 कि०वा० मी० वेव ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ाकर 100 कि०वा० मी० वेव करना।	जैपोर	1991-92
दूरदर्शन			
1.	टी०वी० स्टूडियो केन्द्र	भुवनेश्वर	1991-92
2.	उच्च शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर	भवानीपटना	1991-92
3.	अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर	पुरी	1992-93

राज्यों को गेहूं और चावल जारी करना

4888. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय पूल से राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मांग पूरी करने के लिए गेहूं और चावल जारी किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों द्वारा की गयी मांग का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न का आबंटन, राज्यों की मांग, केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध स्टाक, बाजार में उपलब्ध मात्रा तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकताएं जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जून, 1991, जुलाई, 1991 तथा अगस्त, 1991 में उनकी मांग की तुलना में चावल तथा गेहूं का आबंटन निम्नवत किया गया है :—

(हजार मी० टन में)

	आवंटन मांग		आवंटन	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
जून, 91	1194.00	1247.15	880.45	761.05
जुलाई, 91	1194.25	1229.25	904.45	774.15
अगस्त, 91	1216.25	1215.65	1036.75	782.05

केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का आबंटन अनुपूरक स्वरूप का होता है तथा यह राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों की समूची मांग को पूरा करने के लिए नहीं होता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के चावल के आबंटन में, चालू महीनों के दौरान कमी की अवधि को ध्यान में रखने हुए, अगस्त, 91 के लिए वृद्धि की गई है।

विभिन्न राज्यों को पामोलीन तेल का आबंटन

[हिन्दी]

4889. **श्री राम बदन :**

श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1990 से आरम्भ होने वाले तेल वर्ष में विभिन्न राज्यों को जून, 1991 तक आयातित पामोलीन की राज्यवार कितनी-कितनी मात्रा आबंटित की गई;

(ख) अगले तीन महीनों के लिए विभिन्न राज्यों की उनकी आवश्यकतानुसार मांग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का राज्यों द्वारा की गई मांग को ध्यान में रखते हुए राज्यों के लिए आयातित पामोलीन के कोटे में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) नवम्बर, 1990 से जून, 1991 की अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित पामोलीन का किया गया राज्यवार आबंटन तथा जुलाई से सितम्बर, 1991 की अवधि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की खाद्य तेलों की राज्य-वार मांग का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ग) और (घ) आबंटन की मात्रा का निर्णय खाद्य तेलों का आयात शुरू होने के बाद किया जाएगा।

विवरण

(मात्रा मी० टन में)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नवम्बर, 90 से जून, 91 की अवधि के दौरान पामोलीन का किया गया आबंटन	जुलाई से सितम्बर, 91 की अवधि के लिए खाद्य तेल की मांग
1.	आंध्र प्रदेश	7,760	31,092
2.	अरूणाचल प्रदेश	150	प्राप्त नहीं हुआ
3.	असम	600	2,400
4.	बिहार	3,500	4,851

1	2	3	4
5.	गोवा	2,200	1,500*
6.	गुजरात	14,200	60,000
7.	हरियाणा	1,900	प्राप्त नहीं हुआ
8.	हिमाचल प्रदेश	2,750	3,000*
9.	जम्मू और कश्मीर	1,100	प्राप्त नहीं हुआ
10.	कर्नाटक	8,260	33,000
11.	केरल	7,460	18,000
12.	मध्य प्रदेश	8,500	30,000
13.	महाराष्ट्र	20,600	42,000*
14.	मणिपुर	600	1,800*
15.	मेघालय	600	1,050
16.	मिजोरम	1,100	1,200
17.	नागालैंड	2,400	1,500
18.	उड़ीसा	5,920	प्राप्त नहीं हुआ
19.	पंजाब	2,400	6,999
20.	राजस्थान	3,240	प्राप्त नहीं हुआ
21.	सिक्किम	500	450*
22.	तमिलनाडु	7,575	39,000
23.	त्रिपुरा	600	1,050
24.	उत्तर प्रदेश	6,000	39,000
25.	पश्चिम बंगाल	10,600	45,000
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	800	प्राप्त नहीं हुआ
27.	चण्डीगढ़	300	300
28.	दादरा व नगर हवेली	180	240
29.	दमण	200	300
30.	दीव	160	300
31.	दिल्ली	5,500	7,875
32.	लक्षद्वीप	240	120
33.	पाण्डिचेरी	950	2,400

* तेल वर्ष 1990-91 के लिए राज्यों की मांग के आधार पर परिकलित।

* राज्यों से प्राप्त हाल की रिपोर्ट के आधार पर।

उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन

4890. **श्री रामबदन** : क्या **योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं, वर्ष 1991-92 के लिए 3710 करोड़ रु० के अनुमोदित योजना परिव्यय के तहत वित्त पोषण स्कीम में निर्दिष्ट स्तरों के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसी अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में चीनी और मिट्टी के तेल पर कमीशन में वृद्धि

4891. **श्री रामबदन** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के राशन डीलर्स संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें मांग की गई है कि चीनी और मिट्टी के तेल पर दिए जाने वाले कमीशन में वृद्धि की जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन प्रसारण से लाभान्वित लोगों की संख्या

4892. **श्री रामबदन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जिला-वार कितने प्रतिशत लोग दूरदर्शन प्रसारण से लाभान्वित हैं;

(ख) क्या कुछ कम शक्ति वाले टेलीविजन ट्रांसमीटरों को बदल दिया गया है अथवा अभी बदला जाना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। जुलाई, 1984 में आगरा में लगाए गए अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर को बदलकर उसके स्थान पर अक्तूबर, 1984 में उच्च शक्ति (1 कि०वा०) ट्रांसमीटर लगाया गया। तत्पश्चात्, फरवरी, 1985 में इस ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 10 कि०वा० कर दी गई। बरेली के मौजूदा अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर, को बदलकर उसके स्थान पर उच्च शक्ति (10 कि०वा०) ट्रांसमीटर लगाने के लिए भी कदम उठाए गये हैं।

विवरण

उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन सेवा द्वारा कवर जनसंख्या की जिलावार प्रतिशतता

क्रम संख्या	जिला	मौजूदा ट्रांसमीटरों के कवरेज क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली जनसंख्या की अनुमानित प्रतिशतता
1.	आगरा	100
2.	अलीगढ़	100
3.	इलाहाबाद	100
4.	अल्मोड़ा	14
5.	आजमगढ़	100
6.	बहराइच	55
7.	बलिया	85
8.	बांदा	77
9.	बाराबंकी	100
10.	बरेली	52
11.	बस्ती	100
12.	बिजनौर	100
13.	बदायूं	26
14.	बुलन्दशहर	100
15.	चमोली	3
16.	देहरादून	86
17.	देवरिया	100
18.	एटा	91
19.	इटावा	100
20.	फैंजाबाद	100
21.	फरूखाबाद	70
22.	फतेहपुर	100
23.	गढ़वाल	53
24.	गाजियाबाद	100
25.	गाजीपुर	100
26.	गोंडा	67
27.	गोरखपुर	100

1	2	3
28.	हमीरपुर	43
29.	हरदोई	90
30.	जालौन	60
31.	जौनपुर	100
32.	झांसी	41
33.	कानपुर	100
34.	खीरी	32
35.	ललितपुर	42
36.	लखनऊ	100
37.	मैनपुरी	100
38.	मथुरा	100
39.	मेरठ	100
40.	मिर्जापुर	82
41.	मुरादाबाद	82
42.	मुजफ्फरनगर	100
43.	नैनीताल	53
44.	पीलीभीत	56
45.	पिथौरागढ़	26
46.	प्रतापगढ़	100
47.	रायबरेली	100
48.	रामपुर	83
49.	सहारनपुर	100
50.	शाहजहांपुर	51
51.	सीतापुर	100
52.	सुल्तानपुर	100
53.	टिहरी गढ़वाल	19
54.	उन्नाव	100
55.	उत्तरकाशी	13
56.	वाराणसी	100

टिप्पणी :

ऊपर दिए गए प्रतिशतता आंकड़े स्थानीय भूभागीय परिस्थितियों के अनुसार हैं तथा इसमें सम्बन्धित ट्रांसमीटरों के सेवा क्षेत्र के किनारे के क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या भी शामिल है, जहां अच्छी तस्वीर प्राप्त करने के लिए ऊंचे एंटीने तथा बूस्टर आदि लगाने पड़ते हैं।

बल्क औषधियों का आयात

[अनुवाद]

4893. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात की जा रही बल्क औषधियों के नाम क्या हैं;

(ख) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान कुल कितने मूल्य की बल्क औषधियों, इन्टरमिडिएट्स केमिकल सोल्वेंट्स आदि का आयात किया गया; और

(ग) देश में अधिकांश बल्क औषधियों के निर्माण की पर्याप्त अधिष्ठापित क्षमता के होने के बावजूद आयात करने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) उन प्रपुंज औषधों के नाम जिनका आयात किया जा रहा है और 1988-89 और 1989-90 के दौरान आयात किये गये प्रपुंज औषधों, मध्यवर्तियों और रसायनिक विलायकों की कीमत, जहां तक उपलब्ध हैं, इण्डियन ड्रग्स स्टेटिस्टिक्स 1989-90 में दी गई है, जिसकी प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ग) स्वदेशी मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच अन्तराल को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है । तथापि, जहां स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त है वहां इस प्रकार की मदों के आयात को उचित प्रशुल्क प्रणाली और आयात नीति द्वारा विनियमित किया जाता है ।

रूग्ण पेपर मिलें

4894. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी पेपर मिलें रूग्ण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उनमें से कुछ रुग्ण मिलों को फिर से चालू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 77 कागज एकक उत्पादन नहीं कर रहे हैं ।

(ख) और (ग) वित्तीय संस्थाएं तथा बैंक राज्य सरकारों/केन्द्र सरकार से परामर्श करके कागज कारखानों के निष्पादन पर कड़ी निगरानी रख रही हैं । ये संस्थाएं एवं बैंक अलग-अलग मामले आधार इन कागज कारखानों की जरूरत के आधार पर सहायता तथा रियायतें प्रदान कर रहे हैं और आधुनिकीकरण के लिए उदार नीति अपना रहे हैं । रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अनुसार एक औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड स्थापित किया गया है जो इस अधिनियम के कार्य-क्षेत्र में आने वाली रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों से सम्बन्धित विभिन्न उपाय करेगा ।

पश्चिम जर्मनी के सहयोग से उद्योग

4895. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से देश में कुल बड़े उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; ,

(ग) क्या पश्चिम जर्मनी के सहयोग से देश में ऐसे कुछ एकक पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) विदेशी सहयोग के लिए 19 आवेदन पत्र सरकार के पास विचारधीन हैं जो जर्मन जनवादी गणतंत्र की कम्पनियों द्वारा विदेशी इक्विटी की भागीदारी से सम्बन्धित हैं। नीति सम्बन्धी मामला होने के कारण सरकार के विचाराधीन विदेशी सहयोग के प्रस्तावों के बारे में विशिष्ट सूचना जनहित में प्रकट नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) पिछले कुछ वर्षों के दौरान विदेशी सहयोग, जिनमें जर्मन जनवादी गणतंत्र (तत्कालीन जर्मन प्रजातांत्रिक गणतन्त्र सहित) की कम्पनियों द्वारा विदेशी इक्विटी को भागीदारी अन्त-र्ग्रस्त है, के लिए किए गए अनुमोदनों से सम्बधित सूचना नीचे दी है :

वर्ष	किए गए अनुमोदनों की संख्या	अनुमोदित विदेशी निवेश की राशि (रुपए करोड़ में)
1986	40	20.16
1987	40	10.35
1988	47	40.00
1989	38	120.33
1990	40	19.51
1991 (जनवरी-जून)	10	22.61

सभी अनुमोदित विदेशी सहयोगों के ब्यौरे अर्थात भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों के नाम, विनिर्माण की मद, सहयोग का स्वरूप, भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मंथली न्यूज लैटर के अनुपूरक के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

बहु धात्विक पिण्डों के लिए सर्वेक्षण और खोज करना

4896. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र तल में पाये बहुधात्विक पिण्डों के लिए सर्वेक्षण और खोज जैसे कार्यक्रम के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का बहुधात्विक पिण्डों के निकालने हेतु विकास और अनुसंधान कार्यक्रम में तेजी लाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) भारतीय अग्रणी क्षेत्र में बहुधात्विक पिण्डिकाओं के अन्वेषण एवं सर्वेक्षण में हुई प्रगति में, मुक्त पतन

प्रतिचयन का पूर्ण होना क्षेत्र के मुख्य भागों के 12.5 कि०मी० ग्रेड क्षेत्र का तत्काल छायांकन, विशिष्ट लक्ष्य स्पेड कोडिंग (फावड़े से खोदना) एवं अग्रणी क्षेत्र के 50 प्रतिशत समुद्र तल में निरन्तर वेथीमेट्रिक मानचित्रण, सम्मिलित है।

(ख) जी हां, श्रीमन।

(ग) केन्द्रीय मैनिकल इन्जीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर का अग्रणी एजेंसी के रूप में एवं देश के विभिन्न विशेषज्ञों की सहायता से, गहन समुद्र संस्तर खनन प्रणाली का अभिकल्पन एवं विकास प्रारम्भ किया गया है। तीन राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (जमशेदपुर), क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (भुवनेश्वर) एवं हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, पिण्डिकाओं से खनिज निकालने की प्रक्रिया के विकास में लगी है। पिण्डिकाओं से खनिज निष्कर्षण हेतु धातुकर्म प्रक्रमों के विकास पर प्रयोगशाला अनुसंधान कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अगले वर्ष के प्रारम्भ में स्थापित किये जाने वाले प्रारम्भिक संयंत्रों में इन प्रक्रियाओं का बड़े पैमाने पर परीक्षण किया जाएगा।

लेवी चीनी जारी करने से छूट

[हिन्दी]

4897. **श्री नवल किशोर राय** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने लेवी चीनी कारखाना, सीतामढ़ी को सार्वजनिक वितरण के लिए लेवी चीनी जारी करने से छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कारखाने को कितनी अवधि के लिए यह छूट दी गई है और इस कारखाने को ऐसी छूट देने के क्या कारण है;

(ग) क्या इस कारखाने की क्रिस्टल चीनी सीतामढ़ी में सार्वजनिक वितरण के लिए उपलब्ध कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) और (ख) सरकार द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 1988 के समय-समय पर संशोधित परिपत्र के तहत घोषित की गई प्रोत्साहन योजना के तहत रीघा चीनी फैक्ट्री 1989-90 से 1995-96 तक के 7 वर्षों के लिए 90 प्रतिशत से 93 प्रतिशत की रेंज में उच्चतर खुली बिक्री कोटे की पात्र है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए रीघा चीनी फैक्ट्री से इसकी पात्रता के अनुसार लेवी चीनी रिलीज की जा रही है। तदनुसार, 1990-91 मौसम के उत्पादन में से भारतीय खाद्य निगम द्वारा रीघा चीनी फैक्ट्री से सीतामढ़ी जिले को 1011.8 टन लेवी चीनी सार्वजनिक वितरण के लिए डिलीवर की गई है।

दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में औद्योगिक भूखंडों का आबंटन

4898. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुनापार क्षेत्र में लोनी रोड़ पर औद्योगिक शेड सरकार द्वारा आबंटित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इन औद्योगिक शेडों के लिए सरकार द्वारा कच्चे माल की सप्लाई और अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान न किए जाने के कारण ये शेड लगभग बन्द पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० के अनुसार निर्मित किए गए 32 औद्योगिक शेडों में से उन्होंने इण्डस्ट्रियल एस्टेट-लोनी में 29 शैड आबंटित किए हैं। दो शैडों के सम्बन्ध में मुकदमा चल रहा है तथा एक शैड आबंटत के लिए उपलब्ध है इनमें से 9 शैडों में उत्पादन हो रहा है और 6 शैडों में उत्पादन कुछ कारणों से रूका हुआ है। नियन्त्रित कच्चे माल का उपलब्ध होना आपूर्ति पर और इनके वितरण के बारे में सरकार पर निर्भर करता है।

यमुनापार के गांवों में पेयजल की कमी

4899. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुनापार के गांवों में रहने वाले लोगों को पेयजल की कमी के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी से निपटने के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) यमुनापार क्षेत्र में 17 गांव हैं। दो गांवों अर्थात सबापुर चौहान और सबापुर गुजरान जोकि यमुना नदी की तलहटी में बसे हुए हैं और जिन्हें मरूथली के रूप में श्रेणी बद्ध किया हुआ है, को पाइप द्वारा पानी की सप्लाई नहीं की जा सकी है। अन्य सभी गांवों में पाइप द्वारा पानी की सप्लाई मुहैया करा दी गई हैं।

जल वितरण के अन्तिम छोर पर बसे हुए गांवों और अधिक ऊंचाई वाले गांवों के कुछ भागों से गर्मी के महीनों में पीने के पानी की कमी की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस समय केवल तीन गांवों, अर्थात कोन्डली, घरोली और दलूपुरा में पीने के पानी की कमी है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण इन तीन गांवों के आस-पास के क्षेत्रों के लिए बूस्टर स्टेशन का निर्माण कर रहा है। इस बूस्टर स्टेशन के काम शुरू कर देने के बाद, ऐसी आशा है कि इन तीनों गांवों में जल सप्लाई को बढ़ाने के लिए पाइप लाइनें बिछाई जायेंगी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करने और मुख्य जल निकासी के लिए पाइप बिछाने की एक योजना तैयार की जा रही है ताकि ग्रामीण गांवों सहित यमुना पार क्षेत्र में पानी की सप्लाई बढ़ाई जा सके।

पटपड़गंज और नरेला में आबंटित औद्योगिक शेडों के लिए कच्चे माल की व्यवस्था

4900. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक व्यक्तियों को, जिन्हें पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र और नरेला औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक शेड आबंटित किए गए थे, इन शेडों का कब्जा नहीं मिला है;

(ख) क्या सरकार इन शैडों पर कब्जा प्राप्त व्यक्तियों को कच्चा माल सप्लाई नहीं कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है और ये कठिनाइयां कब तक दूर किए जाने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया और नरेला इण्डस्ट्रियल एरिया में अब तक कोई औद्योगिक शैड नहीं बनाया गया है इन क्षेत्रों में औद्योगिक भू-खंड विकसित किए गए हैं और ऐसे आबंटियों को कब्जे दे दिए गए हैं जिन्होंने पूरे प्रीमियम के भुगतान सहित आवंटन की सभी शर्तों को पूरा कर लिया है।

(ख) और (घ) कोई नियन्त्रित कच्चा माल उपलब्ध नहीं करता जा रहा है क्योंकि किसी भी आबंटी ने कारखाने के भवन का निर्माण नहीं किया है और न ही कार्य करना शुरू किया है।

रक्षित भण्डारों में खाद्यान्न

[अनुवाद]

4901. **प्रो० उमारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1991 की स्थिति के अनुसार कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का रक्षित भण्डार उपलब्ध है;

(ख) क्या खाद्यान्नों को बन्द गोदामों अथवा खुले प्लेटफार्मों पर रखा गया है; और

(ग) ये खाद्यान्न कब से भंडार किए गए हैं ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) केन्द्रीय पूल में 31 जुलाई, 1991 की स्थिति के अनुसार कुल 18.12 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का स्टाक था।

(ख) 30-6-1991 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास ढके हुए गोदामों में चावल और गेहूं का 127.69 लाख मीटरी टन और कवर और प्लिंथ (कैप) भण्डारण में 14.61 लाख मीटरी टन का स्टाक था।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के पास 30-6-1991 को स्थिति के अनुसार स्टाक (गेहूं, चावल और धान) की अवधिवार स्थिति नीचे दी गई है :—

(लाख मीटरी टन में)

भण्डारण की अवधि	कुल खाद्यान्न
एक वर्ष तक	117.19
1-2 वर्ष	19.17
2-3 वर्ष	2.67
3-4 वर्ष	0.30
4-5 वर्ष	0.34
5 वर्ष	0.61
क्षेत्रों से अभी समाचार प्राप्त होने हैं।	6.02

गांधी फिल्म से हुआ लाभ

4902. **श्री रवि राय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "गांधी" फिल्म पर हुए लाभ के बंटवारे को लेकर चल रहा लम्बा विवाद हाल ही में हल कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को लाभ हस्तांतरित किए जाने के बारे में सर रिचर्ड एटनबरो और सरकार के बीच हुई समझौते की शर्तें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विवाद, "गांधी" फिल्म के लाभ के बंटवारे के बारे में नहीं था। इस फिल्म से प्राप्त लाभ को वह रकम जो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को देय थी, उसका नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। विवाद, शुद्ध लाभ के 5 प्रतिशत के बारे में था जो "गांधी" फिल्म के लिए निष्पादित सह-निर्माण और वित्तीय करार के उपबंधों की शर्तों के तहत सिने आर्टिस्ट वेल्फेयर फण्ड को दिया जाना था। दिनांक 16 जुलाई, 1991 को सर रिचर्ड एटनबरो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद अब यह विवाद समाप्त हो गया है।

सर रिचर्ड एटनबरो के साथ हुए समझौते की शर्तें इस प्रकार हैं :--

मूलधन

(क) लन्दन में बिदहोल्डिंग एकाउन्ट में बैंकर के पास पड़ी मूलधन की समस्त 5 प्रतिशत राशि सिने आर्टिस्ट वेल्फेयर फण्ड आफ इंडिया को दे दी जायेगी। यह शर्त भविष्य में होने वाले लाभ पर भी लागू होगी क्योंकि लाभ की राशि अभी भी प्राप्त हो रही है। 30 जून, 1991 को मूलधन की राशि 6,91,938.59 पौण्ड स्टेर्लिंग बतायी गई थी।

ब्याज

(ख) (1) 30 जून, 1991 को ब्याज की राशि 6,44,128.33 पौण्ड स्टर्लिंग थी, जिसमें रकम भेजते समय तक, 2,00,000 पौण्ड स्टर्लिंग की वृद्धि हो जाने की आशा है। इस राशि में से 5,00,000 पौण्ड स्टर्लिंग की राशि समझौते में उल्लिखित विषयों सहित गांधी दर्शन और गांधीजी के आदर्शों के संवर्धन में कार्यरत पूर्व संस्थाओं के लाभ के लिए सर रिचर्ड एटनबरो द्वारा अपने पास रख ली जायेगी। इस प्रकार की सहायता देने का निर्णय उनके विवेक पर होगा। इन पूर्व संस्थाओं में तीन संस्थाएं नामतः दि रणथम्भौर सोसाइटी, मदर टरेसा होम, कलकत्ता तथा संयुक्त राष्ट्र बाल सहायता कोष, भारत में ही हैं। भारत के बाहर की संस्थाओं के मामले में इसका लाभ, जहां तक इनका सम्बन्ध छात्रवृत्तियों से हैं, मूलतः भारतीय विद्यार्थियों को मिलेगा। इस ब्याज पर लगने वाले कर की, यदि कोई हो, पूरी जिम्मेदारी सर रिचर्ड एटनबरो द्वारा वहन की जायेगी।

(2) शेष राशि में से अधिक से अधिक 1,15,000 पौण्ड स्टर्लिंग की रकम इस कार्रवाई के पक्षकारों के खर्च को पूरा करने के लिए अलग रख दी जायेगी। अन्य पक्षकारों की लागत को

प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा और शेष राशि आई० बी० एफ० एल० और एन० एफ० डी० सी० को 5:7 के अनुपात से उपलब्ध करा दी जायेगी। लागत की इससे अधिक रकम दोनों पक्षकारों द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।

(3) विदहोल्डिंग एकाउन्ट में ब्याज की बची बाकी रकम सिने आर्टिस्ट वेल्फेयर फण्ड आफ इंडिया को दे दी जायेगी।

(4) इस आशय के समझौते की प्रति अदालत में दायर कर दी जायेगी। ताकि उसके आधार पर अदालत से शीघ्र आदेश प्राप्त किए जा सकें।

उड़ीसा में नौरंगपुर में टेलीविजन केन्द्र

4903. **श्री के० प्रधानी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नौरंगपुर में एक टेलीविजन प्रसारण केन्द्र आरम्भ करने का विचार है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) क्या दूर-दराज तथा आदिवासी क्षेत्रों में रिले केन्द्र मुहैया कराने की सरकार की कोई नीति है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों को शामिल करने के अन्य तरीके क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरजा व्यास) : (क) जी, नहीं। इस समय ऐसी कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) वित्तीय साधनों की तंगी की सीमाओं के भीतर सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि देश के जनजातीय क्षेत्रों में दूरदर्शन सुविधाओं के विस्तार को उचित प्राथमिकता दी जाए।

कृषि जोत की अधिकतम सीमा

4904. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा लगा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार अधिकतम और न्यूनतम सीमा क्या है;

(ग) वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान कितनी फालतू भूमि का पता लगाया गया और राज्य-वार कितने भूमिहीन निर्धनों को आबंटित किया गया; और

(घ) राज्यों में अतिरिक्त भूमि के पता लगाने हेतु किये जाने वाले उपायों में तेजी लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) अधिकांश राज्यों ने कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा लगा दी है। कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-एक में दिया गया है।

(ग) 1988, 1989 तथा 1990 में फालतू घोषित तथा वितरित की गई भूमि के बारे में राज्यवार सूचना विवरण-दो में दी गई है।

(घ) भूमि राज्य का विषय है तथा अधिकतम सीमा कानूनों को कार्यान्वित करने के उपाय करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, राज्य सरकारों को अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का अधिग्रहण करने तथा उसे वितरित करने के उपायों को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न मंचों पर सुझाव दिये गये हैं। तत्कालीन प्रधान मंत्रियों ने भी भूमि के बेनामी लेन देनों का पता लगाने तथा अनुच्छेद 323-ख के अन्तर्गत भूमि न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए कदम उठाने हेतु मुख्यमंत्रियों को लिखा था ताकि मुकदमेबाजी में ग्रस्त भूमि सम्बन्धी मामलों को शीघ्र निपटाया जा सके तथा ग्रामीण गरीबों में वितरित करने के लिए अधिकतम सीमा से फालतू भूमि उपलब्ध कराई जा सके।

विवरण-एक

राज्यों में विभिन्न श्रेणियों की भूमि के लिए विद्यमान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा को दर्शाने वाला विवरण

(हैक्टेयर में)

	दो फसलों वाली सिंचित भूमि	एक फसल वाली सिंचित भूमि	शुष्क भूमि
वास्तविक अधिकतम सीमाएं			
1. आंध्र प्रदेश	4.05 से 7.28	6.07 से 10.83	14.16 से 21.85
2. असम	6.74	6.74	6.74
5. बिहार	6.07 से 7.28	10.12	12.14 से 18.21
4. गुजरात	4.05 से 7.29	6.07 से 10.93	8.09 से 21.85
5. हरियाणा	7.25	10.9	21.8
6. हिमाचल प्रदेश	4.05	6.07	12.14 से 28.33
7. जम्मू व कश्मीर	3.6 से 5.06	—	5.95 से 9.20 लद्दाख में 7.7 हैक्टेयर
8. कर्नाटक	4.05 से 8.10	10.12 से 12.14	21.85
9. केरल	4.86 से 6.07	4.86 से 6.07	4.86 से 6.07
10. मध्य प्रदेश	7.28	10.93	21.85
11. महाराष्ट्र	7.28	10.93	21.85
12. मणिपुर	5.00	5.00	6.00
13. उड़ीसा	4.05	6.07	12.14 से 18.21

1	2	3	4	5
14.	पंजाब	7.00	11.00	20.50
15.	राजस्थान	7.28	10.93	21.85 से 70.82
16.	तमिलनाडु	4.86	12.14	24.28
17.	सिक्किम	5.06	—	20.23
18.	त्रिपुरा	4.00	4.00	12.00
19.	उत्तर प्रदेश	7.30	10.95	18.25
20.	पश्चिम बंगाल	5.00	—	7.00

विवरण—दो

(क्षेत्र एकड़ में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	आरम्भ से फालतू घोषित क्षेत्र (संचित)			बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को वितरित किया गया क्षेत्र		
		मार्च, 1988 को	मार्च, 1989 को	मार्च, 1990 को	मार्च, 1988 को	मार्च, 1989 को	मार्च, 1990 को
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	763870	707718	698122	24131	23178	19179
2.	असम	604172	605368	605634	5074	961	1270
3.	बिहार	453377	474621	474621	16185	15098	4821
4.	गुजरात	245542	247625	248810	3477	2739	8561
5.	हरियाणा	119257	120311	121303	शून्य	552	644
6.	हिमाचल प्रदेश	284053	284053	284053	शून्य	शून्य	शून्य
7.	जम्मू व कश्मीर	456000	456000	456000	शून्य	शून्य	शून्य
8.	कर्नाटक	293076	292118	284901	शून्य	4693	628
9.	केरल	127210	127189	130010	1228	1149	705
10.	मध्य प्रदेश	298919	306616	315344	5509	18725	8006

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	महाराष्ट्र	708705	704329	704329	10103	10809	8512
12.	मणिपुर	1705	1705	1705	51	शून्य	शून्य
13.	उड़ीसा	174019	174611	173708	2353	1811	1502
14.	पंजाब	141276	138435	138822	735	396	545
15.	राजस्थान	613192	615708	619110	1820	20160	20176
16.	तमिलनाडु	169576	169939	173100	2683	3018	6800
17.	त्रिपुरा	2012	2010	1995	42	शून्य	14
18.	उत्तर प्रदेश	510115	519780	523137	4083	6408	4491
19.	पश्चिम बंगाल	1255710	125710	1239119	4284	24405	32210

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थी विकलांग व्यक्ति

4905. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का आकलन किया है; और

(ख) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए क्या व्यवस्था की गई है और वर्ष 1989, 1990 और जुलाई, 91 तक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रकार के कितने व्यक्तियों को लाभ मिला ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष (1981) के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने विकलांग लोगों के बारे में एक राष्ट्र व्यापी नमूना सर्वेक्षण किया था ताकि देश में व्याप्त विकलांगता की स्थिति और मौजूदगी के सही-सही अनुमान लगाए जा सकें। नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, भारत की लगभग 1.8 प्रतिशत जनसंख्या, जिसकी कुल संख्या लगभग 12 मिलियन है, का चलने, देखने, बोलने और सुनने से सम्बन्धित मामलों में एक अथवा अधिक शारीरिक विकलांगता से पीड़ित होने का अनुमान लगाया गया था। विकलांगता ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक (81%) पाई गई थी।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 प्रतिशत लाभों को शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा, विकलांग लोग 5000 रुपये की अधिकतम सीमा के आधार पर 50 प्रतिशत सबसिडी पाने के पात्र हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की कवरेज निम्नलिखित अनुसार है :—

वर्ष	संख्या
1989-90	9014
1990-91	9652
1991-92 (जुलाई, तक अनन्तिम)*	469

* केवल कुछेक राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित है।

महाराष्ट्र में उस्मानाबाद में रेडियो स्टेशन

4906. **श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस्मानाबाद आकाशवाणी केन्द्र के भवन के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस आकाशवाणी केन्द्र कार्यक्रमों का प्रसारण कब से शुरू होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) इमारत का सिविल निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। वर्तमान संकेतों के अनुसार केन्द्र के वर्ष 1991-92 के दौरान तकनीकी रूप से तैयार हो जाने की उम्मीद है।

औद्योगिक नीति पर बातचीत

4907. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख केन्द्रीय श्रमिक संघों ने सरकार से नयी औद्योगिक नीति पर बातचीत करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 17 अगस्त, 1991 को श्रमिक संघ के नेताओं के साथ बैठक की थी जिसमें नयी औद्योगिक नीति पर विचार-विमर्श किया गया था।

केबल न्यूज नेटवर्क कार्यक्रम

4908. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केबल न्यूज नेटवर्क कार्यक्रम विशेष ऐन्टेना के माध्यम से भारत के घरों एवं होटलों में उपलब्ध है;

(ख) क्या विशेष ऐन्टेना लगाने के लिए कोई विशेष अनुमति लेना आवश्यक है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कोई सी० एन० एन० दल पूरे भारत की घटनाओं को विश्व में प्रसारित करने के लिए संग्रह कर रहा है;

(घ) क्या सी० एन० एन० यह कार्य सरकार की स्वीकृति से कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो केबल न्यूज नेटवर्क कार्यक्रम भारत में इस कार्य को किन शर्तों के अधीन कर रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) केबल न्यूज नेटवर्क के सिग्नल "इन्टरस्पुतनिक" उपग्रह से प्राप्त होते हैं। भारत इस उपग्रह के अन्तर्गत आता है और उपयुक्त डिजाइन वाले डिश एन्टीना का इस्तेमाल करके भारत के दर्शक इसके कार्यक्रम सीधे प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) संचार मंत्रालय के प्रबन्ध के अधीन भारतीय तार अधिनियम, 1885 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, किसी उपग्रह से सीधे टी० वी० सिग्नल प्राप्त करने के योग्य कोई डिश एन्टीना प्रणाली की स्थापना दूरसंचार विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् ही की जा सकती है। ऐसे लाइसेंस फिलहाल केवल भारतीय उपग्रह से कार्यक्रम प्राप्त करने के लिए दिए जाते हैं।

(ग) से (ङ) इस देश में समाचार का संग्रह करने पर किसी प्रकार की रोक नहीं है।

केरल को अमोनिया की आपूर्ति

4909. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड काफी समय से केरल में लघु क्षेत्र के चाय कारखानों और रबड़ प्रोसेसिंग उद्योगों को अमोनिया की आपूर्ति कर रहा है;

(ख) क्या केरल में इन इकाइयों को अमोनिया की आपूर्ति किये जाने की अचानक रोक दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति से निपटने के लिए कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लि० द्वारा साइकलो हेक्सानेन का उत्पादन और विपणन

4910. प्रो० के० वी० थामस : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लि० के केप्रोलैक्टम संयंत्र द्वारा प्रति माह कितनी मात्रा में साइक्लो हैक्सानेन का उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या इस माल को वास्तविक प्रयोक्ताओं को बेचने के लिए कोई मार्गनिदेश बनाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और डीलरों तथा प्रयोक्ताओं के लिए पृथक-पृथक रूप से कितना-कितना मूल्य निर्धारित किया गया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) अगस्त, 90 में उत्पादन के आरम्भ से साइक्लो हैक्सानोन का महीना-वार उत्पादन निम्नलिखित है :—

		(मी० टन में)
अगस्त, 1990	:	114
सितम्बर, 1990	:	219
अक्तूबर, 1990	:	383
नवम्बर, 1990	:	1,095
दिसम्बर, 1990	:	298
जनवरी, 1991	:	1,814
फरवरी, 1991	:	1,500
मार्च, 1991	:	1,831
अप्रैल, 1991	:	010
मई, 1991	:	शून्य
जून, 1991	:	38
जुलाई, 1991	:	2,070
अगस्त, 1991	:	2,092 (22 तारीख तक)

(ख) और (ग) केप्रोलैक्टम के उत्पादन में साइक्लोहेक्सानोन एक मध्यवर्ती है और इस प्रयोजन के लिए इसका कैपटिव इस्तेमाल किया जाना अभिप्रेत है तथा अन्य उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए नहीं। डाउन स्ट्रीम केप्रोलैक्टम संयंत्र में बाधाओं के कारण साइक्लोहेक्सानोन के अतिरिक्त भण्डार के समय ही साइक्लोहेक्सानोन की कुछ मात्रा सीधे बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विपणन नीति अपनायी गयी है और इसका समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

आरम्भ में निर्धारित किया गया मूल्य शुल्क और करों सहित 38,575 रुपये प्रति टन था। इसे बढ़ाकर अक्तूबर, 1990 में 41,325 रु० प्रति टन कर दिया गया था। बेंजीन के मूल्यों में वृद्धि के कारण, साइक्लोहेक्सानोन का मूल्य 28 जून, 1991 को बढ़ाकर 47,000 रुपये प्रति टन कर दिया गया और पुनः नये केन्द्रीय बजट के पश्चात 5 अगस्त, 1991 को इसे बढ़ाकर 51,000 रुपये प्रति टन कर दिया गया। बेंजीन के मूल्य में वृद्धि के कारण: इस मूल्य को फिर बढ़ाकर 53,000 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। वास्तविक उपभोक्ताओं तथा डीलरों दोनों के लिए मूल्य समान है।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के कर्मचारियों की संख्या में कमी करना

4911. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के कर्मचारियों की संख्या में कमी करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, नहीं। तथापि, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० में फालतू जनशक्ति की समस्या की तरफ सरकार का ध्यान गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्वीकृति के लिए लंबित कर्नाटक की परियोजनाएं

4912. **श्रीमती बासवराजेश्वरी** : क्या **योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य की कुल कितनी परियोजनाएं योजना आयोग के विचाराधीन हैं;

(ख) ये योजना आयोग के पास कब से लम्बित पड़ी हैं; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

अपेक्षित जानकारी निम्न विवरण में दी गई है :

योजना आयोग के विचाराधीन परियोजना का नाम	जिस तारीख से परियोजना योजना आयोग में लंबित पड़ी है।	योजना आयोग द्वारा कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है
1	2	3
1. पश्चिम घाट वानिकी एवं पर्यावरण परियोजना	8-4-1991	प्रस्ताव की जांच अन्तिम चरणों में है।
2. नेथारवाड़ी के ऊपर नए पुल का निर्माण	3-7-1991	व्यय वित्त समिति के लिए मूल्यांकन टिप्पणी तैयार हो रही है।

कर्नाटक में गैस पर आधारित पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स

4913. **श्रीमती बासवराजेश्वरी** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में बड़े स्तर पर गैस पर आधारित एक पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कर्नाटक सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को कोई योजना भेजी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाई की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नी नहीं उठते।

पत्रकारों की मांगें

4914. **श्रीमती बासवराजेश्वरी :**

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस एसोसियेशन आफ इंडिया के शिष्टमंडल ने पत्रकारों की अत्यावश्यक मांगों सम्बन्धी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) पत्रकारों ने अपने ज्ञापन में कौनसी मुख्य मांगें रखी हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रेस एसोसियेशन की मांगें निम्नलिखित हैं :

(I) प्रेस पूल से मकानों का जो अलाटमेंट किया जाता है, उनके मार्गदर्शी सिद्धान्तों की बछावत वेतन बोर्ड द्वारा निर्धारित वेतन ढांचे के अनुसार पुनरीक्षा करना।

(II) इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में से उस शर्त को हटाना जिसमें तीन वर्ष बाद आबंटन की समीक्षा करने का प्रावधान है।

(III) पत्र सूचना कार्यालय परिसर अथवा विट्ठलभाई पटेल हाउस एपार्टमैंट में एक कमरा उपलब्ध कराना।

सरकार ने प्रेस एसोसियेशन की मांगों/सुझावों को नोट कर लिया है।

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए औद्योगिक नीति

4915. **श्रीमती बासवराजेश्वरी :**

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र की नयी औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन के लिए भावी कार्यवाही की सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी ठोस कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया है;

(ग) यह लघु स्तर के उद्योगों के लिए किस सीमा तक सहायक होगा; और

(घ) उन्हें कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) लघु क्षेत्र के लिए नई औद्योगिक नीति में निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यवाही करने के लिए विस्तार से उल्लेख किया गया है।

1. अतिलघु क्षेत्र—निवेश सीमा में वृद्धि तथा विशेष पैकेज का प्रतिपादन।
2. वित्तीय सहायता।
3. आधारभूत सुविधाएं।
4. विपणन एवं निर्यात।
5. आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी तथा गुणवत्ता उन्नयन।
6. उद्यमिता उन्नयन।
7. कार्यविधि का सरलीकरण।

सरकार ने इस नीति के कार्यान्वयन हेतु कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी है।

(ख) घोषित नीति के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों से पहले चरण के रूप में विचार-विमर्श कर लिया गया है।

(ग) उपर्युक्त उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित क्षेत्रों में अधिकतम संख्या में लघु एककों को लाभ होगा।

(घ) ये प्रस्ताव शीघ्र कार्यान्वित किये जायेंगे।

राजस्थान में क्षेत्रीय प्रसारण निदेशालय के अन्तर्गत आने वाले कार्यालय

[हिन्दी]

4916. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में क्षेत्रीय प्रसारण निदेशालय के अन्तर्गत कितने कार्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार की योजनाओं और कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से प्रसारित नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का ऐसे कितने कार्यालय खोलने का विचार है और इन्हें कब तक खोल दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) क्षेत्रीय प्रसारण निदेशालय के नाम से राजस्थान में कोई निदेशालय नहीं है। लेकिन राज्य में आकाशवाणी के 8 प्रसारण केन्द्र तथा दूरदर्शन के 37 ट्रांसमिटिंग केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) इस समय राज्य में लगभग 95 प्रतिशत जनसंख्या को आकाशवाणी की और 52% जनसंख्या को दूरदर्शन की सेवाएं प्राप्त हो रही हैं। इन सेवाओं को और बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा और इन्हें चालू करने के लिए समय-सीमा नीचे दी गई है :—

क्रम संख्या	परियोजना	स्थान	चालू करने के लिए अंतरिम सीमा
आकाशवाणी			
1.	स्थानीय रेडिया स्टेशन	बांसवाड़ा	1991-92
2.	स्थानीय रेडियो स्टेशन	झालावाड़	1991-92
3.	स्थानीय रेडिया स्टेशन	चित्तौड़गढ़	1991-92
4.	स्थानीय रेडियो स्टेशन	सवाईमाधोपुर	1991-92
5.	स्थानीय रेडियो स्टेशन	नागौर	1991-92
6.	गैर-स्थानीय रेडियो स्टेशन	जैसलमेर	1991-92
7.	गैर-स्थानीय रेडिया स्टेशन	चुरू	1991-92
8.	नया स्थानीय रेडियो स्टेशन	माउंटआबू	1992-93
9.	क्षेत्रीय स्टेशन	बाड़मेर	1991-92
दूरदर्शन			
1.	उच्चशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर	बाड़मेर	1994-95
2.	उच्चशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर	जैसलमेर	1993-94
3.	उच्चशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर	बूंदी	1992;93
4.	सुजानगढ़, श्री डूंगरगढ़ तथा गंगापुर में एक-एक अल्पशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर		1992-93

राजस्थान के टोंक जिले में विकास केन्द्र

4917. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े टोंक जिले में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो०पी० जे० कुरियन) : (क) तथा (ख) जून 1988 में घोषित विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत चार विकास केन्द्र एक भीलवाड़ा, एक बीकानेर, एक झालावाड़ तथा एक सिरोही जिलों में स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

कारों का निर्माण

[अनुवाद]

4918. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारों और मोटर वाहनों का निर्माण करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस क्षेत्र में कुछ और उद्यमियों को बढ़ावा देने का विचार है;

(घ) क्या वाहनों के लिए और अधिक ईंधन की बचत करने वाले इंजन तथा उपकरण प्रयोग करना अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) कारों के निर्माण की अनुमति के लिए सरकार को आवेदन पत्र प्राप्त होते रहे है । तथापि इस तथ्य को मानते हुए कि वर्ष 1994-95 तक कारों की संभावित मांग को मौजूदा क्षमताओं से पूरा कर लिया जायेगा और क्षमता के विखण्डन तथा अजीव्यक्षम एककों की स्थापना से बचने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नये कार निर्माताओं को कारों का निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जा रही है । अन्य मोटर गाड़ियों का निर्माण नयी औद्योगिक नीति के तहत पहले ही लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है ।

(घ) से (ङ) सरकार राजकोषीय प्रोत्साहन देकर तथा प्रौद्योगिकी के चयनात्मक आयात के माध्यम से ईंधन बचाने वाले इंजनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करती है ।

कोडईकनाल में रेडियो केन्द्र

4919. **श्री आर० रामास्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोडईकनाल में एक आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। कोडाईकनाल में 2 × 5 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर, बहु-उद्देशीय स्टूडियो तथा स्टाफ क्वाटरों के साथ एक नये रेडियो स्टेशन की स्थापना की जा रही है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

पेरियाकुलम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

4920. **श्री आर० रामास्वामी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरियाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारी मात्रा में उपलब्ध अंगूर, आम और अनानास का उपयोग करने के लिए वहां किसी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसी भी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सीधे स्थापित नहीं करता है। परन्तु इस मंत्रालय ने, विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों, राज्य सरकार के उपक्रमों, उनकी सहकारी समितियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहातया देने हेतु विभिन्न योजना स्कीमें तैयार की हैं। इस समय पेरियाकुलम संसदीय निर्वाचित क्षेत्र में किसी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पी० टी० ए० का निर्माण

4921. **श्री आर० रामास्वामी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 में मद्रास के निकट पी०टी०ए० (प्यूरिफाइट टेरेप्सीमानिक एसिड) बनाने की किसी परियोजना को स्वीकृति दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और इस परियोजना का कार्य कब आरम्भ होगा?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) मद्रास रिफाइनरीज लि० को मद्रास के निकट मनाली में एक एरोमेटिक प्लांट स्थापित करने के लिए 1987 में एक आशयपत्र दिया गया था। इस परियोजना में अन्य बातों के साथ साथ 200,000 टन प्योरिफाइड टेरेफ्थेलिक एसिड (पी० टी० ए०) का उत्पादन होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1380 करोड़ रुपए (अगस्त, 1990 की) है।

परियोजना कार्यान्वयन कम्पनी द्वारा निवेश की स्वीकृति आदि प्राप्त होने के बाद आरम्भ होगा।

केरल में नए इलेक्ट्रॉनिक एकक

4922. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल में केल्ट्रान जैसा कोई नया एकक स्थापित किए जाने हेतु केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) केल्ट्रॉन का वार्षिक कारोवार कितना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केल्ट्रॉन तथा इसकी सहायक कम्पनियों का कुल कारोबार नीचे दिए अनुसार है :—

वर्ष	कारोबार
1989-90	124 करोड़ रुपये
1990-91	111 करोड़ रुपये

सरकारी क्षेत्र के संबंध में श्वेत पत्र

4923. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति के बारे में श्वेत पत्र जारी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में सरकारी क्षेत्र भी शामिल है, इसलिये सरकार का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति पर "श्वेत-पत्र" जारी करने का विचार नहीं है।

वनस्पति घी के मूल्य

4925. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनस्पति घी के मूल्यों में दिन प्रतिदित वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो बजट पेश होने के बाद वनस्पति घी के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) वनस्पति घी के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) वनस्पति के मूल्य में मिला-जुला रूख रहा है। 24-7-91 से 22-8-91 की अवधि के दौरान दिल्ली के बाजार में वनस्पति का थोक मूल्यों में 5.9% से 6.7% के बीच वृद्धि हुई है।

(ग) मूल्य में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार है :—

(1) वनस्पति तैयार करने में अप्रधान/गैर-पारम्परिक तेलों के इस्तेमाल पर उत्पाद शुल्क में छूट देना;

(2) थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेलों की भंडारण सीमाएं घटा दी गई हैं;

(3) उत्पादकों के लिए खाद्य तेलों और वनस्पति की भंडारण सीमाएं कम कर दी गई हैं; और

(4) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे घटाई गई भंडारण सीमाओं आदि को लागू करने हेतु नियमित आधार पर जमाखोरी विरोधी अभियान चलाएं।

महासागर के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम

4926. डा० **कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषकर समुद्रतट के राज्यों के विश्वविद्यालयों में महानगर के सम्बन्ध मे प्रशिक्षण कार्यक्रम स्नातक तथा स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई/किए जाने के विचार है, और

(ख) इस समय किन-किन विश्वविद्यालयों में उक्त कार्यक्रम पाठ्यक्रम उपलब्ध है। निकट भविष्य में और चालू वर्ष में किन-किन विश्वविद्यालयों में उपरोक्त कार्यक्रम/पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) महासागर विकास विभाग समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिए परियोजनायें एवं अनुसंधान सहयोग प्रदान कर रहा है, जो विशिष्ट जन-शक्ति के विकास के लिए अवसर भी प्रदान करेगा।

(ख) विश्वविद्यालयों का ब्यौरा, जहां ऐसे कार्यक्रम/पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं/चलाने का प्रस्ताव है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता।
2. कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।
3. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर।
4. बहरामपुर विश्वविद्यालय, बहरामपुर, उड़ीसा।
5. आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर।
6. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास।
7. अन्नामलाई विश्वविद्यालय, चिदांवरम, तमिलनाडु।
8. अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास।
9. भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली।
10. मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास।
11. तमिल विश्वविद्यालय, तंजौर।
12. कोचीन विश्वविद्यालय, कोचीन।
13. केरल विश्वविद्याय, तिरुअनन्तपुरम।

14. मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर।

15. कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़।

16. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।

17. गोवा विश्वविद्यालय, गोवा।

18. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद।

19. शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर।

20. पुणे विश्वविद्यालय पुणे।

इन्सेट डिजास्टर वार्निंग सिस्टम

4927. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्सैट डिजास्टर वार्निंग सिस्टम (इन्सैट से खराबी की चेतावनी देने वाली प्रणाली) चालू कर दी गई है और वह सफलतापूर्वक कार्य कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक लगाए, गए डी०डब्ल्यू०एस० रिसीवर सैटों तथा निकट भविष्य में लगाए जाने वाले सैटों की विशेषकर उड़ीसा के तटीय जिलों में उनको कहां-कहां लगाया जा रहा है, राज्यवार संख्या क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां। इन्सैट आपदा चेतावनी प्रणाली (डी० डब्ल्यू० एस०) को 1968 से सफलतापूर्वक प्रयोग में लाया जा रहा है।

(ख) आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में अब तक लगाए गए डी० डब्ल्यू० एस० अभिग्राहियों की संख्या 100 है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 1992 के दौरान उत्तरी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 50 अतिरिक्त डी०डब्ल्यू०एस० अभिग्राहियों को लगाए जाने की योजना है। इनका राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :

पश्चिम बंगाल	:	15
उड़ीसा	:	15
उत्तरी आंध्र प्रदेश	:	10
गुजरात	:	10
		50

उड़ीसा के तटीय जिलों में स्थापित किए जाने वाले डी०डब्ल्यू०एस० अभिग्राहियों के स्थानों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

बालासौर जिला (5 स्टेशन)

बालयापाल

भोगराई

बालासीर जिला मुख्यालय

महाकालपाड़ा

चांदबली

कटक जिला (5 स्टेशन)

धर्मा

राजनगर

आकाशवाणी, कटक (आ०वा०)

राजस्व बोर्ड कार्यालय, कटक

पारादीप

पुरी जिला (3 स्टेशन)

अष्टारंग

भुवनेश्वर

पुरी

गंजम जिला (2 स्टेशन)

कृष्णा प्रसाद

गोपालपुर

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन की इकाइयों का लाभ/हानि

4928. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन की प्रत्येक इकाई को कितना लाभ या हानि हुई, और

(ख) इकाइयों को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन की गत तीन वर्षों के लिए एकक-वार लाभ/हानि नीचे दी गई है—

लाभ (+)/हानि (—)
(रु०/करोड़)

एकक	1988-89	1989-90	1990-91 (अनन्तिम)
नामरूप	(—) 55.38	(—) 45.84	(—) 95.81
बरौनी	(—) 44.98	(—) 62.72	(—) 66.94
दुर्गापुर (विपणन)	(—) 54.67	(—) 62.95	(—) 67.85
(व्यपारिक कार्यकलाप)	(—) 1.35	(+) 1.72	(+) 1.84
	(—) 156.38	(—) 169.79	(—) 228.76

(ख) एककों को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं—

(1) बारम्बार समस्यायें उत्पन्न करने वाले उपस्करों के प्रतिस्थापन/संशोधन से क्षमता उपयोगिता में सुधार करना,

(2) निरोधक एवं भविष्य सूचक रख-रखाव समयसूची पर लगातार निगरानी रखना,

(3) सामान्य निवेश से चालू एककों का पुनरुद्धार करना।

(4) प्रबन्ध का पुनरुद्धार तथा विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षित कर्मचारियों को पुन: लगाना।

केरल में खादी ग्रामोद्योग के लिए विकास योजना

4929. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश** : : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में खादी ग्रामोद्योग के लिए सरकार की कोई विकास योजना है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1991-92 के लिए केरल में खादी ग्रामोद्योग के कार्यकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) केरल में राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, 33 पंजीकृत संस्थानों तक 2117 सहकारी समितियों द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग कार्य-क्रम को कार्यान्वित किया जाता है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग इन संसाधनों तथा सहकारी समितियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से तथा खादी एवं ग्राम्य उद्योगों के विकास हेतु राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से वित्त की व्यवस्था करता है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 1991-92 के दौरान केरल में खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के लिए 9.7 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है।

उड़ीसा में औद्योगिक इकाइयों का बन्द किया जाना

[हिन्दी]

4930. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विगत तीन वर्षों के दौरान बन्द किए गए बड़े, मध्यम और छोटे उद्योगों के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त उद्योगों में गैर-सरकारी व्यक्तियों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल कितना पूंजी निवेश किया गया था; और

(ग) इन उद्योगों को फिर से चालू करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) देश में बैंकों से सहायता पाने वाले रूग्ण औद्योगिक एककों से सम्बन्धित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे जाते हैं। लेकिन वे बन्द औद्योगिक एककों से सम्बन्धित विशिष्ट आंकड़े एकत्र नहीं करते हैं। जैसा कि बैंकों द्वारा दिसम्बर, 1988 को समाप्त छमाही (नवीनतम उपलब्ध) के लिए उनकी विवरणियों में "अन्य सम्बद्ध सूचना" के रूप में बताया गया है, उड़ीसा राज्य में गैर-लघु औद्योगिक रूग्ण/कमजोर बन्द एकक समापन अधीन/

तालाबन्दी के अधीन/परिसमापन आदेश के अधीन/हड़ताल आदि से सम्बन्धित थे। इसी प्रकार रूग्ण लघु औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में केन्द्र में सूचना नहीं रखी जाती है।

बैंकों में प्रचलित व्यवहारों तथा परिपाटियों के अनुसार तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू कानूनों के उपबन्धों के अनुसार बैंकों के अलग-अलग भाग से सम्बन्धित सूचना प्रकट नहीं की जाती है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, दिसम्बर, 1988 के अन्त में उड़ीसा राज्य में रूग्ण औद्योगिक एककों पर बैंक कर्जे के रूप में 78.58 करोड़ रु० की राशि बकाया थी।

(ग) सरकार ने उड़ीसा राज्य सहित देश में रूग्ण औद्योगिक एककों के पुनर्जीवन के लिए कई उपाय किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण पहलु संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

रूग्ण औद्योगिक एककों की पुनर्स्थापना के लिये भारत सरकार के प्रयास

(1) सरकार के एक व्यापक कानून "रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985" बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ० आर०)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है, जिसका उद्देश्य रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर कर दिया है।

(2 भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारम्भिक अवस्था में ही औद्योगिक रूग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं बैंक ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्य-क्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः स्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निर्देश दिये गये हैं तथा वित्तीय संस्थान रूग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः स्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्य-क्षम रूग्ण इकाइयों की पुनःस्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही, राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) लघु क्षेत्र में रूग्णता कम करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता करने के विचार से भारत सरकार ने एक "सीमांत धन योजना" शुरू की है। इस उदारीकृत योजना के अन्तर्गत पुनःस्थापना हेतु रूग्ण लघु एककों को उपलब्ध प्रति एकक सहायता की अधिकतम राशि को 20,000/- लें बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है।

(6) कमजोर एककों के लिये एक उत्पाद कर राहत योजना की भी घोषणा की गई है। यह योजना किसी भी ऐसे एकक के लिये लागू होगी जिसमें किन्हीं पांच लेखा वर्षों में उनका अधिकतम निवल मूल्य संचित हानियों के कारण 50% अथवा इससे भी अधिक कम हो गया हो। उक्त एकक की पुनर्स्थापना, आधुनिकीकरण अथवा दिशान्तरण पैकेज नामजद वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। पात्र एकक ब्याज मुक्त ऋण का पात्र होगा जिसके लिये 3 वर्ष की राहत अवधि मिलेगी और इसे 7 वर्षों के भीतर वापस करना होगा जो योजना के अनुमोदन के बाद 3 वर्षों के लिये वास्तविक उत्पाद

भुगतान का 50 % होगा । "उत्पाद ऋण" के रूप में दी जाने वाली कुल राशि पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण/दिशान्तरण की कुल लागत से 25%से अधिक नहीं होगी।

(7) अत्यन्त छोटे और लघु उद्योगों के लिए शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए अप्रैल, 1990 में एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है । इस बैंक को चुकता पूंजी 250 करोड़ रु० है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जीव्य-क्षम रूग्ण लघु औद्योगिक एककों के लिए परस्पर स्वीकार्य पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिये प्राथमिक उधारदाता संस्थानों एवं प्रवर्तकों के सहायतार्थ विभिन्न राज्यों में पुनर्स्थापना सम्बन्धी बैठकों का आयोजन कर रहा है। वर्ष 1990-91 के दौरान, 14 केन्द्रों में 23 बैठकें आयोजित की गई और 250 से अधिक एककों के मामलों पर विचार किया गया । इन बैठकों में प्राथमिक उधारदाता संस्थानों एवं उधार लेने वालों की प्रतिक्रियायें उत्साहजनक रही हैं।

जीव्य-क्षम रूग्ण एककों के पुनरुज्जीवन हेतु भारतीम लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा एक पृथक पुनर्स्थापना पुर्नवित्तीयन योजना चलाई जा रही है।

दूरदर्शन धारावाहिकों का प्रसारण

[अनुवाद]

4931. श्री हरीश नारायण प्रभु झांत्ये : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामायण, महाभारत और टीपू सुल्तान धारावाहिकों के दूरदर्शन-प्रसारण के लिए कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ख) जिस प्राइम समय में उपरोक्त धारावाहिक दूरदर्शन से प्रसारित किये गये थे, उसी समय में दूरदर्शन-प्रसारण हेतु किन-किन धारावाहिकों को स्वीकृति दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन ने "रामारण", "महाभारत" तथा "टीपू सुल्तान" धारावाहिकों के प्रसारण के लिये किसी राशि का भुगतान नहीं किया है क्योंकि इन धारावाहिकों को बाहरी निर्माताओं द्वारा निर्मित प्रायोजित कार्यक्रमों के रूप में प्रसारित किया गया था।

(ख) किसी भी समय विशेष को "प्राइम स्लाट नहीं माना जा सकता क्योंकि कोई भी समय दर्शकों की सुविधा तथा कार्यक्रमों की लोकप्रियता के अनुसार ही "प्राइमटाइम" बनता है। निम्नलिखित धारावाहिक रात्रि 9-00 बजे अथवा रविवार प्रातः प्रसारण हेतु अनुमोदन किये गये हैं—

(1) उड़ान-II

(2) बानू बेगम

(3) यह दुनिया गजब की

(4) कहकशां

(5) मझधार

(6) आशियाना

(7) हमराही

(8) भूतनाथ

(9) श्रीकांत

(10) अनमोल रत्न

(11) कशिश

(12) सेव दि चाइल्ड

(13) नेशनल पार्लियमेंट क्विज

ट्रावणकोर टाइटेनियम उत्पाद

4933. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छावड़ा, केरल में स्थित ट्रावणकोर टाइटेनियम प्रोडक्टस का आधुनिकीकरण करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या टाइटेनियम प्रोडक्ट्स का कार्यकरण तथा लाभ गत वर्षों की तुलना में बेहतर है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय भण्डार द्वारा काली सूची में दर्ज फर्में

4934. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भण्डार द्वारा काली सूची में दर्ज फर्मों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रकार की कार्रवाई करने के फर्मवार कारण क्या थे;

(ग) काली सूची में दर्ज इन फर्मों में से कितनी पुनः प्रवर्तित की गई और इसके क्या कारण थे; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी विभागों से उन्हें घटिया किस्म की स्टेशनरी व अन्य मदों की पूर्ति करने सम्बन्धी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भन्डार द्वारा कोई भी फर्म काली सूची में दर्ज नहीं की गई है ।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुये यह प्रश्न नहीं उठता है ।

(घ) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी विभागों से उन्हें स्टेशनरी व अन्य मदों की पूर्ति करने सम्बन्धी 16 लिखित शिकायतें प्राप्त हुई थी। अधिकांश शिकायतें छोटी-मोटी थीं और उचित होते हुये भी आपूर्ति को बदलकर केन्द्रीय भण्डार द्वारा इन पर पूरा ध्यान दिया गया था। एक मामले में उपभोक्ता के लिये एक मूल्य में कटौती की गई और सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध उचित कार्रवाई की गई है।

सुपर बाजार द्वारा फर्मों की काली सूची

4935. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार द्वारा अब तक काली सूची में दर्ज की गई इन फर्मों का विवरण क्या है;

(ख) इस तरह की कार्यवाही करने के मामले-वार कारण क्या हैं;

(ग) काली सूची में दर्ज की गई कितनी फर्मों के साथ पुनः कामकाज आरम्भ किया गया और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी विभागों से लेखन सामग्री तथा अन्य मदों की घटिया किस्म की आपूर्ति के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) सुपर बाजार ने पिछले पांच वर्षों में अब तक छह फर्मों को काली सूची में दर्ज किया है। उक्त फर्मों के नाम तथा उनके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करने के कारण नीचे दिये गये हैं—

(1) मैसर्स एडवान्स होजरी मिल्स, लुधियाना, ऊनी/एक्रिलिक वस्त्रों के सप्लायर। इस फर्म को काली सूची में इसलिए दर्ज किया गया, क्योंकि उनके प्रतिनिधि को अनुचित व्यापारिक व्यवहार के जरिये सप्लाई करता पाया था।

(2) मैसर्स वॉन फार्मा, दवाओं के सप्लायर को घटिया कोटि के बी० काम्प्लेक्स कैपसूल सप्लाई करने के कारण।

(3) मैसर्स अलंकार स्टेशनरी मार्ट, नई सड़क दिल्ली। स्टेशनरी की वस्तुओं के सप्लायर को टूमैन ब्राण्ड के पेन, जो घटिया कोटि के पाये गये, की सप्लाई करने के कारण।

(4) मैसर्स कपिल फ्लॉर, नया बाजार दिल्ली। एगमार्क आटे के सप्लायर, एगमार्क आटे की सप्लाई के लिए एगमार्क के विशिष्टियों का पालन न करने के कारण।

(5) मैसर्स आई०के० डिस्ट्रब्यूटर्स, नेशनल ब्रांड के चयर कूलर के सप्लायर को घटिया किस्म के एयर कूलर सप्लाई करने के कारण।

(6) मैसर्स मित्तल फाइल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, लेखन-सामग्री के सप्लायर को निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप माल सप्लाई न करने के कारण।

(ग) केवल एक फर्म अर्थात मैसर्स अलंकार स्टेशनरी मार्ट को उस वस्तु, जिसके लिये फर्म को काली सूची में दर्ज किया गया था, के सत्यापन के बाद पुनः बहाल कर दिया गया था। गुणता का सत्यापन गुणता परीक्षण प्रयोगशाला में लिया गया था।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी विभागों से वस्तुओं की गुणता के सम्बन्ध में लगभग

205 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 24 शिकायतें लेखन सामग्री की वस्तुओं की गुणता के बारे में, 181 शिकायतें सुपर बाजार के विभिन्न विभागों, जैसे फर्नीचर की वस्तुयें घरेलू सामान, जूते, कपड़े और दवाओं के सम्बन्ध में थीं। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसी सभी शिकायतों के निवारण के लिये कार्रवाई की है और उनका निपटान सम्बन्धित सरकारी विभागों की संतुष्टि के अनुरूप किया गया।

पृथ्वी की गति के बराबर परिक्रमा करने वाले उपग्रह प्रक्षेपक यान (जी० एस० एल० वी०) का विकास

4936. **श्री राम नरेश सिंह** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पृथ्वी की गति के बराबर परिक्रमा करने वाले उपग्रह प्रक्षेपक यान (जी० एस० एल० वी०) के विकास में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) प्रक्षेपक यान का परीक्षण कब किये जाने की आशा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) भू-स्थिर कक्षा में दो टन भार वाले इन्सेट-2 श्रेणी के उपग्रहों को छोड़ने के लिए स्वदेशी क्षमता के विकास हेतु, भू-स्थायी उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी० एस० एल० वी०) परियोजना नवम्बर, 1990 में स्वीकृति की गई थी। गत दस माह के दौरान इस दिशा में पर्याप्त की गई है। जी० एस० एल० वी० के सभी डिजाइन पैरामीटरों को अन्तिम रूप दे दिया गया है तथा उप-प्रणाली और प्रणाली, दोनों ही स्तर पर, इसकी समीक्षा कर ली गई है। विस्तृत पवन सुरंग परीक्षण करने के लिए राकेट मॉडलों का निर्माण किया जा रहा है, तथा दीर्घ काल लेने वाली मदों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी० एस० एल० वी० के लिए अपेक्षित सुविधाओं का डिजाइन और निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है।

(ख) जी० एस० एल० वी० की पहली परीक्षण उड़ान के 1995 के अन्त तक किए जाने की आशा है।

औद्योगिक शराब का उत्पादन

4937. **श्री राम नरेश सिंह** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय औद्योगिक शराब बनाने वाले कितने एकक-कार्य कर रहे हैं, और उनकी कुल क्षमता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में नये औद्योगिक शराब एककों की स्थापना के लिए कितने लाइसेंस स्वीकृत किये गये हैं और उनकी स्वीकृत क्षमता कुल कितनी थी; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस वर्ष घोषित नई औद्योगिक नीति में औद्योगिक शराब एककों के लिए लाइसेंस देने की निर्धारित शर्तों तथा प्रक्रिया सम्बन्धी कोई परिवर्तन आया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) राज्य में सात आसवनियां कार्यरत हैं जिनकी कुल आसवन क्षमता 439.10 लाख औद्योगिक और पेय आल्कोहल दोनों है।

(ख) जी, कोई नहीं,

(ग) जी, नही।

उच्च आय वर्ग के लोगों को रियायती खाद्य-सामग्री देने का लाभ बन्द करना

4938. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखरन मूर्ति : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च आय वर्ग के लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दी जाने वाली रियायती खाद्य-सामग्री की सुविधा को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह कहां तक न्यायोचित है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके क्षेत्र को केवल आयकर दाताओं तक ही बढ़ाने का है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार के ऐसे कदम से काला बाजारी, आदि को बढ़ावा मिलेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की आगे क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

लघु औद्योगिक क्षेत्र की निगमित क्षेत्र के साथ समानता

4939. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग परिषद ने निगमित क्षेत्र के साथ लघु उद्योग क्षेत्र की समानता कायम करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) तथा (ख) यद्यपि, लघु उद्योग क्षेत्र विस्तृत रूप से फैला तथा असंगठित क्षेत्र है फिर भी इसे अन्य मझौले तथा बड़े उद्योग क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इसलिए लघु उद्योग क्षेत्र के समानता के बजाय वरीयता दी गई है। लघु, अत्यन्त छोटे तथा ग्राम्य उपक्रमों की उन्नति करने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए 6 अगस्त, 1991 को संसद में घोषित नई नीति सम्बन्धी उपायों में इस क्षेत्र पर अतिरिक्त बल दिया गया है।

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड

[हिन्दी]

4940. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड लखनऊ ने उन लोगों की जमा राशि पर ब्याज का भुगतान नहीं किया है जिन्होंने लैम्ब्रेटा मेन्टो की अपनी बुकिंग रद्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में निर्देश जारी करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) से (ख) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा

बुकिंग रद्द किए जाने के विरूद्ध जमाराशि की सभी वापसियां लैम्ब्रेटा सेन्टो की बुकिंग के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार की जाती हैं। ब्याज का भुगतान ग्राहक द्वारा वाहन लेते समय, केवल समायोजना द्वारा किया जाता है। बुकिंग रद्द किए जाने के मामले में ब्याज उपार्जित नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

सरकारी क्षेत्र में उद्यमों में महिला कर्मचारी

[अनुवाद]

4941. **श्री पी० पी० कालियापेरुमल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कुल कर्मचारियों में से महिला कर्मचारियों की श्रेणीवार प्रतिशतत कितनी है; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों में कर्मचारियों की ग्रुपवार संख्या कितनी है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में भर्ती सम्बद्ध द्वारा आवश्यकता के आधार पर की जाती है और पुरुष तथा महिला कर्मचारियों के बीच या तो भर्ती करते समय अथवा अन्य सुविधायें प्रदान करते समय कोई भेद-भाव नहीं बरता जाता है। इसलिये लिंग के आधार पर कर्मचारियों का पृथक्करण नहीं किया जाता है तथा केवल महिला कर्मचारियों के बारे में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

सरकारी उद्यमों में कर्मचारियों को समूह-वार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सरकारी उद्यमों में समूह-वार रोजगार

	समूह	कर्मचारियों की संख्या (लाखों में) 1989-90
1.	निर्माणधीन उद्यम	0.12
2.	इस्पात	2.42
3.	खनिज एवं धातु	0·91
4.	कोयला एवं लिग्नाइट	6.76
5.	विद्युत	0.40
6.	पेट्रोलियम	1.18
7.	उर्वरक	0.48
8.	रसायन एवं भेषज	0.37
9.	भारी इंजीनियरी	1.42
10.	मध्यम एवं हल्की इंजीनियरी	1.38

1	2	3
11.	परिवहन उपस्कर	1.12
12.	उपभोक्ता सामान	0.66
13.	कृषि पर आधारित उद्योग	0.04
14.	कपड़ा	1.63
15.	व्यापार एवं विपणन सेवायें	1.00
16.	परिवहन सेवायें	1.12
17.	संविदा एवं निर्माण सेवायें	0.41
18.	औद्योगिक विकास तथा तकनीकी परामर्शदायी सेवायें	0.24
19.	पर्यटन सेवायें	0.13
20.	वित्तीय सेवायें	0.02
21.	दूरसंचार सेवायें	0.53
22.	धारा 25 के अधीन कम्पनियां	0.02
	कुल जोड़	22.36

बिहार को औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

4942. **श्री राम शरण यादव** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य के औद्योगिक विकास के लिये और अधिक वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार को उर्वरक की आपूर्ति

4943. **श्री राम शरण यादव** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य को उर्वरक भेजने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान बिहार राज्य को कुल कितनी मात्रा में उर्वरक की सप्लाई की गई और इस अवधि में राज्य की वास्तविक मांग कितनी थी; और

(ग) बिहार राज्य में उर्वरक की कुल मांग को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां।

(ख) 1989-90 और 1990-91 के दौरान बिहार राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता और अनुमानित आवश्यकता, न्यूट्रिएन्ट्सवार नीचे दी गयी है :—

(आंकड़े लाख मी० टन में)

	1989-90		1990-91	
	आवश्यकता	**उपलब्धता**	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**
एन	4.91	6.36	4.87	5.82
पी	1.59	1.58	1.44	1.42
के	0.66	0·67	0.53	0.68
योग	7.16	8.61	6.84	7.92

(ग) कुल मिलाकर राज्य की आवश्यकता को पूरा किया गया है।

खाद्य तेलों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि

[अनुवाद]

4944. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों की जमाखोरी के कारण उनके मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में खाद्य तेल के स्टाकिस्टों की संख्या तथा उनकी अधिकारिक क्षमता सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से कितनों की यह पता लगाने के लिए जांच की गई है कि कहीं उन्होंने मूल्य में वृद्धि के बाद जमाखोरी अथवा कालाबाजारी/मुनाफाखोरी तो आरम्भ नहीं कर दी; और

(घ) इस जांच के परिणामों का स्टाकिस्टवार ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) हाल में खाद्य तेलों को जमीखोरी/बेचने से मना करने/अनुपलभ्यता को कोई शिकायतें नहीं मिली हैं। इसके अलावा, दिल्ली प्रशासन द्वारा खाद्य तेलों के बारे में कोई सांविधिक मूल्य नियन्त्रण निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा खाद्य तेलों का कारबार करने वाले 248 उत्पादकों तथा 967 थोक विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(ग) आमतौर पर जांच प्राप्त हुई शिकायतों के आधार पर की जाती है। बिना लाइसेंस के खाद्य तेलों का व्यापार करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए दिल्ली प्रशासन ने चालू वर्ष में 8 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई हैं।

दूरदर्शन पर विज्ञापनों, टेलीफिल्मों और धारावाहिकों के लिए समय का आबंटन

4945. **डा० जी० एल० कनोजिया** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूरदर्शन पर नेटवर्क कार्यक्रम के अन्तर्गत विज्ञापनों टेलीफिल्मों और धारावाहिकों को प्रतिदिन कुल कितना तमय दिया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : विज्ञापनों के प्रसारण पर लगने वाला समय, हर दिन अलग-अलग होता है। तथापि, वर्तमान का समय कुल प्रसारण समय का लगभग 2.5 प्रतिशत होता है।

दूरदर्शन पर टेलीफिल्में प्रायः माह में दो बार दिखाई जाती हैं। प्रत्येक टेलीफिल्म को अवधि लगभग 90 मिनट होती है।

राष्ट्रीय नेटवर्क पर धारावाहिक प्रतिदिन औसतन लगभग 127 मिनट के लिए प्रसारित किए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक लाइसेंस जारी किया जाना

4946. **डा० जी० एल० कनोजिया** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए और उनके प्रस्तावित स्थानों के राज्यवार नाम क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में किसी औद्योगिक एकक की स्थापना हेतु कोई नया लाइसेंस जारी किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) एक विवरण संलग्न है। सभी औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यारे जैसे उपक्रम का नाम व पता, स्थापना-स्थल, विनिर्माण की क्षमता तथा संख्या एवं जारी करने की ताखीक आदि भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मंथली न्यूज लैटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जा रही हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। मैसर्स सरजू सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड को लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन की मौजूदा लाइसेंस शुदा क्षमता 1250 टी० सी० डी० से बढ़ाकर 2500 टी० सी० डी० करने हेतु 1990-91 के दौरान एक औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किया गया है।

विवरण

अप्रैल, 1990 से मार्च: 1991 के दौरान स्वीकृत औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे का विवरण।

	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—
2.	आंध्र प्रदेश	21
3.	अरूणाचल प्रदेश	—

1	2	3
4.	असम	2
5.	बिहार	8
6.	चण्डीगढ़	1
7.	दादर व नगर हवेली	1
8.	दमन व दीव	1
9.	दिल्ली	6
10.	गोआ	2
11.	गुजरात	39
12.	हरियाणा	19
13.	हिमाचल प्रदेश	5
14.	जम्मू व कश्मीर	2
15.	कर्नाटक	22
16.	केरल	5
17.	लक्षद्वीप	—
18.	मध्य प्रदेश	18
19.	महाराष्ट्र	83
20.	मणिपुर	—
21.	मेघालय	—
22.	मिजोरम	—
23.	नागालैंड	—
24.	उड़ीसा	7
25.	पांडिचेरी	1
26.	पंजाब	19
27.	राजस्थान	5
28.	सिक्किम	—
29.	तमिलनाडु	43
30.	त्रिपुरा	—
31.	उत्तर प्रदेश	48
32.	पश्चिम बंगाल	14
33.	नहीं दर्शाया गया राज्य/ एक से अधिक राज्य	4
	कुल	376

दूरदर्शन पर विज्ञापन

4947. **डा० जी० एल० कनोजिया** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरदर्शन पर और अधिक विज्ञापनों को आकर्षित करने के लिए कदम उठाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन पर और अधिक विज्ञापनों को आकर्षित करने का प्रयास, दूरदर्शन की गतिविधियों का एक नियमित और सतत पहलू है।

कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना

[हिन्दी]

4948. **डा० जी० एल० कनोजिया** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गन्ना उत्पादन में गुड़ और खांडसारी जैसे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) गन्ना से गुड़ और खांडसारी का उत्पादन पहले से ही खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अधिकार क्षेत्र के तहत आता है और सारे देश में गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में यह आयोग कार्य कर रहा है। वर्ष 1989-90 के दौरान गुड़ तथा खांडसारी का उत्पादन मूल्य 120.16 करोड़ रु० था और 1.56 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला था। गुड़ तथा खांडसारी उद्योग के तहत विकास कार्यक्रमों के लिए 1990-91 के दौरान 3.67 करोड़ रु० की धनराशि वितरित की गई।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

[अनुवाद]

4949. **श्री सी० पी० मुदानगिरियप्पा** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990 तथा 1991 के दौरान (जुलाई तक) राज्यवार तथा वर्षवार कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किये गये ?

खाद्य प्रसंकरण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों ही सेक्टरों में हैं। इसलिए असंगठित सेक्टर से सम्बन्धित सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है। तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा दी गई और इस मंत्रालय में

उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1990 और 1991 (अप्रैल, 1991 तक) में संगठित सेक्टर में स्थापित किए गए यूनिटों की संख्या राज्यवार और वर्षवार इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	स्थापित किए गए यूनिटों की संख्या	
	1990	1991
आंध्र प्रदेश	1	—
मध्य प्रदेश	2	—
महाराष्ट्र	—	1
पंजाब	2	1
उत्तर प्रदेश	3	—
पश्चिम बंगाल	1	1

जमाखोरी और कालाबाजारी के विरुद्ध कार्यवाही

4950. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तुओं विशेषरूप से देशी घी और मक्खन की जमाखोरी एवं कालाबाजारी के विरुद्ध कोई अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) जनवरी, 1991 को आम ब्रान्डों के मक्खन और घी के मूल्य क्या थे; और

(घ) घी और मक्खन के दामों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक वस्तुओं के जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के वास्ते अपनी सतर्कता और प्रवर्तन गतिविधियों में तेजी लायें। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत विचारित समुचित शक्तियां प्रदान की गई हैं। देशी घी और मक्खन के मूल्य सरकार द्वारा नियत नहीं किए जाते।

राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और चोरबाजारी को रोने के लिए नियमित आधार पर कार्रवाई करते हैं। मक्खन, घी आदि के सम्बन्ध में उनके द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में अलग से कोई आंकड़े इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं।

जनवरी, 1991 में मक्खन और घी के थोक मूल्य सूचकांक क्रमशः 225.8 और 194.4 थे।

घी और मक्खन के मूल्य मांग और आपूर्ति सम्बन्धी बाजार शक्तियों आदि द्वारा निर्धारित होते हैं।

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत भेजे गए कर्मचारियों की वरिष्ठता

4951. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों एवं अन्य संगठनों, राज्य सरकार के विभागों आदि के कर्मचारियों के विदेशी नियुक्तियों के लिए सम्बन्धित विभाग से समुचित माध्यम द्वारा अग्रसारित किये गये आवेदन पत्रों को कार्मिक विभाग में केवल तभी पंजीकृत किया जाता है जब आवेदन पत्र के साथ नियोजक का ऐसा प्रमाणपत्र संलग्न हो कि कर्मचारी का चयन होने पर उसकी वरिष्ठता को बरकरार रखा जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे मामले हुए हैं जिनमें वर्ष 1985-88 के दौरान भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गए विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों की वरिष्ठता, वेतन और पदोन्नति को कायम नहीं रखा गया; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के समुचित माध्यम द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र पंजीकृत किए जाते हैं। यद्यपि संगत मार्गदर्शी सिद्धान्तों में नियोजकों को विदेश नियुक्ति के लिए कार्यमुक्त किए गए कर्मचारियों का धारणाधिकार तथा वरिष्ठता बरकरार रखने की सलाह दी गई है परन्तु नियोजकों के लिए यह अनिवार्य नहीं बनाया गया है कि वे इस आशय का प्रमाणपत्र दें।

(ख) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार एक ऐसा मामला है जहां भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति एक अधिकारी की वरिष्ठता को उसके नियोजक द्वारा कायम नहीं रखा गया।

(ग) यह मामला बी० एच० ई० एल० के श्री सुधीर कुमार का है। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक सिविल वाद दायर किया है जिसका प्रतिवाद किया जा रहा है। मामला न्यायाधीन है।

खाद्यान्नों का आरक्षित भण्डार

4952. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

श्री बलराज पासी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास उपलब्ध खाद्यान्नों का आरक्षित भंडार कितना है;

(ख) क्या उपलब्ध भंडार में से सूखाग्रस्त क्षेत्रों, कमजोर वर्गों और आदिवासियों को खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है;

(ग) यदि हां, तो कितनी मात्रा में; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) केन्द्रीय पूल में पहली अगस्त, 1991 की स्थिति के अनुसार 18.12 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक था।

(ख) से (घ) केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों के आबंटन समूचे राज्य के लिए किए जाते हैं। राज्य के अन्दर विभिन्न इलाकों में खाद्यान्नों

का वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। तथापि, 1990-91 के दौरान समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों आदि के लिए विशेष रूप से राजसहायताप्राप्त मूल्यों पर 18.60 लाख मीटरी टन (अनन्तिम) खाद्यान्न (चावल और गेहूं) वितरित किए गए थे। ये मात्राएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निश्चित आबंटनों में से वितरित की गई थीं। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को कमजोर वर्गों के लिए कोई अलग आबंटन नहीं किए जाते हैं।

सीमेंट में मिलावट

4953. डा० **सी० सिलेवरा** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 और जुलाई, 1991 तक की अवधि के दौरान सीमेंट में मिलावट करने के कारण कुछ गिरफ्तारियां की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमेंट की बोरियों में मिलावट की घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है;

(घ) क्या सरकार का सीमेंट कंटेनरों में परिवर्तन करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) सीमेंट गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 1962 को लागू करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को शक्तियां दी गई हैं। स्थानीय प्रशासन प्राधिकारियों द्वारा सीमेंट में मिलावट के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। केन्द्र द्वारा गिरफ्तारियों के आंकड़े नहीं रखे जाते।

(घ) इस समय सीमेंट कन्टेनरों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इलेक्ट्रोनिक डिजिटल मीटर

4954. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मोटर कार के लिए इलेक्ट्रोनिक डिजिटल मीटर का प्रावधान है;

(ख) क्या कानून के अनुसार इलेक्ट्रोनिक मीटर की मंजूरी करा ली गई है;

(ग) यदि नहीं, तो संघ सरकार ने किन परिस्थितियों के अंतर्गत गोवा, महाराष्ट्र, मिजोरम और मारुति उद्योग लिमिटेड में भी इलेक्ट्रोनिक डिजिटल मीटर की बिक्री की अनुमति दी है; और

(घ) इस सम्बन्ध में संघ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) टैक्सियों के लिए इलेक्ट्रानिक अंकीय (डिजिटल) मीटर की विनिर्दिष्टियां बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 के तहत निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा, उक्त अधिनियम के अनुसार, अंतर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान बेची गई टैक्सियों के लिए इलेक्ट्रानिक अंकीय मीटर का माडल केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कराना अपेक्षित है।

(ख) इलेक्ट्रानिक अंकीय मीटर के माडल के अनुमोदन हेतु एक आवेदन की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) चूंकि माप उपकरणों के विनिर्माण तथा बिक्री के लाइसेंस देना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में है, अतः सम्बन्धित राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

रोबोट

4955. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिक चिन्तन शक्ति रहित रोबोटों को चिन्तन सम्पन्न बना रहे हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में भारतीय वैज्ञानिकों तथा सम्बद्ध देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन रोबोटों का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जायेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी नहीं, चिन्तन शक्ति रहित रोबोटों को चिन्तन सम्पन्न बनाने की ऐसी कोई व्यवस्थित गतिविधि इस समय नहीं चल रही है। हालांकि संस्थागत प्रयोग के लिए रोबोटों (परिचालकों) के विकास करने में हमारे शैक्षणिक एवं अनुसंधान और विकास संस्थानों के साथ-साथ कुछेक उद्योगों में भी अनुसंधान और विकास कार्य किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी विकास के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में योग्यता प्राप्त करने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

(ख) वर्तमान में इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं किया गया है।

(ग) रोबोटों को संकटमय प्रकृति वाले औद्योगिकी वातावरण में चयनात्मक आधार पर प्रयोग करने की योजना है। इसी भांति पेन्टिंग एवं वेल्डिंग जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद प्रयोगों के लिए रोबोटों का उपयोग करने पर विचार किया जा रहा है। इस प्रकार रोबोटिक्स के माध्यम से कामगारों की सुरक्षा तथा कार्य करने का स्वास्थ्यप्रद वातावरण बनाने के प्रति योगदान पर विशेष बल दिया जायेगा।

पदोन्नति पर वेतन निर्धारित करने में होने वाली विसंगति को हटाना

4956. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी की अगले उच्च वेतनमान/पद पर पदोन्नति होने पर उसका वेतन निर्धारित करने के सम्बन्ध में दिनांक 8-2-1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 13/26/82—स्था० पी० 1 के साथ पठित दिनांक 26 सितम्बर, 1981 के डी०पी० एण्ड ए०आर० के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 7/1/80—स्था० पी० 1 के प्रावधान जहां पर लागू होते हैं वहां दोनों वरिष्ठ तथा कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी मूल नियम 22-ग के लाभार्थी हों;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे मामलों में जहां दोनों वरिष्ठ व कनिष्ठ सरकारी कर्मचारियों ने समान विकल्पों का प्रयोग किया हो अथवा कोई भी विकल्प न अपनाया हो और उनका वेतन मूल नियम 22-ग के अंतर्गत निर्धारित किये जाने के बावजूद विसंगति विद्यमान हो, तो क्या ऐसी विसंगति वित्त

मंत्रालय के दिनांक 2-2-1966 के कार्यालय ज्ञापन एफ० 2(78)—ई 3(ए)/66 में अन्तर्विष्ट मूल सिद्धान्तों को लागू करके दूर की जा सकती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में आवश्यक स्पष्टीकरणीय निर्देश कब तक जारी करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) विकल्प देना प्रत्येक कर्मचारी का अधिकार है। कर्मचारी द्वारा एक बार विकल्प दे दिए जाने पर, उसके वेतन का निर्धारण तदनुसार किया जाता है। उसके पश्चात् कर्मचारी को किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के वेतन के अनुसार आगे किसी अन्य प्रसुविधा का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है तथापि, एक विशेष मामले के रूप में सरकार दिनांक 2-2-1966 के कार्यालय ज्ञापन के मूलभूत सिद्धान्तों के आधार पर विसंगति को दूर करने की अनुमति दे सकती है, यदि वरिष्ठ और कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी ने समान विकल्प दिया है तथा अन्य शर्तें भी पूरी करते हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है।

न्याय पंचायतों की स्थापना

[हिन्दी]

4957. **श्री राम नारायण बैरवा : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भगवती समिति की सिफारिशों के अनुसार किन-किन राज्यों में न्याय पंचायतों की स्थापना की गई है; और

(ख) क्या सरकार का उन राज्यों को जहां इन पंचायतों की स्थापना नहीं की गई है, इनकी स्थापना करने के लिए विनिर्देश जारी करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) वर्ष 1976 में न्यायमूर्ति श्री भगवती की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट के छठे अध्याय में राज्यों में न्याय पंचायतों और लोक न्यायालयों के गठन की सिफारिश की थी। अठारह राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों में न्याय पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है। भारत सरकार ने न्याय पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है। भारत सरकार ने न्याय पंचायतों की स्थापना के लिए राज्यों को कोई निर्देश जारी नहीं किये है। तथापि, न्याय पंचायतों सहित पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन का एक प्रस्ताव भारत सरकार के ध्यान में है।

गांवों का पिछड़ापन

4958. **श्री विजय कुमार यादव : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गांवों के पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में गांवों के पिछड़ेपन के मामले में बिहार पहले स्थान पर है; और

(घ) सरकार बिहार में गांवों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) देश में गांवों के पिछड़ेपन की सीमा का पता लगाने के लिए कोई निश्चित मानदण्ड नहीं है। तथापि, साक्षरता की दर, स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर, गरीबी की स्थिति, कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता, कृषि मजदूरों की प्रतिशतता, पिछड़ेपन की सीमा का पता लगाने के कुछ सूचक हैं।

(ग) योजना आयोग के नवीनतम अनुमानों के अनुसार पूरे देश में 33 4 प्रतिशत गरीबी की तुलना में बिहार में 42.7 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रही है। उड़ीसा की स्थिति और भी बदतर है जहां ग्रामीण गरीबी का स्तर 48.3 प्रतिशत तक है। रोजगार/बेरोजगारी के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 43वें दौर से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का आम मुख्य स्तर 2.40 प्रतिशत है जोकि असम, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के स्तर से कम है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन के अन्य सूचकों के स्तर के सम्बन्ध में, यद्यपि बिहार पिछड़ा हुआ है, लेकिन यह सबसे पिछड़ा हुआ नहीं है। बिहार में ग्रामीण साक्षरता का स्तर जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान से बेहतर है। बिहार में शिशु मृत्यु दर भी गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों से कम है।

(घ) राज्य सरकारों, जिसमें बिहार भी शामिल है, के लिए धनराशि एक व्यापक मानदण्ड के आधार पर निर्धारित की जाती है जिसमें राज्य की कुल जनसंख्या, गरीबी की स्थिति, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, मुख्य मजदूरों में से कृषि मजदूरों का प्रतिशत तथा कृषि उत्पादकता का आधार शामिल हैं।

ग्रामीण विकास के लिए सरकार की नीति का ध्येय ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में सुधार लाना, पेयजल तथा स्वच्छता की सुविधाएं मुहैया कराना, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य बुनियादी सुविधाओं का सृजन करना है। इस प्रयोजन हेतु गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

मौसम विज्ञान प्रणाली के सम्बन्ध में भारत मॉरीशस संयुक्त अध्ययन

[अनुवाद]

4959. **श्री बलराज पासी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मॉरिशिस ने मौसम विज्ञान प्रणालियों पर संयुक्त अध्ययन किये हैं और विभिन्न वैज्ञानिक विषयों के सम्बन्ध में जानकारी और वैज्ञानिकों का आपस में विनियम किया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी द्विपक्षीय समझौते पर भी हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो द्विपक्षीय समझौते का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) ऐसा न तो कोई संयुक्त अध्ययन किया गया है और न ही इस क्षेत्र में वैज्ञानिकों का कोई कोई आदान-

प्रदान हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, चालू विश्वव्यापी आंकड़ा विनिमय प्रणालियों के एक अंक के रूप में, मॉरीशस सहित अन्य देशों के साथ मौसम-विज्ञानी सूचना का आदान-प्रदान करता है। जब कभी भी मॉरीशस के आस-पास चक्रवाती तूफान आता है, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग मॉरीशिस मौसम-विज्ञानी सर्विस को सलाहकारी सन्देश भेजता है।

(ग) भारत एवं मॉरीशस के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग सम्बन्धी एक करार पर जनवरी, 1990 में नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे।

(ग) द्विपक्षीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी करार में समानता तथा आपसी हित के आधार पर अन्य बातों के साथ-साथ कृषि, समुद्र विज्ञान, वायुमण्डल विज्ञान, चिकित्सा अनुसंधान, भवन अनुसंधान, पर्यावरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग की व्यवस्था है। ऐसा सहयोग वैज्ञानिकों की यात्राओं, द्विपक्षीय सेमिनारों, आपसी हित के वैज्ञानिक एवं तकनीकी समस्याओं के निर्धारण तथा संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों के सूत्रीकरण एवं क्रियान्वयन के माध्यम से किया जाएगा।

यह करार पांच वर्षों के लिए वैध है, जिसकी अवधि एक साथ ही अगले पांच वर्षों के लिए स्वत: बढ़ जाएगी, यदि दोनों में से एक भी पक्ष दूसरे पक्ष को उक्त अवधि की समाप्ति से 12 माह पहले इस करार को समाप्त करने के अपने इरादे का नोटिस नहीं दे देता।

विभिन्न विभागों में अनुसूचित जातियों/जनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति लागू करना

[हिन्दी]

4960. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति किन-किन विभागों में लागू नहीं की गई है और उसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : इस मंत्रालय की जानकारी में ऐसा कोई मंत्रालय/विभाग नहीं है जहां आरक्षण नीति लागू नहीं की जा रही है।

मक्खन की कालाबाजारी

[अनुवाद]

4961. **श्री गुरुदास कामत** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मक्खन उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मक्खन काले बाजार में ऊंची दरों पर बेचा जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो मक्खन की कालाबाजारी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

अखबारी कागज का मूल्य

4962. **श्री चित्त बसु : क्या प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में सरकारी क्षेत्र की चार पेपर मिलों ने अपने अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसका समाचार पत्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी ने हाल ही में उन मूल्यों में शीघ्र कमी करने हेतु सरकार को अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां ।

(ख) समाचार पत्र उद्योग पर स्वदेशी अखबार कागज के बढ़े हुए मूल्य का प्रभाव इस सीमा तक पड़ा है कि समाचार पत्र उद्योग स्वदेशी अखबारी कागज का उपभोग कर रहा है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इस समय स्वदेशी अखबार कागज के मूल्यों पर कोई सांविधिक नियन्त्रण नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा स्वदेशी अखबारी कागज के मूल्य में संशोधन की एक्ट-पोस्ट आवधिक समीक्षा की जाती है ।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण और शिक्षा का मानकीकरण करने के लिए किए गए उपाय

4963. **श्री रामनरेश सिंह : क्या प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कम्प्यूटर प्रशिक्षण और शिक्षा का मानकीकरण करने और उसे विनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) तथा (ख) जी, हां । भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने दिनांक 16 अगस्त, 1990 के संकल्प के जरिए एक नीति की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत निर्धारित क्वालिटी तथा सेवा के मानकों को पूरा करने वाले निजी क्षेत्र के कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों को कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रमों अर्थात् "ओ" (आरम्भिक स्तर), "क" (उन्नत डिप्लोमा स्तर), "ख" (स्नातक स्तर) तथा "ग" (स्नातकोत्तर स्तर) के पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए मान्यता प्रदान की जाएगी ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

बाधित श्रेणियों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार/सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए नयी भर्ती

4964. **श्री कोड्डीकुलीन सुरेश : क्या प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्र सरकार के कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बाधित श्रेणियों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की नयी भर्ती करने का प्रस्ताव है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आरक्षित कोटे के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को केन्द्र सरकार के कार्यालयों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अलग-अलग, वर्ष-वार कितनी नौकरियां दी गई हैं और इन आरक्षित श्रेणियों के लिए आगामी तीन वर्षों के दौरान कितनी रिक्तियां उपलब्ध होने की सम्भावना है; और

(ग) अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के युवकों को तकनीकी और प्रशानिक सेवाओं में प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने के लिए क्या सुविधाएं देने का प्रस्ताव है।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) सरकार के विभिन्न विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की आरक्षित रिक्तियों सहित रिक्तियों को भरे जाने की प्रक्रिया एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक भर्ती की कार्रवाई में पदों की उन सभी श्रेणियों में, जिनमें आरक्षण लागू होता है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर इन जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों को ही नियुक्त किए जाने का प्रयास किया जाता है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पिछली बकाया रिक्तियों पर इन जातियों के उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए विशेष भर्ती अभियान भी चलाए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वर्ष 1987-88 और 89 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराए गए रोजगार का विवरण नीचे दिया गया है :—

केन्द्र सरकार के विभाग

वर्ष	अनु०जा०	अनुसूचित जनजातियां
1-1-87—31-12-87	11963	2328
1-1-88—31-12-88	17594	10177
1-1-89—31-12-89	21132	11567

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1-1-87—31-12-87	9699	13927
1-1-88—31-12-88	9748	2550
1-1-89—31-12-89	5362	3920

चूंकि सरकारी सेवाओं में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण निर्धारित करने वाले सरकारी आदेशों को लागू करने से पहले ही उच्चतम न्यायालय ने स्थगनादेश दे दिया है, अतः आरक्षित कोटे के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध रोजगार को आगे बनाए नहीं रखा जा सका है। केन्द्रीय सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षित श्रेणियों के लिए जिन रिक्तियों के उपलब्ध होने की सम्भावना होती है, वे उन रिक्तियों की कुल संख्या पर निर्भर करती हैं, जो इन पदों की विभिन्न श्रेणियों में रिक्त होंगी, और ये रिक्तियां भी आगे कई

अन्य तथ्यों पर निर्भर करती है जैसे कि क्रियाकलापों का विस्तार परियोजनाओं की स्वीकृति जनशक्ति इत्यादि की बर्बादी। इस तरह भविष्य में होने वाली रिक्तियों का अन्दाजा लगाना सम्भव नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को प्रदान की जाने वाली विशेष सुविधाओं में निम्नलिखित छूटे और रियायतें शामिल हैं अर्थात् आयु सीमा में छूट परीक्षा/आवेदन शुल्क के भुगतान की छूट, साक्षात्कारों के लिए यात्रा खर्चों की प्रतिपूर्ति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के लिए अलग साक्षात्कार, चयन समितियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कोई सदस्य शामिल करना और उपयुक्तता तथा अनुभव के मानक स्तरों में ढील। ऐसी रियायतें पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों को नहीं दी गई हैं।

कृषि नीति मामले सम्बन्धी स्थायी सलाहकार समिति

4965. **प्रो० उमा रेड्डि बेंकटेश्वरलु :** क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री शरद जोशी की अध्यक्षता में कृषि नीति मामले सम्बन्धी स्थायी सलाहकार समिति ने कितनी बैठकें आयोजित की हैं;

(ख) इन बैठकों में क्या-क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन सुझावों पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) स्थायी सलाहकारी समिति की 24 बैठकें हुई हैं।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

कृषि सम्बन्धी नीतिगत मामलों पर स्थायी सलाहकार समिति

सुझाव	अनुवर्ती कार्रवाई/विचार
1. उत्पादन लागत पर विशेषज्ञ समिति	
सरकार ने फसलों की उत्पादन लागत की कार्य-प्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्ति की है। इस समिति की अन्तरिम रिपोर्ट स्थायी सलाहकार समिति (एस० ए० सी०) को भेजी गई तथा स्थाई सलाहकार समिति ने श्रम के मूल्यांकन तथा प्रबन्धन को निवेश लागत के रूप में शामिल करने के सम्बन्ध में कई आशोधनों का सुझाव दिया।	सरकार ने स्थायी सलाहकार समिति द्वारा सुझाए गए आशोधनों की स्वीकार किया।
2. राष्ट्रीय कृषि नीति	
समिति ने कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा तैयार किये गये कृषि नीति संकल्प के	विभाग द्वारा तैयार किये गये कृषि-नीति संकल्प के प्रारूप पर स्थायी सलाहकार

1	2
प्रारूप पर विचारविमर्श किया तथा राष्ट्रीय कृषि नीति के प्रारूप के रूप में अपनी शिफारिशें दीं।	समिति द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय कृषि नीति का प्रारूप टिप्पणियों के रूप में था। स्थायी सलाहकार समिति के विचारों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् विभाग के प्रारूप को संशोधित किया गया। प्रारूप को अन्तिम रूप देने के लिये एक समिति गठित की गई। संशोधित प्रारूप पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/कृषि विश्वविद्यालयों को परिचालित कर दिया गया है।
सुझाव	
3. आंध्र प्रदेश में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में इसके दौरे के दौरान समिति के ध्यान में लाए गए मुद्दे	
(i) फसल बीमा योजना के तहत कवरेज	
अनेक स्थानों पर खरीफ और रबी दोनों फसलें जोकि खेत में कटी हुई पड़ी थीं, चक्रवात के कारण नष्ट हो गई लेकिन इससे प्रभावित किसानों को इस दलील पर कोई क्षति-पूर्ति नहीं दी गई कि बीमा सुरक्षा खड़ी हुई फसलों पर लागू होती है अतः कटी हुई फसल का मुद्दा इसमें नहीं आता है।	क्षतिपूर्ति फसल बीमा योजना (सी० सी० आई०एस०) के तहत बीमा कवरेज फसल-कटाई की अवस्था से पहले केवल खड़ी हुई फसलों तक ही है। विगत में भी किसी भी अवस्था को इस प्रकार की छूट अब तक नहीं दी गई है।
(ii) किसानों को दी गई सहायता	
किसानों को दी गई अपर्याप्त सहायता तथा जल निकास एवं सिंचाई नहरों की आम उपेक्षा।	राज्य आपदा राहत निधि में 64.50 करोड़ रु० का सम्पूर्ण केन्द्रीय हिस्सा राज्यों को पहले ही जारी किया जा चुका है। इसके अलावा विश्व बैंक ने भी गोदावरी डेल्टा बेसिन जल-निकासी कार्य को शुरू करने के लिए ऋण/उधार के रूप में कुछ सहायता प्रदान की है। स्थानीय समस्याओं पर कार्रवाई का दायित्व राज्य सरकारों का है।
सुझाव	
(iii) किसानों के लिए अधिकतम उधार सीमा	
सम्बन्धित प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाए कि वे अधिकतम उधार सीमाओं	व्यक्ति विशेष की अधिकतम उधार शक्ति (आई०एम०बी०पी०) को सोसाइटी स्तर

1	2
की शर्त को समाप्त करने के विचार से उनकी पुनः जांच करें।	पर इसके उप-नियमों जिन्हें सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है, के अनुसार निर्धारित किया जाता है। यह बात राज्य सरकार/सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार पर छोड दी जाती है कि यदि व्यक्ति विशेष की अधिकतम शक्ति किसानों की उधार सम्बन्धित जरूरतों को पूरा करने के रास्ते में आड़े आती है तो वे इसकी पुनः जांच करें।
(iv) सम्बन्धित क्षेत्रों से एकीकृत जल सम्भरण विकास तथा कमान क्षेत्र प्रबन्धन की जरूरत।	आठवीं योजना के दौरान वर्ष 1986-87 से आंध्र प्रदेश में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय जल संभरण विकास परियोजना शुरू की गई थी। यह स्कीम वर्ष 1991-92 के दौरान भी जारी है।
4. चीनी उद्योग को लाइसेंस प्रदान करना	
नए चीनी कारखानों के लिये लाइसेंस देने के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए नोडल मन्त्रालय कृषि मन्त्रालय होना चाहिए क्योंकि गन्ने का विकास सम्बन्धी कार्य की भी इसी मन्त्रालय के द्वारा देखभाल की जाती है।	कृषि विभाग अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।
5. बीजों पर विशेषज्ञ दल की शिफारिशें	
कृषि एवं सहकारिता विभाग में बीजों पर विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को तथा इन सिफारिशों पर अधिकार प्राप्त समिति के विचारों को टिप्पणियों हेतु स्थायी सलाहकार समिति को भेज दिया था। 10 सिफारिशों के सम्बन्ध में स्थायी सलाहकार समिति की कुछ भिन्न राय है।	स्थायी सलाहकार समिति के विचारों पर कार्रवाई की जा रही है।
सुझाव	
6. मत्स्य उद्योग, मुर्गी पालन तथा डेयरी	
मत्स्य उद्योग, मुर्गी पालन तथा डेयरी पर बिजली तथा पानी के शुल्क उसी आधार पर लिए जाने चाहिए जिस आधार पर कि वे कृषि से लिये जाते हैं।	मत्स्य उद्योग के मामले में विचार करने हेतु जल संसाधन मन्त्रालय तथा ऊर्जा मन्त्रालय से अनुरोध किया गया है। मुर्गी पालन और डेयरी के लिये मामले को राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के साथ उठाया गया है।

1	2
7. नारियल को तिलहन के रूप में बदलना	
कोपरा/नारियल की समर्थन कीमतों के प्रयोजनार्थ तथा खाद्य तेल की आपूर्ति एवं कीमतों के प्रबन्धन हेतु कोपरा/नारियल को तिलहन के रूप में मानना ठीक रहेगा।	सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है।
8. व्यापार की शर्तों का अध्ययन	
विक्रय योग्य अतिरेक/विक्रय किये गये अतिरेक वाले उत्पादकों तथा सम्पूर्ण किसान वर्ग को दिए जाने वाले सापेक्ष अधिभार के सम्बन्ध में कार्य-प्रणाली सम्बन्धी सुझावों को विभिन्न मौसमों में कीमतों के प्रसार तथा खुदरा कीमतों के उपयोग के लिए ध्यान में रखने की जरूरत है।	कृषि तथा गैर-कृषि सैक्टरों के बीच व्यापार की शर्तों की संरचना की जांच करने के लिए कृषि मन्त्रालय द्वारा कृतिक बल का गठन विशेषज्ञ समिति की एक सिफारिश है। समिति की सिफारिशों को अभी स्वीकृत एवं कार्यान्वित किया जाना है।
9. गोश्त का निर्यात	
न केवल निर्यात बाजार के लिये बल्कि घरेलू उपभोग के लिये भी आधुनिक बूचड़-खानों में साफ सुथरे गोश्त के उत्पादन पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिये अनुकूलतम फीड-टू-मीट अनुपात सहित रोगमुक्त पशुपालन तथा स्वस्थ पशु एवं पक्षियों के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बूचड़खाना को ऐसे पशुओं तक सीमित किये जाने की जरूरत होगी जिनको उत्पादक पशु-पालन के लिये छांटकर निकालने की जरूरत होती है।	2 केन्द्र प्रायोजित स्कीमें अर्थात् "बूचड़-खाना निगमों में निवेश" तथा मौजूदा वधशालाओं/गोश्त प्लांटों का सुधार प्रचालन में है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा पूंजीनिवेश

4966. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारतीय बाजार में प्रवेश करने की कोई पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो भारत में पूंजीनिवेश की इच्छुक कम्पनियों की संख्या कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) तथा (ख) विदेशी निवेश की परिकल्पना वाले 180 आवेदन पत्र, निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

दिल्ली में समाज सदन

4967. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित कुल कितने समाज सदन हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) दिल्ली में 24 समाज सदन हैं, इनका निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने किया था एवं ये कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के प्रशासनाधीन हैं।

(ख), (ग) तथा (घ) जी, नहीं। जैसा कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के कल्याण का सम्बन्ध मुख्यतः भारत सरकार से है राज्य सरकारों को इस विषय में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभानी होती है।

———

एक रैंक एक पेंशन के बारे में

12.00 मध्यान्ह

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो काफी दिनों से इस सदन में उठाया जा रहा है। पिछले तीन दिनों से भूतपूर्व सैनिक धरने पर बोट क्लब में बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि सदन के दोनों पक्षों के सदस्य, चाहे ट्रैजरी बैन्चेज के हों या ओपोजीशन के, कोई भी ऐसे नहीं हैं जो उनकी मांगों से सहमति व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। न सिर्फ राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बल्कि जब कांग्रेस (आई) की सरकार थी तो 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन के सम्बन्ध में जो वरडिक्ट दिया था उसके आलोक में अक्तूबर 1984 में श्री के० पी० सिंह देव की अध्यक्षता में एक हाई लैवल कमेटी का निर्माण किया गया था। उसमें 62 रिकमेंडेशन्स दिए गए थे जिसमें एक वन रैंक वन पेंशन का सवाल भी था। मैं सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि एक्स-सर्विसमैन जो इस देश की निधि हैं, जिनका इस देश की सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदान रहा है, तीन दिनों से बारिश में धरने पर बैठे हैं। यहां सदन के नेता श्री अर्जुन सिंह बैठे हैं और मैं एक्स-सर्विसमैन का सवाल उठा रहा हूं। उनकी मांगों को, उनके औचित्य को दोनों पक्षों के लोग समझते हैं। सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकारा है, उनकी डिमांडस पर सरकार सकारात्मक रवैया अपनाकर सदन को आश्वासन दे कि न सिर्फ उनकी मांगों पर विचार करेगी बल्कि उनकी मांगों को भी मानेगी जो पूर्ववर्ती राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने घोषणा की थी।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक रैंक एक पेंशन के प्रश्न पर संक्षिप्त चर्चा करने के लिए आपकी अनुमति मांगी है। भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ ने पिछले तीन दिनों से बोट क्लब पर विरोध धरने का आयोजन किया हुआ है और सभी राजनैतिक दलों ने उनकी एक रैंक एक

पेंशन की मांग का एकमत से समर्थन किया है। वास्तव में, यह मेरे साथी श्री मदन लाल द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों का हिस्सा है और वे रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय अभिलक्षित होंगी। परन्तु, यह इतना आसान नहीं हो सकता। 1984 में स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था और मुझे उस समिति का सदस्य बनने का सुअवसर मिला था। तभी से एक रैंक एक पेंशन की मांग की जाती रही है और स्वयं समिति ने सरकार से इसकी सिफारिश की थी। तत्पश्चात, सरकार ने सिफारिशों की जांच करने के बाद इसे कार्यान्वयन के लिए उचित पाया था। पिछली सरकार वास्तव में कुछ आगे चली गई थी। इसने सिफारिश को अन्तिम रूप दे दिया था। परन्तु अन्तिम रूप देते समय इसमें कुछ परिवर्तन किये गये।

वर्तमान सरकार से हमारा निवेदन है कि वह एक रैंक एक पेंशन के इस प्रस्ताव को लागू करे जो कि गत सात वर्षों से लम्बित पड़ा है और जिसने अनेक वर्षों से भूतपूर्व सैनिकों के सभी वर्गों को उत्तेजित कर रखा है। रक्षा मन्त्री महोदय अभी अभी सदन में आये हैं···(**व्यवधान**) मेरे विचार से इस पर पहले वर्ष के दौरान, अधिकारी वर्ग को छोड़कर जिसकी संख्या केवल 25,000 है, कुल 250 करोड़ अथवा 270 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी। सरकार के लिए 270 करोड़ रुपये जुटाना कठिन नहीं होगा जबकि वह एक बिना अस्तित्व वाले फाउण्डेशन के लिए 100 करोड़ रुपये जुटा सकने की क्षमता रखती है। अधिकारी रैंक के 25000 लोगों को छोड़कर, भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या लगभग 700,000 है। अतः सरकार को इस निवेदन पर विचार करना चाहिए। यह एक मानवीय मांग है और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार करे।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जसवन्त सिंह जी द्वारा उठाये गये मुद्दे का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ ने ही आरम्भ में एक रैंक एक पेंशन की इस मांग को उठाया था, परन्तु भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, श्री वी० पी० सिंह जी ने, 1989 के चुनाव घोषणा पत्र में किये गये वायदे के बावजूद, इसे पूरा नहीं किया।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : 13 अक्तूबर को हम लोगों ने घोषणा की थी।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : उसके बावजूद मैं देश के रक्षा मन्त्री और वित्त मन्त्री से निवेदन करता हूं कि भूतपूर्व सैनिकों से सम्बन्धित इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) मतैक्य होने दीजिए···।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री खन्डूरी का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) महोदय, मैं दो मुद्दे उठाना चाहता हूं। सर्वप्रथम, कुछ ऐसे रक्षा अधिकारी हैं जिन्हें जबरदस्ती अनुशासनहीनता के लिए बाध्य किया गया है। मैं सरकार से और इस सदन में उपस्थित प्रत्येक सदस्य से निवेदन करता हूं कि कृपया अनुशासित अधिकारियों को अनुशासनहीनता के रास्ते पर चलने के लिए बाध्य न करें। उनकी मांग पूरी तरह से उचित है और उस मांग को मानने में कोई कठिनाई अथवा आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ नौकरशाही विलम्बों के कारण

यह समस्या पैदा हुई है। इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये लोग लगभग 30 वर्ष की अल्पायु में ही सेवानिवृत हो जाते हैं। पिछले 50 वर्षों से इनमें से कुछ लोग लगभग 100 रुपये प्रतिमास की पेंशन से गुजारा कर रहे हैं। इसलिए, कृपया उनकी समस्या को समझें और इन अनुशासित व्यक्तियों को अनुशासनहीनता के रास्ते पर चलने के लिए बाध्य न करें। मैं निवेदन करता हूं कि भूतपूर्व सैनिकों की इस मांग को सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में आगे और कोई विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे, इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें। इसे दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाये।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां (झुंझनू) : जनाब सदरे मोहतरम, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या हमारे सामने है। आज तीन दिन से एक्स-सर्विसमैन वन रैंक वन पेंशन के सम्बन्ध में इण्डिया गेट के पास धरने पर बैठे हैं। कभी भी एक्स-सर्विसमैन धरना नहीं देते लेकिन ऐसे हालात पैदा हो गये कि उनको ऐसा काम करने को मजबूर होना पड़ा। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं, डिफेंस मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, इस पर आप खुले दिल से गौर करें और वन रैंक वन पेंशन के लिए उनको कोई न कोई आश्वासन आज जरूर मिले ताकि वह लोग धरने से उठ सकें, ऐसा मेरा मानना है और यह जरूर मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, जैसा कि आपने देख लिया है, इस सदन के सभी सदस्य इस पर सहमत हैं। इस सदन के सभी सदस्यों ने मांग की है कि एक रैंक एक पेंशन को लागू किया जाना चाहिए। यह निर्णय राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा लिया गया था परन्तु वे इसे लागू नहीं कर सके क्योंकि अपने निर्णय को लागू करने के लिए उन्हें समय नहीं मिला था। अब ठीक समय है कि इस सरकार को उन भूतपूर्व सैनिकों की उचित मांग को लागू करना चाहिए जो पिछले तीन दिनों से बोट क्लब पर धरना दे रहे हैं। रक्षा मन्त्री महोदय सदन में उपस्थित हैं। हम मांग करते हैं कि रक्षा मन्त्री को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए और आश्वासन देना चाहिए कि एक रैंक एक पेंशन की इस मांग को कार्यान्वित किया जायेगा क्योंकि पूरा सदन इस मांग पर एकमत है।

अध्यक्ष महोदय : आपने यह कह दिया है। एक ही मांग पर्याप्त है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उन्हें इस पर एक वक्तव्य देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मैं एक वाक्य में इतना ही कहना चाहता हूं कि जब सदन में इस मामले पर एक राय है, 13 अक्तूबर को जब पिछले साल पहले की सरकार ने इस पर बाकायदा सरकार के स्तर पर, मन्त्रिमण्डल के स्तर पर फैसला किया है तो इस पर विचार करने लायक भी कोई चीज बची नहीं है। जो फैसला 13 अक्तूबर को हुआ था, उस फैसले पर अमल मात्र होना बाकी है। इसलिए मेरी रक्षा मन्त्री से प्रार्थना है कि वह सदन में इस बात का एलान कर दें कि हम इस पर अमल करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उन्हें अभी यहां उत्तर देने दीजिये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : महोदय, सदन में एक विशेष प्रकार की मतैक्यता है, जहां तक दलों की बात है हो सकता है कि सत्ता पक्ष के व्यक्तियों का दृष्टिकोण भिन्न हो परन्तु सभी दल एक मत दिखाई देते हैं।

अतः मुझे भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों से यह जानकर हैरानी हुई कि रक्षा मन्त्री ने उनसे कहा है कि सरकार इस मामले पर बजट के पश्चात् विचार करेगी। यह हैरानी की बात है। मुझे बताया गया है कि उन्होंने रक्षा मन्त्री से भेंट की और रक्षा मन्त्री ने उनसे कहा है कि यह उचित समय नहीं है और हम बजट सत्र समाप्त हो जाने के पश्चात इस पर बात करेंगे; तब आप मुझसे मिल सकते हैं।

मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार से पिछली सरकार द्वारा विगत में लिये गये निर्णय को नकारना है और अब इस बात की जरूरत है कि इस सभा में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिये तथा उसे क्रियान्वित किया जाना चाहिये और रक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगें लेने से पहले इस सम्बन्ध में घोषणा कर दी जानी चाहिये। अन्यथा हम एक रैंक एक पेंशन के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कटौती प्रस्ताव पर जोर देंगे।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा है कि सभा इस सम्बन्ध में एकमत है, तब उन्हें अपना तर्क देने के लिए इस तरह की धमकी नहीं देनी चाहिए। जब सभा एकमत है तब उनका अलग से कटौती प्रस्ताव देने का प्रश्न कहां से उठता है?

महोदय, सौभाग्य से रक्षा मन्त्री जी यहां उपस्थित हैं। सेना के भूतपूर्व सैनिक का पुत्र होने के नाते मेरा यह पूरा अधिकार है कि मैं इस सभा के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों के साथ सहयोग करूं और मैं माननीय रक्षा मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि पिछली सरकार ने जो कुछ किया है उसे लेकर अपना काम रोकना नहीं चाहिए। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। भूतपूर्व सैनिकों को लाभ देने के लिए इस सरकार को निर्णय लेना चाहिए। इस सरकार को इस सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहिए और माननीय रक्षा मन्त्री जी इस सभा को बतायें कि वह इस बारे में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं और उचित समय पर वह कतिपय प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि यह एक राष्ट्रीय वचनबद्धता है। श्री बूटासिंह जी यह कह रहे थे कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया है। कम से कम उन्होंने कुछ तो निर्णय लिया।

श्री बूटा सिंह : उन्होंने इसको क्रियान्वित नहीं किया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपकी सरकार इसे क्रियान्वित करे और दिखाये कि उन्होंने यह कार्य कर दिया है।

महोदय, इस मामले में भावनाएं काफी उत्तेजित हैं। अधिकांश सदस्य इसके पक्ष में है। संपूर्ण सभा इसके पक्ष में है इस बारे में राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। वे वहां धरने पर बैठे हुए हैं। सभी राजनैतिक दलों ने अपना समर्थन व्यक्त किया है। मैं नहीं जानता कि क्या कुछ कहा गया है। अभी श्री आडवाणी जी ने कहा है कि उन्होंने वायदा किया है कि इस पर बजट सत्र के पश्चात विचार किया जायेगा। संभवतः तब तक यहां कोई प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। इसके पश्चात वह यह कहेंगे कि जब बजट में कोई उपबन्ध नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? इस प्रकार का रवैया सहायक नहीं होगा। यह एक ऐसा मामला है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। हमें अपनी वचनबद्धता पूरी करनी चाहिए।

मैं रक्षा मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन्हें—मैं नहीं जानता कि जिस ढंग से हम चल रहे हैं उस ढंग से हम रक्षा बजट पर चर्चा कर पायेंगे अथवा नहीं—गिलोटीन करने से पहले घोषणा कर देनी चाहिए। आप इस बात का फायदा न उठाइये कि यदि रक्षा बजट पर बहस नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम सदन से वादा चाहते हैं, केवल वादा ही नहीं बल्कि हम चाहते हैं कि सरकार इसे अभी क्रियान्वित करे। **(व्यवधान)**

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान-निकोबार) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में कोई विवाद नहीं है। सभा की इस सम्बन्ध में एक राय है और विशेषकर कांग्रेस दल ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा है कि वे भूतपूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा करेंगे। हम इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। आज सम्पूर्ण विपक्ष और अन्य सदस्यों ने कहा है कि—उन्हें इस मामले में सरकार को धमकी नहीं देनी चाहिए—इस मामले के समाधान के लिए प्रत्येक सदस्य एक मत है।

अत: मैं माननीय रक्षा मन्त्री जी, जो यहां उपस्थित हैं, से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया सरकार द्वारा किये गये वायदे को क्रियान्वित करें··· **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : आज एनाउन्समेंट होगा।

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : आज एनाउन्समेंट नहीं होगा। **(व्यवधान)**

इससे पहले मैं यह बात कहना चाहता हूं कि डिफेंस की डिमांडस फार ग्रांट्स पर हाउस में डिस्कशन होने वाला है। जहां तक "वन रेंक वन पेंशन" की बात है, यह बात सच है कि इससे पहले श्री वी० पी० सिंह की सरकार ने इसके बारे में कुछ डिसीजन लिया था। उन्होंने जो डिसीजन लिया था, जो पूरी मांग थी वह मांग इसमें पूरी नहीं हो रही है। उसके बाद जब हुकूमत बदली और चन्द्र शेखर की हुकूमत आ गई, तब उन्होंने इस पर दोबारा सोचने का तय किया और उन्होंने इस पर स्थगिती दे दी। **(व्यवधान)**

श्री शरद पवार : जो डिसीजन इससे पहले वी० वी० सिंह साहब ने लिया था, इस पर स्थगिती दी है। इसमें फिर अन्तिम डिसीजन लेने की जरूरत है। एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के सब लोग जरूर धरना देकर बैठे हैं। आज सुबह वे लोग मुझसे मिले, मैंने उनको यह वायदा किया कि 3 या 4 तारीख को डिफेंस का डिस्कशन पूरा होने के बाद हम आपस में डिस्कशन के लिए बैठेंगे। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या डिस्कशन होगा ? **(व्यवधान)**

श्री शरद पवार : जो विरोधी पक्ष के नेता ने कहा है, बजट सैशन के बाद बैठने की बात नहीं है। बजट सैशन के दरम्यान ही डिस्कशन के लिए बैठना है और यह मेरा सुझाव उन्होंने माना है और धरना वापस लेने का भी आज उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, उनका धरना पहले से ही तीन दिन के लिए था **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

मन्त्री महोदय को सभा को गुमराह नहीं करना चाहिए। आप हाउस को मिसगाइड मत कीजिए। जो "वन रैंक वन पेंशन" का मामला है, सरकार उसके सम्बन्ध में निर्णय लेने जा रही है या नहीं। यह सीधी सी बात है। **(व्यवधान)**

श्री शरद पवार : जहां तक धरने की बात है, उनके जो नेता रामसिंह साहब हैं उन्होंने मुझसे यह कहा कि आपके साथ बातचीत करने के बाद हम आपको मिलने के लिये 5 तारीख को आयेंगे और वापस जाकर अपना धरना समाप्त कर देंगे। **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (लखनऊ) : आदरणीय रक्षा मन्त्री जी ने जो सुझाव दिया है उससे सदन को सन्तोष नहीं हो रहा है यह वह स्वयं देख रहे हैं। जो एक्स सर्विसमैन की चर्चा करने वाली बात है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन रक्षा मन्त्री जी के सामने कौन सी कठिनाइयां हैं ? आखिर यह मामला पुरानी सरकार के सामने आया था। रक्षा मन्त्री कहते हैं कि एक फैसला हुआ था लेकिन वह पूरा नहीं था, तो किस माने में अधूरा था और अगर उन्होंने अधूरा छोड़ दिया तो आप पूरा कर दीजिए।

दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि जो भी सरकार आई उसने स्थगित कर दिया लेकिन अब यह मामला फिर से गर्म हो गया है। हम चाहेंगे कि इस मामले में आप सदन को विश्वास में लें और यदि आवश्यकता हो तो सब नेताओं को आप अपने कक्ष में निमंत्रण दें। अगर इस मामले में तुरन्त फैसला करने में कोई कठिनाई है और कठिनाई वास्तविक है, हमें तो कोई कठिनाई इसमें दिखाई नहीं देती, तो आप हमको विश्वास में लीजिए, लेकिय बजट तक यह मामला मत टालिए। अगर आप यह उत्तर देंगे कि हम बजट के बाद इस पर विचार करेंगे तो फिर आपका बजट मुश्किल में पड़ जायेगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अनुदानों की शेष मांगों में गिलोटीन के साथ आप इस मांग का भी गिलोटीन करेंगे। इसलिए, 5 तारीख बहुत ही बुरा दिन है। इसलिए उन्हें यहीं पर अभी घोषणा करनी चाहिए। 28 तारीख भी इतनी ही ठीक है जितनी 5। इसलिए इसे 28 को ही कर दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : हम घोषणा चाहते हैं, चर्चा नहीं।

श्री शरद पवार : भूतपूर्व सैनिकों की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए मैं उन्हें इस पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर प्रदान करना बेहतर समझता हूं। मैं उनके साथ विस्तार से चर्चा करूंगा। **(व्यवधान)**

उनके संगठन ने भी मेरा सुझाव स्वीकार कर लिया है। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : जब एक निर्णय ले लिया गया है तो और चर्चा करने की क्या आवश्यकता है ? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हम लोग सुन नहीं पाये, मन्त्री महोदय ने क्या कहा है। आपने यदि सुना हो तो बता दीजिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सब लोग बोल रहे हैं तो कैसे सुनाई देगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वे अभी भी धरने पर हैं। वे वापिस नहीं ले रहे। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : जो बात हमने कही है उस पर वे सहमत नहीं हैं। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कार्य पालिका को संसद के समक्ष घुटने टेकने दो **(व्यवधान)** इसके बारे में स्पष्ट एकमत है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार ने जानबूझ कर एक विलम्बकारी रवैया अपनाया है तथा लोगों से उन्होंने जो वायदा किया था उससे वे पीछे हट रहे हैं तथा हम इसके विरोध में सदन से बाहर जाते हैं।

12.21 म० प०

[उसी समय श्री सोमनाथ चटर्जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यगण सदन से बाहर चले गए।]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम बिलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार सच्ची नहीं है, इसलिए हम लोग भी वाकआउट करते हैं।

12.22 म० प०

[तत्पश्चात् श्री राम विलास पासवान और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए]

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : ऐसे मुद्दे को राजनैतिक रंग देने के उनके प्रयास की हम कड़ी निन्दा करते हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन होगा, माननीय रक्षा मन्त्री जी से कि अभी माननीय अटल जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। इसमें जो भी कठिनाइयां हैं, बिना कठिनाई सरकार को घोषणा करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती, यह उनकी हठधर्मिता नहीं है जो सरकार को घोषणा करने से रोक रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जो सुझाव दिया गया है कि इस सारे मसले पर रक्षा मन्त्री जी नेताओं को बुलाकर 5 तारीख या उससे पहले कि बजट आए, उससे पहले चर्चा कर ली जाए, ताकि अभी जो सदन में एक राय है, वह बजट पर बहस के दौरान भी एक राय हो जाए, जिससे एक्स-सर्विस-मैन को भी फायदा हो जाए और सरकार भी बनी रहे, ये दोनों बातें इसमें हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उत्तर देना चाहेंगे ?

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : अध्यक्ष जी, इस विषय में पहले मैं एक्स-सर्विसमैन एसोसिएशन से बात करना चाहता हूं। जो पहले डिसीजन लिया है, इसमें कई लेवल तक के लोगों को बेनीफिट मिलेगा, ऐसा डिसीजन लिया है। इस बारे में उनका कुछ कहना है, इसलिए जो वे बतलाना चाहते हैं, वह मैं समझना

चाहता हूं । इसके बाद पार्टी लीडर्स के साथ बात होती है तो मुझे खुशी होगी । एक्स-सर्विसमैन के साथ बात करने के बाद उनको भी बातचीत के लिए निमंत्रित करूंगा ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी और जसवन्त सिंह जी ने बहुत रचनात्मक सुझाव दिए हैं । इन सुझावों को जिस प्रकार से रक्षा मंत्री जी ने ठुकराया है, उससे लगता है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता सिवाए इसके कि हमने जो कटमोशन्स दिए हैं, जो एक प्रकार से पूरे सदन की राय प्रकट करते हैं...।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में खड़ा नहीं होना चाहता था, लेकिन...।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं खड़ा हूं, कृपया आप बैठ जाइये ।

अध्यक्ष महोदय, हम इस बारे में अपना असन्तोष प्रकट करते हैं और मैं इस बात को फिर से कहता हूं कि आपने हमको मजबूर किया है कि हम कटमोशन्स को प्रेस करें, जो साधारणत: हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपेक्षा करते थे कि इस अवसर पर आप घोषणा कर देंगे, इसलिए कटमोशन्स को प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी । मैं प्रतिरक्षा मंत्री जी के वक्तव्य के विरोध में असन्तोष प्रकट करता हूं और सदन का त्याग करता हूं ।

12.24 म० प०

[तत्पश्चात् श्री लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए]

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए पहले बोलना चाहता था । आदरणीय वाजपेयी जी ने जो सुझाव दिया है, उस सुझाव को रक्षा मन्त्री जी ने मान लिया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कहां माना है ?

श्री अर्जुन सिंह : बिल्कुल माना है । रक्षा मन्त्री जी ने आपके सुझाव को यह कहकर माना है कि वे एसोसिएशन से बात करना चाहते हैं, फिर आप लोगों से बात करना चाहते हैं । इसमें नाराज होकर आडवाणी जी वाक-आउट करना चाहते हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन वाजपेयी जी का सुझाव माना जा रहा है और आडवाणी जी वाक-आउट करें, यह तो बड़ी विडम्बना है ।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : लेकिन आप विनिश्चय घोषित कीजिए ।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरे और आडवाणी जी के बीच में खाई पैदा करने का प्रयत्न सफल नहीं होगा । रक्षा मन्त्री जी ने मेरा सुझाव नहीं माना है ।

श्री शरद पवार : माना है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह मांग केवल एक्स-सर्विसमैन की नहीं है, सारे सदन की मांग है ।

आप कहते हैं, हम पहले एक्स-सर्विसमैन एसोसिएशन से बात करेंगे, फिर कहने पर आपको भी बुला लेंगे । यह कोई तरीका है बर्ताव करने का ?

श्री अर्जुन सिंह : आपका सुझाव था कि यदि कोई कठिनाई है तो हम लोगों को बुला कर बताइये। इन्होंने यही तो कहा कि एक्स-सर्विसमैन एसोसिएशन से बात करके वे आप लोगों को आमंत्रित करेंगे। आपको आमंत्रित करके वे आपको बतायेंगे कि क्या स्थिति है। आप सुनना ही नहीं चाहते तो क्या किया जाए। (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम चाहते हैं कि बजट के पहले बात करें। (**व्यवधान**)

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, इन्होंने जो प्रेरणा दी है, उसका हम पूरा समर्थन करते हैं और एक्स-सर्विसमैन से अपील करते हैं कि पॉलिटीकली हत्यारों में न फंसे और सीधे रक्षा मन्त्री जी से बात करके अपनी मांग मनवाएं।

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : यह बात समाप्त हो चुकी है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : किसी को भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो० सावित्री लक्ष्मणन।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महिला के रूप में मेरे लिए यह सुनना अत्यन्त दुःख की बात है कि इन्दौर में पलेसिया चौक पर एक नंगी महिला की प्रतिमा लगी हुई है। मुझे समझ नहीं आता कि एक नंगी औरत का चित या प्रतिमा देखने में इस व्यक्ति को क्या आनन्द आयेगा। मुझे डर है कि कहीं इस प्रकार की हरकत दूसरे व्यक्तियों को भी एक जीती जागती महिला को निरवस्त्र देखने को उत्तेजित करे। कृपया यह मत भूलिये कि अभी 10 दिन पहले किसी अन्य राज्य में 35 वर्ष की एक महिला को गलियों में नंगा होकर चलने को मजबूर किया गया था। इसलिए, मेरा सरकार से आग्रह है कि वह मध्य प्रदेश में इन्दौर से उस प्रतिमा को हटाए जाने के लिए तुरन्त कदम उठायें।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहती हूं। ऐसा कहा गया है कि गुना जिले में अशोक नगर स्थित नेहरू पार्क से श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रतिमा को हटा दिया गया है। मुझे यह पता नहीं है कि इसे राज्य सरकार की अनुमति से हटाया गया है या नहीं। भारत सरकार को इस मामले में भी हस्तक्षेप करना चाहिये।

[**हिन्दी**]

श्री उदयप्रताप सिंह (मैनपुरी) : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं गम्भीर और लोक महत्व का सवाल सदन के सामने रखना चाहता हूं। वह यह है कि उत्तर प्रदेश के इनटैलीजेंस की यह रिपोर्ट है कि मुलायम सिंह जी की जान को खतरा है। (**व्यवधान**)

उन पर दो बार हमला हो चुका है जिसमें उनका एक अंगरक्षक मारा जा चुका है। एक बार उनके मुख्य मन्त्री निवास पर बम फटा, जिसमें उनका प्लाटून कमाण्डर घायल हुआ, उसकी बांह उड़ गई और 17 आदमी घायल हुए। बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ी पीड़ा और दुःख का विषय है कि उत्तर प्रदेश

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरकार ने अपनी सारी सिक्योरिटी वापस ले ली। यह एक तरह से राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों का सफाया करने का सुनियोजित षड्यन्त्र है। इसके तहत यह भी कहा कि जो सैंट्रल से सिक्योरिटी मिली थी वह भी वापस कर ली जाये। जितना भी सामान था, बुलेटप्रूफ गाड़ी थी, उनको वापस लेने की बात चल रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण मसला इसलिये है कि जिस प्रकार आतंक बढ़ रहा है, कल एक सांसद के ऊपर हमला हुआ है, जिस प्रकार राजीव जी की हत्या की गई, जिस प्रकार से और हत्याएं की गयी हैं, उसको देखते हुए यह बड़ा जरूरी हो गया है कि जो महत्वपूर्ण पदों पर लोग रहे हैं उनकी सुरक्षा का इन्तजाम किया जाये।

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा विशेष रूप से गृह मन्त्री का, उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ भी कहे लेकिन जिस प्रकार से श्री मुलायम सिंह ने संकीर्ण सांप्रदायिकता के विरुद्ध काम किया है उससे खतरा बढ़ा है तो इस समय उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। मैं इन शब्दों के साथ फिर अपील करता हूं कि इसको गम्भीरता से लिया जाये और हल्केपन से न लिया जाये।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : यह अति चिन्ता का विषय है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने विरोधियों के विरुद्ध जांच कराने का कार्य शुरू कर दिया है। वे उन लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं जिन्हें मारने की धमकी दी जा रही है। महोदय मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश सरकार को निदेश दें कि वो उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करे जिन्हें मारने की धमकी दी जा रही है।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : यह पूरी जीज···*···(**व्यवधान**)

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : कल ही मुझे समाचार मिला है कि जांच ब्यूरो की रिपोर्ट पर भारत सरकार द्वारा श्री मुलायम सिंह को जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दिये गये थे, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हटा लिया गया है। यद्यपि भारत सरकार तथा जांच ब्यूरो ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड वहां होने चाहिये पर उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में सहयोग नहीं कर रही। जांच ब्यूरो के विभागाध्यक्ष तथा गृह मन्त्री जी से भी मेरी बात हुई है। गृह मन्त्री से मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार शायद सहयोग न करे। क्या यह बात मानेंगे कि यदि कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को सुरक्षा प्रदान करने में सहयोग न करे तो······मेरे सुशिक्षित मित्र ने कहा है कि वह···*···यह उनकी शब्दावली है। मैं उस शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहता। उनकी राय में श्री मुलायम सिंह···* हो सकते हैं किन्तु मेरी राय में वे एक राजनैतिक दल के सुविख्यात तथा प्रतिष्ठित नेता हैं···

(**व्यवधान**)

यदि आप चाहते हैं कि उनकी हत्या कर दी जाये क्योंकि वह···* है तथा यदि यही करना है ······तो भारतीय जनता पार्टी के ये सज्जन (**व्यवधान**)

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने भी मुलायम सिंह यादव के बारे में नहीं कहा मैंने एक साधारण तौर पर कहा है (**व्यवधान**)

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्हें क्षमा मांगनी चाहिये। जो उन्होंने कहा है वे उसे मना कर रहे हैं। इस प्रकार की उसकी नैतिकता है···(**व्यवधान**)

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने कहा है कि विरोधियों के विरुद्ध जांच करने का जो आरोप लगाया गया था वह शब्द गलत है यह······की हत्या करने से ···(**व्यवधान**)···

श्री अर्जुन सिंह : मैं समझता हूं कि जो बात माननीय सदस्य श्री चन्द्रशेखर ने कही है उसे गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि उनके द्वारा कही गई बात को पूरी सभा द्वारा बड़े ध्यान से सुनना चाहिये।

हम किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हैं। उन्होंने जो कहा है वह सम्बन्धित प्राधिकारी की जिम्मेवारी के भीतर आता है। यदि किसी प्राधिकरण का कर्तव्य सुरक्षा प्रदान करने का है तो मुझे विश्वास है कि किसी ऐसे अन्य प्राधिकरण को जो कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती है को उस प्राधिकारी की सुरक्षा के लिए सहायता करनी चाहिए। यह किसी एक्स, वाई, जेड का सवाल नहीं है। हो सकता है मुझे कोई पसन्द न हो, किन्तु आप उसे पसन्द नहीं करते। बात यह नहीं है। जो उन्होंने बात कही है वह यह है कि जबकि केन्द्रीय सरकार ने श्री मुलायम सिंह जी को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया है किन्तु रास्ते में कुछ बाधाएं आ रही हैं तथा उनकी जानकारी के अनुसार वे बाधाएं उत्तर प्रदेश सरकार के कारण आ रही हैं। अब मैं यह नहीं कह रहा कि यह बात सत्य है या झूठ है। परन्तु जो भी कहा गया है उसकी गम्भीरता को समझना चाहिये तथा हमें मामले की गहराई में जाना चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि स्थिति क्या है। मैं यह कहना चाहूंगा कि चाहे वह भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो या समाजवादी जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, अपना कर्तव्य निभाने के लिये राजनैतिक दलों के सभी सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब यदि उस प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप किया जाता है या किसी प्रकार की धमकी प्राप्त होती है तो यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम यह सुनिश्चित करें कि उस व्यक्ति को अपना काम-काज करने में कोई बाधा न आए। इसीलिए, जो भी चन्द्रशेखर जी ने कहा है उसके बारे में मेरा माननीय गृह मन्त्री से अनुरोध है कि वे सभी तथ्यों का पता लगाएं तथा हम उन्हें, सभी राजनैतिक दलों को तथा इस सभा को भी सन्तुष्ट करने का प्रयास करेंगे।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय सामान्यतया मैं इस प्रकार के विवाद में हस्तक्षेप नहीं करता। मैं इस मामले में भी हस्तक्षेप न करता यदि मेरे माननीय मित्र इस मामले को न उठाते क्योंकि मैं इसे गृह मन्त्री तथा विपक्ष के नेता तथा वाजपेयी जी के स्तर पर इस मामले को निपटाना चाहता था कि इसे राजनैतिक विवाद का मुद्दा न बनाया जाये। परन्तु यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार समस्यायें उत्पन्न कर रही है। मैं चाहता हूं कि श्री वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अपने प्रभाव का प्रयोग करके उन्हें यह समझायें कि यह मामला उस स्तर तक नहीं पहुंचना चाहिए जहां व्यक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब उठाया गया मामला किसी व्यक्ति विशेष के बारे में है तथा एक सुशिक्षित सदस्य उन्हें** कहें तो इसे सामान्य बात नहीं समझनी चाहिए। आप यहां कितनी भी कड़ी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। मैं भी कड़वी से कड़वी भाषा प्रयोग कर सकता हूं तथा इसका मुंहतोड़ जवाब दे सकता हूं किन्तु मैं उसका प्रयोग नहीं करना चाहता क्योंकि आप शीशे में अपनी शक्ल की तरह औरों की शक्ल देखने का प्रयास नहीं करते। इसीलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे केवल यह अनुरोध है कि आपको इस मामले को

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

गम्भीरता से लेना चाहिये तथा मेरा वाजपेयी जी तथा आडवाणी जी से विशेष अनुरोध है कि वे उत्तर प्रदेश सरकार को बतायें कि वो इस बात को समझें तथा सही रवैया अपनायें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, मुझे खेद है कि यह जो चर्चा हुई तो मैं सदन में नहीं था। मैंने कुछ सुना है उससे मुझे लगता है, चन्द्रशेखर जी बोले हैं वे मेरे परम मित्रों में से हैं···

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपके शिष्य हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : और परम शिष्यों में से हैं। मैंने एक दिन उन्हें कहा था कि गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। चर्चा सदन के नेता ने भी हस्तेक्षेप किया है। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की सरकार से मेरा थोड़ा सा सम्पर्क है···**(व्यवधान)**···मैं लखनऊ से निर्वाचित हुआ हूं। नई सरकार ने सत्ता में बनने के बाद जो सुरक्षा के इन्तजाम थे उन पर एक दृष्टि डाली गई है। मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि 1500 से ज्यादा लोगों के लिए सुरक्षा गार्ड दिये गये थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अपराधियों की श्रेणी में आते हैं। मैं यह समाचार-पत्र के आधार पर कह रहा हूं। लेकिन मुलायम सिंह जी इनमें नहीं हैं। मुलायम सिंह जी का अलग अस्तित्व है, अलग व्यक्तित्व है। मुलायम सिंह जी की रक्षा का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए इसज दो राय नहीं हो सकती। मैं नहीं समझता कि मुलायम सिंह जी के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार, केन्द्र सरकार अगर उनको पूरी तरह सुरक्षा देना चाहती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार का काम है उसको पूरी मदद दे। इसमें अड़ंगा लगाने का सवाल नहीं है।

मैं चन्द्रशेखर जी से एक बात कहूंगा। उन्होंने केन्द्र सरकार से बात कर ली, मगर उत्तर प्रदेश सरकार से बात नहीं की। वे दूसरे दल के नेता हैं, इससे क्या फर्क है। वे कल्याण सिंह को बुलाकर कह सकते हैं। मैं चन्द्रशेखर जी को यह अधिकार देने को तैयार हूं कि वे उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री को बुलाकर कहें कि आप जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कल्याण सिंह जी उनकी बात मानेंगे, लेकिन इनको बीच में न लायें। **(व्यवधान)**

श्री अर्जुन सिंह : शायद पहले तो आपके सुझाव को माना भी जाता, लेकिन जब आपने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा कि मेरा थोड़ा-सा सम्बन्ध हैं तो चन्द्रशेखर जी की कौन सुनेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चन्द्रशेखर जी जानते हैं मेरा कितना सम्बन्ध है, आप उसमें मत पड़ें **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन मुलायम सिंह जी की रक्षा का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। अगर कोई कमी है तो मैं चन्द्रशेखर जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसी छोटी-छोटी बातें वे मेरे ध्यान में पहले ही ले आते तो बतंगड़ नहीं बनता ?

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी यहां विराजमान हैं, बी०जे०पी० ठीक फंक्शन करेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक शब्द विशेष का प्रयोग होने के कारण मुलायम सिंह जी के बारे में कही गई बातों को कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाये।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, क्या ऐसे शब्द सचमुच में···

अध्यक्ष महोदय : *ऐसे शब्द वगैरा···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : *क्या कहा गया है औरों के बारे में···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मुलायम सिंह जी के बारे में कहे गये उस उस शब्द को कार्य-वाही-वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाये।

[हिन्दी]

श्री गुलाम मल लोढा : *नहीं कहा गया है। अध्यक्ष महोदय, मुलायम सिंह यादव के बारे में नहीं कहा गया है। आप देख लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मैंने यह बहुत सोच-समझकर कह दिया है।

एक माननीय सदस्य : उत्तर प्रदेश में आतंकवाद बढ़ रहा है तो उसमें क्या कहा गया है। **(व्यवधान)**

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, उसके लिए आपको धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से कांग्रेस की सहमति से एक प्रस्ताव पास किया और वह प्रस्ताव यह है कि मध्य प्रदेश में बस्तर का जो इलाका है, पूरा आदि-वासी इलाका है, वहां पर दिल्लीहारा-जगदलपुर रेलवे लाईन का प्रस्ता पारित किया है और उस प्रस्ताव के अन्दर यह कहा गया है कि बस्तर जिला के अन्दर लौह-अयस्क, चूने का पत्थर सीमेंट बनाने के काम में आते हैं जो वहां भारी मात्रा में मिलते हैं। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, 20 लाख टन की क्षमता का सीमेंट का कारखाना डाल सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 44 साल की आजादी के बाद भी बस्तर का विकास नहीं हो पाया और जो वहां पर प्राकृतिक सम्पदा है, उसका दोहन नहीं हो पाया है। आपको जानकार आश्चर्य होगा कि वहां पर अभी चार छोटे कारखाने हैं···

अध्यक्ष महोदय : प्लीज कंक्लूड···

श्री फूल चन्द्र वर्मा : वहां पर अभी मात्र चार छोटे कारखाने हैं। ये दो मिनी स्टील प्लांट्स एक प्लाईवुड और सालबीज से तेल निकालने वाला प्लांट है। मैं आपके माध्यम में निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा ने जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके यहां भेजा है, केन्द्रीय सरकार उस पर अतिशीघ्र अपनी स्वीकृति प्रदान करे। आज तक मध्य प्रदेश की सरकारों द्वारा पिछले 21 सालों से लगातार केन्द्र को प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। इसलिए इसकी स्वीकृति दें। यही मेरा निवेदन है।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : अध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हिन्दुस्तान में टेक्नॉलॉजी बढ़ने के बावजूद आज भी गांवों में कृषि पशु सम्पदा से की जाती है लेकिन जो एनीमल वेलफेयर बोर्ड की जो रिपोर्ट दी गयी है, उसमें पशु सम्पदा में···

अध्यक्ष महोदय : अब यह पूरा-पूरा भाषण नहीं, इसमें थोड़ा समय दे रहा हूं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : आज हमारे आंध्र प्रदेश के मेडक जिला के पटनचेरू मंडल के रुद्रारम् गांव में अलकबीर नाम की संस्था मॉडर्न मैकैनाईजेशन लेकर बूचड़खाना लगाकर बीफ मीट एक्सपोर्ट करने की कोशिश करने जा रही है। एक साल में इस फैक्टरी का फिगर्स एक लाख 80 हजार पशु सम्पदा नष्ट करने का है। इससे ज्यादा भी हो सकता है। इस आंध्र प्रदेश के अन्दर हैदराबाद में 17 बूचड़-खाना हैं जिसमें पशु सम्पदा नष्ट हो जाती है। इससे एकालोजी बैलेंस टूटने वाला है। फलस्वरूप 26 तारीख को तीन मैम्बर्स पार्लियामेंट—अखिल भारतीय पशु हत्या विरोधी संघ के तत्वाधान में मैं, श्री गुमानमल लोढ़ा और श्री बी०एल० शर्मा, "प्रेम" ने धरना दिया, अरेस्ट हुए थे। इसलिये हम सरकार से मांग करते हैं कि यह जो बीफ एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस दिया गया है, वह कैंसिल कराया जाए और वहां काम तुरन्त रोका जाये नहीं तो आन्ध्र प्रदेश में आने वाले वर्षों में पशु धन समाप्त हो जाएगा।

12.43 म०प०

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत अधिसूचना

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अन्तर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक संवर्ग के लिए भर्ती) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1991, जो 2 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 519(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 471/91]

सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और इलैक्ट्रोनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, त्रिवेन्द्रम को वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : महोदय, श्रीमती मार्गरेट अल्वा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकाल की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेन्ट्रस इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 472/91]

(2) (एक) इलैक्ट्रोनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, त्रिवेन्द्रम, के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रोनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, त्रिवेन्द्रम, के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 473/91]

(4) (एक) इलैक्ट्रोनिक्स प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रोनिक्स प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

( ) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 474/91]

(6) (एक) इलैक्ट्रोनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, इम्फाल के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रोनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, इम्फाल के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 475/91]

(8) (एक) इलैक्ट्रोनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, औरंगाबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रोनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, औरंगाबाद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 476/91]

(10) अंतरिक्ष विभाग की वर्ष 1981-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 477/91]

(11) कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 478/91]

भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड नई दिल्ली के जुलाई, 1987 से मार्च, 1989 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड, नई दिल्ली के जुलाई, 1987 से मार्च, 1989 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड, नई दिल्ली के जुलाई, 1987 से मार्च, 1989 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 479/91]

वित्त मंत्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की मांगें

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांताराम पोत बुले) : महोदय, मैं वित्त मन्त्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदान की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 480/61]

12-45 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) **दलित ईसाइयों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित करने की आवश्यकता**

श्री पाला के० एम० मैथ्यू (इदुक्की) : महोदय, भारत में दलित ईसाई पूर्णतया उपेक्षित सामाजिक वर्ग है। वे आदि आंध्र, आदि द्रविड़, आदि कन्नड, आदि केरल के लोग हैं तथा पुलामा, पराही आदि उप-जाति के जैसे नाम से जाने जाते हैं। उन्हें अन्य अनुसूचित जातियों के जैसे ही परम्परागत तरीके से उत्पन्न सामाजिक, शैक्षणिक और असमानताओं का सामना करना पड़ता है तथा वे वैसे ही रहते हैं जैसे अन्य हरिजन रहते हैं। अन्य धर्मों के भांति ही ईसाइयों में भी जाति भिन्नता है।

12.46 म० प०

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**]

दलित ईसाइयों के विरूद्ध भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिये। धर्म परिवर्तन से कभी किसी का सामाजिक-आर्थिक स्तर नहीं बदलना। महात्मा गांधी और डा० अम्बेडकर ने ऐसा ही विचार व्यक्त किया है। हमारा संविधान भी इस दिशा मे उन्हें कोई सहायता प्रदान नहीं करता।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह नव-बौद्ध के साथ अनुसूचित जाति के ईसाइयों को अनुसूचित जाति के सूची में शामिल करे तथा संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1990 में संशोधन करे जिससे उन्हें आरक्षण और सुविधाओं का सांविधिक लाभ प्राप्त हो सके (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जायें। प्रश्नकाल की समाप्ति के तुरन्त बाद कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये जाने थे। लेकिन अब हम नियम 377 के अधीन मामले ले रहे है। कृपया आप इसका ध्यान रखें। मुझे क्षमा करें। आप किसी अन्य अवसर का लाभ उठाकर इस मुद्दे के नियमों के अधीन सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। आप इस मुद्दे को तब उठा सकते हैं।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री दिग्विजय सिंह जी और श्री बसुदेव आचार्य जी आप भी अपने स्थान पर बैठ जायें। अब हम नियम 377 के अधीन चर्चा करेंगे।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। क्या हम बीच में रुककर किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं? सामान्यतः, नियम के मुताबिक, प्रश्नकाल समाप्त होने के पश्चात तुरन्त कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये जाते हैं। वह समय अब समाप्त हो गया है। अब हम नियम 377 के अधीन मामले पर चर्चा कर रहे हैं।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सम्भव नहीं है।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब इसकी स्वीकृति नहीं दी जा सकती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, अब हम नियम 377 के अधीन मामले को उठायेंगे। कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूं ? कृपया अध्यक्ष से मिलें और उचित अवसर पाकर उनसे इस पर चर्चा करें।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (उत्तरी मुम्बई) : यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी स्वीकृति नहीं दी जा सकती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री सोहन लाल झिकराम को बुलाता हूं। आप कृपया नियम 377 के अधीन अपनी बात कहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर बैठ जायें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरी बात को सुनें और अपना स्थान ग्रहण करें। सभा का कोई नियम होता है जिसका पालन करना होता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। नियम 377 के अधीन चर्चा समाप्त होने दीजिए।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कैसे सम्भव हो सकता है। आप लोग बहुत अनुभवी व्यक्ति है। इस सभा में आप कई वर्षों से हैं तथा आपका व्यक्तित्व विशाल है। यह कैसे सम्भव हो सकता है ? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

(दो) अनुसुचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों को छात्रवृत्ति आदि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री मोहनलाल झिकराम (मांडला) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को पी० एम० टी०, पी० ए० टी०, पी० ई० टी० आदि की कक्षाओं में प्रवेश के समय शासन से 500/- रु० की अनुदान राशि उनकी पढ़ाई की आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी आदि के लिये दिए जाने का प्रावधान है, किन्तु छात्रों को यह राशि नहीं दी जा रही है। साथ ही, इनको प्राप्त होने

वाली स्कॉलरशिप भी उन्हें समय पर, विद्याध्ययन के समय न देकर साल के अन्त में दी जाती है। इससे स्कॉलरशिप किसी छात्र को मिल पाती है, किसी को नहीं मिलती है। स्कॉलरशिप देने का उद्देश्य भी इस तरह पूरा नहीं होता है। अतः मेरा निवेदन है कि छात्रों की इन समस्याओं के निराकरण हेतु केन्द्र सरकार जांच कराये और नियमों का कड़ाई के साथ पालन कराये।

(तीन) **मध्य प्रदेश में सड़कों के शीघ्र निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि में से मध्य प्रदेश सरकार को धनराशि दिये जाने की आवश्यकता**

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल का प्रदेश है। केन्द्रीय सड़क निधि से मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण करवाने की अत्यन्त आवश्यकता है। केन्द्र सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश को सैंट्रल रोड फण्ड से प्रतिवर्ष 1530.75 लाख रुपए उपलब्ध कराने के लिए आश्वस्त किया है, किन्तु वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक 4377.25 लाख रुपए की धनराशि मध्य प्रदेश शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

अतएवं यह आवश्यक है कि सड़क निर्माण के लिये केन्द्र सरकार उक्त धनराशि मध्य प्रदेश सरकार को उपलब्ध करावे जिससे सड़क निर्माण के कार्य को गति दी जा सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

(चार) **गुजरात में लघु इंजीनियरी और फाउन्डरी उद्योगों को कच्चे लोहे की और अधिक मात्रा आवंटित करने की आवश्यकता**

श्री काशीराम राणा (सूरत) : महोदय गुजरात के लघु इंजीनियरी और संधानी उद्योगों में लौह पिंड की भारी कमी है। गुजरात में चार हजार से अधिक संधानी इकाइयां होने के कारण वह लोह पिंड का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। गुजरात राज्य की लौह पिंड की वार्षिक आवश्यकता लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन है। गुजरात लघु उद्योग निगम लिमिटेड लौह पिंड वितरण का अकेला माध्यम है जो अगस्त, 1986 की कुल खरीद के आधार पर लघु संधानी इकाइयों को लौह पिंड वितरित करता है।

चालू वर्श के लिए जी० एस० आई० सी० को लौह पिंड का जे० पी० सी० आबंटन 43,500 मीट्रिक टन कम कर दिया गया है जो गत वर्ष के आबंटन का लगभग 33.5 प्रतिशत है। वर्ष 1991-92 के लिए आबंटन 86,500 मीट्रिक टन (25,500 मीट्रिक टन 'सेल' से और 61,000 मीट्रिक टन वी० एस० पी० से) है। इस प्रकार जे० पी० सी० आबंटन राज्य की कुल आवश्यकता का केवल 34.6% था। 'सेल' ने जी० एस० आई० सी० को अप्रैल से जून, 1991 तक एक टन भी लौह पिंड सप्लाई नहीं किया था। ऐसी परिस्थितियों में गुजरात राज्य की लघु इंजीनियरी और संधानी इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह 'सेल' को लौह पिंड उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए कड़े निदेश जारी करे और जी० एस० आई० सी० को आवश्यकतानुसार आबंटित करे तथा रियायती दरों पर लौह पिंड के आयात की भी अनुमति दें।

[हिन्दी]

(पांच) **दरौंदा-महाराजगंज रेल खंड को शीघ्र बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता**

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विषय नियम 377 के अधीन उठाना चाहती हूं :—

'अंग्रेजों के जमाने से ही पूर्वोत्तर रेलवे के बरौनी-गोरखपुर मेन लाइन के दरौंदा स्टेशन से बिहार

प्रदेश के तीन जिलों का महत्वपूर्ण व्यावसायिक केन्द्र महाराजगंज रेल से जुड़ा हुआ था। उसी समय इस कस्बे के महत्व को देखते हुए दरौंदा-महाराजगंज रेल खंड का विस्तार कर छपरा-थावे रेल खंड के सिध्वलिया स्टेशन से जोड़ देने की योजना के तहत सर्वे भी कराया गया था। इस बरौनी-गोरखपुर मेन लाइन के छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तन के समय दरौंदा-महाराजगंज रेल खण्ड को भी बड़ी लाइन में बदलने हेतु सभी आवश्यक उपकरण तथा कार्य शुरू करने के लिए पैसा उपलब्ध हो जाने के बावजूद अचानक मार्च, 1981 में इसे बन्द करने का निर्णय लिया गया। जनहित में अत्यन्त अलाभकर होते हुए भी पूर्वोत्तर रेलवे में ही मनकापुर-अयोध्या, कटिहार-बरारी घाट, बगहा-छितौनी इत्यादि अनेक रेल खंडों पर भारतीय रेल निर्बाध रूप से सेवा कर रही है। अनुरोध है कि जनहित में उस इलाके की आंदोलित जनता की भावनाओं का ख्याल करते हुए इस रेल खंड को चालू किया जाए।

(छः) बिहार और पश्चिम बंगाल में इस्टर्न कोल फील्ड और सेन्ट्रल कोल फील्ड द्वारा छोड़ी गई कोयला खदानों के अधिग्रहण हेतु एक नई कम्पनी बनाने की आवश्यकता

श्री सूरज मण्डल (गौड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, "कोल इण्डिया को ईस्टर्न कोल फील्ड एवं सेंट्रल कोल्ड फील्ड की राज महल परियोजना, एस० पी० माईन्स बलासथल एरिया, कपासरा, निरसा, जैन, जयंती, बासकुची खमारबाद, गिरीडीह बनियाडीह एरिया को तथा ईस्टर्न कोल्ड फील्ड में जोड़कुड़ी अरमो, चिलगों, बरगो, चुडी जिबरी दुर्गापुर के ई० सी० एल० अतिरिक्त बीस अन्य कोयले की खदान राष्ट्रीय-करण के बाद से ही बन्द पड़ी हुई हैं। उसका मुख्य कारण है कि ई० सी० एल० कम्पनी तथा सी० सी० एल० का एरिया बहुत बड़ा है तथा बंगाल-बिहार के क्षेत्र में अवस्थित है। जिसके कारण आज तक बन्द पड़ी कोयला खदानों का विकास नहीं हुआ और स्थानीय लोगों को नौकरी तथा व्यवसाय तथा व्यवसाय में हिस्सेदारी नहीं मिली।

अतः उपरोक्त क्षेत्र को मिलाकर एक नयी कम्पनी बनायी जाए, ताकि जनजाति क्षेत्र का विकास हो सके।"

[अनुवाद]

1.00 म०प०

(सात) समुद्री सीमा संरक्षा बल बनाने की आवश्यकता

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : महोदय, आज भारतीय तटवर्ती सीमाएं उतनी ही महत्व-पूर्ण और संगीन बन गयी हैं जितनी की भू-सीमाएं तटवर्ती सीमाओं के प्रबन्ध के लिए हमारे पास सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस या असम राईफल्स जैसा कोई बल नहीं है। निस्संदेह हमारे पास एक शक्तिशाली नौसेना और बढ़ते तटरक्षक हैं। तथापि नौसेना की प्राथमिक भूमिका राष्ट्रीय सम्प्रभुता की सभी बाहरी खतरों से रक्षा करना है। तटरक्षक को पूर्णतः आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। ये प्रदूषण नियंत्रण और वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्य में सहायता देने के अतिरिक्त सीमा शुल्क और आप्रवास विभाग की मदद करता है। अतः, यदि उन्हें तटवर्ती प्रबन्ध की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

हम तीन संवेदनशील तटवर्ती सीमाओं का पता लगा सकते हैं। सुन्दरबन क्षेत्र सहित भारत और बंगलादेश के बीच नदीय सीमा, कच्छ के रन के दलदले और छिछले क्षेत्र और अंत में पाक स्ट्रेट के साथ-साथ तमिलनाडु की संवेदनशील तट सीमा। यदि तटवर्ती सीमा सुरक्षा बल का गठन किया जाता है तो उसे पूर्णतः तटवर्ती सीमा के प्रबन्ध का भार सौंपा जा सकता है।

चूंकि तटवर्ती सीमा पर गश्त लगाने और उसकी संरक्षा के लिए भारत सरकार का तत्काल ध्यान आपेक्षित है, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह शीघ्र और अधिमानतः केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रणाधीन तटवर्ती सीमा संरक्षा बल का गठन करे।

(आठ) रवीन्द्रनाथ टैगोर को राष्ट्र कवि घोषित करने तथा उनकी साहित्यिक और कलात्मक कृतियों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, हमारे संविधान के अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु जिन्हें संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाए कानून के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है) की विरूपण, विनाश आदि से रक्षा करनी चाहिए।

परन्तु इसके बावजूद भी विश्व कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु के 50 वर्ष पश्चात् जब लिप्याधिकार के उपबन्ध 31 दिसम्बर, 1991 के पश्चात् लागू नहीं होंगे, उनकी साहित्यिक और कलात्मक कृतियां अनैतिक वाणिज्यिक हितों के हाथों विकृत होने का जोखिम उठा रही हैं।

संसद की इस सभा में 9 मई, 1961 को रवीन्द्रनाथ टैगोर की जन्मशती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजली देते हुए उन्हें "एक ऐसा महान व्यक्तित्व बताया गया जिसने भारत को विश्व के सांस्कृतिक मानचित्र पर स्थान दिलाया"

विभिन्न वर्गों ने इस बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति की मृत्यु के 50 वर्षों के पश्चात् उनकी साहित्यिक और कलात्मक कृतियों के वाणिज्यिक दुरूपयोग और उसके परिणामस्वरूप उनकी विकृति के बारे में पहले ही गम्भीर चिंता व्यक्त की है लेखकों और कलाकारों के कुछ प्रसिद्ध संगठनों तथा कुछ विख्यात टैगौर प्रशंसकों ने मांग की है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर को संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्र कवि घोषित किया जाए तथा तदनुसार, उनकी मृत्यु के 50 वर्ष पूरे होने से पूर्व उनकी अमूल्य कलात्मक और साहित्यिक कृतियों की संरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

मैं सरकार से रवीन्द्रनाथ टैगोर को राष्ट्र कवि घोषित करने की अत्यन्त उचित मांग पर कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं।

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92

कृषि, खाद्य और ग्रामीण विकास मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कृषि, खाद्य तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों की अनुदानों की मांगों पर आगे विचार करेगी।

अब मैं श्री ई० अहमद को कृषि के सम्बन्ध में अपनी बात जारी रखने के लिए बुलाता हूं।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं, देश में मत्स्य उद्योग विकसित करने की संभावनाओं के बारे में बात कर रहा था जिसके लिए कृषि मंत्रालय को इस उद्योग को सक्रिय बनाने के लिए तुरन्त कुछ कदम उठाने होंगे। कल मैंने यह कहा था कि भारत की नदियों की लम्बाई 29,000 किलोमीटर है तथा मीन उत्पादन के लिए 7.53 लाख हेक्टेयर अलवण पानी के संभावित जलाशय और तालाब हैं। भारत में प्रतिवर्ष 45 लाख टन मीन उत्पादन की क्षमता है। किंतु इन तमाम सुविधाओं

[श्री ई० अहमद]

के बावजूद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रोत्साहन अत्यन्त अपर्याप्त है। मत्स्य उत्पादन के राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि 1988-89 के दौरान पश्चिमी बंगाल में 5.14 लाख टन, महाराष्ट्र में 3.84 लाख टन, गुजरात में 3.81 लाख टन, तमिलनाडु में 3.68 लाख टन तथा केरल में 3.65 लाख टन मीन उत्पादन हुआ। यह पांच राज्य समुद्री उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा भाग अर्जित करके देश को दे रहे हैं मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का सातवां स्थान है जबकि जापान प्रथम स्थान पर है। क्योंकि वह सबसे अधिक मात्रा में मछली का उत्पादन कर रहा है किन्तु जापान मछली पकड़ने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है जोकि भारत ने अभी तक प्राप्त नहीं की है। भारत ने मछली पकड़ने के लिए अभी पर्याप्त और संतोषजनक आधुनिक तकनीक प्राप्त करनी है।

महोदय, इस तथ्य के वाबजूद कि देश की कुल जनसंख्या का लगभग 56 प्रतिशत भाग मछली का उपभोग करता है, मत्स्य उद्योग को अभी तक भारत सरकार से अपेक्षित सहायता प्राप्त नहीं हुई है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में प्रतिवर्ष मछली खाने वालों की संख्या में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, इस उद्योग में सुधार करने की काफी गुन्जाइश है। भारत में मछली प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत 3.2 किलोग्राम है। मैं यह सब आंकड़े इस मन्त्रालय के प्रभारी मन्त्री को यह बताने के लिए बता रहा हूं कि सरकार क मत्स्यन उद्योग के विकास के प्रति अपना रवैया बदलना होगा। 1980-81 में 75,591 टन मछली का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 234.84 करोड़ रुपए था जबकि 1989-90 में यह बढ़कर 1,10,788 टन हो गया जिसका मूल्य 634.76 करोड़ रुपए था। इसलिए जब इस देश को विदेशी मुद्रा की अत्याधिक आवश्यकता है, तो सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह एक ऐसे उद्योग को विकसित करे जिससे हम अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें। विभिन्न पत्तनों पर मूलभूत सुविधाओं तथा गुणवता नियन्त्रण का अभाव, हमारे समुद्री उत्पादों के संवर्धन में दो बड़ी रूकावटें हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पहलू पर ध्यान देगी।

महोदय, माननीय कृषि राज्य मन्त्री इस मामले में केरल की संभावित क्षमता के बारे में जानते हैं। किन्तु दुर्भाग्य से 75 लाख लोग जो इस क्षेत्र पर निर्भर करते हैं, विशेषकर मछुआरे जो बहुत ही दलित तथा समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्ध रखते हैं, उन्हें वह सब नहीं मिला जो उन्हें विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार से आमतौर पर मिलना चाहिए था। उनके आवास तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताओं पर राज्य सरकारों द्वारा ईमानदारी से ध्यान नहीं दिया गया। उन्हें ऋण, विपणन तथा कई ऐसी सुविधाओं सम्बन्धी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

मैं सरकार के ध्यान में एक और बात यह लाना चाहता हूं कि हमारे यहां कोचीन में एक समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान केन्द्र हैं। एक अन्य केन्द्र बम्बई में है जिसे विश्वविद्यालय के समकक्ष का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार केरल स्थित समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान केन्द्र को भी विश्वविद्यालय के समकक्ष का दर्जा क्यों नहीं देती? इससे सम्बद्ध कई अन्य शाखाएं भी है और वह कोचीन में काम कर रही है। इसलिए, मुझे आशा है और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करे।

ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में कल इस सदन में मेरे सहयोगियों ने अनेक मुद्दों पर चर्चा की है। 1952 में इस देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ किए जाने के पश्चात, हमने व्यवस्थित एकीकृत

ग्रामीण विकास की दिशा में प्रयत्न किये हैं। इस सम्बन्ध में, मैं स्वर्गीय श्री एस० के० डे० के नाम का जिक्र करूंगा जिन्होंने इस देश में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में रहनुमाई की। ग्रामीण विकास के लिए हमारे पास बहुत सी योजनाएं हैं जैसे फूड फार वर्क प्रोग्राम जो अन्ततः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में तब्दील हो गई मैं इन सब बातों पर बोलने के लिये इस सदन का मूल्यवान समय नहीं लेना चाहता। किन्तु मैं ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। सरकार द्वारा किये गये पुरजोर प्रयत्नों के बावजूद, ग्रामीण जल आपूर्ति योजना उतनी संतोषजनक नहीं हो पाई है। मेरे विचार से सरकार को हमारे गांवों में सुरक्षित जल आपूर्ति योजना लागू करने की ओर अधिक देना होगा हमारे यहां न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और पेय जल संबंधी राष्ट्रीय मिशन जैसी कई योजनायें हैं। हम अभी भी कई समस्या वाले ग्रामों को इन सभी योजनाओं के अन्तर्गत लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार ने किसी गांव को समस्या वाला गांव घोषित करने के लिए मापदण्ड स्वीकार कर रखे हैं, जब किसी गांव से 1.6 कि० मी० की दूरी के भीतर पेयजल उपलब्ध नहीं होता उसे समस्याग्रस्त ग्राम माना जाता है। सरकार का दावा है कि जिन 1,61,722 समस्याग्रस्त ग्रामों का पता लगाया गया है, उनमें से 1,48,958 गांवों को इसके अन्तर्गत लिया गया है। मेरे विचार है कि इस पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है। यह आंकड़े सही नहीं हो सकते हैं। मुझे आशा है कि सरकार उपलब्ध सुसंगत आंकड़ों के साथ इस पर पुनर्विचार करेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार मैंने पाया कि शेष 12,764 गांवों में पीने का पानी पहुंचाया जाना है। यह बात पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती है।

मैं चाहूंगा कि सरकार इस मामले की जांच करेगी। परन्तु यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार ने ग्रामीण जल सप्लाई योजना को द्रुतगामी बनाने के लिये अनेक कदम उठाए हैं। सरकार केंद्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास बोर्ड जैसी एक सांविधिक निकाय बनाने पर विचार क्यों नहीं करती? हमारे यहां केरल में एक ऐसा बोर्ड है। क्योंकि सरकार हर समय यह नहीं कह सकती कि ग्रामीण जल सप्लाई योजना को कार्यान्वित करने के लिये धनराशि नहीं है। ग्रामीण सप्लाई योजना को जीवन बीमा निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता दी गई थी जिसके लिए राज्य स्तर के जल तथा जल निकास बोर्डों जैसे बोर्ड का गठन किया था। जल तथा जल विकास बोर्डों के स्थान पर केन्द्रीय स्तर पर एक सांविधिक बोर्ड बनाने पर विचार क्यों न करें? सांविधिक-बोर्डों को न केवल जल सप्लाई योजना को पूरी करने की जिम्मेवारी दी जानी चाहिए बल्कि उन्हें विभिन्न अन्य कृत्य भी दिये जाने चाहिए। हमारे ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए।

उदाहरण के तौर ग्रामीण जल सप्लाई योजना के अलावा बोर्ड को ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी विकास योजना को भी क्रियान्वित करना चाहिए। हमारे ग्रामीण लोग जिस भारी चुनौती का सामना कर रहे हैं वह यह है कि उन्हें वे सब सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं जो शहरी लोगों को उपलब्ध हैं। उनके पास विपणन की कोई सुविधाएं नहीं हैं, न कोई खरीद आदि की व्यवस्था है तथा न कोई बढ़िया रहन-सहन की सुविधाएं हैं। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यह अन्तर जारी नहीं रहना चाहिये। इसलिए, मेरा मत यह है कि एक सांविधिक बोर्ड का गठन किया जाना चाहिये जो निचले स्तरों पर पंचायतों के विकास कार्यों को क्रियान्वित करने की जिम्मेवारी सम्भालें तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रयुक्त संसाधनों का संदोहन तथा प्रयोग करें जिससे कि प्रस्तावित सांविधिक बोर्ड विपणन केंद्र, विपणन परिसर, कार तथा लारी के खड़े होने की जगह आदि जैसी लाभकारी विकास योजनाओं को आरम्भ कर सकेंगे तथा उन्हें स्थानीय पंचायतों को सौंपे। पंचायत उन्हें उन लोगों को पट्टे पर दें या जिसकी विधिक तरीके से उन्हें वह देना

[श्री ई० अहमद]

चाहते हैं जिन्हें ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता है हमारी पंचायतों को उस पर आयकर नहीं लगेगा। उस कर रहित आय से सांविधिक बोर्ड उस धनराशि की किश्ते भी किश्ते भी वापिस ले सकते हैं जो वह उन्हें उधार देंगे। यदि सरकार ऐसे बोर्डों को धनराशि इकट्ठी करने के लिए डिबेन्चर जारी करने की अनुमति दे तो वर्तमान स्थिति में यह विचार बुरा नहीं है। इसीलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सभी आवश्यक संसाधनात्मक सुविधाओं से युक्त केन्द्रीय स्तर पर एक ग्रामीण विकास बोर्ड बनाने पर विचार करे ताकि ग्रामीण विकास क्रियाकलापों को क्रियान्वित किया जा सके तथा उससे बोर्ड को जीवन बीमा निगम तथा ऐसी अन्य वित्तीय संस्थाओं से संस्थागत वित्त भी उपलब्ध हो सकेगा। मुझे आशा है कि सरकार इस मामले में पर्याप्त ध्यान देगी।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं केरल के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। हाल ही में केरल में भारी वर्षा हुई थी जिससे वहां काफी नुकसान हुआ। केरल सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। इस अभ्यावेदन से पता चलता है कि केरल में गत माह भारी मानसून वर्षा के कारण 125 लोगों की मृत्यु हुई। यह वर्षा भी अभूतपूर्व थी। 1 जून से 12 जून 1991 तक के वर्षा के आंकड़ों से पता चलता है कि आंकड़े 92 प्रतिशत से बढ़कर 290 प्रतिशत हो गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ और लोग भी बोलना चाहते हैं कृपया अब भाषण समाप्त कीजिए।

श्री ई० अहमद : सरकार ने राज्य को पर्याप्त सहायता नहीं दी है जिसे भारी वर्षा के कारण अभूतपूर्व क्षति हुई है नौवे वित्त आयोग ने प्राकृतिकआपदाओं के मामले में राहत उपाय करने के लिए राज्य को 31 करोड़ रुपए आबंटित किए थे परन्तु भारी वर्षा के कारण केरल में लोगों को हुई क्षति को देखते हुए यह धनराशि बहुत कम है। नौवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन में इस बात का भी उल्लेख है "यदि किसी क्षेत्र में ऐसी भयंकर तथा विकट आपदा आ जाए कि उसका समाधान राष्ट्रीय स्तर पर करना उचित हो···" हमें विश्वास है कि माननीय मन्त्री उचित कार्यवाही करेंगे तथा स्थिति के अनुसार भारत सरकार आवश्य धनराशि व्यय करेगी।

केरल में वास्तव में भारी वर्षा के कारण 1725 लोगों की मृत्यु हो गई है। प्रत्येक जिले में कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। यदि मैं ठीक हूं सरकार ने अभी तक कोई सहायता प्रदान नहीं की है। यदि मेरी बात गलत है तो सही क्या है उसे मैं सुनने के लिए तैयार हूं।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : इस 31 करोड़ रुपए में से हम दो किश्तें जारी कर चुके हैं।

श्री ई० अहमद : क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी राशि मंजूर की जा चुकी है?

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : राशि कितनी है इसका तो मुझे ठीक से पता नहीं किन्तु दो किश्तें मन्जूर की जा चुकी हैं।

श्री ई० अहमद : मैं मन्त्री महोदय का आभारी हूं कि भारत सरकार केरल राज्य का कम से कम इतना ध्यान तो रख रही है। इसकी ओर। परन्तु मुझे यह तो कहना ही चाहिए कि केरल में गत महिनों में भारी वर्षा के कारण 125 लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा 138 लोग घायल हो गए हैं। केरल सरकार ने राहत के लिए भारत सरकार को आवश्यक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं तथा माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि इन्होंने दो किश्ते दे दी हैं। परन्तु मुझे विश्वास है कि सरकार केरल सरकार की प्रार्थना पर यथा विचार करेगी। केरल सरकार ने हुई क्षति को देखते हुए काफी अधिक धनराशि के लिए

अनुरोध किया है। मैं इस अवसर का प्रयोग भारत सरकार से यह अनुरोध करने के लिए करूंगा कि वह राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला सदस्य, श्री बीरबल राम।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : महोदय, मेरे नाम का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस तन्त्र की जांच करने के लिए कल सभी सचेतकों तथा सभापतियों की तालिका के सदस्यों की एक बैठक हुई थी। तद्नुसार एक सूत्र तैयार किया गया है तथा उस सूत्र के अनुसार केवल कोई पीठासीन अधिकारियों में ही बोलने वाले सदस्यों के नाम पुकारेगा। सम्भवतः सम्बन्धित दलों के सचेतकों ने आप सभी को यह जानकारी दी होगी।

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं वह कृषि प्रधान जिला है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि किसान को समय पर अपनी फसल का मूल्य नहीं मिल पाता है। इसलिए इनकी पैदावार कौड़ियों के भाव बिक जाती है। उपाध्यक्ष जी, इस बात पर सरकार ध्यान देवे कि काश्तकार को अपनी फसल का पूरा फायदा समय पर मिल सके।

खाद पर से दस परसेंट कम किया है और छोटे काश्तकार की सब्सिडी कायम रखी है, इस बात के लिए सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। एक मैं और कहना चाहता हूं कि मेरे जिले में इन्दिरा कनाल का फर्स्ट हैड मस्तावली से प्रारम्भ होकर सूरतगढ़ तक के क्षेत्र में नगरों के पानी के वाटर लोगिंग के कारण भूमि की सतह पर निरन्तर पानी भरा हुआ है। यह वाटर लोगिंग पिछले पांच-छह वर्ष से निरंतर है। इस वाटर लोगिंग के कारण इस क्षेत्र में स्थित ग्रामों की आबादी में पानी भरा रहता है और जिसके कारण रिहायशी मकान गिर गए तथा वाटर लौगिंग के कारण कृषि भूमि में फसलें नहीं बोई जा सकती हैं। कृषि फसलें बोई जाने योग्य नहीं रही हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र में बने पक्के वाटर कोर्स भी खत्म हो गए हैं। लोगों की आजीविका का साधन कृषि पैदावार बिलकुल समाप्त हो गयी है। सरकार की ओर से अभी तक आर्थिक सहायता कुछ एक लोगों को बराए नाम की दी गयी है।

अतः मैं भारत सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि उपरोक्त क्षेत्र में आबाद जिन लोगों के मकान व पक्के वाटर कोर्स वाटर लौगिंग के कारण गिर गए तथा समाप्त हो गए उन्हें रिहैबिलिटेशन ग्रांट की मुआवजा राशि दी जावे तथा जिन लोगों की कृषि भूमि खेती के अयोग्य हो गयी है उनकी भूमि को आधुनिक उपकरणों के माध्यम से कृषि योग्य बनाया जावे तथा उनसे विभिन्न प्रकार के ऋण तथा सरकार एवं बैंकों द्वारा दी जाने वाली धनराशि की वसूलियों पर रोक लगायी जावे।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र गंगानगर के काफी हिस्से में भाखड़ा क्षेत्र को सरहिन्द फीडर से पानी मिलता है। सरहिन्द फीडर पर कन्ट्रोल पंजाब सरकार का है। पंजाब सरकार को अपनी नहरों के लिए जितने पानी की जरूरत होती है उतना पानी लेने के बाद बचने वाला फालतू पानी राजस्थान राज्य के भाखड़ा क्षेत्र की नहरों को मिलता है। इन नहरों के पानी में बड़ा भारी उतार-चढ़ाव होता रहता है। इस उतार-चढ़ाव के कारण इस क्षेत्र का किसान भारी नुकसान उठाता जा रहा है। पंजाब सरकार को जब पानी की आवश्यकता नहीं होती है तब तो पानी ज्यादा मिल जाता है, किन्तु जिस समय पंजाब में पानी

[श्री बीरबल]

की ज्यादा जरूरत होती है उस समय भाखड़ा क्षेत्र के किसान पानी के लिए तरसते रहते हैं और किसान की पूरी की पूरी फसल आए साल तबाह हो जाती है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि भाखड़ा कन्ट्रोल बोर्ड केन्द्र सरकार के अधीन होना चाहिए जिससे गंगानगर के भाखड़ा एरिया के काश्तकारों को पूरा पानी मिल सके।

श्री गंगा नगर जिले की गंग कैनाल बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा करीब 60 वर्ष से चल रही है। 2750 क्यूसेक पानी की क्षमता वाली वह कैनाल पंजाब क्षेत्र में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसलिए अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं ले पाती है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने इस पानी को पूरा करने के लिए इसके हिस्से का पानी इन्दिरा गांधी कैनाल में डालकर लोह गढ़ के पास आर० डी० नं० 491 पर एक लिंक चैनल निकाला जोकि गंग कैनाल के प्रथम हैड साधुवाली से जोड़ा जायेगा। राजस्थान सरकार ने तो अपने हिस्से का काम करीब-करीब पूर्ण करवा दिया है मगर इस लिंक का कुछ हिस्सा हरियाणा की जमीन में आता है। इस हिस्से का काम भी करीब-करीब पूरा हो गया है मगर बीच का काम पंजाब सरकार को कराना है। इसके लिए नहर सर हिंद फिड़ में 15 दिन का क्लोजर दिलाने का पंजाब सरकार को आदेश फरमाएं कि इस लिंक का काम शीघ्रातिशीघ्र पूरा हो सके ताकि गंग केनाल काश्तकारों को पूरा पानी मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा नहर के क्षेत्र में गंगानगर के भूमिहीनों को जमीन एलाट की जावे। राजस्थान सरकार ने भूमि आवंटित करने के कुछ नियम बना रखे हैं जिनमें एक नियम यह हैं कि सर्वप्रथम भूमि जिले के भूमिहीनों को देकर जो बाकी भूमि बचती है, वह दूसरे जिले के लोगों को राजस्थान में समान भूमिहीन मानकर उसी हिसाब से भूमि आवंटित की जाती है। चूंकि गंगानगर जिले की जो भूमि इन्दिरा कैनाल पर पहुंचती है, उस भूमि में से सर्वप्रथम पौंग बांध के विस्थापितों को भूमि दी गई है, जो संख्या में बहुत अधिक है, जबकि यह भूमि समानानुपात से हर जिले में जहां से यह नहर गुजरती है, दी जानी चाहिए थी। गंगानगर जिले में जहां भूमि जेतसर फर्म की स्थापना हुई है, इसी जिले में ही सूरतगढ़ फार्म की स्थापना हुई जो कई हजार एकड़ जमीन पर स्थापित है, जो राजस्थान सरकार या भारत सरकार के हित का विषय है। इस जिले की भूमि जो हनुमान गढ़ के पास पड़ती है, गांव किशनपुरा की भूमि में वन विभाग की स्थापना की गई, जो कई हजार एकड़ भूमि में है। यह जिला सीमांत जिला है, जहां पर कई छावनियां व हवाई अड्डे फौज की सुरक्षा हेतु बने हैं। जिससे काफी भूमि इस अकेले जिले की ली गई है, जबकि यह सारे देश का मसला है, जिससे घघर फ्लड कन्ट्रोल करके काफी भूमि को बंजर बना दिया गया है, जो सरकारी भूमि भूमिहीनों को मिलती। इस जिले की भूमि पर भूतपूर्व जागीरदारों को जमीन दी गई है। इस जिले की भूमि में से ही कृषि स्नातकों को जमीन दी गई है। इस प्रकार बहुत से कारणों से इस जिले के भूमिहीनों को अपने जिले में कुछ लोगों को मिल सकी है। दूसरे जिले में वे राजस्थान के तमाम जिले में समान रूप से उसी अनुपात से भूमि ले सकते हैं। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर सरकारी भूमि बीकानेर व जैसलमेर जिले की पड़ती है। सर्वप्रथम गंगानगर जिले के भूमिहीनों को भूमि दी जाये ताकि यह समस्या हल हो सके। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है और 80 फीसदी जनता कृषि पर आश्रित है। लेकिन, भारत सरकार की जो नीति है वह शहरोन्मुखी है, ग्रामोन्मुखी और किसानोन्मुखी नहीं है। यही वजह है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और अन्य प्रांतों से बड़े पैमाने पर श्रमशक्ति का पलायन दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता, जैसे बड़े-बड़े शहरों में हो रहा है। गांवों में खेत मजदूर, गरीब किसान, छोटे किसान और सीमांत किसान को मात्र तीन महीने से छह महीने तक काम

मिलता है और उसके बाद उन्हें कोई काम नहीं मिलता। उसका मुख्य कारण यह है कि हमने जो नीति बनाई उस नीति में कृषि को प्राथमिकता नहीं दी। यही कारण है कि आज कृषि में लगे लोग लगातार गरीब होते चले जा रहे हैं और उद्योग तथा व्यापार में लगे हुए जो लोग हैं वे लगातार धनी होते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की नीति ग्रामोन्मुखी, कृषिन्मुखी और किसानमुखी होनी चाहिए। इसलिए केन्द्रीय बजट में कम से कम 50 फीसदी राशि कृषि पर खर्च की जानी चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार जैसे राज्यों में जब काफी वर्षा होती है तो काफी जमीन बाढ़ की चपेट में आ जाती है, कटाव होता है और वहां लाखों एकड़ जमीन गंगा के गर्भ में चली जाती है। इसके लिए भी कोई योजना नहीं है। लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा सका है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं सिर्फ मुंगेर जिले का, वहां दियारा क्षेत्र में 25-26 वर्ष पूर्व 5,92,421 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती होती थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि मात्र 26.609 हेक्टेयर में खेती होती है। इसके साथ और भी पता चलता है कि 25 साल के अन्दर दियारा इलाके में जिस जमीन में चना, गेहूं, सरसों और दूसरी चीजें पैदा की जाती थीं, उसका एक बहुत बड़ा भाग, 90 पर्सेंट जमीन गंगा के गर्भ में चली गई है। यह सरकार की नीतियों की वजह से हुआ है। इसी तरह हम कहना चाहते हैं कि हमारे मुंगेर जिले में टाल क्षेत्र में 10437 ? हेक्टेयर का क्षेत्रफल है। लेकिन सिंचाई की व्यवस्था 1630 हेक्टेयर में ही है। हम इसी से अन्दाज लगा सकते हैं कि बिहार राज्य में और पूरे देश में क्या स्थिति है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ दक्षिणी राज्यों को छोड़ दिया जाये तो पूरे भारत में लगभग यही स्थिति है। इसलिए सिंचाई का, पानी का, बिजली का, कृषि के लिए इन तीनों की एक को-आर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए और सम्मिलित रूप से काम होता चाहिए। लेकिन यह नहीं हो पाता है।

हम देखते हैं कि जो ग्रामीण विकास पर पैसा खर्च किया जाता है, चाहे वह सिंचाई पर हो, चाहे बिजली पर हो, चाहे कृषि पर चाहे को-आपरेटिव पर इन सारी जगहों पर माफिया पैदा हो गये हैं। इस माफिया का सम्बन्ध जो कृषि विभाग में, सिंचाई विभाग में और बिजली विभाग में काम करने वाले जो नौकरशाह हैं, उनसे गहरा सम्बन्ध है। इस तरह से देश के अन्दर जहां इजारेदार पूंजी हैं, इन के साथ नौकरषाह पूंजीवाद का भी उदय हो रहा है और विकास हो रहा है। इसलिए न सिर्फ हमारे देश के अन्दर आर्थिक लूट हो रही है उससे जनतन्त्र को भी खतरे पैदा हो रहे हैं। अगर आप विकास करना चाहते हैं तो आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि पर जो विकास के कार्यों पर पैसा लगाया जाता है यह पैसा नौकरशाहों और माफिया की पाकेट में चला जाता है। इसको रोकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा विकास हो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि भ्रष्टाचार पर रोक लगे। अनाज के मामले में, खासकर गेहूं और चावल के मामले में हम आत्मनिर्भर हो पाये हैं, लेकिन क्या कारण है कि इनका उत्पादन बढ़ने के बाद भी महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए भी सरकार की कोई नीति नहीं है।

गांवों के अन्दर जन वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाना था। वह भी नहीं हो सका है। खासकर बिहार में, मैं कह सकता हूं कि चीनी और गेहूं दो ही चीज लोग जानते हैं कि वे जन वितरण प्रणाली में मिलती हैं। कभी-कभी गेहूं नहीं मिलता है, चावल नहीं मिलता है, सिर्फ चीनी मिलती है। कभी कभी किरॉसिन ऑयल मिलता है। जैसे केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा 22-23 वस्तुओं की व्यवस्था है, यहां पर ऐसी व्यवस्था लागू की जाये जिससे ग्रामीण जीवन में कुछ सुधार हो सके। तिलहन और दलहन में कुछ गिरावट आयी है, उसका उत्पादन घटा है। आपने अपनी रिपोर्ट में दिया है

[श्री ब्रह्मानन्द मंडल]

कि जहां 1988-89 में 18 लाख मिलियन टन दलहन पैदा हुआ, वहां 1989-90 में यह 16.8 लाख मिलियन टन हुआ, तिलहन 1988-89 में 13.8 लाख मिलियन टन और 1989-90 में 12 लाख मिलियन टन पैदा हुआ। इस प्रकार दोनों के उत्पादन में गिरावट आयी है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि किसानों को सस्ते दरों पर उर्वरक, डीजल, बिजली, पानी नहीं मिलती, जबकि इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। फलस्वरूप लगातार इसके दाम बढ़ते रहे और बढ़ रहे हैं। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा कारण यह है कि जहां बड़े भू-भाग हैं, दियारा जो मुंगेर जिला में है, वहां हजारों-हजार एकड़ जमीन है जहां इस बात की व्यवस्था कर दी जाये कि गंगा का पानी न आ पाये तो 2-3 फसलें पैदा की जा सकती हैं। सिचाई का प्रबन्ध कर दिया जाये तो लाखों टन दलहन पैदा किया जा सकता है इसी प्रकार लाखों टन तिलहन का अनाज-सरसों पैदा किया जा सकता है। जो आप डेढ़ करोड़ हजार रुपये से अधिक का विदेशों से तेल मंगाते हैं, उसमें आप आत्म-निर्भर हो सकते हैं। साथ ही आप विदेशों को भी तेल भेज सकते हैं जिससे विदेशी-मुद्रा अर्जित की जा सकती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि ऐसी व्यवस्था हो तो उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

मैं एक अनुभव बताना चाहता हूं। जब मैं बच्चा था 25-26 साल पहले तो उस समय गांव में सभी लोग जिनमें किसान खेत मजदूर सत्तू खाते थे और वह सत्तू चना का होता था। इसमें काफी मेहनत किया करते थे लेकिन आज गांव में जाते हैं तो पता चलता है कि गांव में सत्तू मिलता ही नहीं है जबकि शहरों में सत्तू मिल जाता है। क्यों नहीं मिलता है गांव में ? कारण यह कि गांव के अन्दर जो पैदावार होती है, वह भी शहरों में चला जाता है। इस तरीके से पूंजीपादिकरण सारी चीजों का होता चला जा रहा है। इससे गांव के किसानों, मजदूरों को, सीमान्त किसानों को फायदा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ पशु धन के बारे में कहना चाहता हूं। गांव के अन्दर चरागाह का प्रबन्ध नहीं है। खासकर हमारे देश में जो सीमान्त किसान हैं, छोटे किसान हैं और पशु पालन का काम करते हैं, उनके पास चरागाह नहीं हैं। क्यों नहीं हैं ? इसलिए नहीं कि हमारे बिहार में ग्रामीण जीवन सुधार के लिए भूमि सुधार को लागू करना है, बंटाइदारी कानून लागू है लेकिन समाज रूप से जो हदबंदी कानून लागू होना चाहिये, वह नहीं हो पाया है। अभी भी हजारों-हजार एकड़ जमीन रखने वाले लोग हैं जो बेनामी हैं। यही कारण है कि मध्य बिहार और दूसरी जगहों पर अशान्ति है और आज अपराधकर्मी बढ़ रहे हैं या नक्सलवादी आंदोलन हो रहे हैं। उसकी जड़ में यह भूमि है और हजारों-हजार एकड़ जमीन उनके पास है जिसको निकालकर उसको बांटना चाहिये। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बंटाइदारी कानून को 9 वीं सूची में भूमि सुधार में डाला है लेकिन स्थिति क्या है ? एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे जिले के अन्दर एक तिलकारी गांव है जहां बटाईदार को बटाईदारी का पट्टा मिल गया है। वहां खेत मजदूर को जमीन का पट्टा मिल गया है लेकिन वहां के प्रशासनिक पदाधिकारी भूस्वामी की ही मदद करते हैं, बटाईदार की मदद नहीं करते हैं और उस पर 144 कर देते हैं, फिर 145 में ले जाते हैं और इस तरह वे जमीन से वंचित हो जाते हैं। केन्द्रीय सरकार बिहार सरकार की इस मामले में मदद करे और पूरे हिन्दुस्तान के पैमाने पर सारी राज्य सरकारों को निर्देश दे कि सख्ती से भूमि सुधार के कानून को लागू किया जाना चाहिए, बटाईदारी कानून को लागू किया जाना चाहिए, तभी सही मायनों में जो हमारे गरीब किसान हैं, उनके पास थोड़ी जमीन-जायदाद आएगी, चरागाह उनके पास होगा और तब पशु धन का विकास हो सकेगा।

फल और सब्जी भी बिहार में काफी पैदा की जाती है लेकिन किसान को कोआपरेटिव के जरिए जो ऋण मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से उसकी पैदावार में दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कोआपरेटिव को नौकरशाही की चंगुल से मुक्त करके गांवों के अन्दर जो कोआपरेटिव की कमेटियां हैं, उनको डायरेक्ट अधिकार दिया जाना चाहिए, उनको पैसा दिया जाना चाहिए जिससे कि खाद और बीज उसको डायरेक्ट मिल सके। तभी फल और सब्जी पर वह पूंजी लगा सकेगी ताकि उसका उत्पादन बढ़ सके।

उसी तरह से फसल बीमा के सम्बन्ध में हम कहना चाहते हैं। बिहार में खासकर जब वैशाख में लू चलती है और उस समय जो रबी की फसल में बड़े पैमाने पर आग लग जाती है और बड़े-बड़े खलिहान जल जाते हैं, लेकिन उनकी जो बरबादी होती है, उसके लिए जो पैसा मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है, लाखों लाख टन अनाज जल जाता है या बाढ़ से बरबाद हो जाता है, वैसे समय में उसको फसल बीमा योजना के अन्तर्गत पैसा मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में गन्ने का भी उत्पादन काफी होता है। अंग्रेजों के जमाने में कहा जाता है कि उस समय अंग्रेज सरकार गन्ना किसानों को अग्रिम राशि इसलिए दिया करती थी कि वह ज्यादा से ज्यादा गन्ना पैदा करे और जिससे चीनी को वह यूरोप के अन्दर ले जाएं, लेकिन आजादी के बाद स्थिति क्या है कि जो किसान गन्ना पैदा करते हैं, मिलों में देते हैं, करोड़ों रुपया उन का बकाया पड़ा हुआ है, सरकार दे नहीं पाती है, अग्रिम देने की बात जो बहुत दूर है। हमारे मुंगेर जिले में भी गन्ने की बहुत खेती होती थी और अभी भी हो रही है, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं है। आज विदेशी मुद्रा का रोना रोते हैं। कृषि में गन्ना है, चीनी है जिसको अगर आप निर्यात करते हैं तो काफी विदेशी मुद्रा आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन गलत किसान नीति के चलते आज इनका जो उत्पादन घटता है और प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि गन्ना किसानों को सरकार की ओर से अग्रिम राशि दी जानी चाहिए जिससे कि वह ज्यादा से ज्यादा खेती कर सके, उसका उत्पादन बढ़ सके और तब आपको अगर काफी चीनी होती है, पूरे देश के पैमाने पर ज्यादा चीनी होती है तब विदेशों को निर्यात करके विदेशी मुद्रा आपको मिलेगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय पहले ही पूरा हो चुका है। कृपया अपने भाषण को एक मिनट के भीतर पूरा कीजिए।

[हिंदी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट और मैं कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, विज्ञान का खेती में प्रवेश के लिए हम दो बातें कहना चाहते हैं। एक तो यह कि हरेक अनुमंडल के स्तर पर कृषि विज्ञान केन्द्र होना चाहिए। मुझे मालूम है कि आज हिन्दुस्तान में सभी जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं हैं, लेकिन मैं मांग करता हूं कि हरेक अनुमंडल में कृषि विज्ञान केन्द्र होना चाहिए। उसी तरह से कृषि विश्वविद्यालयों में जो छात्र प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, वह सिर्फ डिग्रीधारी होते हैं।

वे नौकरी पाने के लिए करते हैं। सही मायनों में उन्हें प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए किसानों के खेतों में भेजा जाना चाहिए, वह हो नहीं पाता है, उन्हें प्रैक्टिकल ज्ञान हो नहीं पाता है। इसीलिए वे बैंकों या दूसरी जगहों पर काम करने के लिए भटकते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसी नीति बनाए कि

[श्री ब्रह्मानन्द मंडल]

हिन्दुस्तान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके छात्रों को प्रैक्टिकल ज्ञान अर्जित करने के लिए छोटे किसानों, मझोले किसानों, सीमांत किसानों के खेतों में भेजा जा सके ताकि वहां जाकर वे व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकें, उत्पादनकर्त्ता के साथ सम्बन्ध बनाकर काम कर सकें। इससे उनमें रुचि भी पैदा होगी और कृषि में काम करने से, मेहनत करने से, बेकारी की समस्या को दूर करने में भी सहायता मिलेगी।

इन शब्दों के साथ, अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि सही मायनों में अगर भूमि सुधार किया जाये, कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को किसानों के साथ काम करने के लिए कहा जाए, इस किस्म की एक नीति सरकार को बनानी चाहिए। इसके साथ-साथ किसानों को खाद, बीज आदि सभी वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध करायी जाएं ताकि आज जो हमारी नौजवान शक्ति का गावों से पलायन हो रहा है, वह रुक सके। उन्हें गांव में रहकर रोजगार मिले। इससे बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी। इन शब्दों के साथ मैं समय देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री तारा सिंह (कुरूक्षेत्र) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे इन डिमाण्डस पर बोलने का मौका दिया है। मैं इन डिमाण्डस को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैंने आज सुबह हाउस की पिछली प्रोसीडिंग्स को बढ़ा क्योंकि मैं दो तीन हाउस में आ नहीं सका हमारे कुछ अपोजीशन के भाइयों ने, खासकर एकलेडी मैम्बर ने, पं० जवाहर लाल नेहरू की खेती-बाड़ी सम्बन्धी पौलिसी पर बड़ी टीका-टिप्पणी की। मैं उनसे नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि खेतीबाड़ी का काम इतना आसान नहीं है कि हर आदमी, हर शहरी, शहरों में रहने वाला समझ सके। इन 40-45 साल की आजादी के बाद, हमारी खेतीबाड़ी में जो उन्नति हुई है, मैं समझता हूं कि वह काबिले-तारीफ है, जिसके लिए कोई शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। आज मैं 62 साल का हूं और मुझे प्री-पार्टीशन डेज अच्छी तरह याद हैं। मेरा घराना खेतीबाड़ी से ताल्लुक रखता है। वह खेती जिसमें से पहले 4-5 मन गेहूं निकलता था, यदि कोई उसमें जाकर चने का बीज फेंक देता था और ऊपर से बारिश हो गई तो कुछ काट ले आया, वरना कुछ नहीं होता था।

अभी मेरे कुछ साथियों ने जो सत्तू और चने के सत्तू की बात की। मुझे वे दिन याद हैं जब किसी के घर में जाकर ठण्डे मटके के पानी में शक्कर डालकर, यदि सत्तू कोई पी ले तो दिन भर उसे कुछ खाने की जरूरत नहीं रहती थी लेकिन आज न तो वे सत्तू रहे और न सत्तू पीने वाले रहे। आज यदि किसी को सत्तु दे भी दिए जायें तो वह उन्हें पीकर हजम भी नहीं कर सकता।

जहां तक खेतीबाड़ी का ताल्लुक है, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि हमारी सरकार की नीतियों से, कांग्रेस की नीतियों से, खेती में जो बढ़ावा आया है, वह इस काम से साफ जाजिर है और मुझे वे दिन भी याद हैं जब हम झोली लेकर अपना पेट भरने के लिए, बाहर के देशों में जाकर, अनाज मंगवाते थे और वह अनाज भी कौन सा आता था—लाल गेहूं, जिसमें कुछ बदबू भी आती थी लेकिन खाना पड़ता था, क्योंकि पेट भरना होता था। मैं खुद किसान हूं और कह सकता हूं कि वे खेत जिसमें कभी घास का एक तिनका तक नहीं उगा करता था, उसमें हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने, हमारी यूनिवर्सिटियों ने इस काबिल बना दिया कि उन खेतों में 50-50 मन गेहूं निकलता है, 70-80 मन उसमें चावल पैदा होता है और अब तो एक और बात हो गई है, दो फसलों के दरम्यान में भी कुछ काश्तकार तो सनफलावर की फसल ले लेते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि साहब पूरा मुकम्मल हो गया, ऐसी बात तो नहीं है, पूरा मुकम्मल नहीं हुआ।

मैं चूंकि हरियाणा से आता हूं, हरियाणा में वहां के किसानों ने ट्यूबवैल के पानी के साथ नहर के पानी का इस ढंग से प्रयोग किया है, जिसके कारण ग्राउण्ड वाटर लैंबल जो हाइएस्ट हरियाणा का था, वह इस्तेमाल हो चुका है और अब समारे साइंटिस्ट कहते हैं कि आइंदा हरियाणा में ट्यूबवैल लगाने की गुंजाइश नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब खेती की बात कर रहा हूं, तो मैं यह कह सकता हूं कि खेती कोई अकेला डिपार्टमेंट नहीं है, खेती जुड़ी हुई है इरिगेशन के साथ, इलैक्ट्रिसिटी के साथ और वही समझदार इंसान होता है, वही समझदार लीडर होता है जो आने वाले 20-30 और 40 सालों के बाद की बात सोचे। पिछले साल हमारे यहां तकरीबन 170-175 मिलियन टन गल्ला हुआ है और इसको और भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे इस बात पर फख्र है कि आज की हमारी सरकार, आज के हमारे नेता, प्रधान मन्त्री जी ने जब यह महसूस किया कि देहात में अभी भी 33-34 परसेंट ऐसी आबादी है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है। इस बात को देखते हुए, उन्होंने यह फैसला लिया कि प्लांड एक्सपेंडीचर में से जो 50 परसेंट खर्च है, वह एग्रीकल्चर और रूरल डिवेलपमेंट पर किया जाएगा। मैं खेती-बाड़ी के मन्त्री जी से विनती करूंगा कि यह बड़ी सराहने योग्य बात है और ऐन टाइम पर इस बात को कहा गया है, लेकिन इस स्कीम को लागू करने के लिए, इस स्कीम को चलाने के लिए हमारे पास प्रैक्टीकल आदमी होने चाहिए, जो सिर्फ कुर्सियों पर न बैठें, वे देहात में जाकर, देहात के, इलाके-इलाके से जाकर, कि कौन सी जमीन कैसी है और कब क्या मांगती है, यह पता करें।

मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर, मैं फायनेंस मिनिस्टर साहब का भी धन्यवादी हूं, उन्होंने गरीब किसानों का, मार्जिनल किसानों का ध्यान किया है। उन्होंने, आप मेहरबानी करके मेरी बात सुन लीजिए, जो किया है, उससे मेरी पूरी तसल्ली नहीं है, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया है, यह अच्छी बात है, उनकी सोच अच्छी है। पर साथ ही साथ मैं यह पूछना चाहूंगा कि एक गरीब किसान जिसके पास दो-चार एकड़ जमीन है, जब वह खाद लेने जाता है, तो उसको दिन में एक कट्टा खाद मिलती है। सारा दिन सुबह से शाम तक वह लाइन में लगता है, तब कहीं जाकर एक कट्टा खाद मिलती है, और कई दफा तो वापस भी आना पड़ता है। आज हरियाणा में मजदूर को भी 40 रुपए रोज दिहाड़ी मिलती है और किसान सारे दिन में एक कट्टा खाद का ले, तो उसको क्या बचेगा और कभी-कभी तो वहां लाठियां पड़ती हैं। वहां पुलिस गार्ड होता है, जब ज्यादा रश हो जाता है, तो पुलिस वाले लाठियां मारने लग जाते हैं और लोग पीछे हट जाते हैं, तो आपके लिए यह भी जरूरी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए।

हमारे जाखड़ साहब ने बड़े मौके पर एक बात कही—जो खाद स्टोर में पड़ी है, जिसके ऊपर सबसिडी थी, वह उसी कीमत पर बिकेगी।

2.00 म०प०

आज हम काम करने को कह देते हैं लेकिन काम करेगा कौन। किसान को वह खाद मिल रही है जिसकी कोई यूटीलिटी नहीं है, जिसमें आधी मिट्टी है, जो पानी से बरबाद हुई पड़ी है। जो अच्छी खाद है वह सारी अंडरग्राउन्ड हो गई है। मेरी कौंसटीटूएंसी में तीन जिले हैं और मैं तीनों जिलों में जाकर कह चुका हूं कि इतनी खाद थी कहां चली गई। मैं कृषि मन्त्री जी से अर्ज करूंगा कि हम स्कीम बनाएं, पालिसी बनाएं लेकिन पालिसी को लागू करने के लिए भी आयरन हैंडल होने चाहिए। क्योंकि दुकानदार, स्टाकिस्टस का दिल इतना सख्त है कि वह किसी गरीब पर रहम नहीं करना चाहता है।

[श्री तारा सिंह]

मुझे किसान पर फक्र है कि किस ढंग से दिन-रात एक करके उसने पैदावार बढ़ाई है। हम हर बार यह सुनते हैं कि इस बार बारिश नहीं हुई, बिजली नहीं आई लेकिन फिर भी प्रोडक्शन पहले से ज्यादा होता है। इसका श्रेय किसान को जाता है। मुझे एक किसान कहने लगा कि जब मैं खेत बोता हूं तो मैं यह नहीं देखता कि मेरे घर के बर्तन हैं या मेरी पत्नी के गहने हैं, खेत को बचाने के लिए यदि घर-बार भी लुट जाए तो भी मुझे महंगा नहीं लगता। जो किसान इस नियत से फसल पैदा करता है उसे यदि ऐनकरेजमैंट नहीं मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसके साथ क्या होगा। मुझे आज यह कहने में सन्देह नहीं है कि किसान चाहे चार हजार मन अनाज पैदा कर ले लेकिन उसकी पोजीशन वहीं की वहीं रहती है। उसका कोई बैंक बैलेंस नहीं है, उसकी बड़ी हवेली नहीं बनती।

मैं खुद भी किसान-कम-एडवोकेट हूं और मेरी जमीन भी करनाल जिले के पास है। वहां नहर का पानी भी है, बिजली भी है और पैदावार भी काफी होती है लेकिन अन्त में रजिस्टर खोलकर जब हिसाब करता हूं तो हिसाब बराबर होता है। ऐसी हालत में सरकार को सोचना चाहिए कि जो किसान इतनी मेहनत करता है उसको अलटीमेटली कुछ मिलना चाहिए।

मैं एक बात कृषि मन्त्री जी को बताना चाहूंगा कि आज देहातों में हालत यह है कि लड़का दसवीं पास करे या बी०ए० कर ले, वह खेत की तरफ देखना नहीं चाहता है। वह चार-पांच सौ रुपए की नौकरी करने को तैयार है लेकिन खेती करने को तैयार नहीं है। इसका कारण यह है कि वहां पर उसे कुछ मुनाफा नहीं है, उसके बच्चे पढ़-लिख नहीं सकते, उसका स्टेटस नहीं बनता। मैं एक बात इस हाउस में कहना चाहता हूं कि मैंने भी 25 साल वकालत की है और बड़े मालिकों से जमीन लेकर जिन लोगों को 5-6 एकड़ दिलाई थी उन्होंने दो साल भी काश्त नहीं की और तीसरे साल देखकर वापिस चले गये।

और वह दिहाड़ी करना मुनासिब समझते हैं···**(व्यवधान)**···आप जो कह रहे हैं, वह हम भी समझते हैं लेकिन 5 एकड़ वाला किसान खेती नहीं कर सकता···**(व्यवधान)**·· मैं आपसे ज्यादा प्रोग्रेसिव हूं, शायद आपसे ज्यादा तड़प मेरे दिल में किसानों के लिए होगी लेकिन मैं यह कहना चाहता था कि 5 एकड़ जिस मुजारे को जमीन दिलाई गई है, वह दूसरे ही साल उसे बचकर चला गया, दिहाड़ी पर काम करने के लिये। मैं समझता हूं, आज जो दिहाड़ीदार है, जिसकी फैमिली दिहाड़ी करती है, जिसके दो, तीन या चार बच्चे हैं, वह रोज शाम को दो सौ, ढाई सौ या तीन सौ रुपये बनाकर घर जाते हैं जबकि 10 एकड़ वाला कोई किसान ऐसा नहीं होगा जिसके शाम को दो सौ, ढाई सौ रुपये बनते हों, यह बात कहने की है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आमतौर पर अच्छे-अच्छे जमींदारों के लड़के खेती नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिये कि उसमें कुछ लाभ नहीं है।

2.07 म०प०

[श्री शरद दीघे पीठासीन हुए]

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कृषि पालिसी बनाने के लिये बहुत सारे भाई कह रहे थे लेकिन इस सरकार से पहले जो सरकारें बनीं, उन्होंने बड़ा प्रोपेगंडा किया लेकिन वह प्रोपेगंडा कहीं असल बनता नजर नहीं आया। इन्होंने बड़ा कहा कि किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, किसानों के बिजली के बिल माफ कर देंगे, पता नहीं क्या-क्या 65 वायदे कर दिये लेकिन हुआ क्या ? जिस किसान को ट्रैक्टर नहीं चाहिये था, उसने भी ट्रैक्टर खरीद लिया, जिस किसान को ट्यूबवैल नहीं चाहिये था, उसने भी

इंजन खरीद लिया और आज उन लोगों की यह हालत है कि उनकी सारी जमीन गिरवी होने वाली है और कोई बैंक, कोई सोसाइटी, कोई दुकानदार उनको कर्जा देने के लिये तैयार नहीं है, आज उन लोगों की ऐसी पिटिएबल कण्डीशन है। अगर किसी के सीने में तड़प हो तो उन्हें जाकर देखे कि हमने उनके साथ क्या किया है। मेरी कृषि मन्त्री जी से बिनती है कि उनको उस स्थिति से किस ढंग से निकाला जाये जिससे वह इजी इंस्टालमैण्ट्स पर कर्जे लेकर अपने टूल्स खरीद सकें, अपना खाद ले सकें। आम तौर पर आधे ऐसे जमींदार हैं जिनको वक्त पर न बीज मिलता है, न उनको फर्टिलाइजर मिलता है। मेरी कृषि मन्त्री जी से विनती है कि उनकी इमदाद के लिये कोई पालिसी बनायें ताकि फिर उनको कोई वकार बन सके, उनको कर्जे में यह चीजें मिल सकें।

आज सैण्ट्रल गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का रोल काफी सराहनीय है। इन्होंने काफी कोशिश की कि किसान को वह कीमत मिले जिससे वह भी अपना गुजारा अच्छे ढंग से कर सके लेकिन वह बात अभी पूरी नहीं हुई है। आपने देखा होगा कि किसान से तो गेहूं 220-225 रुपए के भाव से खरीदा गया और आज पांच रुपये किलो बिक रहा है। अभी मेरे एक भाई यहां बोल रहे थे कि हम मार्केट में सब्जी को ले जाकर बेचते हैं तो वह डेढ़ रुपये में बिकती है लेकिन वही सब्जी मण्डी में 5 रुपये किलो बिकती है तो यह किसका कसूर है ? जैसा मैंने पहले कहा है कि जब तक मजबूती से आयरन हैंड इस्तेमाल नहीं किए जायेंगे, उतनी देर तक काम नहीं चलने वाला।

मैं एक बात वैस्ट लैंड के बारे में कहना चाहता हूं। इस देश में बहुत सारे जमीन गैर-आबाद पड़ी है। गैर-आबाद जमीन को आबाद करने के लिए वैस्ट लैंड डवेलपमेंट बोर्ड बनाये और इनको काफी पैसा दे दिया गया। मैंने इनकी रिपोर्ट को पढ़ा है, कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल ने उनको काफी क्रिटिसाइज किया है कि इन्होंने इसका काम ठीक ढंग से नहीं किया है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो जमीन किसानों की शहर के नजदीक लगती है, उसको लालच देकर खरीद लिया जाता है। इस प्रकार एक तो वह रोजगार से दूर हो जाता है और वही जमीन को कोड़ियों के भाव खरीदी जाती है, उसको कालोनाइजर करोड़ों रुपये की बेचते हैं। मेरी कृषि मन्त्री जी से विनती है कि कोई कानून बनाकर इसको बन्द कराए ताकि जो उपजाऊ जमीन है, उसको कालोनाइजर न खरीद सकें।

किसानों की समस्या प्रोडक्शन प्राइसिंग और डिस्ट्रिब्यूशन की भी है। किसान जिस ढंग से, जिस प्यार से और जिस मेहनत से प्रोड्यूस करता है, उसके मुताबिक किसान को हक मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है और उसको कम कीमत मिलती है। प्रोड्यूस का डिस्ट्रब्यूशन भी ईमानदारी से होना चाहिए। शहर में बैठे लोग गांव में जो प्रोड्यूस करता है, उसकी सारी आमदनी खा जाते हैं। गरीब आदमी को क्या मिलता है और क्या उसको देना पड़ता है, इसको आप सभी जानते हैं। जैसे मैंने पहले ही निवेदन किया, खेती का सम्बन्ध पानी के साथ है। मैं हरियाणा से आता हूं। एस०वाई०एल० कैनाल की स्कीम कई सालों से चल रही है और इन्दिरा जी ने इसको एवार्ड दिया था। यह स्कीम सन 1983 से 1991 तक छः-सात दफा आई, बनी और हरियाणा में तो सारी नहर बन चुकी है, लेकिन पांच परसेंट काम पंजाब में बाकी है, जो नहीं हुआ है। पंजाब में अभी चीफ इन्जीनियर को मार देते हैं, कभी किसी को मार देते हैं, ताकि वहां का पानी हरियाणा में न जा सके। इसीलिये तीन लाख क्यूसैक वाटर वहां से यहां नहीं आ सकता है, क्योंकि वहां से पानी लाने का प्रबन्ध नहीं है। उस पानी की शार्टेज की वजह से आठ लाख मिलियन टन फूड ग्रेन्स का नुकसान हो रहा है। वह व्यवस्था न होने के कारण सारा पानी पाकिस्तान में जा रहा है, जिसका फायदा न पंजाब को मिल रहा है और न हरियाणा को मिल रहा है।

[श्री तारा सिंह]

सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। एक हथनीकुंड बैराज है, जो पहले ताजेवाला बैराज होता था। जब यमुना पर वैस्टर्न यमुना और ईस्टर्न यमुना नहर बनी थी, तब से इतने समय बाद उसकी मियाद खत्म हो चुकी है। उसमें क्रैक आ चुके हैं। पिछले 22 सालों से लगातार हमारे यू०पी० के भाई वायदे कर जाते हैं, लेकिन बैराज नहीं बनने देते हैं। हथनी कुंड के ऊपर बैराज की बात है और यह ताजेवाला बैराज जिसमें कि क्रैक आया है, अगर यह किसी फ्लड की वजह से वह गया तो हरियाणा की सारी एग्रीकल्चर लाइफ तहस-नहस हो जाएगी। इसलिए मैं कृषि महोदय से कहूंगा कि वे इसमें इमदाद करें। यही नहीं 1972 में श्री के०एल० राव, जो इरिगेशन मिनिस्टर थे, की अध्यक्षता में एक फैसला हुआ था कि हथनीकुंड हरियाणा बनाएगा और ओखला बैराज उत्तर प्रदेश बनाएगा और इसका खर्चा सांझा होगा। हरियाणा ने तो उनका ओखला बैराज बना दिया, लेकिन जब हमारी बारी आई तो वे लहतोलाल करना शुरू कर देते हैं। यह प्रोजैक्ट बीच में ही पड़ा हुआ है। मेरा कृषि मन्त्री जी से निवेदन है कि वे इस ओर शीघ्र कदम उठाएं।

मैं एक बात थर्मल पावर के बारे में कहना चाहता हूं। यमुना नगर थर्मल पावर प्लांट 15 सालों से लटका पड़ा है। इसके लिए हमने 1200 एकड़ रकबा खरीद रखा है और इसके लिये काफी मशीनरी बनी है। जापान और कनाडा से बातचीत फाइनल हो गई थी, लेकिन वह प्रोजैक्ट भी दिल्ली में अड़ा पड़ा है। इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इसमें कृषि मन्त्री महोदय हमारी इमदाद करें।

मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। किसान का गुजारा तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पास आल्टरनेटिव वे आफ इन्कम न हो और किसान के लिए आल्टरनेटिव वे आफ इन्कम एक डेरी है। जब उसको टाइम मिले वह डेरी को चला सके और गाय, भैंस पाल सके और उस डेरी से उसका ऊपर का रोजाना का खर्चा चल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री शिबू सोरेन (दुमका) : सभापति महोदय, जो कृषि की मांगें पेश की गई हैं मैं उसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे देश के किसान और गांवों में रहने वाले लोगों की बात करने के लिये हम लोग आज बहस कर रहे हैं। हमारे इलाके में बिहार का जो झारखण्ड इलाका है वह जंगल से भरा हुआ है। वहां जमीन सब ऊंची-नीची है और छोटी-छोटी नदियां बहती हैं और आज तक जो हमने देखा है और अनुभव किया है कि कृषकों के लिये, जो कोई भी योजना उनके लाभ के लिये बनी, उसका हमेशा उल्टा हुआ। हमारी तरफ में पहले कृषि विशेषज्ञों और अफसरों ने यह तय किया कि सिंचाई के लिये यहां लिफ्ट इर्रीगेशन होना चाहिये। लिफ्ट इर्रीगेशन नदियों में बनना शुरू हुआ, लेकिन उसकी यह दशा हुई कि बनकर तैयार होने के बाद भी उस पर बिजली का पम्प नहीं लगा। अगर बिजली आ गई तो तब भी वहां पर पम्पिंग सेट और छोटी-छोटी नहरें नहीं बनाई गई और फिर 4-5 साल के बाद अफसरों ने कहा कि यह इस इलाके में सफल नहीं होगा क्योंकि यह पहाड़ी इलाका है। सबसे सफल होने वाली चीज है वह है बड़े बांध और डेम का निर्माण। उससे कुछ नहीं हुआ। हमारे इलाके में सैंकड़ों डेम बना है वह सिंचाई के प्रपज से नहीं बना है, लोग लिख देते हैं कि इससे सिंचाई होगा, मगर उससे बिजली का उत्पादन होता है और बिजली बनाने के लिये जो बड़े-बड़े डेम बनते हैं उससे गांव और जमीन डूबते हैं। इसलिये हम लोगों को न बिजली मिलती है और न सिंचाई के लिये पानी मिलता है। यह हमारे यहां की दशा है, सिंचाई के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। बड़े डेम भी बेकार हो गये, लिफ्ट

इरींगेशन भी बेकार हो गया। कुएं जब बनाने की बात आती है तो हमारे यहां 18 से 19 हजार रुपया बनाने के लिये मिलता है, एक ही किस्म का कुआं, जलधारा और वह कुआं 40 हजार में सरकार बनाती है, यह फर्क है। फिर भी कुआं बड़ा उपयोगी हुआ है और जमीन के बीच में छोटे-छोटे पोखरे हैं। हमारे दुमका जिले में बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है और इससे वड़ा लाभ होगा। छोटे-छोटे पोखरा और कुआं बनाना चाहिए और उसमें पम्पिंग सेट बिजली वाला होना चाहिये।

बिजली और खेती, ये दोनों एक साथ हैं और हमारे यहां कोई चीज की कमी नहीं है। बिजली बनाने के लिये कोयला उपलब्ध है, नदियां उपलब्ध हैं, लेकिन सब बेकार है। हम लोग अन्धकार में हैं। हम लोग बराबर सुझाव देते हैं कि छोटे-छोटे आप कोयलरी के नजदीक आप पावर हाउस बनाइये, लेकिन यह सब नहीं बनता है। हम लोग बड़े निराश हैं और अब ऐसा हो गया है कि सबसे ज्यादा सम्पदा हमारे यहां है और हम भूखे हैं। हमारे साथ इन्साफ नहीं होता है, आगे हम क्या करेंगे और सिंचाई के नाम पर सब खत्म हो गया। हमारे यहां जमीन, खेती और कृषक बड़े-बड़े नहीं हैं। अब हमारे यहां 2-3-5 एकड़ जमीन वाले खेतीहर रह गये हैं, जो लोग नियम-कानून से दूर हैं। हम लोग चाहते हैं कि कुएं और छोटे-छोटे पोखर बनें, बड़ी योजनाओं को सरकार बन्द करे। इन बड़ी योजनाओं से हमारे यहां सिंचाई नहीं होती, पैसा बहुत खर्च हो जाता है। दिन-प्रतिदिन दरें बढ़ रही हैं, काम हो नहीं पाता है। सरकार डैम बनवाने के लिये समय पर पैसा नहीं दे पाती, अरबों रुपया बेकार हो जाता है। डैम बनता है तो केनाल नहीं बनती, यह सब स्थिति हमारे यहां की है। इसलिये कुएं और छोटे पोखर बनाने की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय, एक बात और बताना चाहता हूं। हमारे यहां जो आदिवासी और हरिजन विकास के नाम पर लूट हुई है, इतना रुपया केन्द्र सरकार का खर्च होता है, लेकिन हम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। सब पैसा बीच में रह जाता है, कागजों पर समाप्त हो जाता है। कागज पर रुपया मंजूर होता है और कागजों पर ही बंट कर समाप्त हो जाता है, गांवों के लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। इसका क्या उपाय है। हम लोग तो इस बात के आदी हो गये हैं, क्योंकि भुक्तभोगी हैं, हम लोग जानते हैं कि पैसा हमको मिलने वाला नहीं है। आई० आर० डी० पी० के अन्तर्गत इतनी बकरियां और गायें बांटी गई, बैल बांटे गये, लेकिन आप गांवों में जाकर खोजिये, एक भी गाय आपको नहीं मिलेगी। सबका बीच में ही वितरण हो गया। जंगली इलाके में जंगली बकरियां वितरित की जानी चाहिए थीं, लेकिन अफसरों ने कहा कि शहर से बड़े टांगों वाली बकरियों को लाकर वितरित कर दो। ये बकरियां जंगल में नहीं रह सकीं और मर गयीं। एक बकरी दिखाकर 100 बकरियां सप्लाई कर दी जाती हैं। कुछ सरकार के नियम ऐसे हैं और आगे उन नियमों को कार्यान्वित करने वाले महानुभाव ऐसे हैं, उनका दिमाग कैसे सीधा हो, यह सोचने की बात है। इसलिये हम लोग आजाद होने के बाद भी अपने आपको गुलाम महसूस करते हैं। अपनी ही सरकार में इस तरह की गड़बड़ी देखकर बहुत दुःख होता है। आज हमारे गांवों में सड़कें नहीं हैं तो विकास कहां से होगा। कृषि बाजार बनाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च कर दिये, जहां-तहां कृषि बाजार बन गये हैं, लेकिन जब कृषि उत्पादन ही नहीं है तो कृषि बाजार किस काम का। करोड़ों रुपये के मकान बना दिये गये हैं और उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। आज वे टूट रहे हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है। कृषि बाजार समिति बन गई है, लेकिन वहां क्या होता है, बड़े-बड़े लोगों ने वहां पर गोदाम बना लिए हैं। कृषि बाजार समिति यदि कृषकों के बीच में चलाई जाती है तो इसका उपयोग हो सकता है।

सभापति महोदय, हम लोग आदिवासी हैं और हमारे इलाके में आदिवासी और गैर-आदिवासी,

[श्री शिबू सोरेन]

सब की स्थिति एक समान है। कुछ मामलों में हम लोगों को ऐसे बांट दिया जाता है, जैसे कुआं मिलेगा तो हरिजन-आदिवासी को मिलेगा, न बैकवर्ड को मिलेगा, न फारवर्ड को मिलेगा, स्थिति सबकी एक जैसी है, आदिवासी और गैर-आदिवासी की। कुएं, तालाब, पोखर बनाने में कटौती क्यों होती है, इसके लिए पर्याप्त नियम होने चाहिए। आज तक हरिजन-आदिवासियों के लिए जितनी योजनाएं बनी हैं, सब बेकार हुई हैं, उनका लाभ दिखाई नहीं पड़ रहा है।

सभापति महोदय, उद्योग-धन्धे हमारे इलाके में लगाये गये, लेकिन हम लोग भिखारी बने हुए हैं। जमीन हमारी गई, गांव उजड़ गये, लेकिन वहां पर नौकरी दूसरे लोग कर रहे हैं, ठेकेदार दूसरे लोग बने हुए हैं। कुआं हमारी जमीन पर बना, लेकिन ठेकेदार कोई और हो गया। इस प्रकार से गांवों का विकास नाममात्र का भी नहीं हुआ है। 10-10-15-15 साल से टेंडर पड़े हुए हैं, सड़कें नहीं बन पाई हैं। पहले की पगडंडियां ठीक थीं, लेकिन उनको तोड़कर जगह-जगह गड्ढे बना दिए गये हैं। पत्थर हमारे यहां है, मजदूर हमारे यहां पर्याप्त हैं, फिर भी सड़कें नहीं बनती हैं। इस तरह की स्थिति हमारे यहां की है। इसका एक ही उपाय है कि पैसा सीधे तौर पर और जिस काम के लिए दिया जाना है, सीधा उस काम के लिए हम लोगों तक पहुंचे। हम लोग भी मदद करने के लिए तैयार हैं, हमारी मदद भी ली जाये, सरकार की मदद करने के लिए हम तैयार हैं, पदाधिकारियों की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो योजनाएं गांवों के लोगों के लिए बनी हैं, उनको पूरा किया जाना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि कागज पर योजनायें बनी रह जायें। आज बहुत सड़कें हमारे यहां बेकार पड़ी हुई हैं। जहां हजारों ट्रक चलते हैं, जहां बसें चलती हैं। रामगढ़-बोकारो सड़क है। जहां पर जमीन रुपया उगलती है, उन इलाकों में भी हम लोग दुःखी हैं। इसका कोई उपाय हो, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए केन्द्र सरकार को सोचना पड़ेगा। हम लोगों की खेती की जमीन लूट ली गई, जब मिनरल कारखानों का अनावरण हुआ तो हमारी नौकरियां छीन ली गयीं। आखिर हम लोग क्या करेंगे?

कृषि के साथ-साथ जंगल हमारे यहां मुख्य चीज है। आदिवासी लोग जंगल और पशुधन का उपयोग करते हैं। जंगल उजड़ रहे हैं। जहां हमारे पशु चरते थे, जहां से पानी आता था, खेती के लिए खाद आती थी, वे जंगल खत्म हो रहे हैं। कृषि लायक जमीन को फारेस्ट डिपार्टमेंट ने जंगल लगाने के नाम पर एक्वायर कर लिया। इससे गरीबों का, हरिजनों का, आदिवासियों का बहुत नुकसान होता है। फोरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कृषि लायक जमीन एक्वायर कर रहे हैं और उल्टे लोगों पर केस डाल रहे हैं और उनको जेल में डाल रहे हैं। जहां जंगल नहीं हैं, वह जमीन गरीब आदमियों को मिलनी चाहिए। जंगल कानून केन्द्र सरकार के जिम्मे है, यह राज्य सरकार के जिम्मे नहीं है। वह जमीन गरीबों को मिलनी चाहिए। जो लोग जंगल के आसपास रहने वाले हैं, हरिजन आदिवासी हैं, उन लोगों ने जो जमीन कब्जा कर रखी हुई है वह जमीन भी उनसे छीनी जा रही है। किस प्रकार हम खेती करें? आज हम कृषि की भलाई की बात सोचते हैं। हमारे पास जमीन बहुत कम है इसलिए पशु पालन और मछली पालन के लिए पोखरा बनना चाहिए। यह सारे जिलों में बनना चाहिए। जहां आदिवासी लोग हैं, उन गांवों से पदाधिकारी लोग ताल्लुक रखें। हर गांव में आदिवासी लोगों के मुखिया होते हैं, उन पदाधिकारियों को उनसे मिलना चाहिए। हमारे लोग कानून नहीं समझते, पढ़े-लिखे भी नहीं हैं, इसलिए उन्हें हक उपलब्ध नहीं होते। कानून को चलाने वाले लोगों को बड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए तभी अशान्ति और हमारे छीने गए अधिकारों से हम बच पायेंगे। हमें कोई सामाजिक सम्मान नहीं मिला। हमारे गांवों में सड़कें नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं। आज इसी कमी से देश में उथल-पुथल हो रही है, लड़ाई हो रही

है, आन्दोलन हो रहे हैं, नाहक लोग मारे जा रहे हैं, मारने के लिए लोग तैयार होते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है। सच्चाई से उनका हक उन्हें दिया जाए, उन्हें सुरक्षा दी जाए तो यह बहुत बड़ा काम है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे आदिवासी इलाके में बड़ा असन्तोष है। नियम और कानून के मुताबिक जो हमारा हिस्सा है, वह आज तक हमें नहीं मिल पाया।

महोदय, मैं इन्हीं चन्द शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : सभापति जी, सरकार ने जो बजट पेश किया है वह बुनियादी तौर से बड़े किसानों के लिए है और उसमें गरीब किसान और मझौले किसान के हितों की रक्षा मेरी समझ से नहीं हुई है। ज्वलत उदाहरण है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट में संशोधन करते हुए। खाद पर सब्सिडी दी लेकिन इससे गरीब किसान और सीमांत किसान वंचित रह जायेंगे।

अपने क्षेत्र से गुण गा रहे हैं और कह रहे हैं कि बी० डी० ओ० पंचायत के वक्त और कुछ अन्य अधिकारी मिलकर जो ऊंचे किसान भी हैं उनको भी सीमांत किसान का सर्टिफिकेट मिल रहा है। उसके चलते सही मायनों में जो गरीबों के लिए होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है और नतीजा क्या हो रहा है जो सब्सिडी दी गई है खादों में उससे गरीब किसान लाभान्वित नहीं हो रहा है, ब्लैक मार्किटिंग हो रही है और भ्रष्टाचार फैल रहा है। मन्त्री जी खुद किसान हैं और हम छोटे किसान हो गए हैं। आप सचमुच में कृषि की उन्नति की बात करते हैं तो गरीब किसानों के हित में भी सोचना पड़ेगा कि किस ढंग से खाद की सब्सिडी से सीमांत किसान और गरीब किसान लाभान्वित हो। आपने इस साल खाद का उत्पादन 17.50 करोड़ टन का रखा है। आज तक 75 फीसदी भूमि पर सिंचाई लागू नहीं है। जबसे आजादी हुई तो तब से आज तक खेती बरखा पर निर्भर करती है और बरखा पर निर्भरता को कम करने के लिए जो काम किए गए हैं वे काम अपर्याप्त हैं। आप देखते होंगे कि खेती में उतार-चढ़ाव होता रहता है। अन्न के उत्पादन में बढ़ने की प्रक्रिया नहीं हो रही है। यह दूसरी बात है कि भारतीय कृषि का उतार-चढ़ाव होता रहता है। उतार-चढ़ाव के विषय में आर्थिक समीक्षा जो सरकार की ओर से निकली हुई है उसमें सिंचाई की व्यवस्था की कमी है। उसमें जब तक सुधार नहीं होगा तो तब तक काम नहीं चलेगा। बड़ी-बड़ी योजनाएं हमारे बिहार में हैं। कोसी, गण्डक अंग्रेजों के जमाने से बनायी हैं। त्रिवेणी और सोन कैनाल के आधुनिकीकरण के लिए बिहार के हिस्से हिस्से में कोलाहल मचा हुई मचा हुआ है और बिहार सरकार उन योजनाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। जब योजनाएं बनायी गई तो किसानों की जमीनें ली गई लेकिन सिंचाई नहीं हो रही है। बिहार का वह इलाका चंपारण से शुरू होता है और सहरसा से निकलता है। बिहार तीन हिस्सों में बंटा हुआ है। पंजाब और हरियाणा आज कहते हैं कि हमने खेती में बहुत उन्नति की है। कृषि मन्त्री इस ओर ध्यान दें और हमारे क्षेत्र में जल प्रबन्ध की व्यवस्था हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा क्षेत्र न केवल बिहार को बल्कि देश के अन्य भागों को भी अन्न देने में सक्षम है। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि अभी भी चंपारण जिला ऐसा है जहां एक एकड़ में सौ टन धान होता है। (व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ (कृषि मन्त्री) : आप जाग उठें तो सब कुछ हो जायेगा। आप सब लोग सो रहे हैं।

श्री कमला मिश्र मधुकर : वहां पर पोड़खे, ऐसा स्थान है जहां पर चावल होता है। उसमें घी की जरूरत नहीं पड़ती। वह खुशबूदार और चिकना होता है। वह इलाका चम्पारण में है। वहां पर सिंचाई की व्यवस्था को मजबूत करना है। बाढ़ से हर साल वह इलाका पीड़ित होता है और अरबों रुपयों का काम वहां हो चुका है, लेकिन फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वह पैसा ठीक से नहीं लगा। वहां प्रतिवर्ष 6 अरब रुपये की फसल की क्षति होती है। आजादी के बाद से जितना पैसा बाढ़ की रोकथाम में लगाया

[श्री कमला मिश्र मधुकर]

गया है वह कार्य बिलकुल असफल हो गया है। हमारे एक माननीय सदस्य जोकि लोक सभा से हैं उन्होंने बहुआयामी योजना पेश की है। उससे न केवल बाढ़ से सुरक्षा होगी, बल्कि सिंचाई भी होगी और उनका हिसाब-किताब है कि चार हजार मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। इस योजना पर आपको सोचना चाहिए। आपके वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को इस बात पर जाना चाहिए कि उनकी योजना सही है या गलत है और उसके लिए क्या उपाय हो सकता है। उस उपाय का स्रोत क्या है। स्रोत यह है कि भारत और नेपाल के बीच में समझौता हो और ऊंची सतहों पर डैम बनाये जायें तब उसके बादे वहां पर सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है सिंचाई से बाढ़ को रोका जा सकता है, बिजली पैदा हो सकती है और सिंचाई के लिए जल मिल सकता है, इस प्रकार ये तीनों चीजें हो सकती हैं। इसलिए आपको इस योजना पर ध्यान देना चाहिए। खेती का काम जल के बिना नहीं चल सकता है, दोनों का आपस में गहरा सम्बन्ध है। लघु सिंचाई की भी हालत वहां पर खराब है। उसके लिए आपकी सरकार ने पम्पिंग सेट देने की बात की है। छोटे किसानों और सीमांत किसानों को दिये जाने की बात की है। लेकिन वहां हो यह रहा है कि उसमें भयंकर घूसखोरी है। हम लोग जानते हैं कि इसमें हमारी भी अक्षमता है, हमारी भी मशीनरी दुरूस्त नहीं है। हरिजनों के नाम पर वे पम्पिंग सेट दिये जाते हैं, लेकिन वे ऊंची जाति के लोगों और जमींदारों के यहां चले जाते हैं और वे लोग इससे पैसा कमाते हैं। आपकी भी एक मशीनरी होनी चाहिए इस काम को देखने के लिए।

बिहार की भूमि उर्वरा है। बियार में जल संसाधनों ो सही ढंग से इस्तेमाल करने की योजना बनाई जाये। मध्य बिहार और पठारी बिहार में जो छोटा नागपुर का इलाका है, वहां सिंचाई की बहुत जरूरत है। उसके साथ-साथ बिहार में अन्य सम्भावनायें भी हैं। बिहार में उत्तरी बिहार में खासकर इतने तालाब, पोखरे और झीलें हैं कि उन झीलों को ठीक से विकसित किया जाये तो मछली उत्पादन के मामले में उनका काफी उपयोग हो सकता है। पिछले तीन सालों से मछलियों में बीमारी आ जाती है, उस बीमारी की रोकथाम का कोई उपाय नहीं है। मछुआरे तबाह हो जाते हैं, उनके लिए जीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है, वे कठिनाई में पड़े हुए हैं। इसलिए चम्पारण में मत्स्य पालन करने की और बिहार में उत्तरी बिहार में जहां की मुझे जानकारी है, इसकी व्यवस्था की जाये।

माननीय सदस्या उमा भारती ने भी कहा है कि छोटे-छोटे किसानों को लाभ देने के लिए विशिष्ट योजनाओं को बनाकर उसके जरिये उनकी उत्पादकता को बढ़ाकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को ऊपर उठाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सहकारी समितियां आपके यहां बहुत फली-फूली हैं। लेकिन हमारे बिहार में सहकारी समितियां कुछ लोगों की मुट्ठी में हैं और वे लोग जो छोटे-छोटे पार्टनर हैं उनको लूट रहे है। इसलिए मेरी मांग है कि आप छोटे और सीमान्त किसानों के लिए और खेतीहर मजदूरों के लिए सहकारी समितियां इस ढंग से बनायें जिससे वे उनके मेम्बर हों, उनका बाहुल्य हो और उनका प्रशासन हो ताकि उनसे उनको लाभ मिल सके।

हमारे उत्तर बिहार में आप जानते होंगे कि इतने बढ़िया आम मिलते हैं जिनमें मालदा, जर्दा आम सबसे अच्छे हैं। इसक अलावा लीची बहुत मशहूर है जो आपके यहां दिल्ली में भी आती है। आम प्रसंस्करण के लिए कोई उद्योग नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि आम, लीची और अन्य फलों का प्रोसैसिंग नहीं होगा तो कैसे चलेगा? ये फल जल्दी खराब होने वाले हैं, पैरिशेबुल हैं। इसलिए ध्यान दीजिये! मैं नहीं चाहता कि सारे सरकारी क्षेत्र में हों। मैं यह कहता हूं कि प्राईवेट सेक्टर में भी उनको लगाने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा तो काम नहीं चलेगा। इसलिए उसकी ओर ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं। एक तो यह है कि आपके बजट में खेतिहर मजदूरों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है। आप जानते हैं कि छोटे किसान और खेत-मजदूरों की संख्या तीन चौथाई से अधिक है। इतनी विशाल जनता के लिए आज पूरे खेत-मजदूर आन्दोलन की मांग चल रही है कि केन्द्रीय सरकार खेत-मजदूरों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके विकास के लिए कानून बनाये। आंदोलन चल रहा है लेकिन कानून आपने बनाया नहीं।

सभापति महोदय, आज भी ऐसी हालत है कि गांवों में खेत मजदूरों को तीन सेर मानिहारिन मिलता है और वह नहीं तो मार भी खाते हैं, बेइज्जत होते हैं। इसलिए इनके बारे में बिना सोचे हुए आपका काम नहीं चलने वाला है। मैं आपके विभाग की प्रशंसा करता हूं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आज क्या हालत है कि परिषद के तमाम प्रयासों के बावजूद दलहन और तिलहन के बीजों में उसकी अनुसंधान में विफलता है। मैं तो चाहूंगा कि दलहन और तिलहन में उन्नति करने वाले नये बीजों का अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों को विशेष रियायतें दी जायें ताकि मन लगाकर काम कर सकें क्योंकि आपने जो लक्ष्य रखा है 150 लाख मीट्रिक टन आगे वह पूरा होने वाला नहीं है क्योंकि ऐसे बीज नहीं हैं, ऐसे अनुसंधान नहीं हो पाये हैं।

सभापति महोदय, पशु-पालन में आपने अनुसंधान किया है, जो प्रशंसनीय कार्य है। हम तो नहीं कहते परन्तु कई कहते हैं कि कृषि अनुसंधान परिषद एक उजला हाथी है। मैं नहीं कहता परन्तु आपकी रिपोर्ट में लिखा है कि अच्छा काम किया है। उसमें जो खामियां हैं—प्रशासनिक, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये, वे आप नहीं दे रहे हैं। इसके लिए एक भारतीय वैज्ञानिक डा० खुराना ने अमेरिका में अनुसंधान किया, उसी प्रकार आप भी अपने वैज्ञानिकों को ऐसा प्रोत्साहित कीजिये ताकि दलहन, तिलहन की समस्या को आप हल कर सकें। यह कृषि के लिए बहुत जरूरी चीज है।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कृषि की तरक्की के लिए जो आपने खाद की सबसिडी के सम्बन्ध में जो दोहरी नीति अपनायी है, उससे काम चलने वाला नहीं है। अंत में एक बात कहना चाहता हूं बिहार के पूर्वी चम्पारन जिला, जहां अंग्रेजों के जमाने से तीन चीनी मिल हैं, चौथी नहीं खुली है। हमारे बिहार में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज कम है आपकी अनुसंधान परिषद पूसा में है, क्यों नहीं आप प्रत्येक जिला में ऐसे अनुसंधान केन्द्र स्थापित करते। जब तक जिला में नहीं होगा, काम चलने वाला नहीं है। वहां की मिट्टी, जलवायु, मौसम की जांच करके कृषि में होने वाली तरक्की को आप किसानों तक पहुंचा सकते हैं। किसानों को उससे फायदा मिल सके, किसान उसका लाभ उठा सकें, यह जरूरी है। इसीलिए चंपारन जिले में बहुत दिन से, अंग्रेजों के जमाने से एक कृषि केन्द्र है पिपराकोठी नामक स्थान में, हमारी मांग है कि अगर चंपारन की धरती को, जो उर्वर भूमि शक्ति से सम्पन्न है, उसको विकसित करना चाहते हैं तो पिपराकोठी में आप कृषि महाविद्यालय की स्थापना कराइए और चीनी के मामले में क्योंकि वहां गन्ना अधिक होता है, मैं कह चुका हूं कि चीनी मिल की वहां जरूरत है। हमारे चंपारन जिले का गन्ना चला जाता है नेपाल में और वहां के लोगों को अपार क्षति होती है। लकड़ी के मोल में उनको गन्ना बेचना पड़ता है। बहुत दिन से मांग है कि चंपारन जिले में एक फैक्टरी खोलें चीनी की।

अंतिम बात यह है कि हमारे बिहार में जो धान होता है, धान की भूसी से तेल निकालने का विस्तार हो चुका है। ऐसी संभावना है कि बेतिया में भूसी से बनने वाले तेल के कारखाने की शुरूआत हुई थी, कुछ बातें हुई थीं पर वह ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। आप यह कहकर के कि यह काम राज्य सरकार का है, उनकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी से वंचित नहीं हो सकते हैं क्योंकि

[श्री कमला मिश्र मधुकर]

कोसी योजना है, सोन कैनाल का आधुनिकीकरण, गंडक कमांड को और विकसित करना, ये सारे काम केवल बिहार के माथे पर मत डालिए क्योंकि बिहार सरकार के पास फंड की कमी है। उसमें कुछ आप भी दोषी हैं और अब अगर आप चाहते हैं कि आपके मन्त्रालय में चमक आए और देश हर मामले में आत्मनिर्भर बने बाहर भेजने वाला एक्सपोर्टर बने, तो इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। हमारा विश्वास है कि आपके मन्त्रालय का काम सुचारु रूप से चलेगा और आप जो लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं आप उसमें आगे बढ़ें, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सभापति महोदय, कृषि, खेती और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो अनुदान मांग उनके विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं। यह इसलिए कि जो नयी सरकार का नजरिया है, जो नयी सरकार का दृष्टिकोण है, जो नयी सरकार की दिशा है, वह कृषि और कृषि पर निर्भर करने वाले लोगों के विरुद्ध है और खासकर खेतिहार मजदूर की बिल्कुल विरोधी है, गरीब विरोधी है, गांव विरोधी है, किसान विरोधी है। मैं इसीलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि अभी जो सरकार अल्पमत की सरकार है, ऑक्सीजन की नली पर चलने वाली सरकार है, लेकिन इस ऑक्सीजन की नली पर चलने वाली अल्पमत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को जिस ढंग से समूल परिवर्तित करने का ऐलान किया है, वह देश की आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था को दीर्घकाल के लिए क्षत-विक्षत करने वाला है।

सभापति महोदय, सरकार की जो नयी आर्थिक नीति है, जैसे मुद्रा का अवमूल्यन, विदेशी व्यापार में निर्यात की छूट और नए पूंजीप्रधान औद्योगीकरण। इस देश में बड़े लम्बे समय से चलता आ रहा है औद्योगिक उत्पादकों की संस्कृति और कृषि उत्पादकों की संस्कृति का द्वंद्व, लेकिन इन दोनों को इस सरकार ने निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं इसीलिए इस तथ्य के साथ कहना चाहता हूं कि इन दोनों संस्कृतियों के बीच में जो टकराव था, भारत की नयी सरकार ने औद्योगिक संस्कृति को अपनाने का शंखनाद कर दिया है, इसलिए मैंने कहा था कि किसान विरोधी इस सरकार का नजरिया है, खेतिहर मजदूर विरोधी है, गांव विरोधी है। पिछले 40 सालों में भी कांग्रेसी सरकार अपनी अंदरूनी तैयारी कर रही थी ग्रामीण संस्कृति को खत्म करने का, लेकिन विधिवत वह पिछली कांग्रेस की सरकार भी ऐलान नहीं कर सकी परन्तु इस सरकार ने विधिवत ऐलान कर दिया ग्रामीण संस्कृति को समाप्त करने का, उसका खात्मा करने का।

सभापति महोदय, मैंने इस बात की ओर इसलिए आपका ध्यान दिलाया और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

क्योंकि गहराई से यदि विचार किया जाए तो मानसिक रूप से देश में महाभारत की लड़ाई का स्वरूप खड़ा हो रहा है, जो आज दिखायी नहीं पड़ रहा है। सभापति जी, जब इस देश का इंसान कटता है, खून बहता है धरती पर कोहराम मचता है। यह देश कृषि प्रधान देश रहा है और आज भी है परन्तु यहां 80 फीसदी लोगों को संतुलित भोजन नहीं मिल पा रहा है जो खेती पर निर्भर करने वाले लोग हैं, उन्हें पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता। यही कारण है कि उनके शरीर में खून नहीं बन पाता। यह दिखता नहीं है परन्तु इससे उन्हें गुस्सा नहीं आता। आज जरूरत है गुस्सा आने की। सभापति जी, मैंने तभी आपसे निवेदन किया कि इस देश में कोहराम मचने वाला है। बिहार में आज पटना बन्द है, सरकार ने खाद मूल्यों को लेकर जो दोहरी नीति अपनाई है, उसके विरोध में पूरा पटना बन्द है। मैं समझता हूं कि पूरे देश में बवाल मचने वाला है क्योंकि इस दोहरी नीति के चलते देश के किसानों का जिस तरह शोषण होगा, एक्सप्लायटेशन होगा, उससे उनमें विरोध की भावना उठेगी। इसलिए मैंने कहा कि महाभारत

की लड़ाई का स्वरूप हो गया है—ग्रामीण भारत बनाम शहरी भारत—इण्डिया बनाम असली भारत। इस लड़ाई की शुरुवात इस सरकार ने कर दी है, अपने दृष्टिकोण से, अपने नजरिये से, अपनी नीतियों से। मैं यह भी जानता हूं कि सरकार की मदद के लिये विश्व की सारी पूंजीवादी ताकतें, विश्व बैंक की मार्फत लगी हुई हैं और विश्व बैंक तथा मुद्रा कोष की सलाह पर ही सरकार ने यह कदम उठाया है। वे ताकतें भारत को 7 बिलियन डालर का कर्ज देकर यह साबित करना चाहती हैं कि हम भारत की परंपरागत कृषि उत्पादन से सम्बन्धित संस्कृति को सदा के लिये समाप्त कर सकते हैं।

भारत सरकार ने उन विश्व की पूंजीवादी ताकतों से कर्जा लेकर, उन ताकतों के भरोसे यह ऐलान किया है लेकिन महाभारत का जो दूसरा पक्ष है, इस देश की जो 75 से लेकर 80 प्रतिशत आबादी है, जो गांवों में निवास करती है, जो आज गरीबी की चपेट में है, जो आज असहाय जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर है, जिनका कोई संगठन नहीं है और इसी कारण उनमें आज तक लड़ने की क्षमता बन नहीं पाई है, लेकिन इतनी बात तय है कि इस महाभारत में यह लड़ाई—पूंजीपतियों को अधिक लाभ कमाने की छूट बनाम आम आदमी को दो जून की रोटी का मौका—इन दोनों के बीच में है। आज दोनों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। सरकारी पक्ष आश्वस्त है कि जीत उनकी होगी लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि सारी आंतरिक और बाहरी ताकतें इनकी सहायता में जरूर हैं लेकिन देश का जो वंचित किसान है, वंचित किसान वर्ग है, वह अर्जुन की तरह खड़ा देखता नहीं रहेगा। एक न एक दिन वह इस महाभारत में अर्जुन की तरह गाण्डीव उठाने का काम करेगा और बिहार में यह काम शुरू भी हो गया है। शीघ्र ही अन्य प्रदेशों में यह लड़ाई शुरू होगी। सरकार की किसान विरोधी नीति के खिलाफ सारे देश में लड़ाई शुरू होने वाली है। अब समय बतायेगा कि जीत किसकी होती है, किसान पक्ष की होती है, गांव पक्ष की होती है, 75 प्रतिशत लोगों की होती है या विश्व बैंक, कर्जा देने वाली पूंजीवादी ताकतों या मुद्राकोष की होती है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि खेती को नजरअन्दाज करके आज जिस प्रकार से किसान का शोषण किया जा रहा है—पहला तरीका है खेती में पूंजी निवेश को कम करने का, इस बात का जिक्र मैंने इसलिए किया कि पूंजी निवेश की कमी किस तरह से की गई है—कृषकों को ऋण देने के लिए मात्र एक ही बैंक है—नाबार्ड जबकि इंडस्ट्री और उद्योगपतियों को कर्ज देने के लिए आई० डी० बी० आई०, आई० सी० आई० सी० आई०, आई० एफ० सी० आई० जैसी अनेकों बड़ी-बड़ी इन्वैस्टमैंट आर्गेनाइजेशन्स बनी हैं। उस नाबार्ड के माध्यम से भी 1987-88 में रुपया 14 करोड़ 468 मात्र ही मध्यम और दीर्घ काल के कर्ज के रूप में दिया गया। उसी साल नेशनल एकाउन्ट्स स्टेटिस्टिक्स के अनुसार, खेती में पूंजी निर्माण—कैपिटल फारमेशन—सिर्फ 8000 करोड़ रुपये हुआ। इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं—पहला यह कि कृषि में इन्वैस्टमैंट बहुत कम हुआ और नाबार्ड के आंकड़ों से भी स्पष्ट है कि नाबार्ड का जो पैसा कृषि के लिए जाता है, उसमें से भी शायद 10 हजार करोड़ रुपया गैर-कृषि क्षेत्र में चला गया और पूंजी निर्माण मात्र 800 करोड़ रुपये का वर्ष 1988 में हुआ, और 1989-90 में शून्य हुआ।

दूसरी मार सरकार ने किसान को गल्ले की कम कीमत देकर दी है। किसान जिस कीमत पर बिचौलियों के हाथ अपना गल्ला बेचता है, आप जानते हैं और मैं समझता हूं कि यहां हाउस में भी किसान वर्ग से बहुत से माननीय सदस्य आये होंगे। किसानों को जिस कीमत पर अपना कच्चा माल, अपने खेतों में उत्पादित माल बेचना पड़ता है, विलेज मंडी में या बिचौलियों के हाथ में, या बड़े जो सेठ हैं, उनके हाथ बेचना पड़ता है, उसमें और करखनिया माल में बहुत अन्तर होता है। डा० लोहिया ने कहा था कि कृषि उत्पादित सामान और जो करखनिया सामान है, उसमें लागत से डेढ़ गुने से ज्यादा

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

अन्तर नहीं होना चाहिए, लेकिन आज जो कारखाने में तैयार माल है, जिसको किसान इस्तेमाल करता है, वह दस गुनी कीमत पर मिलता है। यह जो अन्तर है, यह किसानों का शोषण है। जो किसान पैदा करता है, उसको कम कीमत पर खरीदा जाता है।

सभापति महोदय, अर्थशास्त्रियों ने अध्ययन किया है उनके अनुसार 70 के दशक में 45 हजार करोड़ रुपये का घाटा किसानों को हुआ है। 80 के दशक में उद्योग में उत्पादित सामान की कीमतें कई गुना बढ़ गयीं और इस प्रकार किसानों का शोषण जारी रहा। 1981 में उद्योगों में उत्पादन करने वाले लोगों की आय 10851 रुपये थी और किसानों की 3 हजार रुपये थी तथा खेतिहर मजदूरों की आमदनी 1703 रुपये थी। इस प्रकार से किसानों और खेतिहर मजदूरों के शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अभी मैंने इसी बात का जिक्र किया था, उत्तर बिहार और पूरे बिहार से लगभग 12 लाख खेतिहर मजदूरों का पलायन हो गया है। बिहार से खेतिहर मजदूर, आसाम, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा चले गए जिसके कारण जो खेतीबाड़ी का काम था, उस पर प्रतिकूल असर पड़ा है। आज कृषि घाटे का व्यवसाय हो गया है। आज अगर कोई सबसे ज्यादा घाटे का व्यवसाय है, तो वह खेती है। जो इस देश में 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं, जो किसान आज सम्पूर्ण देश को अन्न खिलाता है, आज वह सबसे ज्यादा दुखी है। इस देश में स्व० चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि जब तक किसान दुखी है, तब तक देश भूखा रहेगा। पूज्य महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, कलकत्ता और बम्बई में नहीं, लेकिन आज हालत यह है कि किसानों के ऊपर चौतरफा मार पड़ रही है।

सभापति महोदय, उर्वरक का जहां तक सवाल है, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री महोदय किसानों के साथ ज्यादा हमदर्दी रखने वाले हैं, मैं आज इनके समक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि जब वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि किसानों को गल्ले का दाम बढ़ाकर के हम जो सबसिडी घटा रहे हैं, उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे, कम्पैनसेट करेंगे, तब मुझे अचरज नहीं हुआ, लेकिन जब माननीय कृषि मंत्री, जो इतने बड़े किसानों के ज्ञाता हैं और किसानों से हमदर्दी रखने वाले हैं माननीय बलराम जाखड़ जी का भी एक बयान मैंने अखबारों में पढ़ा कि गल्ले की कीमत बढ़ा देंगे, उससे खाद पर घटी सबसिडी की क्षतिपूर्ति हो जाएगी। मैं वित्त मंत्री जी की बात को एक बार मान सकता हूं क्योंकि उनसे मुझे इससे ज्यादा कुछ आशा नहीं थी, लेकिन जो कृषि मंत्री हैं, जो किसानों के हमदर्द हैं, जब वे ऐसी बात करते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जो लघु, मार्जिनल किसान हैं, जो अपने खाने भर के लिए गल्ला मुश्किल से पैदा करते हैं, जब उनके पास सरप्लस गल्ला होगा ही नहीं तो वे बेचेंगे क्या और उनकी आप क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे। किसको मूल्य देंगे, जब वे गल्ला लायेंगे नहीं, जब उनके पास सरप्लस गल्ला होगा ही नहीं, तो आप किसको मूल्य देंगे? आप किसानों के बहुत हमदर्द हैं, आप हमारे बीच में बैठे हैं, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अपने उत्तर में, मेरी इस बात का जवाब अवश्य दें कि गरीब और मार्जिनल किसान या लघु किसान, जिनके पास सरप्लस गल्ला ही नहीं होगा, उनको आप कैसे अधिक मूल्य देकर क्षतिपूर्ति करेंगे? माननीय कृषि मंत्री जी किसानों के हमदर्द हैं, तभी उनका बयान आया है। सपोर्ट प्राइस आज किसको मिल रहा है, जो समर्थन मूल्य होता है, वह छोटे किसान को नहीं मिल रहा है। आज 60-70 कि०मी० शहर से दूर गांव है। आपका फूड कारपोरेशन आफ इंडिया जिले में होता है, वहां तक वह छोटा किसान अपना गल्ला कैसे लाएगा? उसके पास न ट्रक होता है, न उसके पास ट्रैक्टर होता है और न उसके पास ट्रांसपोरटेशन का कोई और दूसरा साधन है?

3.00 म० प०

उसके पास कर्मचारी नहीं हैं। क्या किसान 70 किलोमीटर बैलगाड़ी जोतकर एफ० सी० आई० में अपना अनाज देने आएगा ? जो मध्यम किसान है वह भी नहीं आ सकता है लेकिन कहते हैं कि हम गल्ले में दाम बढ़ा देंगे। यह हो सकता है कि पंजाब और हरियाणा में कुछ जगह मार्केटिंग यार्डस डेवलप्ड हैं। जहां मार्केटिंग यार्डस डेवलप्ड होगा वहां पर कुछ कीमत मिल सकती है। लेकिन वहां भी बिचौलियों के द्वारा जब किसान का शोषण हो रहा है तो किसान को सपोर्ट प्राइस गल्ले में नहीं मिल सकता है। किसान को अपनी जीवनोपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिए किसी समय अपना माल बेचना पड़ता है। हम यहां एयर कंडीशनर में बैठकर चाहे जितनी चर्चा कर लें लेकिन जब तक नतीजों पर विचार नहीं करेंगे किसान का भला नहीं होने वाला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खाद की दोहरी नीति लागू करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। गरीब और लघु किसान को ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर कहते हैं कि रसीद कटवाकर लाओ। जब वह रसीद कटवाने जाते हैं तो उनके नाम से पांच एकड़ जमीन चढ़ी होती है। इनका कारण है कि दाखिल खारिज का काम नहीं होता और जमाबंदी अलग न होने से छोटे किसान को व्यवहारिक कठिनाई होती है लेकिन जो बंगले वाला किसान है उसकी रसीद पूरी बन जाती है। ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर के यहां से उनका आईडेंटीफिकेशन हो जाता है कि यह सीमांत किसान है और उनको खाद मिल जाती है। इस तरह से ब्लैक को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है और सारी खाद ब्लैक में जा रही है। गरीब किसान को खेती में खाद डालने के लिए समय से खाद नहीं मिल पा रही है जिससे उत्पादन पर भी असर पड़ता है।

जब वित्त मंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने खाद को इनपुट माना था जबकि वह एक प्रकार का पूंजी निवेश माना है। 1980 में साढ़े पांच मिलियन टन खाद का इस्तेमाल हुआ, 1990 में बढ़कर 22.7 मिलियन टन हो गया। नतीजा यह हुआ कि पूरे देश में 143 मिलियन हैक्टेयर जमीन पर 170 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ जबकि चीन में मात्र 100 मिलियन हैक्टेयर में खेती होती है और उत्पादन 360 मिलियन टन होता है। मतलब यह कि भारत में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धि 200 के०जी० है और चीन में उत्पादन में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धि 330 के०जी० है। इसका मतलब यह है कि हम आज भी और देशों से पीछे हैं और कहते हैं कि हम खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं। सन् 2000 साल में आबादी इस देश की सौ करोड़ हो जायेगी और इस देश की 100 करोड़ आबादी को अनाज खिलाने के लिए उत्पादन होना चाहिए, 300 मिलियन टन लेकिन योजना आयोग कहता है 240 मिलियन टन होना चाहिए। मतलब, यह भूखा रखना चाहते हैं इस देश की आबादी को, जो बढ़ने वाली है, जो हमारा आने वाला भविष्य है, उसको भी भूखा और कंगाल रखने का इन्तजाम हो रहा है।

मैं डिटेल में डाटा में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सरकार बहुत जोर से ढिंढोरा पीट रही है, खाद्यान्न उत्पादन में बड़ी-बड़ी उपलब्धि की चर्चा हो रही है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों के खाद्यान्न उत्पादन का क्या हाल है। जो अच्छे किस्म का अनाज है, जैसे गेहूं है, चावल है, उसका तो हिसाब ठीक है लेकिन इस देश में जो मोटा अनाज है जैसे मक्का है, कदन है, ज्वार है और मरुआ है जो अन्य निम्न किस्म के अनाज हैं, उनका उत्पादन 1983-84 में 33.9 मिलियन टन हुआ था और आज 1990-91 में 33.3 मिलियन टन हुआ है, यह सरकारी आंकड़ा है, यह आंकड़ा मेरा नहीं है। यह आंकड़ा कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के कृषि और सहकारिता विभाग का है तो आप यह कदमताल कर रहे हैं, उत्पादन उसका बढ़ा नहीं रहे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

है, घटा रहे हैं, आप गरीब लोगों के खाद्यान्न का उत्पादन घटा रहे हैं, जो गरीब लोगों का, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों का, खेतिहर मजदूरों और भूमिहीन मजदूरों का अनाज है जो हमारी कुल ग्रामीण 80 प्रतिशत आबादी में से 30-40 प्रतिशत भाग है, उनके खाद्यान्न का उत्पादन घटता जा रहा है। हम कहते हैं कि सीमांत और लघु किसानों का हम भला चाहते हैं, उनके हितैषी हैं इसलिए मैंने आपसे यह निवेदन किया।

मैं एक और रहस्यमय बात कहना चाहता हूं। खाद की कीमत सरकार को क्यों बढ़ानी पड़ती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि खाद कारखानों को चलाने की अयोग्यता और बदइन्तजामी के कारण खाद की उत्पादन लागत इतनी अधिक है इसलिए कि भारत में जान-बूझकर अधिक लागत वाली उत्पादन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले एक करोड़ रुपये में दो तीन फैक्टरी लग जाती थीं लेकिन आजकल बहुत बढ़िया हिसाब सरकार ने लगा लिया है, एक शाम प्रोगेति इटालियन फैक्टरी है जिसकी लागत 700 करोड़ रुपया है तो इस बात से लगता है कि आज सरकार की अनिवार्यता क्या है। सरकार के लिए आज बहुत ही अनिवार्य हो गया एक इटालियन फैक्टरी का लगाना, खाद के उत्पादन के लिए जिसमें हायर तकनीक का इस्तेमाल हो और 700 करोड़ रुपये लागत आये। भारत ने कीमती लागत वाली फैक्टरी लगाई है, यही हमारा काम है इससे खाद का दाम तो बढ़ना ही है। क्या लाचारी है, मैंने इसीलिए इस बात की ओर ध्यान दिलाया।

खाद की सब्सिडी 1980 में 604 करोड़ रुपये से बढ़कर 1990 में 4542 करोड़ रुपये हो गई तो इसके लिए किसान जवाबदेह नहीं हैं, इसके लिए सरकार और खाद कारखानों के मालिक जवाबदेह हैं, उनकी मिलीभगत के कारण सब्सिडी में यह वृद्धि हुई है इसलिए सब्सिडी का बोझ किसानों पर डालना अन्याय है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम जिस इलाके से आते हैं, उत्तरी बिहार से, वहां फूड प्रोसेसिंग के काम के लिए काफी अच्छा स्कोप है। वहां बहुत मखाना पैदा होता है, दुनिया में कहीं भी अन्य जगह मखाना पैदा नहीं होता, सिर्फ उत्तरी बिहार में दरभंगा और मधुबनी में मखाना पैदा होता है। मखाना एक फैटलैस आइडियल फूड है। मखाना पैदा करने वाले जो मल्लाह लोग हैं, वह गरीब लोग हैं, पीड़ित हैं, वह बड़ी मेहनत से मखाने को पैदा करते हैं। मखाना जब पैदा होता है तो वहां 40 रुपये किलो बिकता है, दिल्ली में 140 रुपये किलो बिकता है और विदेश में 1100 रुपये किलो बिकता है। इसको यदि फूड प्रोसेसिंग करके देश से निर्यात किया जाए तो विदेशी मुद्रा देश में बहुत आ सकती है। यह उत्तर बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे देश में मात्र दो जिलों में इसका उत्पादन होता है। वे जिले हैं उत्तर बिहार के, एक मधुबनी जिला जहां से मैं आता हूं और दूसरा दरभंगा जिला में पैदा होता है और सहरसा जिला में भी पैदा होता है। इस प्रकार तीन जिलों में प्रमुखतः मखाना पैदा होता है, जोकि फैटलैस आइडल फूड है। इसलिए मैंने मंत्री जी से निवेदन किया कि इसकी फूड प्रोसेसिंग की तरफ ध्यान दें। जैसा मैंने भूमि सुधार के बारे में निवेदन किया कि इसमें जब तक बेसिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। भूमि सुधार का मतलब कांग्रेसी राज में है कि धन और धरती बंटकर रहेगी और अपना-अपना जोत। जब तक यह नहीं होगा, तब तक भूमि सुधार लागू नहीं हो सकता है। इसलिए भूमि सुधार का काम बहुत ही जरूरी है।

अब मैं बिहार राज्य से सम्बन्धित एक-दो बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। बिहार में सात

जगहों पर कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव आया है । क्या कारण है कि हरियाणा में 16 जगहों पर कृषि विज्ञान केन्द्र खोले गये हैं और चार जगहों पर भी खोलने का विचार है, इसका मुझे पता चला है और यह जांच का विषय है, इस प्रकार 20 जगहों पर खोलने जा रहे हैं । बिहार में सात जगहों पर—बाढ़, हरनोत, छपरा, डुमराव, जमुई, खुदावसनपुर, बियांगी (पलामू)—कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के अधीन आया है, वे आज भी लम्बित हैं । आज इन जगहों पर कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं खोले जा रहे हैं । इसलिए मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट करूंगा कि जो कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के प्रस्ताव हैं, बिहार में भारत सरकार ने स्कीम भेजी थी, सर्वे

3.12 म० प०

[राव राम सिंह पीठासीन हुए]

करके ये प्रस्ताव आए हैं, इन प्रस्तावों को लम्बित न रखा जाए । इन प्रस्ताव को बिहार की स्थिति को देखते हुए स्वीकृत करने का काम किया जाए । दूसरा बिन्दु जो उत्तर बिहार में चर-लैंड हैं, उसके बारे में कहना चाहता हूं । लगभग 20 लाख हैक्टेयर जमीन जल-जमाव से प्रभावित रहती है, इसमें मधुबनी, सहरसा, दरभंगा, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और चम्पारन आदि जिले आते हैं । इन जगहों पर दो-दो लाख हैक्टेयर जमीन चर-लैंड से प्रभावित है । चर-लैंड का मतलब है, वाटर-लॉगिंग यानि जल-जमाव होता है । उन स्थानों पर किसानों को अनाज का एक दाना भी उपलब्ध नहीं होता है । आज तक इस समस्या को हल करने के लिए कोई भी स्पेशल एग्रीकल्चरल टैक्नॉलाजी डवेलप नहीं की गई है, जिससे चर-लैंड से बचा जा सके । मैं भारत सरकार से कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक स्पेशल एग्रीकल्चरल टैक्नोलाजी डवेलप की जाए, जिस जमीन पर किसानों की एक फसल भी नहीं हो पाती है, पूरी जमीन जल में डूबी रहती है, उन जमीनों से पानी निकाला जाए । एक इलाका है, जहां सात लाख हैक्टेयर जमीन पर जल-जमाव है और इसी प्रकार मुकामा में गल एरिया का इलाका है, जहां जल-जमाव रहता है । इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दक्षिण बिहार आज सूखे की चपेट में है । वहां भयंकर स्थिति सूखाड़ की आने वाली है । इस ओर भी मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए ।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । सरकार की तरफ से जब मंत्री जी जवाब दें, तो इन पर गम्भीरता से विचार करके इसका जवाब दें।...(**व्यवधान**)...मैं समझता हूं कि सरकार को सुझाव जरूर लेने चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि सरकार में हिम्मत हो तो कहे, जो जमीन को जोते वही जमीन का मालिक हो । इस तरह का विधेयक भारत सरकार लेकर आए, उसके लिए हम सब लोग तैयार हैं । मैं समझता हूं कि यह पूरा सदन गरीबों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में तैयार है । मंत्री जी को लैंड यूटिलाइजेशन बिल सदन में लाना चाहिए । दूसरे—इस लैंड यूटिलाइजेशन बिल के तहत या कोई जातिदार मजदूर दस गुना लगान जमा कर दे, चाहे वह छोटा किसान हो या बटाईदार हो, उसको जमीन का स्वामित्व दिया जाए । जो जमीन जोतने वाला है, उसको जमीन का स्वामित्व देने का काम हो, तभी उसको बंगलाधारी, छाताधारी और बड़े किसानों के शोषण से और जमींदारों के शोषण से मुक्ति मिल सकती है । वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है । दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जो मालगुजारी लगती है, बिना नफे के खेतीबाड़ी, उस पर मालगुजारी न लगे, जिस खेती से कोई नफा नहीं है जैसे बाढ़, पानी, ओला और पत्थर, सुखाड़ से, जिस खेती से कोई फसल नहीं पैदा होती है और उससे किसानों को कोई लाभ नहीं होता है, उस खेती पर कोई मालगुजारी नहीं लगनी चाहिए । जो हर साल बाढ़ से डूब जाता है, सुखाड़ से परेशान हो जाता है और रात-दिन आपदाओं से उत्पीड़ित हो जाता है वैसी जमीनों पर निश्चित रूप से मालगुजारी नहीं लगनी चाहिए । (**व्यवधान**) बिना नफे के जो खेतीबाड़ी है उस पर

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

मालगुजारी नहीं लगनी चाहिए और इसके लिए एक्ट बनाया जाना चाहिए क्योंकि किसान की हालत बहुत खराब है।

आज साढ़े छः एकड़ जमीन वाले किसानों को जनरल, सामान्य रूप से मालगुजारी माफ होनी चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं एक सुझाव दे रहा हूं मैंने इसलिए आग्रह किया है कि साढ़े छः एकड़ तक के जमीन वाले जो छोटे और गरीब किसान हैं क्योंकि (व्यवधान) मैंने इसलिए इस बात का जिक्र किया क्योंकि किसान ही एक ऐसा समुदाय है जो अपने टारगेट, लक्ष्य को पूरा करता है। (व्यवधान) आज ग्रामीण विकास में जो इंजीनियर लगे हैं, सड़क बनाने में, तीन किलोमीटर सड़क बनती है और पांच किलोमीटर का वह बिल उठा लेते हैं, लेकिन यदि किसान 5 एकड़ जमीन में हल नहीं चलायेंगे और सिंचाई की व्यवस्था नहीं करेंगे, खाद नहीं डालेंगे, कीटनाशक दवा की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो उनको अनाज नहीं मिल सकता है। इसलिए किसान के पसीने की कमाई खाने वाला कौन है, वह समुदाय है जो धरती के सीने को चीर कर फसल पैदा करने का काम करता है। इस हिन्दुस्तान में ईमानदार समुदाय कौन है, वह किसान वर्ग है, किसान समुदाय है। इसलिए मेरा आग्रह यह है कि निश्चित रूप से साढ़े छः एकड़ जमीन तक का उनका लगान माफ कर दिया जाना चाहिए और मेरा यह भी आग्रह है कि कुटीर उद्योग और कृषि उत्पादन में वृद्धि की योजनाओं को क्रियान्वित करने की दृष्टि से सरकारी एजेंसियों द्वारा जो ऋण देने का तौर-तरीका है उसको सुगम बनाया जाए, वन विंडो सिस्टम लागू किया जाए। इसका मतलब है जिस तरह से उद्योगपति या उद्योग खोलने वाले लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है, ऋण देने की सारी व्यवस्था एक आफिस से लागू होती है उसी तरह से किसानों के लिए भी वन विंडो सिस्टम लागू होना चाहिए। उनका ऋण देने का जो तौर-तरीका है उसको सुगम और सरल बनाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, किसानों की जो उपज है, विशेष कर नकदी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय सरकार को लेना चाहिए ताकि उनको लाभकारी मूल्य मिले। पांचवा मेरा आग्रह यह है कि किसान का फसल, जैसे आलू किसान पैदा करता है और आलू सड़ जाता है, आज बिहार के अन्दर एक भी ब्लाक में कोल्ड स्टोरेज नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की फसल भंडारण के अभाव में बर्बाद हो रहा है जबकि भंडारण पर इतना अधिक खर्च होता है और प्रत्येक ब्लाक में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना होनी चाहिए। कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हो ताकि किसान अपनी फसलों का संरक्षण कर सके। छठा मेरा आग्रह यह है कि देश भर में जमाबंदी, जो दाखिल खारिज, विश्लेषण का काम है उसको सभी प्रखण्डों में कैंप लगवा कर और निश्चित रूप से किसानों का आइडेंटीफिकेशन का काम लघु, सीमांत और छोटे किसान हैं, उनको तुरन्त जमाबंदी फुटाने का काम युद्धस्तर पर किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि जो भूमि चोर हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। ये लोग अतिरिक्त जमा लेकर, हनुमान जी के नाम पर, राम-जानकी मन्दिर के नाम पर बड़ी भारी भूमि की चोरी करते हैं। (व्यवधान)

आज अगर भूमि का बंटवारा सही तरीके से किया गया होता तो किसान की यह हालत नहीं होती। आज आजादी के 40 साल के बाद भी किसानों को परेशानी है, किसान फटेहाल बना हुआ है,

किसान के हिस्से में तंगी और तबाही है। अगर भूमि का सही बंटवारा होता तो किसान आज इस हालत में नहीं होता।

श्री अवतार सिंह भडाना (फरीदाबाद) : आपने 11 महीने में क्या किया।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप पिछले 40 साल का हिसाब देखिये। इसलिए सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो भूमि चोरी करके रखे हुए हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। राम-जानकी मन्दिर के नाम पर 200 एकड़ भूमि है, इसी तरह से हनुमान जी के नाम पर काफी भूमि है। मैं कहना चाहता हूं कि सबको बराबर-बराबर 15-15 एकड़ भूमि दीजिए, सीलिंग एक्ट लागू कीजिए और शेष जमीन बड़े जमींदारों से छीनकर गरीबों के बीच में, भूमिहीनों के बीच में वितरित कर दीजिए। तभी रेडीकल चेंज हो सकता है, बुनियादी परिवर्तन हो सकता है। इसलिए भूमि चोरों से जमीन छीनने का काम होना चाहिए, भूमि सुधारों को लागू किया जाना चाहिए।

श्री अवतार सिंह भडाना : बिहार में क्यों लागू नहीं हो रहा है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : बिहार में लागू हो रहा है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय, अन्त में बाढ़ के विषय में दो बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, पूरा बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, इन तमाम इलाकों में बाढ़ का सवाल है। यह कृषि से सम्बन्धित मामला है, लाखों हैक्टेयर जमीन में फसल नष्ट हो जाती है। नेपाल से नदियां निकलती हैं और उत्तर बिहार तथा अन्य इलाकों में तबाही मचा रही हैं। आज बिहार की लगभग 4 करोड़ आबादी का जीवन अस्त-व्यस्त है। उत्तर बिहार में कोसी, कमलाबलान, गंडक, अदवारा समूह, बागमती, भूतोहीबलान आदि नदियों में नेपाल से सिल्ट आती है, जिससे कठिनाई उत्पन्न होती है। इस बारे में नेपाल सरकार से उच्चस्तरीय वार्ता होनी चाहिए और नेपाल में जल अधिग्रहण क्षेत्र, बहुउद्देशीय डैम का निर्माण किया जाना चाहिए। हाई-लेबल डैम बनाने चाहिए। इससे बाढ़-नियंत्रण भी होगा और बिजली भी पैदा होगी। आज देश में 60-65 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और अकेले कोसी, कमलाबलान और बागमती, अदवारा-समूह, इन सब पर बनने वाले डैमों से तथा नेपाल भाग में सीसा पानी, नूनथर वराह क्षेत्र के डैमों को मिलाकर 30000 मेगावाट पन-बिजली पैदा होगी। यह हायड्रो इलेक्ट्रिक सस्ती दर पर मिलेगी, किसान कुटीर उद्योग लगा सकेंगे और ग्रामीण इलाके की बेरोजगारी दूर होगी, गरीबी दूर होगी। गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है। इसलिए उत्तर बिहार में हाईलेवल डैम बनने से न केवल पनबिजली पैदा होगी, बल्कि बाढ़ नियंत्रण भी होगा और करोड़ों रुपये जो हर साल बाढ़ सुरक्षा पर, फ्लड-फाइट के नाम पर, राहत के नाम पर खर्च होता है, वह बचेगा। आज कुछ लोगों की आदत हो गई है कि इस तरह के राहत कार्य चलते रहें और उनका काम चलता रहे। जो गरीब हैं, शोषित हैं, बाढ़ प्रभावित हैं, उन लोगों का इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए इस बाढ़ राहत कार्य को बन्द किया जाना चाहिए, फ्लड फाइट के नाम पर खर्च की जाने वाली राशि बन्द की जानी चाहिए, उसके स्थान पर बहुउद्देशीय योजनाएं बनाई जानी चाहिए और बाढ़ का स्थायी समाधान निकालना चाहिए।

सभापति महोदय, आज उत्तर बिहार मे लगभग 12 लाख खेतिहर मजदूर पलायन कर गए हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगभग 4 लाख लोग पलायन कर गए हैं, ये खेतिहर मजदूर हैं। इस पलायन की समस्या को रोका जाना चाहिए और खेती की तरफ लोगों को लगा कर ही उनको रोका जा सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके लिए हाईलेवल डैम्स का निर्माण होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा माननीय कृषि मंत्री जी को और इनके अधिकारियों को, जो खेती-बाड़ी से जुड़े हैं और खेती-बाड़ी से सम्बन्ध रखते हैं। सर्वप्रथम मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है और वहां जो उत्पादन होता है वह सेब और आलू का होता है। दूर-दराज का क्षेत्र है और उस क्षेत्र के लिए विकास के जो काम हो रहे हैं, आपको मैं कह सकता हूं कि वे शून्य के बराबर हैं। लेकिन सरकार ने जो हमें सपोर्ट प्राईस दिया था सेब पर, वह भी आज हमको पूरी तरह से नहीं मिला है। क्योंकि राज्य सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पिछली दफा, जो कांग्रेस की सरकार थी उसने किसानों को 2.75 रुपये के हिसाब से समर्थन मूल्य राज्य सरकार के कोष से दिया था, भारत सरकार ने उसमें कोई मदद नहीं की थी। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे ही इस सरकार ने, जो भा० ज० पा० की सरकार है, जिसने किसानों को यह कहा था कि आपको कांग्रेस सरकार ने 2.75 रुपये के हिसाब से समर्थन मूल्य दिया था, लेकिन जब हम सरकार में आयेंगे तो हम 6 रुपये के हिसाब से या 7 रुपये के हिसाब से समर्थन मूल्य देंगे। यहां से गुजराल जी को चुनाव के समय में ले गए। इस तरह के भाषण उन्होंने सारे क्षेत्र में दिये। आपको शक है तो मै टेप भी सुना सकता हूं इनके भाषणों का। इन्होंने कहा कि हम किसानों को ऊपर उठायेंगे।

कांग्रेस ने किसानों को हमेशा कमजोर किया है, ऐसा विपक्ष के लोग कहते हैं, इनको यह पता नहीं होता कि क्या बोल रहे हैं। किसानों ने बहुत काम किया। आज हिमाचल प्रदेश के किसानों की बात मैं कह सकता हूं। जहां आप फारेस्ट की बात करते हैं, सारे देश के अन्दर, हिमाचल प्रदेश के किसानों ने, पहाड़ी क्षेत्र के किसानों ने, चाहे नागालैंड के रहने वाले हों, मिजोरम के रहने वाले हों, सिक्किम के रहने वाले हों, यू० पी० के पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाले हों, जितनी पहाड़ी क्षेत्रों में प्लानटेशन की है, फलदार दरख्त लगाए हैं उतनी प्लानटेशन कहीं नहीं हुई। इससे मिट्टी का कटाव रुका है और लोगों की आर्थिक दशा अच्छी हुई है। यह सब लोग मानते हैं। लेकिन मैं यहां कहना चाहता हूं कि उसका क्या नतीजा हुआ। जो हिमाचल प्रदेश में इन्होंने वायदा किया था उसमें से कोई काम पूरा नहीं हुआ है। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में पूरा एजीटेशन चला सेब के समर्थन मूल्य को लेकर। उनका कहना था कि समर्थन मूल्य जितना पिछली सरकार ने दिया था उसके मुताबिक दिया जाए। मेरे क्षेत्र के, जहां से मैं चुन कर आता हूं, शिमला मेरा चुनाव क्षेत्र है, वहां तीन लड़कों को मौत के घाट उतार दिया गया। गोविन्द ठाकुर, हीरा सिंह ठाकुर और तारा चन्द, इन तीन नौजवानों की हत्या हुई। किस बात के लिए हत्या हुई, क्योंकि उन्होंने किसानों की बात कही थी कि किसानों के समर्थन मूल्य दिया जाए। आज यहां पर ये बातें कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया।

85 करोड़ की हमारे देश की आबादी है। आज बाहर से अनाज आयात नहीं करना पड़ रहा है। हमारे यहां पैदावार होती है, किसानों ने की है, यह कांग्रेस की देन है जिसने 40 साल तक हकूमत करने के बाद अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर कर दिया है। आप कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है। किसानों के लिए नये-नये बीज, नयी-नयी रिसर्च हो रही हैं। उसमें अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक उनका मार्गदर्शन करते हैं। यहां हर कोई बड़ा भारी साइंटिस्ट बन जाता है कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, ऐसे पैदावार करनी चाहिए। जो सुझाव आते हैं, जिसमें हमारे क्षेत्र के अन्दर विकास के काम की बात है···(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अभी इन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में हमारी सरकार क्रान्ति लाई है। कृषि क्षेत्र में आपकी सरकार ने कृषि नीति बनाई नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

[अनुवाद]

आप कृपया भाषण में व्यवधान न डालें । अन्यथा आप सभा का काफी समय नष्ट करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या आपने 11 महीनों में कृषि नीति बनाई थी । यहां से आपने उधार लिया और प्रधान मन्त्री बनाया । भारतीय जनता पार्टी, सी० पी० आई०, सी० पी० एम० और राष्ट्रीय मोर्चा बन गया । राष्ट्रीय मोर्चा ने क्या किया, देश को तबाह कर दिया और दस हजार के कर्ज उन लोगों को दिये जिन्होंने सरकार की मदद की···(व्यवधान) कुछ लोगों के आपने दस हजार के कर्ज भी माफ किये । क्या आपने गरीब और हरिजन आदिवासी को पूछा है ।···(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव : हमने किसानों का किया लेकिन टाटा, डालमिया का नहीं किया ।···
(व्यवधान)

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मेरी बात को सुनें और रिकार्ड होने दें । (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया व्यवधान न डालें । श्री सुल्तानपुरी जी आप कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करके अपनी बात कहें ।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके पास इन्कलाबी जज्बात हैं और देश को आगे ले जाना चाहते हैं । हम 21वीं सदी में ले जाना चाहते हैं । लेकिन ये लोग स्वर्ग में पहुंचाना चाहते हैं ।···(व्यवधान) एक मैम्बर ने यहां पर कहा कि कांग्रेस माइनोरिटी सरकार है । आप विपक्ष के लोग मेजोरिटी क्यों नहीं बनाते । आप देश को उठाना नहीं चाहते । एक गाड़ी पर 10-12 पार्टियों के ड्राईवर बैठे हुए हैं । कोई कहता है कि मेरी यात्रा पर चलो और कोई बंगाल की बात कहता है । क्या खेती-बाडी के लोगों के लिए यह बात कर रहे हैं और आपको मालूम नहीं किसानों के लिए क्या-क्या सुविधाएं होनी चाहिए । जितने मैंने विचार सुने हैं, उनमें कोई जान नहीं है । प्रोडक्शन की बात न करके आपने क्रिटिसाइज किया है ।···(व्यवधान) इनको मालूम नहीं कि नेहरू जी, इन्दिरा जी और राजीव जी ने बलिदान दिया । आपकी कोई नीति नहीं बनी है ।···(व्यवधान) राम नाम की पूजा करके आडवाणी जी अपोजिशन लीडर बन गये ।

सभापति महोदय : आप एग्रीकल्चर डिमांड्स पर बोलिये ।

[अनुवाद]

माननीय सदस्य, आप कृपया व्यवधान न डालें । जब मैं खड़ा हो गया हूं तो आप कृपा करके बैठ जाइये ।

[हिन्दी]

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आपके जो लिस्ट में नाम हैं, वह आपके व्हीप के पास हैं । आप चेयर के पास आने का कष्ट न करें । अपने चीफ व्हीप से आप पूछ सकते हैं कि आपका नाम कहां है ।

[श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी]

अब चेयर आपको कब तक बता सकती है कि आपका नाम कहां है। आपके चीफ व्हिप ने लिस्ट बनाई है आप उनसे पूछिये कि उन्होंने आपका नाम डाला है या नहीं। यहां बार-बार आने से सारे सदन में व्यवधान पड़ता है। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने व्हिप से पूछिये कि आपका नाम कब आयेगा। मैं यहां स्ट्रिक्टली लिस्ट के अनुसार चलूंगा, अगर कोई सदस्य चाहे कि उसने हवाई जहाज पकड़ना है तो उनका नाम पहले बुला सकता हूं, वरना लिस्ट के अनुसार ही चलूंगा।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर जितनी बारिश होती है उससे जमीन का कटाव होता है। हमारी जितनी भी अच्छी भूमि है वह दरियाओं में बहकर मैदानी क्षेत्र में चली जाती है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में और पहाड़ी क्षेत्र में भूमि का कटाव हुआ है उसको रोकने के लिए हमारे मन्त्री जी खास तौर पर ध्यान दें ताकि जो कटाव हो रहा है उसको रोका जा सके। हमारे क्षेत्र में जितनी नदियां बहती हैं उनका जो बहाव है वह बहुत गहरा होता जा रहा है उसके लिए कुछ सोचा जाये, सिंचाई की योजनायें बनाई जायें। क्योंकि उससे पहाड़ी क्षेत्र में सिंचाई होती है उसका रकबा कम हो गया है। उसके अन्तर्गत नहीं आ रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि उसके लिए लिफ्ट इर्रीगेशन की स्कीम होनी चाहिए। हमारे जो नार्म्स हैं वे आज के हालात के मुताबिक ठीक नहीं हैं। आप जो यहां से फैसला करते हैं कि 2 हजार हैक्टेयर से ऊपर जमीन होगी उसको हम स्कीम में लेंगे, राज्य सरकार ने पहले भी कहा है कि बिलकुल कमजोर है, उसको कोई काम नहीं है। वह आश्वासन देती रहती है। हमारे मन्त्री जैसे लिख देते हैं कि दिखा रहा हूं, कर रहा हूं, पांच साल गुजर जाते हैं कोई काम नहीं होता है। ऐसे ही स्टेट के मिनिस्टर भी लिख देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसलिए उसके लिए धन का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि वहां लिफ्ट इर्रीगेशन योजना से जो किसान पहाड़ों में रहते हैं उनको लाभ हो सके। जब बारिश होती है उसका जो पानी बरसता है उसको रोकने के लिए वहां पर पहाड़ों में टैंक बनाये जायें जिससे वहां के लोगों को सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकें।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा लोक निर्माण विभाग जितनी जगह जमींदारों से सड़कें बनाने के लिए लेता है, उनको मुआवजा नहीं देता है। जिससे किसानों को दस-दस, बीस-बीस साल तक इन्तजार करना पड़ता है। मगर किसान को सरकार की ओर से मुआवजा नहीं मिलता। उनकी भूमि कटती है, उनको इस बात का दुःख होता है, लेकिन सरकार को इसके लिए एक समयबद्ध योजना के अनुसार चलना चाहिए कि इतने दिनों में किसानों को मुआवजा मिल जायेगा। अगर उतने दिनों में राज्य सरकार पैसा अदा नहीं करती है तो भारत सरकार को चाहिए कि राज्य सरकार से रिपोर्ट मंगाये कि यह जो जमीन सड़क बनाने के लिए ली है उसका मुआवजा क्यों नहीं दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है तो उसको साधन उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

हमारे जमींदारों की जितनी फसलें हैं जो नकदी फसलें हैं जिससे हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं वे जब मार्केट में आती हैं तो बिचौलिये बीच में खा जाते हैं। यहां आजादपुर में माल आता है, उनके पास एक रजिस्टर होना है उसमें किसान का जो माल होता है वे उसका भाव निकालते हैं, वही लोग उसका माल ले लेते हैं। उनके पास धर्म खाता होता है उसमें भी पैसा चलता है। वे इसी धर्म खाते से किसान को खबर भेज देते हैं कि इतने में माल बिका। यहां कृषि मन्त्री बैठे हैं। आप हमारी रक्षा कीजिये ताकि जो बिचौलिये हैं, वे गरीब किसानों का शोषण न कर सकें। इसके साथ मैं यह कहना

चाहता हूं कि यहां बड़े जोरदार शब्दों में एक बात आई कि जमीनें खरीदी जाती हैं। चाहे वे हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के पास हों, उस करोड़ों रुपये की जमीन को किसानों से कौड़ियों के भाव पर खरीद ली जाती है उन पर कोई मीसा या डी०आई०आर० नहीं लगता है लेकिन दुकानदार पर बन जाता है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार इस तरफ ध्यान देगी तो जो जमीन किसानों से थोड़ी कीमत पर लूट खसूट ली जाती है, उनके ऊपर भी मुकद्दमें बनने चाहिये जो जमाखोरों के खिलाफ बनते हैं। ये लोग किसानों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किसानों की जमीन को बचाया जाये और उनके शोषण से उनको बचाया जाये क्योंकि किसानों के पास अगर जमीन नहीं रहेगी तो वे बिलकुल तबाह हो जायेंगे यदि इसके लिए कोई कानून नहीं है तो स्पेशल कानून बनाकर किसानों का शोषण बन्द करने का प्रयत्न करें।

सभापति महोदय, जहां कर्जा माफी की बात आई, वह कर्जा माफी किसकी हुई है। ऐसे आदमियों की हुई है जो न किसी को देते हैं और न दुकानदार को देते हैं और न ही गांव वालों को देते हैं। इस तरह की स्कीम तो अच्छी थी लेकिन उसमें किसका ध्यान रखा गया। अगर देते तो सबको देते जिनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि खेती-बाड़ी करने वाले लोगों की प्राब्लम है। उनको न को-आप्रेटिव दे, न बैंक दे और न उनको एम० सी० एल० बने। हम यहां कह देते हैं कि हमने किसानों का भला कर दिया जबकि किसानों का कोई भला नहीं हुआ है। मैं सब माननीय संसद सदस्यों को बताना चाहता हूं कि किसानों का कोई भला नहीं हुआ, इससे हमारे राष्ट्र का नुकसान हो गया, इसको हमें संभालना मुश्किल है।

सभापति महोदय : सुल्तानपुरी जी, काइंडली वाइंड अप।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : इसके साथ-साथ जब देवीलाल जी डिप्टी प्राईम मिनिस्टर थे तो कहा गया कि बजट में 50 फीसदी किसानों के लिए है। तब मैं भी मैम्बर था लेकिन गांव वालों के लिए खर्च क्या किया गया ? कितना खर्च हुआ, गरीब लोगों पर क्या खर्च हुआ। यह सब किसानों पर खर्च होना चाहिए था और मैं कहता हूं कि यह 60 फीसदी तक होना चाहिए। हमने जो आज तक किसानों को इग्नोर किया है, उसको बढ़ावा देने के लिए किसानों को देना चाहिए। आज किसान जागृत हो रहा है और वह समझता है कि उसके उत्पादन का उसको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। यहां एक बात कही गई कि जो छोटे होल्डिंग रखने वाले किसान हैं, उनको लाभ होगा लेकिन जो बड़े सरमायेदार होंगे, उनके आई० ए० एम० आफिसर होंगे, उसकी जमीन बहुत होगी, नौकरियों में भी लगेंगे लेकिन जो गरीब किसान होगा उसका न लड़का और न लड़की कहीं लगी, उसके पास जमीन नहीं रही और वह कंगाल का कंगाल ही रहता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि लैण्ड रिफार्म होना चाहिए, भूमिहीन को जमीन देनी चाहिए और जमीन सब खेत मजदूरों में बंटनी चाहिए ताकि उसका लाभ पूरे तरीके से गरीब किसान उठा सके। ऐसी कई मैम्बरों की जमीनें हैं और हमारे यहां मैम्बरों की जमीन जो मुजारे थे, जो पुजारी थे, क्योंकि हमारे यहां कानून था कि जो मैम्बरों की जमीन हैं, वह मुजारों को भी मिल गई और वे मालिक बन गये। इस प्रकार मैम्बर और किसान दोनों सुखी हो गये। हमारे यहां लैण्ड रिफार्म अच्छी तरह से है हिमाचल प्रदेश में सभी लोग मालिक हैं। इन्दिरा गांधी ने सारे देश में 5-5, 10-10 बीघा जमीन बांटी। उनका टाईमबद्ध प्रोग्राम था। लेकिन कई राज्यों में गरीब लोगों को जमीनें नहीं मिली। मैं रिक्वेस्ट आपके माध्यम से करूंगा कि उनको कर्जे दिलाये जायें और सरकार राज्य सरकार से मुहायदे करके फैसला करे कि कितने लोगों को राज्य सरकारों ने जमीन दे दी, उन पर कब्जा नहीं होने दिया। हमें यह सोचना चाहिए कि गरीब आदमी को जमीन दिलाने के लिए ध्यान देना चाहिए।

[श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी]

सभापति महोदय, कल मुझे एक आदमी कह रहा था कि आप किसानों को सेव नहीं करते हैं। आप दिल्ली बैठे रहते हैं। आप बहुत पुराने मैम्बर हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि मैं तो किसान हूं, हरिजन हूं गरीब हूं। और मैं गांवों के लोगों की जो भी बात होती है, उसको सामने रखता हूं। केवल तुम्हारी वजह से तो मैं यहां आया, नहीं तो मैं जीत ही नहीं सकता था। मैं तुम्हारी वजह से आया हूं। तुम मुझे कहो कि ये-ये बात है तो मैं तुम्हारी बात को उठाऊंगा। वहां जो लोग हैं, सारे किसान विरोधी हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप क्यों इस तरह से किसी को अपनी साइड करते हैं। आपको जितना हक है उतना ही हमारा हक है। जब हम दोनों इस सदन के सदस्य हैं तो हमें बराबर का हक है। हम किसी को बुरा-भला कहकर फायदा नहीं उठा सकते हैं। मैं आपकी नीति का विरोध करता हूं कि जो विपक्ष की नीति है वह कांग्रेस को बदनाम करने वाली है। लेकिन इससे हम बदनाम होने वाले नहीं हैं। यह तो हमारी कारगुजारी है और हमारी कारगुजारी की वजह से ही किसान आज तरक्की कर रहा है और हमारी कारगुजारी की वजह से ही हमारा देश आज तरक्की कर रहा है।

सभापति महोदय : सुल्तानपुरी जी, काइंडली वाइंड अप। आपने पहले ही 25 मिनट ले लिए हैं।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस बात को ध्यान में रखिए कि यह कांग्रेस ही है जो देश को एक रख सकती है। बाकी का बंटवारा तो आपने देख ही लिया कि कितनी पार्टियां हैं। आप इस देश के किसानों को कैसे सहायता दे सकते हैं? आपके पास उनके पथ-प्रदर्शन का कोई ढंग नहीं है और इस तरह का आपके पास कोई विचार नहीं है जिससे राष्ट्र एक रूप में चल सके। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि एक राष्ट्र के निर्माण में आप भी कांग्रेस का साथ दें, आप भी कांग्रेस के साथ खड़े हों और आपकी ज्ञान और बुद्धि के जो द्वार बन्द पड़े हुए हैं उनको खोलिये और इस राष्ट्र को जो राजीव जी ने और इन्दिरा जी ने आगे बढ़ाया, अब हमारे मौजूदा प्रधान मन्त्री जो एक महान त्यागमूर्ति हैं, उनके जरिए राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हमें आशा है कि आप हमारा साथ देंगे और अगर नहीं देंगे तो आप इतनी तसल्ली रखो कि जिसे माइनॉरिटी की सरकार कहते हो वही दल इस देश को एक रखेगा और तुम्हारा ही दल फेल हो जाएगा अगर आप लोगों को किसानों की हालत अच्छी नहीं करनी है। जितनी भी आपने सरकार की आलोचना की है, मैं उसका विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय सभापति महोदय, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहां सारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, सम्पूर्ण जीवन, समाज, संस्कृति, कृषि पर निर्भर है, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय कृषि मन्त्री जी ने इस बार कृषि के क्षेत्र में नये आयाम प्रस्तुत करने का संकल्प किया है। परन्तु वास्तव में जिस प्रकार से यह बजट लाया गया है और जिस प्रकार से सबसे पहले यदि कोई इसका शिकार हुआ, यदि किसी पर हमला किया गया, यदि किसी की पीठ में छुरा मारा गया, यदि किसी के साथ उसकी आर्थिक दुर्दशा और भविष्य में कृषि के अन्दर जो उसकी क्षमता थी, उस पर किसी प्रकार का वार किया गया तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह किसान है। उस पर सबसे बड़ा वार इस फर्टिलाइजर की नीति के अन्दर जिस समय हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने फर्टिलाइजर के ऊपर इतनी बड़ी सब्सिडी को विदड्रा कर लिया, उसी दिन भारत के कृषि जीवन के अन्दर काश्तकारों के ऊपर सबसे बड़ा आघात हुआ।

सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर इस समय भारत सरकार की ओर से काश्तकारों को कृषि

के लिए खासतौर से हमारे फर्टिलाइजर को सब्सिडी देने के लिए केवल 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और वहां पर हरियाणा का काश्तकार हो या पंजाब का काश्तकार हो, पश्चिमी राजस्थान के अन्दर उस धरती पर, जहां पर दस, पन्द्रह, बीस बीघा अनइरिगेटेट लैंड है वहां का काश्तकार हो, उन सबको एक ही तरह से मदद करने के लिए जिस प्रकार की योजना बनाई गई है, मैं चाहूंगा कृषि मन्त्री उस पर विचार करें और 450 करोड़ के लगभग जो सब्सिडी दी जा रही है मर्जिनल फार्मर्स के लिए, गरीब फार्मर्स के लिए, उसमें यदि राजस्थान को केवल 5 करोड़ रुपया दिया गया तो इससे अनर्थ हो जाएगा और वहां का काश्तकार जो पहले से ही पिछड़ा हुआ है, वहां पश्चिमी राजस्थान में किसी प्रकार की सिंचाई का साधन नहीं है।

जहां का काश्तकार हमेशा आकाश में इन्द्र भगवान की ओर देखता रहता है, जहां हर तीन सालों में दो साल अकाल पड़ता है और एक साल बारिश होती है, जहां भूमि के अन्दर सिर्फ एक फसल होती है और वह फसल भी वर्षा पर निर्भर रहती है, वहां पर यदि खाद की सब्जिडी का मापदण्ड वही रखा जायेगा जो मापदण्ड हरियाणा या पंजाब के लिए है तो मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के काश्तकार के साथ एक प्रकार से बहुत बड़ा आघात होगा, अत्याचार होगा और अन्याय होगा, विशेषतौर से जब कृषि मन्त्री जी स्वयं राजस्थान से आते हैं। वहां की धरती से वे परिचित हैं, वहां की समस्याओं से भी परिचित हैं, वहां के रेगिस्तान से भी परिचित हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आप पुनर्विचार करें और उन्होंने फर्टिलाइजर के अनुदान के रूप में राजस्थान को जो 5 करोड़ रुपया दिया है, उसे बदलकर, उसमें तरमीम करके, कम से कम 50 करोड़ रुपये खाद के अन्दर सब्सिडी देने के लिए, राजस्थान को दिए जाने की घोषणा करें।

सभापति महोदय : आप का क्या सुझाव है कि हरियाणा से और पंजाब से काट कर राजस्थान को दे दिया जाये।

श्री गुमान मल लोढा : नहीं, हरियाणा और पंजाब से काटने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी का हिस्सा काटने की बात नहीं कहते हैं, हरियाणा को अवश्य दिया जाये, पंजाब को भी दिया जाये लेकिन ऐसा न हो कि जहां दो फसलें होती हैं, जहां इरीगेटिड लैंड हैं, उसे जिस मापदण्ड से मिले, जहां अन-इरीगेटिड लैंड हैं, जहां किसी तरह की इरीगेशन की सुविधा नहीं है, केवल एक बार काश्त होती है, दोनों को समान आधार पर अनुदान मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्जिनल फार्मर की हमने डैफिनीशन बनाई है, गरीब फार्मर की भी डैफिनीशन है, उसमें आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। हम देवीलाल और वंसीलाल के साथ अपने नाथू राम और राम निवास को नहीं रख सकते, जबकि दोनों में 'राम' है, राम निवास में भी है और नाथू राम में भी "राम" है। हरियाणा में तो लाल ही लाल का झगड़ा है सारा, चाहे देवी लाल हो, बंसी लाल हो या भजन लाल हो।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : सब गुदड़ी के लाल हैं। (व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा : हां, सब कुर्सी के लाल हैं। हरियाणा तो पहले ही काफी प्रगति कर चुका है, काफी खुशहाल है और हमें उस पर फख्र है। हम नहीं चाहते कि वहां कोई कमी की जाये।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं काश्त के क्षेत्र में निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा अभी हिमाचल प्रदेश के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने बहुत सी बातें कहीं, लेकिन उनकी एक बात महत्वपूर्ण है कि जब तक भारत के मार्जिनल फार्मर को, लैंडलैस फार्मर को भूमि नहीं मिलेगी, जब तक भूमि सुधार पूरी तरह से लागू नहीं किया जायेगा, जब तक लैंड रिफार्म्स एक्ट का पूरी तरह इम्पली-मैंटेशन नहीं होगा, तब तक भारत का काश्तकार खुशहाल नहीं हो सकता। श्रीमन्, हमारे यहां वैसे

[श्री गुमान मल लोढा]

जागीरें समाप्त हो चुकी हैं, जिमींदारी काफी पहले ही समाप्त कर दी गई हैं, 1950 में या 1955 में, लेकिन स्थिति आज भी यह है कि लाखों की तादाद में लैंडलैस फार्मर्स दर-दर भटकते रहते हैं।

सभापति महोदय, जिन दिनों मैं चीफ जस्टिस था, मेरे पास एक ऐसा मुकदमा आया जिसमें एक काश्तकार को अकाल के कारण अपनी पत्नी का गला घोंटकर मार डालने के लिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि दो जून की रोटी उन्हें 10 दिन तक नहीं मिली थी। पत्नी ने कहा अपने पति से कि तुम मुझे मार दो ताकि मुझे कम से कम वह दिन तो न देखना पड़े कि तुम्हारे लिए भी भूख के लाले पड़ रहे हैं और मेरे लिए भी भूख के लाले पड़ रहे हैं। उसने कोर्ट में आकर कहा कि मैंने अपनी पत्नी को इसलिए मारा कि मैं जहां कहीं भी गया, न मुझे कोई काम मिला, न कहीं अनाज मिला और न भीख मिली। जिस प्रदेश में काश्तकार को भीख तक नहीं मिल सकती, रेगिस्तान के अन्दर, सभापति महोदय, उसके लिए विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है।

हमारी कृषि की हालत बहुत दयनीय है। हमारे वित्त मन्त्री जी जब सदन में बजट भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि कर्जा माफ करके हमने अर्थ व्यवस्था को खराब कर दिया, मुझे उनकी बात सुन कर दुख भी हुआ, खेद भी हुआ। खेद इसलिए कि उन्होंने ऐसा कहने से पहले यह नहीं सोचा कि राजस्थान के कांग्रेस मैनीफैस्टों में साफ लिखा हुआ है कि ये तो 10 हजार रुपये तक का कर्जा माफ करना चाहते हैं, हम 15 हजार रुपये तक कर्ज माफ करेंगे। यहां आकर, हमारी अर्थव्यवस्था में जितनी बुराइयां पिछले 40 सालों में पैदा हुईं, बैलेंस आफ पेयमैंट में गड़बड़ हुई, फारेन एक्सचेंज हमारा खत्म होता गया, उसके कारण हमें सोना बेचना पड़ा और इसकी वजह से सारे देश को दिवालिया बनना पड़ा, उस सबका बोझा उन्होंने काश्तकारों पर लाकर डाल दिया और यह कहा कि ऋण-मुक्ति के कारण सारा देश बर्बाद हो गया। यह एक गम्भीर दर्शन की बात है। एक तरफ हम टाटा और बिड़ला जैसे बड़े-बड़े पूंजीपतियों को, सिक इंडस्ट्री के नाम पर करोड़ों रुपया देते हैं, बैंकों में बड़े-बड़े स्कैंडल होते हैं, अभी पंजाब नेशनल बैंक में स्कैंडल हुआ, बैंक आफ बड़ौदा का स्कैंडल हमारे सामने आया और हर एक ट्रांजैक्शन में भारत सरकार को अरबों रुपये की हानि उठानी पड़ी लेकिन गरीब काश्तकार को 10 हजार रुपया माफ करना भी हमारे वित्त मन्त्री जी को नहीं सुहाया, इस बात का मुझे बहुत दुख है, खेद है।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। उसमें इंडस्ट्रियल पौलिसी को तो लिबरेलाइज किया जाता है, इंडस्ट्रीज को खूब पैसा कमाने का मौका दिया जाता है, हर उद्योगपति बार-बार पहले इंडस्ट्रीज में से सारा पैसा निकाल ले, मजदूर का शोषण करके, कंजूमर का शोषण करके, उस यूनिट को सिक घोषित करके, सरकार को सौंप दे और सरकार करोड़ों रुपया लगाकर उस इंडस्ट्री को चलाए, ऐसे भारत में लाखों उद्योग हैं, लेकिन काश्तकार को 10 हजार रुपये देने पर हमारे वित्त मन्त्री को बहुत दर्द हुआ है। मैं समझता हूं कि इस पर चिन्तन करने की आवश्यकता है। जो ऋण माफी की योजना चलाई थी उसके लिए मैं हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से जो गरीब से गरीब काश्तकार थे, जो नार्म्स केन्द्र से बनाए गए, उनके अनुसार ऋण माफी की गई और इसका सबसे ज्यादा फायदा उसको मिला जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, जिसके पास सिवाय उसके बाल-बच्चों के और कुछ नहीं था, बर्तन भी नहीं थे, टापरा, खाट-खटिया भी नहीं थी। जो ऋण मुक्ति की योजना चलाई गई वह अकाल के कारण चलाई गई, कई साल से पीड़ित जो लोग थे, जो मात्र

हड्डियों का ढांचा रह गए, जिसको देखने से मात्र दया आ जाती है, अनुकम्पा आ जाती है, उसके लिए यह किया गया। जिसकी हालत यह थी—

"ऊंची धोती, अधखुले पांव, कंधे पर गज भर का टुकड़ा
सिर पर पगड़ी, कर में लकड़ी, तन का कपड़ा चिथड़ा-चिथड़ा।
खाने को मुट्ठी भर दाने, ठुकराता माल खजानों को
अपनी धुन में अलमस्तों सा हंसता जग के दीवानों को।
ढी-ढी करता पूंछें मरोड़, बैलों को चलता सावधान
उसके स्वर में छिपकर चुप सी हंस पड़ती है सृजनी अजान।
खाड़े-खड्डे, नद-नालों के, सूखे तालों के बीच-बीच
पीछे चलता, आगे बढ़ता, ढीठे बैलों को खींच-खींच।
अपने खेतों में आता है कंधे पर हल का भार लिए
अभिलाषा का उन्माद लिए, जग की आशा का प्यार लिए।
खेतों की धूल बवंडर बन, स्वागत करने को आती है
छूकर उसके पद-पद्मों को, फिर खेतों में बिछ जाती है।
धरती का अन्तर चीर-चीर, पग-पग पर बिखरा बीज-बीज
सरदी-गर्मी बरसातों में अपने कण-कण से सींच-सींच।
जग की आशा का चित्रकार हरियाले चित्र बनाता है
हिलते पौधों के साथ-साथ उसका मानस लहराता है।
इन हरियाले चित्रों से बहे जग के पृष्ठों को रंगता है
पर अपनी रंगने पृष्ठभूमि को नहीं शेष कुछ बनता है।
माया के प्यासे जमींदार, भूखे बनिये सब छीन-छीन
कुत्तों से ठुकरा देते हैं, कौड़ी-कौड़ी को बीन-बीन।
अपना सर्वस्व लुटाकर जब अपनी कुटिया में आता है
नन्हें बच्चों को निरख-निरख, युग में आंसू भर लाता है।
जो कुछ रूखा मिलता जाता, दो-दो दिन का लंघन करता
अपने तनह में गांठें दे दे, पशु-बच्चों का पालन करता।

सभापति महोदय, धूप में, गरमी में, चाहे कितनी भी भयंकर गरमी हो, किसान खेत में जाकर खड़ा होता है जबकि शहरों के लोग एअरकंडीशनरों में बैठे रहते हैं और अगर 5 मिनट को बिजली चली जाए, तो त्राहि-त्राहि हो जाती है, लेकिन वह किसान गरमी में भी अन्न पैदा करता है। ऐसे अन्नदाता, धरती माता के पुत्र जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं उसके सम्मान में दो लाइनें और कहता हूं—

"जो जग को अन्न प्रदान करे, जग उसको ही ठुकराता है
उसकी हड्डी को नोच-नोच, जग वैभव भवन बनाता है।
वह चरणों में मस्तक रखता, जग ठुकरा कर इतराता है

[श्री गुमान मल लोढा]

उसके चिथड़ों में आग लगा, जग हंसता है मुस्कराता है ।
जग की जूठन के थाल भरे छितरा कर फेंक दिए जाते
रोटी की खातिर रिब-रिब कर उसके हैं बच्चे मर जाते ।
उसकी टूटी खटिया, बर्तन, कुटिया, छप्पर बेचे जाते
कौड़ी-कौड़ी सूद अरे, आंतड़ियों से खींचे जाते ।
दुर्बल तन खाली हाथ चला, पीड़ा उससे मिलने आती
सरदी-गर्मी में मजदूरी थोड़ा साथ निभा जाती ।
फिर वही घटाएं सावन की घनघोर गरजती घिर आती ।
जग का सारा अपमान भूल उसकी आशा फिर बल खाती ।
लहरा कर जग की खुशियां फिर उसकी पलकों में छिप जाती ।
उसके अधरों पर वही हंसी, फिर वही भावना बस जाती ।
मजबूरी देती गला घोंट, निर्धनता-नागिन डस जाती
भावी जीवन को असफलताओं, कुण्ठाओं में कस जाती ।
भारी मन हाथों से थामे धरती का बेटा चल पड़ता
डग-डग भरता, रुकता: चलता, गिरता, उठता, आगे बढ़ता ।
माटी से इतना प्यार उसे, माटी के बिना न रह पाता ।
अब माटी में मिल, फिर न कभी तोड़ेगा माटी से नाता ।"

ऐसा मेरा राजस्थान का गरीब किसान है, उसके लिए करुणा, दया, संवेदनशीलता की अपील मैं कृषि मंत्री जी से करता हूं ।

सभापति महोदय : गुमान मल लोढा जी, आपका समय समाप्त होने वाला है । अब अपना भाषण समाप्त करिये ।

श्री गुमान मल लोढा : सभापति महोदय, आपने मुझे समय की वार्निंग दी है, अगर मैं किसानों की दशा का और ज्यादा वर्णन करूंगा, तो शायद हमारे हृदय की वेदना और ज्यादा बढ़ जाएगी । मैं अब एक विशिष्ट बात की तरफ आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि समय कम है इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा । कृषि मन्त्री जी आप जानते हैं कि कृषि के साथ पशु पालन का भी काम होता है । यह हमारे क्षेत्र में और पूरे भारत में होता है । खेती के साथ पशु पालन हमारे देश के लाखों करोड़ों व्यक्ति को जीवनयापन करने का साधन देता है । मैं चाहूंगा कि पशुओं का बचाव किसी भी तरीके से किया जाए । सभापति जी, मैंने परसों ही पढ़ा है, हैदराबाद में अल-कबीर के नाम से एक इतना बड़ा बूचड़खाना बन रहा है, जिसके अन्दर एक लाख अस्सी हजार कैटल, केवल बफैलो हर साल मारी जायेंगी ।

4.00 म० प०

जिसका काम केवल प्रौफिट मेकिंग के लिए मिडल ईस्ट और जर्मनी का षडयन्त्र करके वहां पर बफैलो के नाम पर गौ मांस का व्यापार करना होगा । मैं कृषि मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि वे विशेष तौर से ध्यान दें क्योंकि भूतपूर्व कृषि मन्त्री से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भारत की कैटल वैल्थ

सबसे ज्यादा है। इतने गलत आंकड़े उनको दिए गये। 1951 में हमारी कैटल वैल्थ 430 थी, आज 1991 में 202 रह गई है और सन् 2011 में केवल 20 रह जाएगी। दुनिया का कमपैरीजन करके बताऊंगा कि इण्डिया में एक हजार की पौपूलेशन पर 271 कैटल वैल्थ है, अर्जेंटीना में 2089, आस्ट्रीया में 1365, कोलम्बिया में 917, ब्राजील में 728 है। इसी प्रकार से बकरी भारत में एक हजार पर 118 है लेकिन सोमानिया जैसे देश में 3264 है। आप इसकी तुलना करें। शीप हमारे यहां पर एक हजार पर 62 हैं लेकिन न्यूजीलैंड में 23,528 उरूगुए में 7878, आस्ट्रीया में 7671: अर्जेंटीना में 1083, अफ्रीका में 1222 है। यदि इसी प्रकार से हमारे पशुधन का रास होता रहा और कत्लखाने बढ़ते रहे तो एक समय आएगा जब मानव मानव यहां रह जायेंगे और पशु समाप्त हो जायेंगे। वह इस कारण से होगा कि मानव पशु की तरह व्यवहार कर रहा है। मैं गाय की नहीं सब प्रकार के पशु की बात करना चाहता हूं। इस देश में 2800 मैकनाईज्ड कत्लखाने बने हुए हैं और बम्बई में भी एक कत्लखाना है। मैं वहां पर जाकर आया हूं, चालीस हजार पशुओं की हत्या वहां पर होती है जिसमें अधिकतर बहुत तन्दरूस्त पशु, जो दूध दे सकते हैं, जो बैल खेतों में काम कर सकते हैं, दस रुपये देकर छाप लगा देते हैं कि यह बीमार है। किसी का पैर तोड़ दिया जाता है और बीमार के नाम से उनका कत्ल किया जाता है। यह क्यों किया जाता है। 1981 में 59,508 टन मांस का एक्सपोर्ट किया गया। चांदी के खनखनाते सिक्कों के लिए भारत की गाय, बैलों को आज इस प्रकार से कत्लखानों में समाप्त किया जा रहा है। इस देश में पशु-पक्षियों को बचाने के लिए केवल दया की दृष्टि से नहीं बल्कि कृषि के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि गाय, बैल सब प्रकार से कृषि के लिए हमारी रीढ़ की हड्डी है और हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कुछ करना चाहिए।

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अल कबीर का जो सबसे बड़ा बूचड़खाना बनने वाला है जिसमें 41 एकड़ में मशीन लगाई गई हैं और आठ लाख पशु साल में कत्ल किए जायेंगे उसे बन्द करवायें। पहले जब वह महाराष्ट्र में लगाया गया तो भिवंडी में पांच व्यक्ति आन्दोलन में मारे गये और वह बन्द हुआ, कर्नाटक में लगाया जा रहा था, आन्दोलन हुआ बन्द हो गया। आंध्र प्रदेश के हमारे प्रधान मन्त्री हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि सवेदनशीलता से कृषि के इनटरस्ट में, पशुधन के इनटरेस्ट में अल कबीर के कत्लखाने को बन्द कराया जाये।

सभापति महोदय : यह कहां पर बन रहा है?

श्री गुमान मल लोढा : दिल्ली के अन्दर आन्दोलन किया गया, चूंकि हैड आफिस यहां पर है। हैदराबाद में लगा हुआ है···

सभापति महोदय : आपने कहा, आंध्र प्रदेश में बन रहा है।

श्री गुमान मल लोढा : आंध्र प्रदेश में तो वह कत्ल का कारखाना लगा है लेकिन उसका हैड आफिस दिल्ली में है। यहां से सारी सौदेबाजी होती है, यहां पर चांदी के खनखनाते सिक्कों के अन्दर ईमान खरीदा जाता है तो कम से कम गाय के नाम पर मैं यह अपील करूंगा कि इस प्रकार पशुधन के नाम पर, जीव दया के नाम पर, कृषि के इंटरेस्ट में माननीय कृषि मन्त्री जी, स्वयं जिनके लिए हिमाचल प्रदेश के माननीय सांसद ने कहा कि पण्डित हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं भी जानता हूं, पण्डित भी हैं, विद्वान भी हैं, इसलिए मैं उनसे निबेदन करना चाहूंगा कि वह इस कत्लखाने को बन्द करायें।

ग्रामीण बिकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : आंध्र प्रदेश के बारे में आज ही मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन आया है, सभापति जी। अभी तक उसका कोई हमको तो इल्म नहीं है। मैं

उसके बाजू में ही रहता हूं, मेरा घर वहीं हैदराबाद सिटी में है। आज ही बताया कि पट्टनचेरू वहां से 30 किलोमीटर पर है, वहां चलने वाला है, ऐसी इन्फार्मेशन हमें आज वहां के लोगों ने पहुंचाई है, उसकी छानबीन करके हम कार्रवाई करेंगे।

श्री गुमान मल लोढा : बहुत-बहुत धन्यवाद।

4.07 म० प०

[श्री राम नाईक पीठासीन हुए]

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : सभापति जी, मैं मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस देश में आजादी के बाद अगर किसी क्षेत्र में विकास हुआ है तो कृषि के क्षेत्र में हुआ है। इस देश का किसान और कृषि वैज्ञानिक धन्यवाद के पात्र हैं। जो देश कल तक अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करता था, आज वह देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

हालांकि इस देश का किसान कृषि के क्षेत्र में पैदावार बढ़ाने के लिए सतत् प्रयत्नशील तो रहता है परन्तु जिन राज्य सरकारों ने इनमें रुचि लेकर काम किया है, उन राज्यों में तो कृषि का विस्तार हुआ है। खासकर उत्पादन के क्षेत्र में जो अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं, खनमें खासकर पंजाब और हरियाणा राज्यों के नाम लिए जा सकते हैं पर जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश का सम्पूर्ण भाग एक जैसा नहीं है, मैं कृषि मन्त्री जी का ध्यान इस देश के आदिवासी क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से कहिये कि इस देश में जो परिवर्तन या क्रांतिकारी परिवर्तन कृषि में हुआ है, चाहे पंजाब में हो या हरियाणा में हो, वह टैक्नोलोजी या वह सिस्टम सभी जगह लागू करने का प्रयास किया जाता है, यह नहीं देखा जाता है कि वहां की सोइल कैसी है, वहां रेन कैसी है, वहां को टैरेन क्या है तो मैं कृषि मन्त्री जी से चाहता हूं कि देश के आदिवासी इलाके दो हैं एक ईस्टर्न और दूसरा वैस्टर्न। इनके लिए अलग से नीति होनी चाहिए ताकि वहां के परिप्रेक्ष्य में वहां की परिस्थिति के अनुसार वहां के खेती के विकास को किस ढंग से किया जा सके, यह बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्र के लिए अलग से नीति हो और कृषि के क्षेत्र में वहां के लिए अलग से एप्रोच हो और अलग स्ट्रेटेजी हो।

इन क्षेत्रों में मोटे अनाज का बहुत अहम स्थान है। इन मोटे अनाजों के लिए जितना भी विकास हुआ है, वह बहुत कम हुआ है। हालांकि आपने अपनी रिपोर्ट में कहा है मक्का के मामले में लेकिन कोदों आदि जो मोटे अनाज हैं, उस क्षेत्र में आज भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। आज मोटे अनाज के क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र के लिए अलग से नीति बने, कार्यक्रम बने, अलग से स्ट्रेटेजी बने।

वैसे ही आदिवासी पहाड़ों और वनों के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बहुत कम होती है। जहां-जहां छोटे-छोटे पोखर हैं, तालाब है या इर्रीगेशन के माइनर टैंक हैं, उनके बारे में एक पैकेज प्रोग्राम बनाना चाहिए, कृषि विभाग में, जो आज तक नहीं बना है। सिंचाई के अभाव में जो पानी उपलब्ध है उसका ठीक ढंग से उपयोग नहीं हो पाता···

इसलिए मैं चाहूंगा कि जो इर्रीगेशन टैंक के साथ विभाग हो, वह पैकेज प्रोग्राम बनाए, ताकि उस टैंक के पानी का पूरा-पूरा उपयोग हो सके। स्टाप डैम और लिफट इर्रीगेशन पर ज्यादा महत्व देना

चाहिए, ताकि उन इलाकों में सिंचाई की सुविधा हो सके, क्योंकि उन इलाकों में बड़े बांध नहीं बनाए जा सकते, यही एक तरीका है, जिसके माध्यम से इन क्षेत्रों में सिंचाई हो सकती है।

आपने मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में कुंवों के बारे में काफी महत्व दिया है, जिसके लिए दो सौ करोड़ रुपए का प्रावधान है और इसमें भी राज्य सरकार को आधा-आधा खर्च वहन करना होगा। मेरा निवेदन है कि बहुत से इलाकों में कुंवे आज भी सफल नहीं हैं, खास तौर से आदिवासी क्षेत्रों में। यह कानून फिर भी बनाया गया है और एक फरमान जारी होता है कुंवें खोदने का और इसके लिए टारगेट फिक्स किया जाता है। मुझे अपने क्षेत्र के बारे में मालूम है, एक ब्लाक में करीब दो सौ से अढ़ाई सौ कुंवें खोदने का टारगेट चल रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक बी०डी०ओ० के लिए दो सौ से अढ़ाई सौ कुवें खुदवाना सम्भव नहीं है और पैसे का भी मिसयूज होता है। मैं समझता हूं कि इस मामले में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फर्क रहता है। इसलिए जिन इलाकों में कुंवें सम्भव हैं सिंचाई के मामले में, उन इलाकों में कुंवें खुदवाने चाहिये। परन्तु जिन इलाकों में सम्भव नहीं है, उनके लिए कोई अलग स्ट्रेटजी अपनानी चाहिये। आदिवासी क्षेत्रों में भी जहां ये सम्भव है, वहां तो ठीक है, लेकिन जहां ये सम्भव नहीं हैं, वहां और कुछ करना चाहिये।

पशुधन के बारे में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ग्रामीण क्षेत्रों का बहुत बड़ा आधार है। इस दिशा में भी इस देश में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। आपने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अस्पतालों की भी चर्चा की है। 1984-85 में करीब 14,700 थे, जबकि 1990-91 में यह संख्या बढ़कर 19,200 हो गई इसी प्रकार प्राथमिक उपचार केन्द्र—मोबाइल डिसपैंसरीज, इसमें भी 1984-85 में 19,200 थे और 1990-91 में 20,800 हो गए। इसमें कोई दोरायें नहीं हैं कि संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन मेरी जानकारी है कि इनमें दवाइयों की उपलब्धता के बारे में बहुत सी समस्यायें हैं। मेरी राय में अस्पताल खोलने के बजाए, सरकार को दवाइयां उपलब्ध कराने में ज्यादा तवज्जह देनी चाहिए, ताकि पशुधन को बीमारियों से बचाया जा सके। केवल अस्पताल खोल देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जिन इलाकों में पशुओं से सम्बन्धित अस्पताल खोले भी हैं, वहां इन अस्पतालों की हालत बहुत ही दयनीय है। वहां पर डाक्टर नहीं, दवाइयां नहीं, केवल मात्र अस्पताल खोल देने से, डिसपैंसरीज खोल देने से, समस्या हल नहीं होगी। मेरा सुझाव है कि आदिवासी इलाकों के लिए मोबाइल डिसपैंसरीज ज्यादा उपयोगी है और इसका प्रावधान करना चाहिए ताकि लोगों को इसका फायदा हो सके।

इसी प्रकार से पशुओं के कुछ रोग हैं, इसका जिक्र भी आपने अपनी रिपोर्ट में किया है। आपने बताया है कि खुरपका और मुंहकपा आदि रोगों के टीके लगाये जाते हैं। 1989-90 में 61 लाख टीके और 1999-91 में 90 लाख टीके लगाये गये, इसके बावजूद भी आज इसकी कमी है। मैं चाहता हूं कि इन टीकों की व्यवस्था होनी चाहिये, ताकि पशुधन को हम बचा सकें। आपने पशुओं के चारे के बारे में भी जिक्र किया है। पशुओं के लिए चारे का होना बहुत ही आवश्यक है। आपने इसके सात केन्द्र—जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और वैस्ट बंगाल खोले हैं। मैं समझता हूं कि चारे का केन्द्र तो करीब-करीब सभी राज्यों में होना चाहिए और ऐसे इलाकों में तो खास कर जहां पर कि जंगलात है और पशुधन का पेशा लोगों का है। उन इलाकों में तो आपको जरूर चारे के केन्द्रों में वृद्धि करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जितना ज्यादा वृद्धि कर सकें, उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आज भी देश में पशुधन को परेशानी हो रही है, चारे की वजह से। एक पशु की क्षमता

[श्री अरविन्द नेताम]

है, चाहे वह दूध उत्पादन में हो या अन्य क्षेत्रों में हो, उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, यदि इसकी व्यवस्था सरकार द्वारा उचित तरीके से की जाए।

रिपोर्ट में आपने पाम-ऑयल की बात कही है, उसको प्रोत्साहन देने की बात कही है। श्री के० एल० चड्डा जो कि डिप्टी डायरेक्टर, इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैं, के नेतृत्व में नौ राज्यों में 5.75 लाख हैक्टेयर में इसके बारे में काम सौंपा है।

मैं समझता हूं कि सोयाबीन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए वह पाम ऑयल है और आपने जो पाम ऑयल का क्षेत्र रखा है उसको केवल दो राज्यों में अभी तक रखा है वह है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश इलाका खास कर मेरे अपने जिले बस्तर में भी पाम ऑयल हो, यह मेरी मांग है। मैं चाहूंगा कि पाम ऑयल, जो बहुत ही आदिवासी इलाके हैं, जहां जंगल हैं, क्योंकि उनको एडोप्ट करने में वहां के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और खाने के तेल के क्षेत्र में हमारी जो दिक्कतें हैं उसको आने वाले समय में, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं।

झूम खेती के बारे में आपने अभी कहा, झूम खेती खास तौर से नार्थ ईस्ट के राज्यों में झूम खेती के बारे में सरकार का ध्यान है और उसमें कुछ प्रयास भी किया गया है किन्तु आज भी इस मामले में बहुत आधे मन से काम हो रहा है और जितना इंटेसिव झूम खेती के अलावा रेगुलेट करना चाहिए उस दिशा में प्रयास नहीं हो रहा है। अब झूम खेती में भी आपने मध्य प्रदेश को छोड़ दिया है, उड़ीसा भी है पर मध्य प्रदेश को आपने छोड दिया है। मध्य प्रदेश में मंडला, बस्तर और सरगुजा, ये तीन आदिवासी जिले हैं, आज भी कुछ जगहों में है और अपने जिले में अवूझयाड़ इलाका अनसर्वेड इलाका है। लेकिन जहां अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, वहां तो शतप्रतिशत झूम खेती पर आधारित है। उस दिशा में आज तक उसको रोकने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं हुए, मैं चाहता हूं कि अलग से, खास कर बस्तर के जो इलाके हैं उनमें झूम खेती के लिए ठीक से कार्यक्रम बनाकर आप मध्य प्रदेश सरकार को मदद करने की कोशिश करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मन्त्री जी का मध्य प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय के बारे से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में दो कृषि विश्वविद्यालय हैं रायपुर और जबलपुर। मैं समझता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय को प्रदेश के कृषि के अनुसंधान और विकास की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं परन्तु दुर्भाग्य से हमारे मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय का जो योगदान है वह बहुत कम है और इसमें भ्रष्टाचार के बहुत से किस्से अखबारों में छपते रहते हैं और यह सही भी है और आज वह राजनीति का अखाड़ा भी हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय के जो रोल हैं उसको राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय को आप देखें और उनको ठीक ढंग से उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करें। कृषि विभाग, खास कर मध्य प्रदेश के बारे में कह सकता हूं कि आपको सबसे ज्यादा जरूरत है कृषि विभाग के नीचे लेवल के जो कर्मचारी हैं उनको मजबूत करने की।

सभापति महोदय, ग्राम सेवक जो होता है, जो लोएस्ट यूनिट होता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, पता नहीं उनकी जो ट्रेनिंग और ओरियेंटेशन कोर्स हैं वह ठीक से नहीं होता, जिसकी वजह से आज की बदली हुई परिस्थिति में ग्राम सेवक ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाता। ग्राम सेवक कई साल पहले जो लिए हुए हैं उनकी आज की परिस्थिति के मुताबिक ट्रेनिंग और ओरियेंटेशन होनी चाहिए ताकि नयी-नयी बीमारियों के बारे में उसको जानकारी मिले। अगर हम आज अपने इलाके के ग्राम सेवकों से पूछें

कि कौन सी बीमारी है तो केवल वह यह बता देते हैं कि कोई बीमारी लगी है लेकिन कौन सी बीमारी लगी है उसके बारे में वह नहीं बता सकते हैं और क्या निदान होना चाहिए, यह भी नहीं बता सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसानों को केवल दूसरों के ऊपर निर्भर करना पड़ता है डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं। इसलिए एक्सटेंशन आफिसर और ग्राम सेवक, इन दोनों को मजबूत करने की जरूरत है बजाए दूसरी बातों के।

इसी प्रकार एक अन्तिम प्वाइंट जो मैं कहना चाहता हूं, खासतौर से इंदिरा आवास योजना के बारे में, पता नहीं वह किस मन्त्रालय से सम्बन्धित हैं, यह मैं एक अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि काफी मकान बने हैं, खासकर आदिवासी इलाके में, मेरे अपने जिले में बने हैं। जो पक्के मकान बनाए जाते हैं, बहुत से इलाकों में लोग पक्के मकानों में रहना पसन्द नहीं करते हैं, इंदिरा आवास जो मेरे इलाके में बने हैं उसका उपयोग नहीं हो रहा है मैं चाहूंगा कि इसमें कुछ परिवर्तन करें और राज्य सरकार को हिदायत दें कि जो मकान उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं इस पोजीशन को रिव्यू करें, उन लोगों को लैंड साइट दे दीजिए, पैसा दे दीजिए और वे अपने ढंग से मकान बनाएं।

इस बात की छूट खास कर आदिवासी इलाके में दी जाए, ताकि इस पैसे का पूरा उपयोग हो सके, नहीं तो इस स्कीम के माध्यम से पैसा खर्च हो रहा है, मकान बन रहे हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है और अन्ततोगत्वा वे मकान खराब होंगे, टूट कर गिर जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूं इन्दिरा आवास योजना के काम में तब्दीली होनी चाहिए। जहां-जहां यह योजना असफल हुई है, उसके कारणों पर ध्यान दिया जाए और उसमें जो भी सुधार किए जा सकते हैं, किए जाने चाहिए, इस योजना को नई दिशा देने का प्रयास करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख (परभनी) : सभापति महोदय, कृषि सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिए समय बहुत कम है, अधिक समय दिया जाना चाहिए। हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि की एक पालिसी होनी चाहिए, पहले मैं इसी बात पर बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है। देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यह भी सत्य है कि देश की आत्मा गांवों में है तथा ग्रामवासी राष्ट्र के कर्णधार हैं। आज राष्ट्रीय विकास की चाहे जितनी भी बातें की जाएं, जितनी भी योजनाएं बनाई जाएं, यदि इसमें कृषि-तंत्र की बातें नहीं हैं तो राष्ट्र का विकास सम्भव नहीं है। यदि सरकार की योजनाओं में ग्रामीण किसानों का दारिद्रय दूर करने की व्यवस्था नहीं है तो राष्ट्र कभी सम्पन्न नहीं हो सकेगा। गांवों में रहने वाला राष्ट्र का बहुसंख्यक वर्ग ही यदि सम्पन्न नहीं है तो राष्ट्र की खुशहाली की बात करना व्यर्थ है।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के गांवों में राष्ट्र को अनेक अनमोल रत्न दिए हैं। अनेक देशभक्त, वीर, क्रांतिकारी, महान राजनेता गांवों की देन हैं। आज भी राष्ट्र के प्रहरी के रूप में कार्यरत सेना के जवान प्रायः ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं तथा प्रायः सैन्य पदाधिकारी शहरी क्षेत्र से आते हैं। शहर के लोगों के पास यदि ज्ञान का भण्डार है तो गांवों के लोगों के पास भावना का अथाह सागर है। स्पष्ट है कि ग्रामीणों की भावना राष्ट्र से जुड़ी हुई है। अतः ग्रामीणों की भावना को ध्यान में रखकर कोई राष्ट्रीय निर्णय करना राष्ट्र घातक तथा बाधक है। ग्रामीणों की स्थिति को सुधारने से ही राष्ट्र का विकास सम्भव है। कृषि तंत्र में सुधार करने से ही ग्रामीणों की स्थिति में सुधार सम्भव हो सकेगा।

[श्री अशोक आनन्दराव देशमुख]

सभापति महोदय, इस कृषि प्रधान देश में अनाज उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है एवं उत्पादन सम्बन्धी जो आधुनिक यंत्र हैं, इनसे किसानों को समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। कृषि कार्य से सम्बन्धित जितने भी आधुनिक यंत्र बनते हैं, उनके कारखाने प्रायः शहरी क्षेत्र में आते हैं। कृषि कार्य के यंत्रों के निर्माण से उद्योग धन्धों को बढ़ावा तो मिलता है, परन्तु इससे कृषि क्षेत्र का कितना विकास हुआ है, इस पर जब विचार करेंगे तो स्पष्ट होगा कि उद्योगधन्धों बढ़ावा अवश्य मिला, किन्तु आधुनिक यंत्रों के कारण गांवों में बेरोजगारी भी बढ़ी है। बेरोजगारी के कारण खेती के कार्य में अनावश्यक लोगों का बोझ भी पड़ता है। जिस कार्य में 2 लोगों को लगना है वहां दुगनी संख्या में लोग संलग्न रहते हैं। यदि ग्रामीण बेरोजगारी के लिए गांवों में ही छोटे-छोटे उद्योगधन्धों का विकास किया जाए तो खेती पर पड़ने वाला जनसंख्या का अनावश्यक बोझ खत्म हो जाएगा। फलतः एक ओर जहां बेरोजगारों को रोजगार का अवसर मिलेगा वहीं दूसरी ओर किसानों की स्थिति भी सुदृढ़ होगी।

कृषि के सम्बन्ध में जो गांधी जी का दर्शन है, आज उसकी हत्या हो रही है। गांवों के विकास के लिए गांधी जी के विचारों के अनुसार गांवों में रोजगार बढ़ाना कृषि सम्बन्धी धन्धे लगाना आदि के अनुसार आज कितना कार्य हो रहा है, वह देश का 40 वर्षों का इतिहास बताएगा। गांधी जी की नीति तथा दर्शन को ही सर्वस्व मानकर कार्य करने वाली सरकार गांधी की नीति का पालन किस प्रकार से करती है, इसका प्रमाण है देश के ग्रामीण किसानों की दीनता-हीनता।

सभापति महोदय, अन्न जीवन का आधार है। यह कैसी विडंबना है कि अन्न पैदा करने वाले किसान जो समस्त प्राणियों के आधार है, आज वही निराधार होकर जीवनयापन कर रहे हैं। किसानों की सुविधा की हत्या स्पष्ट रूप से गांधी जी की नीति की हत्या है।

आज हिन्दुस्तान में अनेक नीतियां हैं। यथा—औद्योगिक नीति, आयात-निर्यात नीति, कर्ज की नीति।

विदेश नीति आदि विभिन्न नीतियां हैं, परन्तु किसान नीति क्या है? किसान नीति कैसी हो? इस पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया। यदि थोड़ा-बहुत विकास के नाम पर प्रयास भी किया गया तो वह मात्र कागजी ही रहा। अतः राष्ट्रीय विकास के लिए कृषि नीति का निर्धारण अत्यन्त आवश्यक है।

प्रकृति से प्राप्त निःशुल्क पानी, वनस्पति तथा सूर्य की किरणों का उपयोग कृषि कार्य हेतु सुनियोजित योजना के अन्तर्गत करने से खेतों में उत्पादन बढ़ेगा जिससे किसानों की स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी।

स्थान-स्थान पर जलाशय का निर्माण करना नदियों में बांध लगाना तथा सूर्य किरणों से ऊर्जा पैदा करने के लिए ऊर्जा केन्द्र का निर्माण करना इत्यादि योजनाओं के माध्यम से अन्न उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि समय पर किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो जाने से उत्पादन स्वतः बढ़ेगा।

विभिन्न योजना बनाते समय कृषि योजना को सर्वोपरि स्थान देना होगा। योजना की रचना ऐसी हो जिससे कृषि कार्य को बढ़ावा मिले तथा योजना को मूर्त रूप दिया जा सके। कृषि योजना बनाते समय यह लक्ष्य होना चाहिए कि आगामी 20 वर्षों तक योजना कारगर सिद्ध हो सके तथा योजना का कार्यान्वियन सैन्य अनुशासन के समान होना चाहिए। किसानों को उचित समय पर कर्ज,

बीज, पानी तथा खाद आपूर्ति की जाए । इसमें लापरवाही कदापि नहीं होनी चाहिए । ऐसा करने से उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकेगा ।

सन् 1991 से लेकर सन् 2000 तक सम्पूर्ण देश में किसान दशक मनाया जाए । विगत 40 वर्षों में जो नहीं किया जा सका उसे वर्तमान में कर के दिखाना तथा विश्व में अन्न उत्पादन के लिए कीर्तिमान अर्जित करना चाहिए ।

बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ अन्न का उत्पादन बढ़ाकर राष्ट्रीय संकट को कम किया जा सकता है । उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर अपनी स्थिति इतनी सुदृढ़ करनी चाहिए कि हमें अनाज कर्ज के रूप में नहीं लेना पड़े । उत्पादन की स्थिति को सुदृढ़ करके विश्व बाजार तक पहुंचाने का लक्ष्य होना चाहिए । अन्न से प्राप्त आय को पुनः कृषि विकास के लिए उपयोग में लाना चाहिए । उत्पादन से प्राप्त आय को पिछड़ा क्षेत्र विकास हेतु लगाना चाहिए । जिसके पास भूमि नहीं है ऐसे लोगों के लिए गांवों में उद्योग-धन्धे लगाकर उन्हें रोजगार देना चाहिए । किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य देने की व्यवस्था करनी चाहिए । इस सन्दर्भ में प्रत्येक गांव में सरकारी भण्डारगृह का निर्माण करके अन्न का भण्डारीकरण किया जाए तथा उचित मूल्य मिलने की स्थिति में अनाज को बेचा जाए । ताकि किसानों को शीघ्रता से अन्न को सस्ते दामों में नहीं बेचना पड़े । किसानों को ग्रामीण बैंकों से प्राप्त ऋण की प्रक्रिया को सुलभ किया जाए ।

राष्ट्र की हरियाली को पुष्पित-पल्लवित करने के लिए जंगलों की रक्षा की योजना तथा वृक्षा-रोपण के कार्य को एक अभियान के रूप में सम्पन्न करना चाहिए । जंगलों में ऐसे पौधे लगाए जाएं जिससे गरीबों को सस्ते में फल के माध्यम से पौष्टिक आहार प्राप्त हो सके । पशु आहार के लिए चारागाह का निर्माण तथा चारा की बढ़ोत्तरी करने की योजना को मूर्त रूप देने की व्यवस्था करनी चाहिए ।

शहरी क्षेत्र जैसे गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, बिजली तथा आवागमन की व्यवस्था होनी चाहिए । उच्च शिक्षा प्राप्त गांवों में बेकार रहने वालों के लिए कृषि कार्य का ज्ञान कराने हेतु पंचायत स्तर पर एक शिक्षण संस्थान का निर्माण करना चाहिए तथा कुशल कृषक को प्रोत्साहन स्वरूप विदेशों में भेज कर वहां की कृषि व्यवस्था का ज्ञान कराने की योजना बनाना आवश्यक है ।

कृषि कार्य में अन्न उपज की प्रक्रिया के अन्तर्गत उपजाऊ भूमि के कुछ भाग को एक निश्चित समय तक रिक्त छोड़ने पश्चात् अन्न डालने से उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है । इसके लिए विशेष अनुसंधान करके योजना बनाना उत्पादन बढ़ोत्तरी के लिए श्रेष्ठ है ।

सरकार यदि अन्य कार्यों के लिए किसानों की भूमि लेती है तो किसानों को उचित मुआवजा देने की व्यवस्था होनी चाहिए । ग्रामीणों के विकास के लिए उन्हें पशु-पालन, मुर्गीपालन, फल तथा फूलों का बाग लगाने के कार्य में लगाना तथा उक्त विषयों का ज्ञान कराने की व्यवस्था करनी चाहिए । ताकि इसका संचालन ठीक से कर सकें ।

किसान अपने अनाज को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाकर बेचने के लिए स्वतन्त्र रहे इसकी व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है । इससे एकता का संचार होगा तथा यदि इस कार्य में कहीं धूंगीकर की व्यवस्था है तो उसे शीघ्र समाप्त करना चाहिए । पंचायतों में जन-वितरण प्रणाली की व्यवस्था शीघ्र हो तथा जनवितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कारगर उपाय किए जाएं ।

[श्री अशोक आनन्दराव देशमुख]

फसलों की बीमा योजना का बनाया जाना भी आवश्यक है यह हास्यास्पद बात है कि भण्डार में रहने वाले अनाजों के लिए बीमा योजना है परन्तु जो फसल खेत में है उसके लिए यह योजना नहीं है। अतः किसानों के खेत की फसलों के लिए फसल बीमा योजना बनाई जाए। खेती वालों के लिए तो यह बजट बेकार बजट बना है। इन्होंने किसानों के लिए 3085.41 करोड़ रखा है। यह राशि बहुत कम है जबकि 70 परसेंट जनता किसान है। कम से कम इसको दुगुना तो करें। कम से कम बजट में 15 परसेंट का प्रावधान होना चाहिए। मेरी मांग है कि इसको दुगुना किया जाए। कृषि पर 70 परसेंट लोगों का जीवन आधारित है। इसको दुगुना करके करना चाहिए। 15 परसेंट राशि कृषि के ऊपर रहना चाहिए। बीज बुनियादी और प्रमाणीकृत बीजों के उत्पादन के लिए, राज्यों के बीज प्रमाणीकरण संगठन को सुदृढ़ करने के लिए और मिनीकिट कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय होना चाहिए। बजट में इसके लिए बहुत कम प्रावधान किया गया है। दालों के विकास के कार्यक्रम और उसके उत्पादन के लिए और तिलहन के कार्यक्रम और उसके उत्पादन के लिएबजट में बहुत कम प्रावधान है। दालों में साढ़े तीस करोड़ है और तिलहन में 83 करोड़ है। मैं चाहता हूं कि सभी मिलकर कम से कम 500 करोड़ होना चाहिए। सब्सिडी चार हजार करोड़ की मिल रही है। सब्सिडी किसी और चीज में नहीं लगाना चाहता बल्कि कृषि में ही लगाना चाहिए। कम से कम 1000 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी किसान को मिलनी चाहिए। वह कारखानदारों को नहीं बल्कि जो किसान उर्वरक खरीदते हैं उन्हें डायरेक्ट मिलनी चाहिये। उर्वरक के तीस प्रतिशत दाम बढ़े उसको घटाकर कम करके सिर्फ दस प्रतिशत करने की जरूरत है। उनमें छोटा, बड़े किसान सभी के लिए समान दाम चाहिए। अगर दस प्रतिशत नहीं करना है तो उर्वरक की प्रोडक्शन कास्ट पर बीस प्रतिशत कीमत लगानी चाहिए। कीमत लगाते समय किसान को सामने रखा करो। छोटे-बड़े किसान के ऊपर कोई नीति तय नहीं हो सकती। दस एकड़ अंगूर बाग गन्ना तथा $\frac{1}{2}$ एकड़ चाय बागान जिस किसान के पास है तो चालीस-पचास एकड़ जो रेन-फैड एरिया है, उसकी बराबरी कर सकता है। जमीन का कम होना या ज्यादा होना यह सब्सिडी का आधार नहीं हो सकता। इसलिए सभी को एक समान सब्सिडी मिलनी चाहिए।

सिन्दरी और टाल्चर आदि जगह जहां खाद का प्रोडक्शन होता है···

सभापति महोदय : आपने 25 मिनट ले लिए हैं, कृपया समाप्त करें।

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : सब्सिडी जो दी गई है वह बहुत कम है, दूसरे किसान ज्यादा से ज्यादा 10 परसेंट बढ़त सहन कर सकता है। मेरा तीसरा पाइंट है सहकारी चीनी मिलों के लिए, भंडारण के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, कपास के लिये, कमजोर वर्गों के लिये, सोयाबीन के विकास के लिये, खाद्य पदार्थों के लिये, निर्यात-आयात के लिए, मछली उद्योग के लिये आपने 134 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। जबकि हमारे यहां केवल महाराष्ट्र में ही 134 करोड़ से ज्यादा लगता है। इसलिये इसको कम से कम और 1500 करोड़ बढ़ाना चाहिए। भंडारण और कोल्ड स्टोरेज हर 15-20 गांव के बाद होने चाहिये उसके साथ-साथ मार्केट का होना भी जरूरी है। लैंड डवलपमेंट बैंक किसानों को, छोटे कृषकों को कर्जा देता है। कुएं खोदने के लिये कर्जा दिया जाता है, मोटर पम्प के लिए कर्जा दिया जाता है, ट्रेलर के लिये कर्जा दिया जाता है, बैल की जोड़ी के लिये और ट्रैक्टर के लिये भी कर्जा दिया जाता है, लेकिन आपने इसके लिये सिर्फ 40 करोड़ का प्रावधान किया है। इतनी राशि तो हमारे जिलों में ही लग जाती है। इसलिये ये लैंड डवलपमेंट बैंक छोटे कृषकों को कर्जा देते हैं उसके लिए

राशि को बढ़ाकर 400 करोड़ तक करना चाहिये ।

फसल बीमा योजना केवल चावल, गेहूं, तिलहन और दालों की फसलों के लिये लागू है, जबकि ज्यादा से ज्यादा फसलों को इसके अन्तर्गत लेना चाहिये कपास और गन्ने के लिये बीमा योजना जारी करें। डेयरी विकास के लिये जो 62 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है उसको बढ़ाकर 100 करोड़ किया जाये।

रेन फेड के लिये, वाटर शेड के लिये 172 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जितना रेन फेड एरिया है उसके लिये यह बहुत कम है। मैंने जब वाटर शेड के बारे में लाइब्रेरी में मालूम करना चाहा तो वहां कागज पर एक टिप्पणी भी लिखी हुई नहीं मिली। उसमें क्या प्रोग्राम हैं, वहां से कैसे वाटर शेड डवलप कैसा हो रहा है इसके बारे में पता नहीं लगा। हमें वाटर शेड के डवलपमेंट के लिये ध्यान देना चाहिये। वहां पर जो आदमी हैं वे ए०एफ०सी०सी० से रिपोर्ट लेते हैं, वह रिपोर्ट गलत मिलती है। हमें यह रिपोर्ट नहीं मिल पाती। मैं चाहता हूं इस पर आप ध्यान दें।

ट्रीटमेंट आफ ड्रेन-लाइन है वह गलत दिशा से ली जाती हैं। टाप से बाटम के लिये खोदना चाहिये जबकि वे बाटम से टाप तक खोदते हैं। यह गलत चीज है मैं सम्बन्धित विभाग के सचिव महोदय से कहना चाहता हूं कि मन्त्री जी यहां पर नहीं हैं कृपया उन्हें बतायें और उनको दुरुस्त करायें।

[अनुवाद]

श्री पाला के० एम० मैथ्यू (इदुक्की) : महोदय मैं बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका अत्यन्त आभारी हूं। समय की कमी के कारण मैं केवल कुछ खास मुद्दे ही उठाऊंगा।

चूंकि हम मुख्यतः कृषि से सम्बन्धित मांग पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि हम सभी स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात किये गये अपने कार्यों और भूल-चूकों का निरीक्षण करें।

निश्चय ही हमने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 44 सालों के दौरान बहुत अधिक उपलब्धियां हासिल की हैं। और खूब तरक्की की है। यह बात और भी ज्यादा चरितार्थ तब होती है जब हम अपनी तुलना बाहर के तथाकथित क्रांतिकारी देशों से करते हैं। हमारी 44 सालों की उपलब्धियां इन क्रांतिकारी देशों के पहले 44 सालों की उपब्धियों से कहीं बेहतर, महान् और उच्च हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद, हमारी पंचवर्षीय योजनाओं ने कृषि की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। हम जानते हैं कि वृहत आर्थिक स्थितिकरण कृषि को अर्थव्यवस्था के उच्च शिखर पर रख कर ही हो सकता है। इसको पूर्णतया उपेक्षित रखा गया है। मैं इसको बजट से एक उदाहरण देकर प्रमाणित करना चाहूंगा। केन्द्रीय सरकार के कुल 42969 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय। जिसको यहां पहले ही दर्शाया जा चुका है। में से केवल 18168 करोड़ रुपये ही जो कि कुल परिव्यय का 23 प्रतिशत है। कृषि के लिए आबंटित किये गये हैं। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, यह बहुत कम और अपर्याप्त है, तथा यह कुल योजनागत परिव्यय का लगभग 50 प्रतिशत होना चाहिए। निरीक्षण करने से मेरा तात्पर्य मुख्यतः विगत पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान की गई गलतियों को ठीक करने से है।

कृषि के क्षेत्र में स्थिरता लाने और प्रगतिशील कदम उठाने के लिए हमें व्यावहारिक रवैया अपनाना होगा तथा कृषि से सम्बन्धित समस्याओं का विस्तार से अध्ययन करना होगा और इस सम्पूर्ण विषय के परिणामों और प्रभावों पर विचार करना होगा।

[श्री पाल के० एम० मैथ्यू]

हम कृषि को किस प्रकार नवजीवन प्रदान कर सकते हैं ? राष्ट्र के सामने आज यह एक महत्वपूर्ण समस्या है। बड़े पैमाने पर तथा योजनाबद्ध तरीके से कृषि का विस्तार और विकास करके आर्थिक पुनरुद्धार किया जा सकता है। हम जानते हैं कि भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और कुल राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 35 प्रतिशत है। देश को कृषि वस्तुओं के निर्यात से भी काफी अधिक आय होती है तथा कृषि से अनेक उद्योगों को कच्चा माल भी उपलब्ध होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि देश की सम्पूर्ण व्यवस्था में कृषि का कितना महत्व है। लेकिन इस सबके बावजूद हम इस क्षेत्र की घोर उपेक्षा कर रहे हैं।

महोदय, अभी तक हमें सिंचित भूमि में ही खेती करने को ज्यादा महत्व देते रहे हैं लेकिन, वास्तव में अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जब हमें उन क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए जहां ज्यादा वर्षा होती है। कुल खेती योग्य भूमि का 70 प्रतिशत भाग वर्षा वाले क्षेत्र में है तथा हमारी अनेक नगदी फसलों को वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। अतः हमें इन वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाने वाली नगदी फसलों पर ज्यादा जोर देना होगा। रबर, इलायची, काली मिर्च, चाय, काफी, नारियल जैसी नगदी फसलों का अत्यधिक भाग वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा किया जाता है न कि सूखे क्षेत्रों में। उत्पादन और उत्पादकता की दृष्टि से इन महत्वपूर्ण फसलों की विकास दर कम होती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप कृषि एक ऐसी अवस्था में पहुंच गई है जब हमें वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि का ज्यादा ध्यान रखना चाहिये।

केरल में किसानों को प्रकृति के बदलने स्वरूप के कारण नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि उनकी खेती वाली ज्यादातर भूमि वर्षा वाले क्षेत्रों में आती हैं। इसलिये, जहां तक केरल का सम्बन्ध है, वहां एक व्यापक संचयन कार्यक्रम बनाना आवश्यक है। इसमें वर्षा के पानी का उचित प्रबन्ध, भूमि विकास, उत्तम किस्म के बीजों का उपयोग इत्यादि शामिल होना चाहिए। मैं इसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता। मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र, इडुक्की, जोकि एक वर्षा वाला जिला है, में एक व्यापक जला संचपन योजना शीघ्र विश्व बैंक के सहायता से बनायी जानी चाहिए। इससे मानव द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय असंतुलन ठीक करने में सहायता मिलेगी। इससे कृषि योग्य उस भूमि की भी सुरक्षा और विकास होगा जोकि भूकटाव, बाढ़ और सूखे से प्रभावित रहती है। वर्षा पर निर्भर कृषि के राष्ट्रीय जल संचयन विकास के तहत इस दिशा में पहल की जानी चाहिए।

केरल में केन्द्रीय क्षेत्र का निवेश आमतौर पर बहुत कम है देश में केन्द्र के कुल 82,150 करोड़ रुपये के निवेश में से केवल 1,307 करोड़ रुपये (जो 1.9 प्रतिशत है) वर्ष 1988 में केरल को आबंटित किये गये थे। वर्ष 1990 में यह राशि 1701 करोड़ रुपये थी जो केवल 1.5 प्रतिशत के बराबर है। इसका कारण यह है कि कृषि अथवा उद्योग में कोई भी नई परियोजनायें स्थापित नहीं की गई हैं। विस्तार अथवा विकास से सम्बन्धित सभी प्रस्तावों पर अभी भी निर्णय लिये जाने हैं।

वर्ष 1990 में जब महाराष्ट्र को लगभग 20000 करोड़ रुपये मिले जो केन्द्रीय क्षेत्र निवेश का लगभग 17.6 प्रतिशत है, तब केरल को केवल 1.5 प्रतिशत ही मिला। मध्य प्रदेश को 11 प्रतिशत 12,480 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को 11,400 करोड़ रुपये जो लगभग 10 प्रतिशत है और पश्चिम बंगाल को 7084 करोड़ रुपये मिला, जो 6.25 प्रतिशत के बराबर है। ये केवल कुछ उदाहरण हैं तथा इन राज्यों के लिए आबंटित धनराशि की तुलना की गई है। केरल के लिए आबंटित धनराशि बहुत ही कम है। नकदी फसलों के निर्यात व्यापार, अनिवासी भारतीयों के अंशदान, समुद्री

उत्पादों के निर्यात और इसी प्रकार के अन्य साधनों के माध्यम से राष्ट्रीय राजकोष में केरल द्वारा जो अंशदान किया जाता है उसकी तुलना में केरल में केन्द्रीय क्षेत्र निवेश बहुत कम है इसमें संशोधन किया जाना चाहिए।

केरल में किसानों को अभी जिन गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनमें से एक समस्या अधिवासी किसानों को अधिकार-पत्र के न दिये जाने से सम्बन्धित है। इस समस्या पर तत्काल कार्रवाई किये जाने की जरूरत है। सरकार सरकार ने राज्य साकर के इस प्रस्ताव को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है कि 1-1-1977 से पहले अधिकार में ली गई वन भूमि को नियमित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने वन संक्षरण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 28,588 हेक्टेयर भूमि के लिए अधिकार-पत्र जारी किये जाने के लिए 1986 में पहले भी भारत सरकार की सहमति मांगी थी जैसाकि राजस्व और वन विभागों के अधिकारियों की संयुक्त प्रारम्भिक जांच में प्रकट किया गया है इस सहमति की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

भूतपूर्व वन और पर्यावरण मन्त्री ने जनवरी, 1991 में राज्य सरकार को प्रत्युत्तर में कहा था कि उच्च न्यायालय ने वन भूमि के आबंटन के बारे में सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है। जिसके परिणामस्वरूप यह मामला आस्थगित रखा गया है। केरल उच्च न्यायालय ने 1991 में अपने अन्तिम निर्णय में यह स्पष्ट किया था कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उपबन्धों का पालन करने के पश्चात वनभूमि को आबंटित किया जा सकता है। इस निर्णय के आधार पर केरल सरकार के राजस्व सचिव ने उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वन भूमि के आबंटन के लिए मंजूरी देने हेतु वन और पर्यावरण मंत्रालय में संयुक्त सचिव को लिखा है। महोदय, मैं इसे थोड़ा इसलिए विस्तार में बता रहा हूं क्योंकि यह एक ऐसी समस्या है जो पिछले एक से ज्यादा दशक से केरल के किसानों के मन को उत्तेजित कर रही है। इसीलिए मैं इस मुद्दे पर बल दे रहा हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि अधिवासियों को पट्टे के आबंटन के लिए केन्द्र को तुरन्त अपनी सहमति दे देनी चाहिए।

अब मैं प्राकृतिक आपदाओं के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। मेरे दोस्त इस बारे में पहले ही बहुत कुछ बोल चुके हैं और मैं इस मामले के विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। 1,15,000 एकड़ भूमि में फसल पूर्णतया नष्ट हो गई है और 65 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। दूसरे 1,60,000 एकड़ क्षेत्र में लगभग 30 करोड़ रुपये की आंशिक क्षति होने का अनुमान है। यह सब बाढ़, भू-स्खलन और इसी तरह की अन्य बातों के कारण हुआ है। बजट में केरल राज्य के लिए आपदा राहत निधि हेतु केवल 31 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसे बढ़ा कर कम से कम 100 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए।

मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार का एक दल, जिसमें लोगों के प्रतिनिधि शामिल हों, तुरन्त केरल जाना चाहिए और उन्हें प्रभावित लोगों तथा पंचायतों, जिला परिषदों एवं विधान सभा में लोगों के प्रतिनिधियों से मिलना चाहिए तथा क्षति का अनुमान लगाना चाहिए और तत्पश्चात केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करनी चाहिए।

केरल में कॉफी उत्पादकों से सम्बन्धित भी कुछ समस्यायें हैं। सरकार को जो करना चाहिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे अमेरिका, जापान और रूस जैसे देशों को कॉफी के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सभी सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिए।

ग्वाटेमाला देश की इलायची, जो बहुत सस्ती और अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, की तस्करी

[श्री पाला के० एस० मैथ्यू]

नेपाल के रास्ते भारत में की जाती है। इससे हमारे इलायची उत्पादन काफी हद तक प्रभावित हो रहे हैं इलायची की इस तस्करी को रोका जाना चाहिए और इलायची फसल बीमा योजना लागू की जानी चाहिए। बीमारियों तथा बाढ़ या सूखे से नष्ट होने, उत्पादन में कमी, पौधों को नुकसान आदि पहुंचने के मामले में सहायता दिये जाने के लिए उपबन्ध किया जाना चाहिए।

इस समय रबड़ का मूल्य लाभप्रद नहीं है। आदानों के मूल्यों तथा श्रम प्रभारों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, रबड़ का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए लागत का अध्ययन किया जाना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि इसे 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से निर्धारित किया जाना चाहिए।

केरल में अधिकांश किसान काली मिर्च की खेती पर निर्भर करते हैं। यह लगभग 3000 रु० प्रति क्विटल की दर से बेची जाती है। मैं अनुरोध करूंगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम 600 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित किया जाना चाहिए और 'क्विककिल्ट' तथा 'फ्लीबीटल' कीड़ों द्वारा नष्ट होने वाली काली मिर्च की फसल के लिए हर जाना दिया जाना चाहिए। नई खेती का उत्पादन आरम्भ होने तक नये सुधार कार्यक्रम भी लागू किये जाने चाहिएं। पौध के पुनः रोपण के लिए अग्रिम अथवा राजसहायता के रूप में उनकी सहायता की जानी चाहिए।

महोदय, सरकार द्वारा इन नकदी फसलों के मूल्यों में वृद्धि करने तथा किसानों की दशा सुधारने के प्रश्न पर तत्काल और अत्यन्त गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम सागर (बाराबंकी) : माननीय सभापति जी,

सभापति महोदय : वैसे आपकी पार्टी का समय समाप्त हो चुका है, इसलिए आप -7 मिनट में अपनी बात खत्म कीजिये।

श्री राम सागर : धन्यवाद। मैं-5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

सबसे पहले सभापति जी, आपने मुझे अपने सुझाव रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यह सभा देश की सर्वोच्च सभा है। आजाद हुए हमें 43 वर्ष बीत गए परन्तु अभी तक कृषि के सम्बन्ध में हमने कोई नीति नहीं बनायी।

अभी पिछले दिनों एक सवाल कृषि नीति का हमारे सामने आया और माननीय कृषि मन्त्री जी की ओर से कहा गया कि हम योजना बनाना चाहते हैं, कृषि नीति बनाना चाहते हैं परन्तु कैसी नीति बनायें। हमारा सुझाव है कि यदि आप सचमुच देश के लिए कृषि नीति बनाना चाहते हैं तो सदन में सभी पार्टियों के रिप्रेजैन्टेटिव्ज को मिलाकर एक समिति बनाइये। उस समिति में किसानों के सुझाव भी शामिल हों और वह समिति जो सिफारिशें करे उनके आधार पर कृषि नीति तैयार की जा सकती है।

मान्यवर, आज हमारे सामने यह विषय है कि किसानों के बारे में इस सभा में कितना ध्यान दिया जाता है। पिछले दिनों यहां उत्तर प्रदेश और बिहार के अनेक माननीय सदस्यों ने सूखे का प्रश्न सदन में उठाया।

मैं जानना चाहता हूं कि जो तमाम भूमि सूखे के कारण, सिचाई न होने के कारण असिंचित रह गई है, उसमें बुवाई नहीं हो पाई उसके बारे में कौन सी नीति बनाई गई कि आगे आने वाले समय में उसका क्या सदुपयोग किया जाएगा?

मान्यवर, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आज किसानों के बारे में अनुदानों की मांग हो रही है और उस अनुदान से किसानों को खेती की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन मान्यवर मैं जानना चाहता हूं कि जो कृषि खाद है, उसमें जो दाम बढ़ाए गए हैं, जिसके कारण आज गांवों में पुरानी रेट की खाद लेने के लिए लोगों को लेखपाल के पास अभिलेख के कागज लेने के लिए जाना पड़ता है उसमें ही 15-20 रुपए कागज के पड़ते हैं और उसके बाद लम्बी लाइन लगानी पड़ती है, जिससे बहुत परेशानी किसानों को हो रही है। दाम तो सरकार ने बढ़ा दिए, लेकिन उसमें जो भ्रष्टाचार है, उसको कैसे रोका जाएगा ? इसके लिए किसी तरीके की योजना नहीं बनाई गई है जिससे किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।

मान्यवर, खेती पर आज दबाव बढ़ता जा रहा है जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में पिछली मुलायम सिंह सरकार ने भूमि सुधार के लिए एक भूमि सेना का गठन करने का काम किया था। बीहड़ों में जमीन है, ऊसर जमीन है, ऊंची-नीची जमीन है, जो खराब जमीन है, उसको सुधार कर के जो हमारे भूमिहीन कृषक हैं, उनको खेती के लिए वह भूमि दी जा सकती है और उनको कृषि का रोजगार मिल सकता है और वे देश को मजबूत बना सकते हैं और वे इस प्रकार से अपनी जिन्दगी गुजर-बसर कर सकते हैं।

मान्यवर, सिंचाई के बारे में हमारा सुझाव है कि जब आपदा आती है, तो उस समय जो नलकूप हैं और ये जो राजकीय नहरें हैं, वे ठीक से पानी नहीं दे पाती हैं और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। सिंचाई के साधन छोटे-छोटे किसानों को मुहैया करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आज चाहे बड़ा रोजगार हो, बड़े लोगों के व्यवसाय में किसी प्रकार की क्षति हो जाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, राहत के लिए सरकारी सहायता देने का प्रावधान तो है, लेकिन यदि फसल खराब हो जाए, तो किसान को सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है। मैंने देखा है कि ओलावृष्टि में तैयार की गई पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है, अथवा सूखे के कारण फसल नष्ट हो जाती है या तैयार फसल काटकर जब खलिहान में आ जाती है, तो आग लगने के कारण फसल नष्ट हो जाती है, लेकिन उस अभागे किसान की बड़ी असहाय स्थिति उस समय हो जाती है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार की योजना नहीं बनाई गई है जिससे उन किसानों को राहत दी जा सके। एक और सुझाव, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को देना चाहता हूं कि अभी तक सिंचित फसल के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक विश्वविद्यालयों में प्रयोग कर रहे हैं और उनके लिए उन्नत किस्म के बीज आदि तैयार कर रहे हैं और इस प्रकार की योजना पर कार्य कर रहे हैं कि किस प्रकार से पैदावार को बढ़ाया जाए, लेकिन जो असिंचित फसलें होती हैं उनके बीज का सुधार और उपज कैसे बढ़ाई जा सकती है. इस पर सोचने के लिए, अनुसंधान करने के लिए कोई योजना सरकार की तरफ से नहीं बनाई गई है, मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में भी सोचे और कोई योजना बनाए।

इन्हीं शब्दों के साथ और इन्हीं सुझावों को देते हुए, मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इस कृषि प्रधान देश में किसानों को मजबूत करने के लिए वे कृषि योजना बनाएंगे और जो सुझाव मैंने यहां दिए हैं, उनके ऊपर कारगर कदम उठाकर के किसानों और इस देश को मजबूत बना देंगे।

सभापति महोदय : धन्यवाद, आपने समय से समाप्त किया। श्री शंकर राव काले।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : सभापति महोदय, मेरा पार्टी से छोटी-छोटी पार्टियों के लोग बोले चुके हैं, किन्तु मेरी पार्टी का नाम नहीं आया है।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी का इसके बाद नाम है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मेरी पार्टी से भी छोटी-छोटी पार्टी के लोग बोल चुके हैं, दो तीन लोग बोल चुके हैं, लेकिन मेरी पार्टी के आदमी का नाम बोलने के लिए नहीं पुकारा गया है ?

5.00 म० प०

सभापति महोदय : इसके बाद आपकी पार्टी का मौका है। हमने पहले एक लिस्ट बनाकर रखी है।

[अनुवाद]

मैं यथा संभव उसी के अनुसार चल रहा हूं।

श्री शंकरराव वे० काले (कोपरगांव) : मैं खाद्य मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप जरा एक मिनट रुकिए। जहां तक टी० डी० पी० का सवाल है आपका समय समाप्त हो गया है लेकिन मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री शंकरराव वे० काले : मैं कृषि मन्त्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय और खाद्य मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं यहां विशेष रूप से खाद्य तथा महाराष्ट्र में चीनी के उत्पादन के बारे में बोलना चाहता हूं।

मैं पिछले 40 वर्ष से चीनी उद्योग से सम्बद्ध रहा हूं। स्वतन्त्रता से पूर्व महाराष्ट्र में संयुक्त क्षेत्र में केवल 16 चीनी मिलें तथा सहकारी क्षेत्र में केवल एक चीनी मिल थी। स्वतन्त्रता से पूर्व महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन केवल 50,000 टन प्रतिवर्ष था। स्वतन्त्रता के बाद महाराष्ट्र सरकार की नीति के कारण चीनी उद्योग सहकारी विभाग के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। अत: योजना के दूसरे वर्ष से वर्ष दर वर्ष महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन बहुत बढ़ रहा है। पहले यह 10 प्रतिशत था, फिर 15 हुआ और फिर बढ़कर 25 हो गया। वर्ष 1990-91 में महाराष्ट्र ने सम्पूर्ण देश के कुल चीनी उत्पादन जोकि लगभग 1 करोड़ और 5 लाख टन है, के मुकाबले 42 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है। यदि महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में चीनी उत्पादन की सभी सुविधाओं और कठिनाईयों पर भारत सरकार विचार करे तो मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन निकट भविष्य में 50 प्रतिशत और 60 प्रतिशत तक हो जायेगा।

जहां तक चीनी मिल की परियोजना लागत का सम्बन्ध है, इसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। भारत सरकार ने जून 1991 से पूर्व 38 चीनी मिलों को आशय पत्र दिये हैं, उस तारीख से पूर्व महाराष्ट्र में 100 चीनी मिलें चल रही थीं। जैसाकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, गत वर्ष चीनी उत्पादन 42 टन था। परियोजना की कुल लागत 25 करोड़ रुपये है। 25 करोड़ रुपए में से, जैसी कि महाराष्ट सरकार की नीति है, चीनी मिलों को बढ़ावा देने वालों को महाराष्ट्र सरकार ने अपना अंशदान पहले ही दे दिया है। बढ़ावा देने वालों और सरकार के बीच इस बंटवारे का अनुपात 1:4 है। इस चीनी

मिल की परियोजना लागत 25 करोड़ रुपये है। महाराष्ट्र सरकार ने 8 करोड़ रुपये दिये हैं। कुल 38 चीनी मिलों में से अब केवल नौ चीनी मिलों को मशीनों का आर्डर दिया गया है। अतः अब बाकी चीनी मिलों को आर्डर देने का प्रश्न है। इस परियोजना की कीमत 35 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस 35 करोड़ रुपये में से, जोकि परियोजना की लागत कीमत है, महाराष्ट्र सरकार को चीनी मिलों में शेयर पूंजी के रूप में ग्यारह करोड़ रुपया देना है।

यह महाराष्ट्र सरकार की बूते की बात नहीं है। मैं, महोदय आपके द्वारा, माननीय खाद्य मन्त्री से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे इन नई परियोजनाओं की स्थापना और विस्तार करें। इन चीनी मिलों के लिए भारत सरकार को अपने हिस्से का धन देना चाहिए।

सम्पूर्ण भारत में सहकारी क्षेत्र के विस्तार और सहायता के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना की है। इसके लिए, महाराष्ट्र सरकार को जो अब तक शेयर अंशदान के रूप में 65 प्रतिशत धन प्राप्त होता था उससे वह प्रत्येक चीनी मिलों को दे देती थी। उत्पादन लागत में वृद्धि होने के फलस्वरूप महाराष्ट्र सरकार को भी अपने शेयर अंशदान में वृद्धि करनी चाहिए।

लेवी मूल्य निश्चित करने के लिए चीनी क्षेत्र की स्थापना की गई है। पहले महाराष्ट्र को एक क्षेत्र माना जाता था। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और पंजाब में प्रति क्विटल चीनी पर लेवी महाराष्ट्र से 290 रुपये ज्यादा है। इसके बावजूद महाराष्ट्र में चीनी के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अतः हमारे विचार से महाराष्ट्र को तीन क्षेत्रों में बांटा जाना चाहिए। पन्द्रह वर्ष के प्रयत्न के बाद भारत सरकार ने महाराष्ट्र को दो क्षेत्र—उत्तर क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र में बांटा है।

वर्ष 1990-91 में दक्षिणी क्षेत्र से 11.06 प्रतिशत वसूली हुई, केन्द्रीय क्षेत्र से 10.74 प्रतिशत तथा उत्तरी क्षेत्र से 10.15 प्रतिशत। इसलिए दक्षिणी क्षेत्र तक केन्द्रीय क्षेत्र में 0.86 प्रतिशत का अन्तर था तथा केन्द्रीय क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र में अन्तर 0.59 प्रतिशत का था। इसीलिए यदि एक नया केन्द्रीय क्षेत्र और बना दिया जाए तो अच्छा उत्पादन होगा तथा केन्द्रीय क्षेत्र की चीनी मिलों को चीनी के लिए अधिक लेवी मूल्य मिलेगा। इसीलिए मेरा अनुरोध यह है कि महाराष्ट्र को तीन क्षेत्रों में बांट दिया जाए।

केन्द्रीय सरकार से मेहरबानी की है कि उसने चीनी मिलें परियोजना की लागत को ध्यान में रखते हुए नई चीनी मिलों की स्थापना करने में सहायता की हैं खुली तथा लेवी चीनी के कोटे की प्रतिशतता के सम्बन्ध में रियायत प्रदान की गई है।

सम्पत समिति की सिफारिशों के अनुसार पहले पांच वर्षों में शत प्रतिशत चीनी बाजार में बेचने को अनुमति दी गई तथा नई चीनी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी का मूल्य नियत करने के लिए कुछ लाभ दिया गया इसके कारण उन्हें अच्छी आमदेनी हुई। उस पैसे से वे अपनी उधार चुका सकते हैं। इसीलिए, मेरा अनुरोध यह है कि सम्पत समिति के लाभ उन अन्य मिलों को भी मिलने चाहिए जिनकी परियोजना पर लागत अधिक आई है। जहां वसूली अच्छी है तथा जहां बीच की है वहां 5 वर्ष तक तथा जहां वसूली बहुत कम है वहां 15 वर्ष तक दी जानी चाहिए। मेरी यही प्रार्थना है महोदय।

मेरी दूसरी महत्वपूर्ण बात चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में संशोधन के बारे में है। भारत सरकार ने अपना ठीक ही मत व्यक्त किया है तथा उन्होंने चीनी विकास निधि अधिनियम 1982 में बनाया था। इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा इस अधिनियम के बनाए जाने के बाद से अब तक

[श्री शंकरराव दे० काले]

875 करोड़ रुपए एकत्रित किए जा चुके हैं। 875 करोड़ रुपए में से केवल 365 करोड़ रुपए बांटे गए हैं तथा 510 करोड़ रुपए अभी बाकी हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हुआ है।

इस नीधि का उपयोग केवल विद्यमान चीनी मिलों के आधुनिकीकरण तथा उनके गन्ना विकास कार्यक्रमों के लिए किया गया है। इसमें एकीकृत चीनी परिसरों की स्थापना करके चीनी मिलों द्वारा विस्तार के मामले के लिए सहायता देने हेतु कोई उपबन्ध नहीं है।

इस एकीकृत चीनी कमप्लैक्स के अन्तर्गत हम चीनी, बिजली, ऊर्जा, पेट्रोल के विकल्प के तौर पर अल्कोहल कागज तथा पार्टिकल बोर्ड औद्योगिक अल्कोहल तथा अल्कोहल आधारित रसायन तथा पीने की अल्कोहल का उत्पादन कर सकते हैं। इस एकीकृत चीनी कमप्लैक्स के लिए पूंजी की आवश्यकता है। इतनी बड़ी पूंजी लगाना वर्तमान चीनी मिलों की क्षमता से बाहर है। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि इस चीनी विकास निधि के अन्तर्गत इस विकास तथा एकीकृत चीनी कमप्लैक्स के लिए धनराशि दी जानी चाहिए। एक संशोधन लाकर इस अधिनियम को पारित किया जा सकता है।

महाराष्ट्र राज्य अच्छा कार्य कर रहा है। सहकारी चीनी कारखाने लोकतांत्रिक ढंग से कार्य कर रहे है। सहकारी चीनी कारखाना एक समाजवादी ढांचे के लिए आदर्श हैं। इस प्रकार, महाराष्ट्र राष्ट्र का नेतृत्व करेगा।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से चीनी उद्योग की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करें।

मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे (वर्धा) : सभापति महोदय, सारे देश में किसानों के आन्दोलन चल रहे हैं। इस आन्दोलन में उनकी एक मुख्य मांग यह रही है कि किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले। किसान जो फसल साल भर में पैदा करता है, उस फसल को बोने में उसके परिवार के लोग उसका साथ देते हैं, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनको लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। सवाल यह है कि यह मूल्य किस ढंग से तय किया जाये, इसके बारे में सत्ताधारी पार्टी में काफी मतभेद हो सकते हैं, इस वजह से उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी रही हो। एक बात यह भी है कि ज्यादातर जमीन असिंचित है, इसलिये असिंचित जमीन में जो पैदावार होती है, औसतन उसके आधार पर ही भाव तय करना चाहिये। किसानों की जो खाद के लिये, इन्सैक्टिसाइड्स के लिए और बीजों के लिये, लागत होती है और इसके अलावा मजदूरों का खर्चा है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिये। साथ ही साथ उसका जीवनयापन, जितना एक चपरासी को मिलता है, उतना तो कम से कम करने वाले को मिलना चाहिये। इन सारी चीजों को मिलाकर कृषि उपज का मूल्य तय करना चाहिये।

इसके बारे में अभी तक वैज्ञानिक ढंग से कोई भी काम नहीं हुआ है और इसीलिये किसान को ज्यादा फसल पैदा करने में कोई इनसेंटिव नहीं है, जैसे नासिक और लासल गांव में प्याज होता है, प्याज की खेती होती है। बम्बई में 10 रुपये किलो प्याज बिकता है, लेकिन नासिक और लासल गांव में किसानों से एक रुपये भी उनको किलो के पीछे नहीं मिलता है, इसके बाद डिसट्रैस सेल उनको करना

पड़ता है। गवर्नमेंट तो मूल्य तय करती है लेकिन वह किसानों को नहीं मिलता है। जैसे नेफेड ने प्याज खरीदने का मूल्य तय किया, गवर्नमेंट ने तो तय किया कि नेफेड उनका प्याज खरीदेगी लेकिन नेफेड अपना सेंटर खोलती ही नहीं और तब तक वे अपना सारा माल व्यापारियों को बेच देते हैं और इससे बिचौलियों को फायदा होता है। किसान को पूरी मेहनत करने के बाद एक रुपये किलो नहीं मिलता और बम्बई में सारे बिचौलिये 10 रुपये किलो से बेचते हैं। उसी तरह से हमारे महाराष्ट्र में एकाधिकार कपास खरीद है, एकाधिकार कपास खरीद में कपास जमा होता है उसको निर्यात करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा नहीं दी जाती है।

पिछले 18-19 सालों के इतिहास में ऐसे कई मौके आये कि जहां से देश में कपास की फसल ज्यादा होने के बाद और वहां अच्छा भाव होने के बाद इस देश की कपास को बाहर निर्यात करने नहीं दिया गया या बहुत कम निर्यात करने दिया गया। इस कारण से किसानों को बहुत नुकसान हुआ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां के मिल मालिकों को और यहां के कपास का धन्धा करने वाले लोगों को खुश रखने के लिये कपास पर से जो माल पैदा करते हैं उनको जानबूझ कर इस सरकार ने बड़े पूंजीपतियों के हित की दृष्टि से उनके कपास को बाहर निर्यात नहीं होने दिया। आज हमको यह बताया जा रहा है कि हम लोग निर्यात बढ़ा रहे हैं, लेकिन यह सब कुछ कैसे होगा ? सरकार की नीति यहां के पूंजीपतियों और इजारेदारों को मदद करने की है। इसलिये अगर किसान ज्यादा पैदा करेगा तो भी उसको क्या फायदा होगा। इसलिये मेरा कहना यह है कि खरीफ मौसम में कृषि उपज का भाव उसके पहले ही तय होना चाहिये। जब फसल तैयार होती है तो सरकार के केन्द्र जल्दी से जल्दी खुल जाने चाहियें। मेरा अनुभव यह है कि किसानों के हाथ से माल निकल जाने के बाद में सरकार के खरीद केन्द्र खुलने शुरू हो जाते हैं, यह बहुत ही गलत तरीका है इससे किसानों को कोई मदद नहीं मिलती।

दूसरा सवाल मेरा यह है कि फसल बीमा योजना अत्यन्त आवश्यक है, प्रमुख फसल का बीमा शासन को करना चाहिये। पिछले समय में कृषि मन्त्री जी बोल रहे थे कि यह तो बहुत ही आसान है लेकिन किसान खुद तैयार नहीं है। वास्तव में यदि एक परसेंट प्रीमियम देने का है तो आधा सरकार देती है और आधा किसान देता है, इसको कम्प्लसरी करना चाहिये। इसके लिये किसान को भी राजी होना चाहिये।

इसी के साथ-साथ मुझे यह कहना है कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिये, आज कास्ट एकाउंटिंग होना चाहिये। आज जो पक्का माल है उस माल को बाहर भेज दिया जाता है, उसकी कास्ट एकाउंटिंग हुई तो ये जो चीजें जनता को खरीदनी पड़ती हैं, जिसमें पचास प्रतिशत किसान हैं या किसानी पर निर्भर हैं तो ऐसे लोगों को ज्यादा दर में माल खरीदना पड़ता है, इससे किसान को अपने माल की कीमत बराबर नहीं मिलती है। इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि उद्योग का दर्जा कृषि को मिले बगैर किसान कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता है। दूसरा एक मुख्य कारण यह है कि जो खेत मजदूर हैं इनकी तरफ किसी का भी ख्याल नहीं गया है। हमारे विदर्भ के इलाके में पचास टका, 56 टका, 58 टका खेत मजदूर हैं, इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा खेत मजदूर हैं जो पीढ़ियों से खेती में काम कर रहे हैं, जिनकी मिल्कियत की कोई जमीन नहीं है।

एक इंच जमीन भी उसके पास नहीं है। तो पूरे देश के खेतीहर मजदूरों के लिये एक विस्तृत कानून बनाया जाना चाहिये, जिसके अन्तर्गत यह तय हो कि न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए। जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती है, उसकी मजदूरी में भी बढ़ोत्तरी होनी चाहिये, उसको पेंशन भी मिलनी चाहिए और प्राकृतिक आपदा होने पर उसको मुआवजा भी दिया जाना चाहिये। इस तरह का एक केन्द्रीय

[श्री रामचन्द्र मरोतराव धंगारे]

कानून बनाया जाना चाहिये। वी०पी० सिंह की सरकार ने मेरे ख्याल से इस तरह के एक कानून का ढांचा तैयार कर लिया था, लेकिन वह सदन में नहीं प्रस्तुत हो सका। इस सरकार को इस काम को करना चाहिये। बगैर खेतीहर मजदूर की उन्नति किये कृषि की उन्नति नहीं हो सकती।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी पार्टी के 1-2 और मेंबर भी बोलना चाहते हैं। मैं अन्त में सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि जवाहर रोजगार आदि योजनाओं में काफी घपला होता है। ग्राम पंचायत कमेटियों का इस पर कोई नियन्त्रण तो नहीं रहता, बल्कि घपले में उनके द्वारा साथ दिया जाता है। इसका परीक्षण होना चाहिये और भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाये जाने चाहिये।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि, खाद्य और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति जी, भारतवर्ष, जैसाकि सब मानते हैं कि कृषि प्रधान देश है और 70 फीसदी लोग खेती पर निर्भर हैं। चाहे किसान हों या मजदूर हों, खेती से ही उनका गुजारा चलता है। मैं समझता हूं कि खेती और खेतीहर के लिये 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला तो उसके पास जमीन होनी चाहिये, दूसरा उसको अच्छे बीज मिलने चाहिये, तीसरा उसको अच्छी किस्म की खाद मिलती चाहिये, चौथा सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिये और पांचवां उसकी फसलों की सुरक्षा ठीक ढंग से की जाए।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जमीन का जो सवाल है, आज भी बहुत सारे लोग मजदूरी करते हैं, बड़े जमींदारों के पास काम करते हैं, लेकिन उनके पास अपनी जमीन नहीं है। बहुत से मध्यम वर्ग के किसान हैं, वे अपना जीवन-निर्वाह ठीक ढंग से कर पाते हैं, लेकिन आज भी बड़े-बड़े जमींदार हैं, भले ही कागजों पर उनकी जमीन सरप्लस हो, लेकिन आज तक उसका सही ढंग से आबंटन नहीं किया गया है। मेरी प्रार्थना है कि इसमें सरकार की कोशिश हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो खेती द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं, उनमें जमीन का आवंटन ठीक ढंग से कर दिया जाये। इस तरह से जो सरप्लस जमीन है, जो खेतीहर मजदूर हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, खेती में काम करते हैं, उनको मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज 80 प्रतिशत किसानों की जमीन रहन पड़ी है, चाहे वह कोआपरेटिव बैंकों के पास हो चाहे नेशनलाइज बैंकों के पास हो। मैं विशेषकर हरियाणा के बारे में बताना चाहता हूं, हरियाणा में अभी-अभी महीने पहले जो चौधरी भजन लाल के नेतृत्व में सरकार बनी है, उसने पिछले दस साल का किसानों का कोआपरेटिव बैंकों का ब्याज माफ कर दिया है। वे यहीं तक कर सकते थे, क्योंकि नेशनलाइज बैंकों का प्रिंसीपल अमाउन्ट और इंटरेस्ट माफ नहीं कर सकते, इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे नेशनलाइज्ड बैंकों का ऋण-ब्याज भी इसी फारमूले के तहत माफ करवायें। क्योंकि आज किसान की हालत बहुत खराब है, हमारे राजनैतिक लोगों के गलत प्रपोगंडे के कारण और ज्यादा खराब हुई है। मैं हरियाणा की मिसाल देना चाहता हूं, हमारे यहां के एक नेता थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उन्होंने 4 साल तक प्रपोगंडा किया कि तुम कर्ज लो, बेपरवाह होकर कर्ज लो, मैं आऊंगा तो कर्ज माफ कर दूंगा।

जब उनसे लोग पूछते थे कि आप कैसे कर्ज माफ कर दोगे तो वे कहते थे कि मेरा एक मुनीम होगा, जिसको फायनैंस मिनिस्टर कहते हैं, उसको कहूंगा कि गांव का कितना कर्ज है, वह बताएगा कि 10 लाख या 20 लाख है और लिख देगा "कर्ज माफ" और मैं नीचे लिख दूंगा देवी लाल। इस तरह से कर्ज माफ हो जायेगा। वे भोले-भाले किसान हैं, उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इंट्रैस्ट नहीं दिया असल किश्त देने की बात तो दूर रही। तमाम हरियाणा का किसान कर्जदार होकर रह गया है। वह बेचारा जो कुछ कमाता है उससे ब्याज उतारता है या थोड़ा बहुत कैपिटल अमाउन्ट वह वापस कर पाता है। इस बात को देखते हुये हरियाणा की सरकार ने कहा कि हमको कोआपरेटिव सोसाइटी को पिछले 10 साल का इंट्रैस्ट माफ कर देंगे, और कैपिटल अमाउन्ट इंस्टालमेंट्स में देना पड़ेगा।

जो नैशनेलाइज्ड बैंक हैं, उन बैंकों की तरह से अगर किसान ने या मजदूर ने, जो खेती पर निर्वाह करता है, कर्ज लिया है उसका भी इंट्रैस्ट कम से कम माफ कर दीजिये। वर्ना उसकी हालत इतनी खस्ता होती जा रही है कि बेचारे के पल्ले कुछ नहीं होगा, कैपिटल अमाउन्ट की बात दूर रही वह इन्ट्रैस्ट भी नहीं दे पायेगा। इसलिये जमीन के सम्बन्ध में मैं यह बात कहना चाहता हूं।

दूसरी बात किसी भी किसान के लिये होती है कि उसे अच्छे प्रकार के बीज मिलें। गवर्नमेंट की एजेंसियां भी हैं जो बीज पैदा करती हैं और कुछ प्राईवेट लोग भी हैं इस धन्धे में जो काफी आगे हैं। वे अच्छी बीज की थैली बना देते हैं, लेकिन वे एडलट्रेटिड बीज हैं। उसके कारण किसानों का काफी नुकसान होता है। मेरा मन्त्री जी से यह अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में पूरा ध्यान दें और किसान को अच्छे प्रकार की बीज मिले ताकि वह अच्छी खेती उगा सके और देश के 80 करोड़ लोगों का पेट भर सके।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह खाद के सम्बन्ध में है। खाद के बारे में इस हाउस के सामने पिछले दो महीने से काफी शोर-शराबा हुआ। आज भी खाद की डूअल पालिसी है। पहले सब्सिडी बिल्कुल खत्म कर दी थी, अब मार्जिनल फार्मर या स्माल फार्मर को सब्सिडी का बैनिफिट दिया गया, लेकिन बड़े किसान को, बड़े जमीदार को नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह खाली कागजी कार्यवाही होगी। जो बड़े जमींदार हैं वे छोटे जमीदार के नाम से ले लेंगे। इस तरह एक और एक्सप्लाइटेशन शुरू होगी। आज जो माननीय सदस्य अभी इधर से बोल रहे थे कि पटवारी के पास जायेंगे कर्जा लेने के लिए, छोटा किसान हैं, बड़े किसान हैं, मार्जिनल किसान हैं, बिग किसान हैं, स्माल किसान हैं, उसमें भी एक्सप्लाइटेशन होगी।

इसलिए मेरी यह गुजारिश है कि इस बात का बड़ा विरोध हुआ है किसानों के अन्दर, जिस समय यह बजट पेश किया गया और खाद के बारे में बात आयी, मैं अपनी कांस्टीच्यूएंसी में गया तो लोगों ने बड़ा जबरदस्त विरोध किया कि यह बात गलत है। इससे किसान खाद कम डालेगा, जिसका रिजल्ट यह होगा कि पैदावार कम होगी। यदि पैदावार कम होगी तो उससे तमाम देश की आर्थिक हालत पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में दोबारा फिर सोच विचार कर लिया जाए। टोटल खाद पर चाहे छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, हरएक को खाद पर सब्सिडी मिलेगी तो वह अपनी पैदावार ज्यादा कर सकेगा।

इसके साथ ही मैं एक चीज यह भी कहना चाहता हूं कि किसान को जो लोन दिया जाता है वह नैशनेलाइज्ड बैंक देते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं वे भी देते हैं, लेकिन ये बैंक बहुत थोड़े हैं। इस सम्बन्ध में मेरी प्रार्थना यह है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं बहुत थोड़ी हैं, इनकी शाखाएं बढ़ा दी जाएं क्योंकि इनकी ट्रांजेक्शन्ज बहुत ज्यादा सरल है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यह किया जाए।

[श्री धर्मपाल सिंह मलिक]

चौथी बात किसान के लिए बहुत जरूरी है। वह बात सिंचाई व्यवस्था की हैं । अपने प्रदेश के बारे में भी कुछ सुझाव देना चाहूंगा । सिंचाई व्यवस्था सबसे जरूरी चीज है। जब तक पानी नहीं मिलेगा तो उस समय तक खेती की पैदावार ठीक ढंग से नहीं हो सकती । बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनका आपस में पानी के सम्बन्ध में झगड़ा चल रहा है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि नेशनल पावर ग्रिड या नेशनल वाटर ग्रिड के नाम से बिजली और पानी की राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था बनायी जाए जो किसी भी राज्य के बीच में झगड़ा हो, उसको निपटाए । शायद ही कोई ऐसा प्रदेश बचा हो जिसका किसी दूसरे प्रदेश के साथ पानी, बिजली के सम्बन्ध में कोई झगड़ा न हो ।···(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली और पानी को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित किया जाए तब हमारी बात बन सकती है वरना इस सम्बन्ध में झगड़े ही चलेंगे। हमारे स्टेट का सतलुज-यमुना लिंक का झगड़ा है । 1955 में पानी मिला था। वह पानी पाकिस्तान में जाता है। पानी के बारे में 1955 में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की संधि हुई । उसी के नाम से इंडो-पाकिस्तान वाटर ट्रीटी एक्ट बना और उससे पानी मिला। लेकिन, आज 36 साल बाद भी आखिर वह पानी हमारे तक नहीं पहुंचा। उसकी प्रोग्रेस आ जाती है। कभी 97 परसेंट और कभी 87 परसेन्ट । इस परसेंटेज से पानी मिलने वाला नहीं है । 99.9 तक कम्पलीट हो जाए तो तब भी पानी नहीं मिलेगा । हमारे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि इसको निपटा सके । कोई पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाती है और या कोई कमीशन बनता है । 1983 में इन्दिराजी ने एस० वाइ० एल० कैनाल की खुदाई अपने हाथ से शुरू करवाई थी। हरियाणा का पानी जहां से गुजरना था वह 1973 में कंपलीट हो चुका है । उस पर इतना पैसा लग चुका है जिसका कोई अन्दाजा नहीं है। वह शुरू में पंजाब का पोर्शन 126 करोड़ रुपये में कम्पलीट होना था । उस पर 500 करोड़ रुपये खर्च हो चुका है और अभी भी अधूरी है। मेरी गुजारिश हैं कि एस० वाइ० एल० कैनाल को टाप प्रायोरिटी बेसिस पर कम्पलीट कराएं । मैं समझता हूं वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट दूसरा है । यह कृषि से सम्बन्धित बात है। खेती से तब तक पैदावार नहीं हो सकती जब तक उसमें से उसको पानी नहीं मिले। आजकल पानी या किसी और बात का झगड़ा नहीं है । जो पैसा सेन्ट्रल गवर्नमेंट से पहुंचता है वह सारा प्रशासन के काम में लग जाता है क्योंकि वहां पर लम्बा-चौड़ा एस्टेबलिशमेंट बना रखा है। कारें, जीपें चलती हैं लेकिन काम नहीं होता। आज न पानी की रेशों पर झगड़ा है और न किसी और बात पर । यह सैटल्ड मामला है। पानी राजस्थान में भी जाना है । सिर्फ पोलिटिकल बिल की बात है। हमारा राइट एस्टेबलिश हो चुका है और अदालत ने भी एस्टेबलिश कर दिया है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों ने भी फैसला कर दिया । राजीव लोंगोवाल समझौते के अन्तर्गत वह बात सैटय हो गई। लेकिन हमें पानी नहीं मिला ।

दूसरी मेरी गुजारिश यह है कि हथिनी कुण्ड डैम है उत्तर प्रदेश में, यहां पर यू० पी० के कुछ साथी भी बैठे हैं। वहां बैराज बना हुआ है वह 100 साल पुराना है और आऊट डेटेड हो चुका है, किसी भी समय वह गिर सकता है । अगर वह गिरता है तो हरियाणा में आज जो पैदावार होती है उसकी 20 प्रतिशत पैदावार भी नहीं बचेगी । सब खत्म हो जायेगी । बैराज टूटते ही दिल्ली डूब जायेगी । मैंने सम्बन्धित मंत्री विद्याचरण शुक्ल जी से भी कहा है। उससे हमारा सारा मामला तहस-नहस हो जायेगा, इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए । वहां से गंगा लिंक प्रोजेक्ट नाम से गंगा का जो पानी है वह पानी हरियाणा के अन्दर आये तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि वह पानी बेकार जाता है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है । उसको हमें दे दिया जाये तो हरियाणा और भी ज्यादा तरक्की कर सकता है,

और भी ज्यादा इस देश के लोगों का पेट भरने के लिए अनाज दे सकता है ।

एक माननीय सदस्य : उल्टी गंगा बहाना चाहते हैं ।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : हम सही इस्तेमाल करना चाहते हैं । मैं आखिर में एक बात और कहना चाहूंगा । फसलों की सुरक्षा के बारे में जो प्रावधान किया गया है कि कोई आदमी लोन लेता है, बीज के लिए या और किसी पर्पज के लिए लेता है और काश्त करता है तो उसकी फसल का बीमा हो सकता है । अगर वह लोन लिये वगैर काश्त करता है तो उसका बीमा नहीं होगा । इससे हम लोगों को गलत रास्ते पर चल रहे हैं । जबकि किसी के पास साधन हैं, पैसे हैं वह लोन ले तो उसकी फसल का बीमा होगा, यह सही नहीं है । अगर गरीब आदमी को लोन मिले और इंशोरेंस की सुविधा मिले तो इससे सरकार का पैसा बचेगा और लोगों की फसलें भी बचेंगी । इसलिए आप सभी पर यह योजना लागू करें । इसमें सारी फसलें नहीं ली गई हैं । कुछ फसलें ही ली गई हैं । मेरी गुजारिश यह है कि इसको टापप्रायरिटी दी जाये ताकि खर्च में कमी की जाये । इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाये, क्योंकि किसान को बड़ी भारी तपस्या करनी पड़ती है । वह अपने घर में अनाज उठाकर खेतों में भगवान के भोरसे छोड़ देता है, कभी बारिश पड़ती है, कभी ओले पड़ते हैं, कभी पाला पड़ता है और कभी सूखा पड़ता है इस-लिए सभी फसलें इसमें ली जायें और देश के हर भाग में इसको लागू किया जाये ।

जहां तक शूगर मिल की बात है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में टोहाना से अन्दर को-आपरेटिव शुगर फैक्टरी का केस बहुत पुराना है । वहां पर बहुत गन्ना होता है । उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए जिससे किसानों का गन्ना खराब नहीं होगा । उसका प्रोपर यूज होगा । मेरे क्षेत्र में एक गांव है बड़ाना, जोकि सोनीपत जिले में है । यहां एशिया में सबसे ज्या खुम्भ होती है, जिसे मशरूम कहते हैं । उसके लिए वहां बड़े किसान के परेशान होते हैं उस गांव के अन्दर कभी मौका मिले मैं आपको और कृषि मंत्री को ले जाऊंगा, सोनीपत से तीन-चार किलोमीटर दूर है, सभी किसान खुम्भ लगाते हैं । दूसरे देशों में भी उसको भेजते हैं उसको सपोर्ट प्राइस दी जाये ताकि उनका हौंसला बुलन्द रहे और उनको अपनी फसल बचाने के लिए परेशानी न उठानी पड़े ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर (कपड़वंज) : आदरणीय सभापति महोदय, माननीय भूमि कार्य विकास और खाद्य मंत्री जी जो अपने डिपार्टमेंट की मांगें लेकर यहां आये हैं, उस पर अपने विचार और कुछ अनुभव और कुछ सुझाव रखना चाहता हूं । इस सम्माननीय सदन के अन्दर जो चिन्ता, विचार और चिन्तन किया जाता है, वह चिन्तन यह है कि समग्र देश की जनता को सुखी करने के लिए एक नीति तय की जाती है और यदि वह नीति गलत हो तो देश की जनता दुख में डूब जायेगी और यदि नीति अच्छी हो और उसका अमल अच्छा होता है तो देश की जनता सुखी और उसे सुविधा मिलती है ।

सभापति महोदय, आजादी के बाद पं० जवाहरलाल नेहरू की निगहबानी में जब कृषि नीति तय की गयी तो सरदार बल्लभ भाई पटेल जो ग्राम विकास से आये हुए थे । उस समय उनकी भी यही मांग थी और देश की जनता भी यही चाहती थी कि इस देश की कृषि नीति कृषि पर आधारित होनी चाहिये, कृषि को प्रधानता देनी चाहिये, कृषि को अग्रता देनी चाहिये लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया गया और पं० जवाहरलाल नेहरू की निगहबानी मैं उद्योग प्रधान नीति बन गयी और तभी से इस देश की बरबादी होती चली आयी है । इस देश का ही नहीं, कोई भी देश हो किसान जगत का दाता है लेकिन उस दाता की हालत जो आज है, वह बेचारा बन गया है । यदि गांव में कोई कहानी बोलता है तो गांव में एक बेचारा गरीब किसान था, उससे शुरू होती है । आज वह भुखमरी की अवस्था में आ

[श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर]

गया है। उसे भुखमरी की अवस्था में लाने की जिम्मेदारी गलत नीति के कारण हुआ है और इस वजह से वह न चाहते हुए भी सब्सिडी की बात करता है और उस सबसिडी की बात को लेकर हमें यहां आकर उसको व्यक्त करना पड़ता है। हालांकि वह जगत को खाना खिलाता है लेकिन उसकी हालत क्या कर दी है। वह भीख मांगना नहीं चाहता है परन्तु चाहता है कि उसके लिये अच्छी नीति तय की जाये जो कृषि पर आधारित हो, कृषि प्रधान देश पर आधारित की जाये, उसको सुविधा प्रदान की जानी चाहिये। वह क्या मांगता है? वह पानी चाहता है।

जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, शासन से मांग कर रहा है कि हमें पानी, खाद, सर्टिफाईड सीड्स बिजली चाहिए। वह यह चाहता है कि ट्यूबवैल के अन्दर जो पानी है, वह दिया जाये लेकिन उसके लिए भी बिजली दी जाये। क्या यह आपने अपने किसानों को प्रदान किया है? कुछ भी तो नहीं किया है। उसके लिए न पानी, न बिजली, न खाद दी जा रही है और न उसे आवश्यक पेस्टीसाईडज दी जा रही हैं। लेकिन इस समय मैं केवल पानी की बात करूंगा।

सभापति महोदय, मैं 1946 की बात कर रहा हूं। उस समय सरदार पटेल ने कहा था कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की जनता का एक ख्वाब था कि हमारे देश में अपनी सत्ता आयेगी, हम शासन करेंगे और हमें सभी सुविधाएं मिलेंगी। उसके बाद आई नर्मदा योजना। मांगते-मांगते पानी नहीं मिला। खैर, योजना चालू है। मगर हमारी हालत आज ऐसी क्यों है? उसके लिए सरकार ने कभी नहीं सोचा कि जो कुदरत पानी बरसाती है, उसको जमा किया जाता। गुजरात में हर तीन साल के बाद एक साल ऐसा आता है जब अतिवृष्टि होती है। उसके अन्दर कुदरत पानी बरसाता है, उसको अगर रोक पाये होते तो पानी की दिक्कत नहीं आती। ग्राउण्ड वाटर 1100 फुट के नीचे से मेहसाणा में आ रहा है। साबरकांठा और अहमदाबाद में यह 900 फीट से नीचे से उठा रहे हैं। पानी रोकने के लिए मेरा जो सुझाव है, एक सिर्फ पानी पर है कि आज तक हिन्दुस्तान में आजादी के बाद जो नदियां हिन्दुस्तान की सरस्वती है, जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी देवियां हैं, उसमें दूर पहाड़ों से बालू खींच-खींचकर लाकर नदी में जमा होती है और बालू जमा होने से नदी छिछाड़ बन गई है। बालू भर गई है, किसी ने उसको निकालने की नहीं सोची है। टैक्नोलॉजी की बात करने वाले जो अधिकारी हैं, उन्होंने कभी सोचा है कि हमारे हिन्दुस्तान की जो नदियां हैं, उनकी डेप्थ घट रही है, कम होती जा रही हैं और उसकी वजह से उनमें पानी ठहरता नहीं है और जो पानी बरसता है अतिवृष्टि में, वह दरियाओं में चला जाता है। उसको रोकने के लिए किसी ने नहीं सोचा। न बालू निकाली है। अतिवृष्टि के अन्दर जो नलकूप बने हुए हैं, उसमें रीचार्ज करने की किसी अधिकारी ने कभी सोचा है?

जितने आप धरती मां के पेट में से निकालकर सिंचाई कर रहे हैं, कभी उसे देने के लिए भी सोचा है? उस पानी को रिचार्ज करने के लिए किसी ने नहीं सोचा है। माननीय सभापति महोदय, इस वजह से दिन पर दिन पानी धरती के अन्दर नीचे और नीचे चला जाता है। सारे हिन्दुस्तान भर में चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, सारे देश में जो झगड़ा चल रहा है पानी का चल रहा है। किसान-किसान के बीच में झगड़ा चल रहा है पानी का कि पानी का बंटवारा हमें कम मिलता है। मतलब, पानी की हमने कभी सोची नहीं है। पानी को रोकने के लिए हमने सोचा नहीं है। कुदरत ने हमको काफी पानी दिया है लेकिन हमने उसको रोकने के लिए सोचा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, पानी को रीचार्ज करने के लिए सोचें और अतिवृष्टि में जो पानी बरसता है उसको रीचार्ज करके धरती में डालें।

दूसरी बात मैंने कही कि नदी में जो बालू हो रही है, उस बालू को निकालकर उसकी डेप्थ बढ़ाई जाए जिससे नदी में पानी रुकेगा और कूप में जाएगा और कूप में वाटर लेबल ऊपर हो सकता है।

तीसरी बात है कि देश के जितने भी बड़े-बड़े बांध हैं, उन बांधों के अन्दर किनारे पर सिल्ट जमा हो रहा है। उस वजह से भी उसकी डेप्थ घटती जा रही है। परिणाम यह है कि न हमें पानी मिलता है और हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पैदा नहीं कर सकते। मेरा एक और सुझाव है कि जितने भी हिन्दुस्तान के बांध हैं, उनके किनारे जमा होने वाले सिल्ट को रोकने की व्यवस्था हो उसमें पूरा पानी रह सके और धरती में पानी परक्योलेट हो और इस तरह से कूप में पानी का जो करन्ट है, वाटर लेवल है वह ऊपर होगा। इस तरह से अगर पानी ऊपर आएगा तो बिजली का प्राइस भी कम होगा। किसानों को सस्ते दामों पर पानी मिल पाएगा। आज तो पीने के पानी की हालत भी खराब है।

माननीय सभापति महोदय, एक तो मैंने पानी की बात कही और अब किसानों पर हमले की बात करता हूं। किसानों पर जो कातिलाना हमला किया है, सब्सिडी ब्रिदड़ा करने की बात तो जग जाहिर हो गई है, एक और बात है। जो सोसाइटीज हैं और जो मंडलियां हैं जो लोन देती हैं, कोआपरेटिव बैंक्स हैं, जो किसानों को लोन देते हैं, उसमें से 3% के ब्याज पर सालाना जो रकम होगी 3% उसमें ब्याज कटौती होगी। मैंने मनमोहन सिंह जी की बजट स्पीच पढ़ी है। एक क्लॉज में लिखा है कि ये जो कोआपरेटिव बैंक्स हैं ये चाहें तो अपना ब्याज का रेट बढ़ा सकते हैं। मतलब यह कि उसकी हड्डियों में भी अगर कहीं खून रह गया तो उसको खींचने के लिए छूट दे दी गई है। बैंक चाहे तो उनको छूट है कि इंटरस्ट रेट बढ़ाकर किसानों से वसूल करे। एक तरह का हमला और भी उन पर किया है। इस तरह से मैंने पहले बताया कि जो किसान हैं, उसको भिखारी बना दिया है, उसको गरीब बना दिया है, उसको बेचारा बना दिया है। आपके जरिए मैं आदरणीय सदन के सामने कृषि मन्त्री जी को यह बताना चाहता हूं कि जो कृषि है जो देश का कृषक है वह भुगतता रहा है। जब आजादी मिली, इस देश के अन्दर 82% पॉपुलेशन रूरल में थी और आज 70% है।

आज 12 परसेंट गांव के लोग अपने प्यारे बच्चों को अपनी नजरों से निकाल देने के लिए मजबूर हैं। लड़का भी सोचता है कि मेरे मां-बाप जितनी मेहनत करते हैं, रोटी जुटा नहीं पाते, खेती में पैदावार से हमें कुछ मिलता नहीं तो क्यों न मैं उनकी सेवा करने के लिए शहर चला जाऊं। जब वह शहर में आता है, नौकरी ढूंढता है तो यहां स्लम की समस्या पैदा करता है। फिर आप चिल्लाते हैं कि देहात के लोगों ने आकर, शहरों में स्लम की समस्या, वाटर पौल्यूशन, एअर पौल्यूशन की समस्या पैदा कर दी लेकिन इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, यह किसी ने नहीं देखा। हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए था। हमारे अधिकारियों के पास भी किसान के बारे में सोचने का समय नहीं है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह से इस देश की रीढ़ की हड्डी हमारा किसान है यदि हमारी रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं होगी, तो दिक्कत पैदा हो जायेगी और जिस तरह इन्सान चल नहीं पायेगा, उसी तरह यह देश चल नहीं पायेगा। हमारे सामने अनेक मुश्किलें पैदा होंगी। अभी यहां कुछ एक माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा कि यदि हालत में सुधार न आया तो देश में ब्लडी रिवौल्यूशन होकर रहेगा। हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी ताकि देहात के लोग गांवों में रहकर वहीं रोजगार पा सकें। उन्हें इन्सैन्टिव मिलें, उनके उत्पादन के उचित दाम मिलें, अन्यथा वह बेचारा भागता फिरेगा।

हमारा किसान गांव में, अपनी खेती में 24 घण्टे काम करता है, सांपों के बीच, बिच्छुओं के बीच, कीड़े-मकौड़ों के बीच मजदूरी करता है मगर इस देश में उसे कोई सुविधा नहीं मिलती। जो शहरों में छोटा मोटा धन्धा कर लेता है उसे बिजली की सुविधा, टी० वी०, फ्रिज, एअर कण्डीशनर आदि सभी

सुविधाएं मिल जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें देखकर हमें जलन होती है लेकिन जो किसान सारे देश को खिलाये, हमें कपड़ा दे, काटन पैदा करे, अनाज पैदा करके दे, आयल सीड पैदा करके आयल उपलब्ध कराये, उस किसान को हम क्या दे रहे हैं, यह भी सोचने वाली बात है। आज हालत यह है कि आजादी के 44 साल बीत जाने के बाद भी हमने किसानों के हित में कोई ऐसी नीति नहीं बनाई, चाहे किसी ने भी नीतियां इस देश में चलायीं, मैं यहां पण्डित जवाहर लाल नेहरू पर किसी तरह का आक्षेप नहीं करना चाहता, मगर इस सबके लिए कौन जिम्मेदार है। पिछले 44 सालों में इस देश में अनेकों आन्दोलन हो चुके हैं मगर आज भी किसान को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, गेहूं की सपोर्ट प्राइस के लिए लड़ना पड़ता है। अब सपोर्ट प्राइस जो लोग यहां बैठकर फिक्स करते हैं क्या उन्होंने कभी सोचा है कि किसान किन हालत में उत्पादन करता है। हमारे गुजरात में 900 फीट और कहीं 1100 फीट गहरा खोदने पर पानी निकलता है, क्या किसी ने विचार किया है कि इस काम में किसान का कितना खर्च आता होगा। एक हार्स पावर के पीछे लगभग 500 रुपया किसान को देना पड़ता है। किसान ने कई बार इसको लेकर आन्दोलन किया, कई लोगों ने गोलियां खायीं, कई लोगों ने लाठियां खायीं और कई लोग स्वर्ग में चले गये, मारे गये, कई बहनों की चूड़ियां टूटीं और कई बच्चों के मां-बाप मारे गये, आन्दोलन में मारे गये। आखिर यह सब क्यों होता है। गोलियां खाने में इस देश में किसको खुशी होती है परन्तु जब कोई बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो उसे मैदान में आना पड़ता है, आन्दोलन करना पड़ता है और वह मजबूर हो जाता है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से, सभापति जी, सदन में प्रार्थना करना चाहता हूं कि अकेले मन्त्री जी इस मामले में कुछ नहीं कर पायेंगे, क्योंकि पहले भी अनेकों प्रौमिज वे करते आए हैं, इसलिए मैं सारे सदन से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी किसानों के प्रति वेदना व्यक्त करते हुए, उनके हित में कोई ठोस नीति बनाने में सहायता करें। यदि इस देश का किसान सुखी होगा तो हम भी सुखी रहेंगे, यह देश सुखी होगा, देश का विकास होगा। वर्ना अपनी हालत दिन प्रति दिन गिरती चली जायेगी, आज नहीं तो कल, हमारे सामने विषम परिस्थिति पैदा होगी, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पायेंगे।

अन्त में सभापति जी, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह इस देश के किसानों का शोषण किया जाता है, एक्स-प्लायटेशन उनका होता है। आजकल तो बैलों का उपयोग जरा कम हो गया है, हम सोचते हैं कि बैल खेतीबाड़ी में उपयोग में लाये जायें, गऊ माता का पालन करने की हमारी संस्कृति रही है, कृष्ण जी का नाम गोपाल इसीलिए रखा गया था कि उन्हें गौओं से बेहद प्रेम था। गायों को पालने वाले को गोपाल कहते हैं।

सभापति महोदय : आप अपनी बात कहिए, उदाहरण नहीं।

श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : मैं दो मिनट में अपना प्वाइंट रखकर खत्म करता हूं।

सभापति महोदय : दो मिनट नहीं।

श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : मैं आपके सामने बस एक मिसाल दे रहा हूं और वह यह है कि किसान ट्रैक्टर का उपयोग अब धीरे-धीरे करने लगा है। पहली सितम्बर, 1971 को ट्रैक्टर्स के सम्बन्ध में सरकार ने एक कन्ट्रोल आर्डर जारी किया था, परन्तु उस आर्डर को 29 जनवरी, 1988 के दिन विदड्रा कर लिया गया। उसका परिणाम यह हुआ कि जब किसान बैंक में लोन लेने जाता है तो उससे कहा जाता है कि पहले ट्रैक्टर की डिलीवरी दो। एक तरफ डिलीवरी मिलेगी, दूसरी तरफ उसको··· **(व्यवधान)**···पूरी बात मुझे कह लेने दीजिये सर।

श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर (बीड़) : सभापति जी, मुझे भी 5 मिनट का टाइम दीजिए। हमारा भी ख्याल कीजिए।

सभापति महोदय : मैं ख्याल कर रहा हूं, आपका बराबर मुझे ख्याल है।

श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : सभापति जी, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। **(व्यवधान)**

तो अध्यक्ष महोदय, इस चीज से, कंट्रोल आर्डर उठाने से किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। उनका शोषण हो रहा है। इसके कारण क्या होता है कि डीलर किसान से कहता है कि एडवांस पेमेंट दो। दो-चार महीने तक पेमेंट डीलर के पास ही पड़ा रहता है और उसका ब्याज भी उसको नहीं मिलता है, इस प्रकार से किसानों का बहुत शोषण हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक सितम्बर, 1971 का जो कण्ट्रोल आर्डर है, जिसको उठाया गया है, आप मेहरबानी करके उसको दुबारा इम्पोज कीजिए जिससे किसानों को सुविधा हो सके, उनका शोषण समाप्त हो सके। इतना कहकर अन्त में, मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय माननीय मन्त्री महोदय से मांग करता हूं कि वे मेरे सुझावों पर ध्यान दें और किसानों का शोषण जो हो रहा है, उसे बन्द करवायें। इतनी विनती करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीर सागर।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : ऐसा है, कई नाम और हैं और कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। कुछ सुझाव आए हैं कि 6 बजे के बाद भी सभागृह को चलाया जाए।

प्रो० राम कापसे (ठाणे) : सभापति महोदय, छः बजे के बाद नहीं बैठना है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

***श्री केसरबाई सोनाजी क्षीर सागर** : सभापति महोदय, मैं कृषि और ग्रामीण मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करती हूं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। देश के 80 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। हमने खाद्यान्न उत्पादन के मामले में प्रगति की है। गत 20 वर्षों के दौरान हमने कुछ खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। चूंकि हम खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रहे हैं इसलिए अब हमें खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए इंगलैंड और अमरीका जैसे देशों से अनुरोध नहीं करना पड़ता। वास्तव में अब हम कुछ जरूरतमन्द देशों को खाद्यान्न सप्लाई करने की स्थिति में हैं।

कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए। कपड़ा मिलों के स्वामी अपनी मिलों में निर्मित कपड़े की कीमत निर्धारित करने की स्थिति में हैं। परन्तु किसान पूरे वर्ष अपने खेतों में मेहनत करने के पश्चात भी अपने कृषि उत्पादों को बाजार में बेचते समय उनकी कीमत निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है। उसके द्वारा उत्पादित उत्पादों की कीमत बिचौलिए द्वारा निर्धारित की जाती है। यह एक क्रूर मजाक है और इसलिए हमें इस कुचक्र को रोकना चाहिए। माननीय कृषि मन्त्री स्वयं एक आदर्श किसान हैं और किसानों से उनकी बड़ी सहानुभूति है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कृषि उत्पादों की कीमतों का निर्धारण बिचौलियों

* मूलतः मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

की बजाए स्वयं किसानों द्वारा किया जाए। हमारी नीति यही होनी चाहिए और इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

किसानों की केवल कुछ फसलों का ही बीमा होता है। परन्तु जैसाकि हम जानते हैं किसानों को सूखा, बाढ़ और अति वर्षा जैसी प्राकृतिक विपदाओं का सामना करना पड़ता है जिनके कारण उसकी फसलें पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान सब कुछ गंवा बैठते हैं और उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है। इसलिए किसानों की सभी फसलों को बीमा लाभ मिलना चाहिए चाहे उसके कारण कुछ भी हों। जिस प्रकार कारखाने में मशीनों के लिए बीमा लाभ मिलता है, उसी प्रकार सभी फसलों के लिए बीमा लाभ मिलना चाहिए। जब तक हम यह कदम नहीं उठाएंगे तब तक किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं होगा।

कृषि के लिए बीज, पम्प सैट, सिंचाई, उर्वरक, विद्युत सप्लाई आदि जैसे प्राथमिक आदानों की आवश्यकता है। **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : सभापति महोदय, यदि सभा 6 बजे के पश्चात् बैठने की इच्छुक नहीं है तो हम पहले कृषि मन्त्रालय, खाद्य मन्त्रालय और ग्रामीण विकास मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर इस चर्चा के लिए आबंटित समय को बढ़ाएं। मेरे विचार से हमने दस घण्टे का समय पूरा कर लिया है। यदि हम इस चर्चा के लिए समय 10 घण्टे से बढ़ाकर 15 घण्टे कर दें और मन्त्री द्वारा उत्तर दिए जाने का समय कल सायं 5 बजे का तय कर दें तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार रखने का थोड़ा और समय मिल जाएगा। अभी सभी पक्षों के बहुत से सदस्य हैं जो इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहते हैं।

सभापति महोदय : क्या इससे सहमत हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम यह चर्चा 6 बजे समाप्त करना चाहते हैं। परन्तु कृपया नोट करें कि कल मन्त्री महोदय 5 बजे या 5 बजे के आसपास उत्तर देंगे।

श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीर सागर कल अपना भाषण जारी रखेंगी। सभा कल 11.00 म०पू० पर समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 29 अगस्त, 1991/7 भाद्र, 1913 (शक) के 11 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : सनलाइट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6

पी.एल.एस. 48/4/34/91 (एन)
225

© 1991 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबंधक, सनलाईट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित।